

तीसरी THIRD

अनुदानों की पूरक मांगें SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

केन्द्रीय सरकार के व्यय के लिए FOR EXPENDITURE OF THE CENTRAL GOVERNMENT

(रेलवे को छोड़कर) (Excluding Railways)

2006-2007

(संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) के अनुसार संसद में प्रस्तुत। राष्ट्रपित की सिफारिश, जो मांगें पेश करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1)(क) और (2) के साथ पठित अनुच्छेद 113 के खण्ड (3) के अन्तर्गत आवश्यक है, प्राप्त कर ली गई है) (Laid before Parliament in pursuance of sub-clause (a) of clause (1) of Article 115 of the Constitution. The recommendation of the President, required under clause (3) of Article 113 read with clauses (1)(a) and (2) of Article 115 of the Constitution for making the Demands has been obtained)

मार्च March, 2007

परिचायक टिप्पणी

विषय: अनुदानों की पूरक मांगों का तीसरा और अन्तिम बैच, 2006-07

वर्ष 2006-2007 के लिए अनुदानों की पूरक मांगों के तीसरे बैच में 77 अनुदान और 4 विनियोग शामिल हैं। 386336.76 करोड़ रुपए के सकल अतिरिक्त व्यय को प्राधिकृत करने के लिए संसद का अनुमोदन मांगा गया है। इसमें से, निवल नकद व्यय के प्रस्तावों की कुल राशि 18722.98 करोड़ रुपए है और मंत्रालयों/विभागों की बचतों द्वारा अथवा बढ़ी हुई प्राप्तियों/ वसूलियों द्वारा पूरे किए गए सकल अतिरिक्त व्यय की राशि 367612.94 करोड़ रुपए है। इसके अलावा, 84 लाख रुपए के सांकेतिक प्रावधान की मांग की गई है जिसमें व्यय की प्रत्येक मद के लिए एक लाख रुपए है जिससे कि नई सेवा अथवा सेवा के नए लिखत वाले मामलों में बचतों का प्नविंनियोजन किया जा सके।

2. अतिरिक्त व्यय जिसमें निवल नकद व्यय शामिल है, की मदें निम्नलिखित हैं :

INTRODUCTORY NOTE

Subject: Third and final Batch of Supplementary Demands for Grants, 2006-2007.

The third batch of Supplementary Demands for Grants for 2006-07 includes 77 Grants and 4 Appropriations. Approval of the Parliament is sought to authorise gross additional expenditure of Rs. 386336.76 crore. Of this, the proposals involving net cash outgo aggregate to Rs. 18722.98 crore and gross additional expenditure, matched by savings of the Ministries/Departments or by enhanced receipts/recoveries aggregates to Rs. 367612.94 crore. Besides, token provision of Rs. 84 lakh is being sought, one lakh for each item of expenditure, for enabling reappropriation of savings in cases involving New Service or New Instrument of Service.

2. The items of additional expenditure involving net cash outgo are as follows:

8.00

8.00

| | | | | | (क | रोड़ रुपए Rupees | in Crore) |
|------|-----------------|---|------|---|--------|------------------|-----------|
| | | | | | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ |
| अनुद | शन संर | <u>ज्या</u> और शीर्षक तथा मदों का विवरण | Gran | t No. & title and description of items | Plan | Non Plan | Total |
| नक | द व्यय | | Cash | Outgo | | | |
| कृषि | मंत्रात | लय | | STRY OF AGRICULTURE | | | |
| 1 | कृषि | तथा सहकारिता विभाग | 1 D | epartment of Agriculture and | | | |
| | | | | Cooperation | | | |
| | (ক) | निम्नलिखित योजनाओं पर अतिरिक्त व्यय | (a | To meet additional expenditure on | | | |
| | | की पूर्ति हेतुः (i) कृषि आर्थिक नीति तथा | | the schemes of: (i) Studies on Inputs | | | |
| | | विकास के संबंध में निविष्टियों संबंधी अध्ययन | | for Agricultural Economic Policy | | | |
| | | (3.46 करोड़ रुपए), (ii) एकीकृत तिलहन/ | | and Development (Rs. 3.46 crore), | | | |
| | | ऑइल पाम/दलहन तथा मक्का विकास | | (ii) Integrated Oilseed/Oil Palm/Pulses | | | |
| | | (12.00 करोड़ रुपए), (iii) कार्य आयोजना | | and Maize Development (ISOPOM) | | | |
| | | (सूक्ष्म प्रबंधन) के जरिए राज्यों के प्रयासों | | (Rs. 12.00 crore), (iii) Supplementation/ | | | |
| | | का सम्पूरण/अनुपूरण (11.20 करोड़ रुपए), | | Complementation of States' Efforts | | | |
| | | और (iv) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के | | through Work Plan (Macro-Management) | | | |
| | | कार्यान्वयन हेतु भारतीय कृषि कम्पनी को | | (Rs. 11.20 crore), and (iv) for payment | | | |
| | | भुगतान (135.37 करोड़ रुपए) के लिए। | | to Agriculture Insurance Company of | | | |
| | | | | India (AIC) for implementation of | | | |
| | | | | National Agricultural Insurance | | | |
| | | | | Scheme (NAIS) (Rs. 135.37 crore). | 55.00 | | 55.00 |
| | (ख) | रबी 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान | (1 | b) For reimbursement of losses incurred | | | |
| | | सरसों के संबंध में मूल्य समर्थन कार्यकलापों | | by National Agricultural Cooperative | | | |
| | | के तहत सरसों के बीजों की अधिप्राप्ति/ | | Marketing Federation of India Limited | | | |
| | | निपटान बावत भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी | | (NAFED) on procurement/disposal of | | | |
| | | विपणन परिसंघ द्वारा उठाई गयी हानियों | | mustard seeds under the Price Support | | | |
| | | की प्रतिपूर्ति के लिए (300.00 करोड़ रुपए) | | Operations for Mustard during Rabi | | | |
| | _ | | | 2005-06 and 2006-07 (Rs. 300.00 crore). | | 200.00 | 200.00 |
| 2. | कृषि | अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग | | epartment of Agricultural Research and | | | |
| | 0 | | | ducation | | | |
| | भारत | य कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता अनुदानः | | or grants-in-aid to Indian Council of | | | |
| | () | · | | gricultural Research (ICAR): | | | |
| | (ক) | पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना को | (8 | n) to Punjab Agricultural University, | | | |
| | | आधारभूत संरचना के उन्नयन हेतु ताकि | | Ludhiana for upgrading the infrastructure | | | |
| | | उत्कृष्ट संस्थान के बतौर इसे विकसित | | to enable to develop as an institution | 21.00 | | 21.00 |
| | () | करना सम्भव हो सके (30.00 करोड़ रुपए)। | /1 | of excellence (Rs. 30.00 crore). | 21.99 | 26.00 | 21.99 |
| | (ख) সে | समतुल्य अनुदान हेतु | | o) for matching grant. | ••• | 36.00 | 36.00 |
| | (ग) | पूर्वोत्तर तथा सिक्किम के लाभ हेतु | (0 | c) for augmentation of funds under the | | | |
| | | परियोजनाओं/योजनाओं हेतु एकमुश्त प्रावधान | | lump sum provision for projects/ | | | |
| | | के अन्तर्गत निधियों में बढ़ोतरी। | | schemes for the benefit of North | | | |

Eastern Region and Sikkim.

| | | | आयोजना | ज्रोड़ रुपए Ruped आयोजना-भिन | |
|---|---|---|--|---------------------------------|----------------|
| अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण | | Grant No. & title and description of items | | Non Plan | |
| रस | यन तथा उर्वरक मंत्रालय | MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS | | | |
| 7. | रसायन तथा पेट्रो रसायन विभाग (क) भोपाल गैस रिसाव त्रासदी के संबंध में वेतन के बकायों, चिकित्सा उपचार तथा व्यावसायिक सेवाओं के लिए भुगतान (1.94 करोड़ रुपए) और (ख) बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (बीसीपीएल) के संबंध में वेतन संशोधन बकायों के भुगतान के लिए एकबारगी अनुदान (24.70 करोड़ रुपए)। | 7 Department of Chemicals and Petrochemic (a) For payment of arrears of salary, medical treatment and for profession services in connection with the Bhog Gas Leak Disaster (Rs. 1.94 crore) at (b) Grant for Voluntary Retiremed Scheme (Rs. 20.00 crore) and one time Grant for payment of wage revision arrears in respect of Bengal Chemic & Pharmaceutical Limited (BCP) | for nal nal nd ent me on | | |
| | | (Rs. 24.70 crore). | | 46.64 | 46.64 |
| | (ख) बीसीपीएल के संबंध में इक्विटी सहायता (ग) बीसीपीएल के संबंध में ब्याज मुक्त ऋण। | (b) For equity support to BCPL.(c) For interest free loan to BCPL. | 55.00 | 17.49 | 55.00 17.49 |
| 8. | उर्वरक विभाग (क) (i) आयातित विनियंत्रित उर्वरकों पर सब्सिडी (1000.00 करोड़ रुपए) और (ii), स्वदेशी विनियंत्रित उर्वरकों पर सब्सिडी (1250.00 करोड़ रुपए)। | 8 Department of Fertilisers (a) For (i) subsidy on imported decontrol fertilisers (Rs. 1000.00 crore) a (ii) subsidy on indigenous decontrol fertilisers (Rs. 1250.00 crore). | nd | 2,250.00 | 2,250.00 |
| | (ख) स्वदेशी यूरिया पर सब्सिडी हेतु (ग) हिन्दुस्तान उर्वरक निगम (6.79 करोड़ रुपए), भारतीय उर्वरक निगम (4.48 करोड़ रुपए) और पाइराइट फोस्फेट्स एंड केमिकल लि. (0.91 करोड़ रुपए) के कर्मचारियों को वीएसएस/वीआरएस भुगतान के संबंध में अनुग्रह तथा उपदान का भुगतान करने हेतु प्रशिक्षण अवधि को शामिल करना। | (b) For subsidy on indigenous urea. (c) inclusion of training period for paymore of ex-gratia and gratuity in responsive of VSS/VRS payment to employe of Hindustan Fertilizer Corporation (Rs. 6.79 crore), Fertiliser Corporation of India (Rs. 4.48 crore) and Pyri Phosphates and Chemicals Limit | ect ees on on tes | 1,250.00 | 1,250.00 |
| | | (Rs. 0.91 crore). | ••• | 12.18 | 12.18 |
| नाग 9. | र विमानन मंत्रालय नागर विमानन मंत्रालय हज चार्टर के प्रचालन हेतु एअर इंडिया को क्षतिपूर्ति का भुगतान करने हेतु। | MINISTRY OF CIVIL AVIATION Ministry of Civil Aviation For payment of compensation to Air Incommendation to Air Incommendation of Haj Charters. | lia | 59.00 | 59.00 |
| | ाला मंत्रालय कोयला मंत्रालय "डिटेल्ड ड्रिलिंग" योजना के लिए अतिरिक्त व्यय (9.38 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु। | MINISTRY OF COAL 10 Ministry of Coal For meeting additional expenditure for scheme 'Detailed Drilling' (Rs. 9.38 cross | | | 0.07 |
| वारि | गेज्य तथा उद्योग मंत्रालय | MINISTRY OF COMMERCE AN INDUSTRY | ID | | |
| 11 | वाणिज्य विभाग (क) मानित निर्यातों पर शुल्क वापसी के लम्बित दावों का निपटान तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रों के संबंध में केन्द्रीय बिक्री कर की प्रतिपूर्ति (469.35 करोड़ रुपए) और (ख) सूरत, गुजरात की बाढ़ से प्रभावित रत्न और आभूषण यूनिटों को सहायता (9.32 करोड़ रुपए) प्रदान करने हेतु। | For (a) settlement of pending claims Duty Drawback on Deemed Exports a reimbursement of Central Sales Tax: Special Economic Zones (Rs. 469.35 crore) a (b) assisting the flood affected gems and jewell units of Surat, Gujarat (Rs. 9.32 crore). | nd for nd | 309.32 | 309.32 |
| संच | ार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय | MINISTRY OF COMMUNICATIONS AN | ND | | |
| 14 | दूरसंचार विभाग दूरसंचार विभाग के भूतपूर्व कर्मचारियों के संबंध में पेंशन संबंधी लाभों का भुगतान करने हेतु (60.59 करोड़ रुपए)। | INFORMATION TECHNOLOGY Department of Telecommunications For payment of pensionary benefits to restwhile employees of Department Telecommunications (Rs. 60.59 crore). | of | 11.23 | 11.23 |
| | 4.4.5 x4.201 | refectionis (NS. 00.37 CIOIC). | ••• | 11.43 | 11.4 |

| | | | | आयोजना | आयोजना-भिन्न | ा जोड़ |
|-------|--|--|---|--------|--------------|---------|
| अनुद | ान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण | Grant No. & title and descr | iption of items | Plan | Non Plan | Total |
| | मंत्रालय रक्षा पेंशन दि. 1.1.2006 और 1.7.2006 से प्रभावी पेंशनरों के संबंध में स्वीकृत अतिरिक्त महंगाई राहत के कारण होने वाले अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। | 1 Defence Pensions For meeting additional exto additional dearness religionaries with effect fr 1.7.2006. | ief sanctioned to | | 582.00 | 582.00 |
| -, | तर क्षेत्र विकास मंत्रालय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय | MINISTRY OF DEVEL NORTH EASTERN RE 8 Ministry of Develop | GION | | | |
| | पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय के अतिरिक्त स्थापना संबंधी व्यय को पूरा करने हेतु। | Eastern Region For meeting additiona expenditure of the Secret Eastern Council (NEC). | | | 0.50 | 0.50 |
| | ग मंत्रालय | MINISTRY OF EXTERNA | L AFFAIRS | | | |
| 30. | विदेश मंत्रालय (क) वेतन संबंधी अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु (ख) निम्नलिखित के संबंध में अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (i) विशेष राजनयिक व्यय (100.00 करोड़ रुपए) और (ii) राजदूतावास | Ministry of External Af (a) For meeting the addit in salaries. (b) For meeting addition (i) Special Diplomation (Rs. 100.00 crore) and | ional requirement al expenditure on atic Expenditure | | 3.92 | 3.92 |
| वेत्त | तथा मिशन(51.41 करोड़ रुपए), पासपोर्ट तथा उत्प्रवास (2.48 करोड़ रुपए) और केम्ब्रिज विश्वविद्यालय (ब्रिटेन) को पीठ का निर्माण (28.00 करोड़ रुपए)। | & Missions (Rs. 51.4 & Emigration (Rs. 2. creation of a Chair in Cambridge (UK) (Rs | 1crore), Passport 48 crore), and for the University of | | 181.89 | 181.89 |
| | आर्थिक कार्य विभाग (क) रेलवे को लाभांश राहत तथा अन्य रियायतों की एवज में अतिरिक्त सब्सिडियां उपलब्ध कराने हेतु (134.08 करोड़ रुपए) और सामरिक रेलवे लाइनों के संचालन पर रेलवे को होने वाली हानियों की प्रतिपूर्ति (309.00 करोड़ रुपए)। (ख) विभिन्न योजनाओं अर्थात् योग्यता-सह-साधन छात्रवृत्तियों, भूजल रिचार्ज, ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा, दक्षता विकास आदि के तहत सामाजिक तथा आधारभूत संरचना विकास हेतु निधियन पहलों की एवज में व्यय (6500.00 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु। | 1 Department of Economi (a) For providing additi Railways towards di other concessions (F and reimbursement Railways on oper Railway Lines (Rs. 3) (b) For meeting the expending initiatives infrastructure devolutions schemes viz., scholarships, Ground Social security for households, skills described in the second second security for households, skills described in the second second security for households, skills described in the second s | onal subsidies to vidend relief and Rs. 134.08 crore) at of losses to ating Strategic 09.00 crore). Enditure towards for social and elopment under Means-cum-merit di water recharge, or rural landless | | 443.08 | 443.0 |
| | | (Rs. 6500.00 crore). | ieveropinent, etc | | 6,000.00 | 6,000.0 |
| 34 | ब्याज भुगतान भुगतान विशेष रुप से 'क्षतिपूर्ति तथा अन्य बांड', 'बाजार स्थिरीकरण योजना' और 'राजकोषीय हुंडियों पर भुनाना। | 4 Interest Payments To meet additional expen of payments, mainly on ' Other Bonds', 'Market Stal and 'Discount on Treasur | Compensation & pilisation Scheme' | | 4,869.25 | 4,869.2 |
| 88 | व्यय विभाग (क) व्यय और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के कार्यालयों के नवीकरण के संबंध में व्यय की पूर्ति हेतु। | 8 Department of Expendit (a) For meeting expendit with renovation of offi of Expenditure and | ture ture in connection ces of Department | | 2.83 | 2.8 |
| | (ख) सरकारी लेखा और वित्त संस्थान (आईएनजीएएफ) की आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण हेतु। | technology. (b) For strengthening the Institute of Governm Finance (INGAF). | | | 0.63 | 0.63 |

| | | | | | रोड़ रुपए Rupees | |
|-------|---|-----|---|----------------|--------------------------|---------------|
| ानुदा | ान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण | Gra | nt No. & title and description of items | आयोजना Plan | आयोजना-भिन्न Non Plan | जोड़ Total |
| | (ग) भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज (एएससीआई), हैदराबाद को ब्याजमुक्त ऋण प्रदान करने हेतु। | (| (c) For providing interest free loan to the Administrative Staff College of India (ASCI), Hyderabad. | | 5.00 | 5.00 |
| 9 | पेंशन | 39 | Pensions | ••• | 5.00 | 3.00 |
| | (क) 50 प्रतिशत महंगाई भत्ते का महंगाई वेतन के रूप में विलयन और मौजूदा पेंशनभोगियों की मासिक पेंशन/पारिवारिक पेंशनों में | | (a) For meeting additional expenditure arising due to merger of 50% Dearness Allowance as Dearness Pay and | | | |
| | तद्नुरूपी वृद्धि, पेंशनभोगियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति; नई पेंशन योजना के संबंध में सरकार के अंशदान; और पूर्व सांसदों की पेंशन में वृद्धि के कारण हुए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। | | corresponding increase in the monthly pensions/family pensions of the existing pensioners; Medical reimbursement to pensioners; Government's contribution towards New Pension Scheme; and | | | |
| | (ख) कार्यकाल के दौरान मृत्यु की स्थिति में सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को अनुग्रह | (| increase in pension of Ex-MPs. (b) For ex-gratia payment to the families of Government Servants who died in | | 235.51 | 235.51 |
| | राशि के भुगतान हेतु। | | harness. | | 0.05 | 0.05 |
| | भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग स्थापना संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु | - | Indian Audit and Accounts Department For meeting establishment related expenditure. | | 2.68 | 2.68 |
| | प्रत्यक्ष कर आयकर विभाग के संबंध में अतिरिक्त स्थापना | | Direct Taxes For meeting additional establishment related | | | |
| | संबंधी व्यय और प्रचार अभियान आदि के व्यय | | expenditure in respect of Income Tax | | | |
| | हेतु। | | Department and for publicity campaign, etc. | | 47.35 | 47.35 |
| रर्त | ोय उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय | | IISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES | | | |
| | भारी उद्योग विभाग पुनर्निर्माण के परिणामस्वरूप एचएमटी (मशीन टूल्स) लिमिटेड में निवेश (563.00 करोड़ रुपए) हेतु अर्थात् 3.5 प्रतिशत अधिमान शेयर पूंजी (443.00 करोड़ रुपए) और पूंजीगत व्यय के लिए उपयोग की जाने वाली अतिरिक्त इक्विटी (90.00 करोड़ रुपए), प्रौद्योगिकी अभिग्रहण और उन्नयन (20.00 करोड़ रुपए) और प्रशिक्षण और पुनर्प्रशिक्षण (10.00 करोड़ रुपए) के लिए। | | Department of Heavy Industry For investment in HMT (Machine Tools) Limited (Rs. 563.00 crore) viz., 3.5% Preference Share Capital (Rs. 443.00 crore) and additional equity to be utilised for Capital expenditure (Rs. 90.00 crore), Technological acquisition and upgradation (Rs. 20.00 crore) and Training and retraining (Rs. 10.00 crore) consequent upon restructuring. | 543.50 | | 543.50 |
| | नंत्रा लय | MIN | IISTRY OF HOME AFFAIRS | | | |
| | मंत्रिमंडल | | Cabinet | | | |
| | निम्नलिखित की पूर्ति हेतु; (क) मंत्रिपरिषद के स्थापना संबंधी व्यय (49.15 करोड़ रुपए) और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के स्थापना संबंधी व्यय (1.35 करोड़ रुपए) के लिए। | | For meeting: (a) establishment related expenditure of the Council of Ministers (Rs. 49.15 crore) and establishment related expenditure of the National Security Council | | | |
| | (ख) विशेष सुरक्षा दल के स्थापना संबंधी व्यय। | | Secretariat (Rs. 1.35 crore). (b) establishment related expenditure of the | | 50.35 | 50.35 |
| | . , , | | Special Protection Group. | | 21.91 | 21.91 |
| 3 | गृह मंत्रालय का अन्य व्यय | | Other Expenditure of the Ministry of | | | |
| | (क) स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन की दर में वृद्धि के कारण हुए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति | | Home Affairs (a) For meeting additional expenditure on account of enhancement of the rate of | | | |
| | हतु। | | | | 50.00 | 50.00 |
| | हेतु। (ख) जम्मू एवं कश्मीर में भूकम्प प्रभावित लोगों को राहत की वस्तुएं, आश्रय आदि प्रदान | | Swatantrata Sainik Samman Pension. (b) For providing relief items, shelters, etc. to people affected by earthquake in | ••• | 50.00 | 50.00 |

| | | | रोड़ रुपए Rupees | |
|---|---|----------------|--------------------------|---------------|
| अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण | Grant No. & title and description of items | आयोजना Plan | आयोजना-भिन्न Non Plan | जोड़ Total |
| भूकम्प प्रभावित लोगों को राहत की वस्तुएं, आश्रय आदि प्रदान करने (35.00 करोड़ रुपए) और (iii) अन्य पुनर्वास कार्यक्रम (32.24 करोड़ रुपए) (iv) 1984 के दंगों के शिकार लोगों को वर्द्धित क्षतिपूर्ति (152.20 करोड़ रुपए) प्रदान करने पर हुए राज्य सरकार के व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु। | shelters, etc. to people affected by earthquake in Jammu and Kashmir (Rs. 35.00 crore), (iii) Other Rehabilitation | | 203.16 | 203.16 |
| पुडुचेरी सरकार को केन्द्रीय बिक्रीकर संग्रहणों की प्रतिपूर्ति के संबंध में अनुदान प्रदान करने हेतु। | | | 120.48 | 120.48 |
| मानव संसाधन विकास मंत्रालय | MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT | | | |
| 55 स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग राष्ट्रीय बाल भवन के वर्द्धित वेतन संघटक की | 55 Department of School Education and Literacy | | | |
| पूर्ति हेतु। 56 उच्च शिक्षा विभाग | National Bal Bhawan. 56 Department of Higher Education | | 0.27 | 0.27 |
| (क) (i) "केन्द्रीय विद्यालय संगठन" का स्थापना संबंधी व्यय (13.36 करोड़ रुपए), (ii) मॉडल स्कूलों की स्थापना" (नवोदय विद्यालय) योजना के तहत महंगाई भत्ता, सेवानिवृत्ति लाभ संबंधी वचनबद्ध देयता और रिक्त पदों को भरने संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु (10.00 करोड़ रुपए), (iii) तिब्बती शरणार्थी बच्चों (तिब्बती स्कूल समाज) को शैक्षिक सुविधाएं योजना के तहत पेंशनभोगियों की संख्या में वृद्धि, वेतन और भत्ते और अन्य स्थापना संबंधी खर्चों के संबंध में अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (0.30 करोड़ रुपए)। (iv) "शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार" योजना के तहत अतिरिक्त व्यय (0.30 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु तथा (v) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को वर्द्धित महंगाई भत्ता, सेवानिवृत्ति लाभ की अतिरिक्त देयता, संपत्ति कर/बिजली/टेलिफोन प्रभार आदि संबंधी वचनबद्ध देयता और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अध्यापन संबंधी पदों की भर्ती, भवनों की प्रमुख मरम्मत, मेडिकल कालेज और एसपीएम गवर्मेंट डिग्री कालेज के लिए नई पेंशन योजना और प्रावधान के लिए अतिरिक्त आवश्यकता (100.00 करोड़ रुपए)। | (a) For additional requirement (i) for "Kendriya Vidyalaya Sangathan" on establishment related expenditure (Rs.13.36 crore), (ii) under the scheme "Setting up of Model Schools" (Navodaya Vidyalayas) for meeting expenditure on DA, committed liability towards retirement benefits and filling up of vacant posts (Rs.10.00 crore), (iii) under the scheme "Educational Facilities to Tibetan Refugee Children (Tibetan School Society)" for meeting the expenditure towards increase in number of pensioners, pay & allowances and other establishment related costs (Rs.0.30 crore), (iv) To meet additional expenditure under the scheme "National Award to teachers". (Rs.0.30 crore), and (v) Additional requirement for University Grants Commission to meet the enhanced DA, additional liability of retirement benefits, committed liability on account of property tax/electricity/water charges, etc, and in Central Universities for filling up of teaching posts, major repairs of buildings, New Pension Scheme and provision for Medical College and | | | |
| (ख) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान को संकाय सदस्यों की भर्ती, पेंशन भुगतान वर्धित महंगाई भत्ता, बिजली, पानी और टेलिफोन बिल, स्थापना प्रभारों में वृद्धि के संबंध में (21.82 करोड़ रुपए)। | towards recruitment of faculty, payment of pension, enhanced DA, electricity, water and telephone bills, increase in establishment charges | | 123.96 | 123.96 |
| | (Rs.21.82 crore). | ••• | 9.71 | 9.71 |

| | | | रोड़ रुपए Rupees | |
|--|---|----------------|--------------------------|---------------|
| अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण | Grant No. & title and description of items | आयोजना Plan | आयोजना-भिन्न Non Plan | जोड़ Total |
| श्रम और रोजगार मंत्रालय 59 श्रम और रोजगार मंत्रालय कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के संबंध में अंशदान के सरकारी हिस्से के लिए। | MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT 59 Ministry of Labour and Employment For Government share of contribution towards Employees' Pension Scheme, 1995. | | 500.00 | 500.00 |
| कानून और न्याय मंत्रालय 60 चुनाव आयोग चुनाव आयोग और परिसीमन आयोग के स्थापना संबंधी अतिरिक्त व्यय और साथ ही आयोग की वेबसाईट के रखरखाव और राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता अभियान/प्रशिक्षण के व्यय हेतु। | MINISTRY OF LAW AND JUSTICE 60 Election Commission For additional establishment related expenditure of the Election Commission and the Delimitation Commission and also the expenditure for maintenance of the Commission's website and National Voters Awareness Campaign/Training. | | 1.36 | 1.36 |
| 62 भारत का उच्चतम न्यायालय न्यायालय में क्लोज सर्किट टेलिविजन (सीसीटीवी) और अन्य सुरक्षा संबंधी उपकरणों के संबंध में अतिरिक्त व्यय और स्थापना संबंधी अतिरिक्त व्यय के लिए। | 62 Supreme Court of India For meeting additional expenditure towards Close Circuit Television (CCTV) and other security related equipments in the Court and for additional establishment related expenditure. | | 8.73 | 8.73 |
| खान मंत्रालय | MINISTRY OF MINES | | | |
| (क) कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड के कर्मचारियों को अंतरिम भुगतान के लिए। | MINISTRY OF MINES 63 Ministry of Mines (a) For making interim payment to the employees of Bharat Gold Mines Limited in compliance of the High Court of Karnataka's orders. (b) For implementation of Special | | 4.65 | 4.65 |
| को विशेष टर्मिनल लाभ पैकेज (67.80 करोड़ रुपए) के कार्यान्वयन हेतु। | Terminal Benefit Package (Rs. 67.80 crore) to the employees of Bharat Gold Mines Limited. | | 19.86 | 19.86 |
| राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उपराष्ट्रपति का सचिवालय 75 राज्य सभा स्थापना संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। | THE PRESIDENT, PARLIAMENT, UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION AND THE SECRETARIAT OF THE VICE-PRESIDENT 75 Rajya Sabha For meeting additional establishment related expenditure. | | 1.11 | 1.11 |
| 76 संघ लोक सेवा आयोग स्थापना संबंधी अतिरिक्त व्यय और विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी) के माध्यम से विज्ञापन संबंधी व्यय सहित आयोग द्वारा संचालित परीक्षाओं और किए गए चयनों के संबंध में व्यय के लिए। | 76 Union Public Service Commission For additional establishment related expenditure and also the expenditure in connection with examinations conducted by the Commission and selections made by it including expenditure on advertisement through Directorate of Advertisement and Visual Publicity (DAVP). | | 4.50 | 4.50 |
| ग्रामीण विकास मंत्रालय 78 ग्रामीण विकास मंत्रालय राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान के प्रशासनिक व्यय की पूर्ति हेतु। | MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT 78 Department of Rural Development For meeting administrative expenditure of National Institute of Rural Development. | | 0.16 | 0.16 |
| सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय 89 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन और भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता के स्थापना संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। | MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION 89 Ministry of Statistics and Programme Implementation For meeting additional establishment related expenditure of National Sample Survey Organisation and Indian Statistical Institute, | | | |
| जाताराच नाम का त्रात एतु। | Kolkata. | | 12.61 | 12.61 |

| | | | | | रोड़ रुपए Rupees | |
|------------------------|---|------------|--|----------------|--------------------------|---------------|
| अनुदान सं | ख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण | Gran | t No. & title and description of items | आयोजना Plan | आयोजना-भिन्न Non Plan | जोड़ Total |
| हिन्दु इसव | त्रालय ति मंत्रालय इस्तान स्टील वर्क्स कन्सट्रक्शन लिमिटेड को की बकाया आयकर देयताओं के निष्पादन हेतु यता अनुदान प्रदान करने हेतु। | 90 M Fo | STRY OF STEEL linistry of Steel or providing grants-in-aid to Hindustan teelworks Construction Limited for scharge of its outstanding income tax liabilities. | | 165.79 | 165.79 |
| संघ | ानमंडल रहित राज्य क्षेत्र | T L | STRY OF HOME AFFAIRS UNION ERRITORIES WITHOUT EGISLATURE | | | |
| 9 5 चंडी (क) | (i) न्यायालयों, पुलिस, स्कूल चंडीगढ़ परिवहन उपक्रम के स्थापना संबंधी व्यय और (ii) पुलिस के संबंध में डीजल/पीओएल का खर्च। | (a | handigarh (i) Establishment related expenditure of Courts, police, schools, Chandigarh Transport Undertaking and (ii) Cost of Diesel/POL in respect of Police. | | 6.41 | 6.41 |
| (ख) (ग) | होमगार्डी के वेतनों की दर में वृद्धि। गाँवों का सूक्ष्म नियोजन और विकास। | | Enhancement in rate of wages of Home Guards.Micro planning and development of | | 1.60 | 1.60 |
| (ঘ) | ् बिजली की खरीद। | (c | villages.) Purchase of power. | 4.00 | 3.20 | 4.00 3.20 |
| (s) (च) | मध्याह्न भोजन योजना के तहत क्षेत्र का विस्तार। पंजाब-इंजीनियरिंग कॉलेज (मानित विश्वविद्यालय) में आधारभूत सुविधाएं प्रदान | (e (f | Expanding coverage under the Mid-day Meal Scheme. Providing infrastructural facilities in the Punjab Engineering College (Deemed | 2.00 | | 2.00 |
| (छ) | करना। दूसरे दिल्ली वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार नगर निगम, चंडीगढ़ को सहायता अनुदान में वृद्धि। | (g | University).) Enhancement of grants-in-aid to Municipal Corporation, Chandigarh as per the recommendations of the 2nd | 1.00 | | 1.00 |
| (ज) | सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के उन्नयन हेतु राज्यव्यापी क्षेत्र नेटवर्क(स्वान), सॉफ्ट दक्षताओं पर सी-प्रशिक्षण (सिटॉस) और चंडीगढ़ सूचना प्रौद्योगिकी विस्तार कार्यक्रम (सिट्रप) योजनाओं का कार्यान्वयन। | (h | Delhi Finance Commission. Implementation of State Wide Area Network (SWAN), C-Training on Soft Skills (CTOSS) and Chandigarh Information Technology Reach Out Programme (CITROP) schemes for the upgradation of Information Technology Department. | 1.00 | 36.62 | 1.00 |
| (\$) | पंजाब और हिरयाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ में आधारभूत संरचना का उन्नयन (2.00 करोड़ रुपए), कालेजों में चल रहे निर्माण कार्यों को पूरा करना और चंडीगढ़ कालेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेकनोलोजी के अतिरिक्त खंड का निर्माण (2.00 करोड़ रुपए)। शहर में बाल गृह, आंगनवाड़ी और शिशु गृह के भवनों का निर्माण पूरा करना (0.34 करोड़ रुपए), क्रिकेट स्टेडियम सेक्टर 16 और हाकी सेटेडियम, सेक्टर 42 चंडीगढ़ में आधारभूत सुविधाओं का उन्नयन (2.80 करोड़ रुपए), नई एसी/ वाल्वो बसों की खरीद सहित 74 बसों को बदलना (9.00 करोड़ रुपए), सरकारी आवासों के चल रहे निर्माण कार्यों को पूरा करना (5.00 करोड़ रुपए) और कूड़ा बीनने वालों के पुनर्वास के लिए राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी पार्क में उद्यमी विकास केन्द्र का विकास और रिक्शाचालकों को मार्ग आश्रय प्रदान करना (4.20 करोड़ रुपए)। | (i) | Upgradation of infrastructure in the Punjab and Haryana High Court, Chandigarh (Rs. 2.00 crore), Completion of ongoing works in colleges and construction of additional block of Chandigarh College of Engineering and Technology (Rs. 2.00 crore), Completion of the building of Juvenile Home, anganwadis and creches in the city (Rs. 0.34 crore), Upgrading the infrastructural facilities in the Cricket Stadium, Sector 16 and Hockey Stadium Sector 42, Chandigarh (Rs. 2.80 crore), Replacement of 74 buses including purchase of new AC/Volvo buses (Rs. 9.00 crore), Completion of ongoing construction work of Government houses (Rs. 5.00 crore) and Development of Entrepreneur Development Centre (E.D.C) at Rajiv Gandhi Technology Park for rehabilitation of rag pickers and providing transit shelters to rickshaw pullers (Rs. 4.20 crore). | 3.51 | | 3.51 |

| | | | | | | आयोजना | रोड़ रुपए Rupees आयोजना-भिन्न | जोड़ |
|------|-----------|--|-----|------|---|--------|----------------------------------|-------|
| अनुद | शन संस | ख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण | Gr | ant | No. & title and description of items | Plan | Non Plan | Total |
| 96 | टाटर | 1 और नगर हवेली | 96 | Da | dra and Nagar Haveli | | | |
| | (क) | भारतीय आरक्षी बटालियन और संघ राज्य | , , | | Establishment expenditure of India | | | |
| | () | क्षेत्र प्रशासन का स्थापना व्यय। | | () | Reserve Battalion and of the Union | | | |
| | | | | | Territory administration. | | 0.34 | 0.34 |
| | (ख) | उच्चतर वेतनमानों की स्वीकृति के कारण | | (b) | Payment of arrears of pay and | | | |
| | . , | प्रथमिक स्कूल शिक्षकों और प्राचार्यों को | | ` ' | allowances to primary school teachers | | | |
| | | वेतन और भत्तों के बकायों का भुगतान। | | | and headmasters on account of grant of | | | |
| | | S | | | higher pay scales. | | 0.66 | 0.66 |
| 7 | दमन | और दीव | 97 | Da | man and Diu | | | |
| | दमन | गंगा पुल के ध्वस्त हो जाने के कारण स्कूली | | For | meeting additional expenditure in | | | |
| | | और आम जनता के लिए बस सेवाओं, | | | pect of bus services, divers and private | | | |
| | ड्राइव | रों और निजी सुरक्षा कर्मियों के संबंध में | | | urity personnel for school going children | | | |
| | | रेक्त व्यय की पूर्ति हेतु। | | | I general public due to collapse of | | | |
| | | ι, σ | | | manganga Bridge. | | 0.70 | 0.70 |
| 8 | लक्षर्द्व | ोप | 98 | | kshadweep | | | |
| | (क) | पंचायती राज संस्थाओं को स्थानांतरित स्टाफ | | | Pay and allowances of the staff | | | |
| | . , | के वेतन और भत्ते। | | . / | transferred to Panchayati Raj Institutions. | | 0.15 | 0.15 |
| | (ख) | दवाइयों, टीकों और उपकरणों, कुक्कुट | | (b) | Escalation in cost of medicines, | | | |
| | | आहार और कुक्कुट उपकरणों की कीमतों | | | vaccines and equipment, poultry feed | | | |
| | | में वृद्धि। | | | and poultry equipment. | | 0.23 | 0.23 |
| | (1I) | हाई स्पीड डीजल की खरीद, तेल भंडारण | | (c) | Procurement of high speed diesel oil, | | | |
| | | हेतु टंकी का निर्माण प्रभार, मजदूरी का | | | fabrication charges of oil storage tank, | | | |
| | | भुगतान, मालढुलाई भाड़ा आदि। | | | payment of wages, freight charges, etc. | | 2.08 | 2.08 |
| | (ঘ) | पंचायत भवन की निर्माण लागत और ग्रामीण | | (d) | Construction cost of panchayat bhawan | | | |
| | , , | क्षेत्रों आदि में स्वच्छता और लोक स्वास्थ्य | | ` ' | building and provision of sanitation and | | | |
| | | सुविधाओं का प्रावधान। | | | public health facilities in rural areas, etc. | | 0.12 | 0.12 |
| | (ङ) | बिजली उत्पादन यूनिटों की स्थापना संबंधी | | (e) | Establishment related expenditure and | | | |
| | () | व्यय और अन्य आवश्यकताओं का संवर्धन | | ` ' | augmenting other requirement of power | | | |
| | | (9.65 करोड़ रुपए)। | | | generating units (Rs. 9.65 crore). | | 8.65 | 8.65 |
| | (च) | शैक्षणिक संस्थानों के संस्था से जुड़े खर्च, | | (f) | Establishment related expenditure of | | | |
| | () | वजीफा/एकमुश्त अनुदान/होस्टल सहायता | | () | educational institutions, payment of | | | |
| | | राशि आदि, मैनलैंड में उच्चतर अध्ययन के | | | scholarship/lump sum grant/hostel | | | |
| | | लिए प्रवर्तित किए गए अनुसूचित जन- | | | subsidy, etc to Scheduled Tribes | | | |
| | | जाति के विद्यार्थियों को भुगतान करना, | | | students sponsored for higher studies | | | |
| | | मत्स्य प्रौद्योगिकी में व्यावहारिक प्रशिक्षण | | | in mainland; charges of boats deployed | | | |
| | | के लिए लगाए गए नौकाओं के प्रभार और | | | for practical training in fisheries | | | |
| | | प्राथमिक शिक्षा तथा अन्य विभाग जो पंचायती | | | technology, and pay and allowances of | | | |
| | | राज संस्थानों को स्थानांतरित कर दिए गए | | | teachers under elementary education | | | |
| | | हैं, के अंतर्गत शिक्षकों को वेतन और भत्ते | | | and other departments transferred to | | | |
| | | का भुगतान। | | | panchayati raj institutions. | | 3.86 | 3.86 |
| | (छ) | गांवों और लघु उद्योगों का स्थापना संबंधी | | (g) | Establishment related expenditure of | | | |
| | | व्यय। | | | village and small industries. | | 0.43 | 0.43 |
| | (ज) | पत्तनों, लाइटहाउसों के स्थापना संबंधी खर्च | | (h) | Establishment related expenditure of | | | |
| | | और जहाजी कुली/नौबंधन तथा ठेकेदारों | | | ports, lighthouses and payment of | | | |
| | | के मजदूर प्रभारों का भुगतान। | | | stevedoring/mooring and labour | | | |
| | | | | | charges to contractors. | | 1.15 | 1.15 |
| | (耔) | भारतीय पोत निगम द्वारा जहाजों/बार्जेज | | (i) | Cost of running and maintenance of | | | |
| | ` , | की चालू लागत और रख-रखाव। | | () | ships/barges by Shipping Corporation | | | |
| | | | | | of India. | | 19.16 | 19.16 |
| | (퍼) | सरकारी मुद्रणालयों की स्थापना संबंधी खर्च। | | (j) | Establishment related expenditure of | | | |
| | ` / | 3 | | 9) | Government presses. | | 0.13 | 0.13 |
| | (ਟ) | लोक निर्माण विभाग की स्थापना संबंधी | | (k) | Establishment related expenditure | | _ | |
| | ` / | खर्च और विभिन्न कार्यालय भवनों के रख | | \ ') | of Public Works Department and | | | |
| | | रखाव/मरम्मत कार्य (1.20 करोड़ रुपए)। | | | maintenance/ repairs of various office | | | |
| | | , | | | buildings (Rs. 1.20 crore). | | 0.20 | 0.20 |
| | | | | | | ••• | 0.20 | 0.20 |

| | | | | (क | ररोड़ रुपए Rupe | ees in Crore) |
|-------------------|---|---------|---|----------------|----------------------|---------------|
| अनुदान सं | ख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण | Grant | No. & title and description of items | आयोजना Plan | आयोजना-भि Non Pla | |
| (ਰ) | शिक्षा विभाग के विभिन्न कार्यालय भवनों | (1) | Cost of maintenance and repairs of | | | |
| () | के रख रखाव और मरम्मत कार्य की लागत। | () | various office buildings of the | | | |
| | | | education department. | | 0.25 | 0.25 |
| (ভ) | सरकारी आवासीय भवनों के रखरखाव और | (m) | Cost of maintenance and repairs of | | | |
| | मरम्मत कार्य की लागत। | | Government residential buildings. | | 0.37 | 0.37 |
| (ਫ) | नागरिक विमानन संस्थापनाओं का रखरखाव। | (n) | Maintenance of Civil Aviation | | | |
| | | | installations. | | 0.08 | 0.08 |
| (আ) | पर्यटन विभाग के कार्यपालक हट का | (o) | Modernisation of Executive Huts for | | | |
| | आधुनिकीकरण। | | Tourism department. | | 0.16 | 0.16 |
| (ਜ) | सौर फोटो वोलटीय विद्युत परियोजना की | (p) | Installation of Solar Photo voltaic | | | |
| | स्थापना। | | Power Project. | | 0.40 | 0.40 |
| (થ) | हेलिकॉप्टर सेवाओं के लिए पवनहंस | (q) | Payments to M/s Pawan Hans Corporation | | | |
| | कारपोरेशन को अदायगियां। | | Limited for helicopter services. | ••• | 2.59 | 2.59 |
| (ন) | अतिरिक्त कलपुर्जे प्राप्त करना, आपूर्ति और | (r) | Procurement of spare parts, DGS&D | | | |
| | निपटान महानिदेशालय समायोजना आदि | | adjustment, etc. and meeting escalation | | | |
| | और मैसर्स हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि. में | | in the cost of ship under construction | 5.60 | | 5.60 |
| | निर्माणाधीन जहांज की बढ़ी हुई लागत | | at M/s Hindustan Shipyard Limited. | 5.62 | | 5.62 |
| (_) | वहन करने के लिए। | | | | | |
| (प) | विभिन्न द्वीप समूहों में विद्यालय भवनों की | (s) | Construction cost of school buildings | 0.24 | | 0.24 |
| | निर्माण लागत। | (1) | in various Islands. | 0.24 | ••• | 0.24 |
| (फ) | सरकारी आवासीय क्वार्टरों का निर्माण। | (t) | Construction of Government residential | 0.75 | | 0.75 |
| (- 1) | मात्स्यिकी विभाग के लिए कार्यशाला भवन | (11) | quarters. Construction of workshop building for | 0.73 | ••• | 0.73 |
| (ब) | का निर्माण। | (u) | Construction of workshop building for fisheries department. | 0.10 | | 0.10 |
| (भ) | का निनाण। मिनीकाय में हस्त शिल्प भवन का निर्माण। | (v) | Construction of handicraft building at | 0.10 | ••• | 0.10 |
| (41) | निरायमय न हस्स शिल्य नवर वर्ग रिमाणी | (٧) | Minicoy. | 0.10 | | 0.10 |
| (म) | कावारती द्वीप समूहों में तारामंडल का निर्मार्ण। | (w) | Construction of planetarium at | 0.10 | ••• | 0.10 |
| (1) | पत्रपारता क्षान राजूल न सारागठल पत्र । । ।।।।।। | (**) | Kavaratti Islands. | 0.49 | | 0.49 |
| | | | Tavarati Islands. | 0.17 | ••• | 0.17 |
| शहरी विव | कास मंत्रालय | MINIS' | TRY OF URBAN DEVELOPMENT | | | |
| 99 शहर्र | री विकास विभाग | | partment of Urban Development | | | |
| (ক) | स्थापना संबंधी अतिरिक्त व्यय के लिए। | - | For additional establishment related | | | |
| . , | | | expenditure. | | 0.95 | 0.95 |
| (ख) | ट्रांजिट आवास भाड़े पर लेने के लिए बकाया | (b) | For payment of arrears on hiring of transit | | | |
| . , | का भुगतान (49.25 करोड़)। | | accommodation (Rs.49.25 crore). | | 22.54 | 22.54 |
| (ম) | विभिन्न विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों | (c) | For additional requirement for | | | |
| . , | के लिए रिहायशी आवासों के पुनर्विकास | | redevelopment work of the residential | | | |
| | कार्य के लिए अतिरिक्त आवश्यकता। | | accommodation for Officers/Staff of | | | |
| | | | various Departments. | ••• | 12.42 | 12.42 |
| कुल रोक | ड़ व्यय | Total C | ash Outgo | 702.37 | 18,020.61 | 18,722.98 |

कुल रोकड़ व्यय

3. इस पूरक अनुदान मांगों के इस बैच में 367612.94 करोड़ रुपए के तकनीकी पूरक अनुदानों/विनियोजनों के प्रस्ताव शामिल हैं जिनकी प्रतिपूर्ति मंत्रालयों/विभागों की अतिरिक्त प्राप्तियों/वसूलियों अथवा तद्नरूपी बचतों द्वारा की जाती है।

तकनीकी पूरक अनुदान मांगें कृषि मंत्रालय

कृषि और सहकारिता विभाग

स्कीमों पर अतिरिक्त व्यय के लिए (i) कृषि आर्थिक नीति और विकास के लिए निविष्टियों संबंधी अध्ययन (3.46 करोड़ रुपए), (ii) एकीकृत आयलसीड/ ऑयल पाम/दालों और मक्का विकास (आईएसओपीओएम) (12.00 करोड़ रुपए) (iii)

3. This Batch of Supplementary Demands for Grants includes proposals for technical supplementary grants/appropriations for Rs. 367612.94 crore which are matched by additional receipts/recoveries or corresponding savings of the Ministries/Departments. The items are as follows:

Technical Supplementary Demands for Grants MINISTRY OF AGRICULTURE

Department of Agriculture and Cooperation

To meet additional expenditure on the schemes of: (i) Studies on Inputs for Agricultural Economic Policy and Development (Rs. 3.46 crore), (ii) Integrated

| | | आयोजना आयोजना | रोड़ रुपए Rupees आयोजना-भिन्न | <i>जोड़</i> |
|---|---|------------------|----------------------------------|-------------|
| अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण | Grant No. & title and description of items | Plan | Non Plan | Total |
| कार्य योजना के माध्यम से राज्यों के प्रयासों को पूरा करना। (मैक्रो प्रबंधन) (11.20 करोड़ रुपए) और (iv) राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम (एनएआईएस) के कार्यान्वयन के लिए भारत की कृषि बीमा को भुगतान के लिए (135.37 करोड़ रुपए)। | Oilseed/Oil Palm/Pulses and Maize Development (ISOPOM) (Rs. 12.00 crore), (iii) Supplementation/Complementation of States' Efforts Through Work Plan (Macro-Management) (Rs. 11.20 crore), and (iv) for payment to Agriculture Insurance Company of India (AIC) for implementation of National Agricultural Insurance Scheme (NAIS) (Rs. 135.37 crore). | 10.00 | | 10.00 |
| रसायन और उर्वरक मंत्रालय | MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS | | | |
| 7. रसायन और पेट्रोरसायन विभाग आवश्यक लेखा संबंधी संयोजन करने के लिए अर्थात् (i) आयोजना ऋण को समाप्त करना (81.67 करोड़) और आयोजना ऋण पर ब्याज (177.76 करोड़ रुपए) 31-3-2005 की स्थिति के अनुसार, हिन्दुस्तान एंटी बॉयोटिक लि. (एचएएल) (ii) हिन्दुस्तान एनसेक्टिसाइड लि. (एचआईएल) के संबंध में 31-3-2006 की स्थिति के अनुसार आयोजना ऋण (66.40 करोड़ रुपए) आयोजना ऋण पर ब्याज (126.69 करोड़ रुपए) और (iii) बंगाल वेग्निकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि.(बीपीसीएल) के संबंध में दिनांक 31-3-2005 की स्थिति के अनुसार आयोजना और आयोजना भिन्न ऋण समाप्त करना(71.70 करोड़ रुपए) और आयोजना और आयोजना भिन्न ऋण पर | Pepartment of Chemicals and Petrochemicals For carrying out necessary accounting adjustment viz., (i) waiver of Plan loan (Rs. 81.67 crore) and interest on Plan Loan (Rs. 177.76 crore) as on 31.3.2005 in respect of Hindustan Antibiotics Limited (HAL), (ii) waiver of Plan loan (Rs. 66.40 crore) and interest on Plan Loan (Rs. 126.69 crore) as on 31.3.2006 in respect of Hindustan Insecticides Limited (HIL), and (iii) waiver of Plan and Non Plan loan (Rs. 71.70 crore) and interest on Plan and Non Plan Loan (Rs. 161.71 crore) as on 31.3.2005 in respect of Bengal Chemicals & Pharmaceuticals Limited (BPCL). | | | |
| ब्याज (161.71 करोड़ रुपए)। 8. उर्वरक विभाग उर्वरक और रसायन ट्रावनकोर लि. के संबंध में | 8 Department of Fertilisers For write-off of penal interest on | | 685.93 | 685.93 |
| बकाया ऋण पर दंडात्मक ब्याज। | outstanding loan in respect of Fertilisers and Chemicals Travancore Limited. | | 33.79 | 33.79 |
| नागरिक विमानन मंत्रालय 9. नागरिक विमानन मंत्रालय हज चार्टरों के संचालन के लिए एयर इंडिया को प्रतिपूर्ति की अदायगी। | MINISTRY OF CIVIL AVIATION Ministry of Civil Aviation For payment of compensation to Air India towards operation of Haj Charters. | | 25.91 | 25.91 |
| वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय 11. वाणिज्य विभाग (क) मानित निर्यातों पर शुल्क वापसी के लंबित दावों के निपटान के लिए और विशेष आर्थिक क्षेत्रों के केन्द्रीय बिक्रीकर की वापसी (469.35 करोड़ रुपए) के लिए। | MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 11 Department of Commerce For (a) settlement of pending claims of 'Duty Drawback on Deemed Exports' and reimbursement of 'Central Sales Tax' for Special Economic Zones (Rs. 469.35 crore). | | 72.00 | 72.00 |
| संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय | MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND | | | |
| (क) विभाग (क) विभागीय डाक मोटर सेवा के तहत कोर्ट डिक्रियों से उदभूत होने वाली अदायगियों के लिए। (ख) 'विभागीय उप-कार्यालयों' 'मुख्य उत्पादों के प्रोत्साहन, 'प्रशिक्षण'. 'हेरिटेज भवन के संरक्षण', स्कीमों के लिए अतिरिक्त व्यय वहन करने हेतु। | INFORMATION TECHNOLOGY 13 Department of Posts (a) For meeting payment arising out of court decrees under departmental mail motor service. (b) For meeting additional expenditure towards the schemes 'Departmental Sub Offices', 'Promotion of Premium Products', 'Training', 'Preservation of | | 0.15 | 0.15 |
| | Heritage Building'. | 8.62 | ••• | 8.62 |

| | | | रोड़ रुपए Rupees | |
|--|---|----------------|--------------------------|---------------|
| अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण | Grant No. & title and description of items | आयोजना Plan | आयोजना-भिन्न Non Plan | जोड़ Total |
| (ग) अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए मुख्यतः वेतन/मजदूरी रेलवे और एयर मेल कैरियर को देय ढुलाई प्रभार, ग्रामीण डाक जीवन बीमा और अधिवर्षिता और अन्य सेवा निवृति लाभों के लिए। | (c) For meeting additional expenditure, mainly towards salaries/wages, haulage charges payable to Railways and air mail carriers, rural Postal Life Insurance and Superannuation and other retirement benefits. (d) For meeting additional expenditure | | 356.47 | 356.47 |
| लिए अतिरिक्त व्यय वहन करने के लिए। | towards development of North Eastern Region and Sikkim. | 0.15 | | 0.15 |
| 14. दूरसंचार विभाग | 14 Department of Telecommunications | 0.13 | | 0.13 |
| (क) दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण (टीडीएसएटी) द्वारा अवार्ड के कारण उद्भभूत ब्याज की अदायगी के लिए। (ख) दूरसंचार विभाग के पूर्व कर्मचारियों को पेंशन लाभों की अदायगी के लिए (60.59 | (a) For payment of interest arising out of an award by Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal (TDSAT). (b) For payment of pensionary benefits to the erstwhile employees of Department | | 0.04 | 0.04 |
| करोड़ रुपए)। 15. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग भवन निर्माण के मानकीकरण, परीक्षण और कोटि नियंत्रण के तहत (3.00 करोड़ रुपए) और मशीनरी और उपकरण (1.40 करोड़ रुपए) के लिए अतिरिक्त | of Telecommunications (Rs. 60.59 crore). 15 Department of Information Technology For meeting additional requirement under Standardisation, Testing and Quality Control Programme for construction of | | 49.36 | 49.36 |
| आर उपकरण (1.40 कराड़ रुपए) के लिए आतारपत आवश्यकता की पूर्ति हेतु। कंपनी कार्य मत्रालय | building (Rs. 3.00 crore) and for machinery and equipment (Rs. 1.40 crore). MINISTRY OF COMPANY AFFAIRS | 4.40 | | 4.40 |
| 16 कंपनी कार्य मंत्रालय बंगलोर और चैन्नई में निर्मित कार्यालय स्थान की खरीद और जयपुर, कटक और चंडीगढ़ में कार्यालय परिसरों के निर्माण के लिए अतिरिक्त व्यय। | 16 Ministry of Company Affairs For additional expenditure on purchase of built up office space at Bangalore and Chennai and construction of office complexes at Jaipur, Cuttack and Chandigarh. | | 26.80 | 26.80 |
| रक्षा मंत्रालय 22 रक्षा सेवाएं - थल सेना अदालत डिक्रियों के कारण उदभूत अतिरिक्त व्यय वहन करने के लिए। 23 रक्षा सेवाएं-नोसेना 'वेतन', 'परिवहन' और सुनामी पश्चात किए गए | MINISTRY OF DEFENCE 22 Defence Services - Army For meeting additional expenditure arising out of Court decrees. 23 Defence Services - Navy For meeting additional expenditure towards | | 3.59 | 3.59 |
| प्रचालनात्मक और रख रखाव कार्यों के प्रति अतिरिक्त व्यय वहन करने के लिए। 24. रक्षा सेवाएं-वायु सेना 'वेतन' के अन्तर्गत अतिरिक्त व्यय के लिए। | 'salaries', 'transportation' and on operational and maintenance works carried out post Tsunami. 24 Defence Services - Air Force For meeting additional expenditure under | | 98.86 | 98.86 |
| 25. रक्षा आयुध कारखाने अदालत डिक्रियों के कारण उद्भूत होने वाले | 'salaries'. 25 Defence Ordnance Factories For meeting additional expenditure arising | | 34.46 | 34.46 |
| अतिरिक्त व्यय के लिए। 26. रक्षा सेवाएं-अनुसंधान और विकास विभिन्न परियोजनाओं के सम्बन्ध में अनुसंधान/ अनुसंधान विकास के तहत अतिरिक्त वहन करने | out of court decrees. 26 Defence Services - Research and Development For meeting additional expenditure under 'Research/Research Development' on | | 3.00 | 3.00 |
| के लिए। | various projects. | | 10.68 | 10.68 |
| पर्यावरण और वन मंत्रालय 29. पर्यावरण और वन मंत्रालय (क) शोध क्रियाकलापों और स्थापना व्यय के लिए भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद् (1.50 करोड़ रुपए) (ii) राष्ट्रीय प्राणी विज्ञान पार्क में पशुओं को चारा देने के लिए (0.01 करोड़ रुपए)। | MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS 29 Ministry of Environment and Forests (a) (i) Indian Council of Forestry Research and Education for undertaking research activities and establishment expenditure (Rs. 1.50 crore), (ii) providing feed to animals at National Zoological Park (Rs. 0.01 crore). | | 1.22 | 1.22 |

| | | | रोड़ रुपए Rupees | |
|--|--|----------------|--------------------------|---------------------|
| अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण | Grant No. & title and description of items | आयोजना Plan | आयोजना-भिन्न Non Plan | ं जोड़ Total |
| (ख) अन्तराष्ट्रीय निकायों को अंशदान की अदायगी के लिए। (ग) (i) विभिन्न कोर्ट मामलों के निपटान हेतु नए नियुक्त विधिक सहायकों की व्यावसायिक सेवाओं पर व्यय के लिए (0.04 करोड़ रुपए) (ii) स्थापना संबंधी व्यय में वृद्धि के | (b) payment of contribution to international bodies. (c) (i) For expenditure on professional services of newly appointed Legal Assistants for disposing of court cases (Rs. 0.04 crore), (ii) increase in | | 0.80 | 0.80 |
| लिए (0.95 करोड़ रुपए)। | establishment related expenditure (Rs. 0.95 crore). | | 0.99 | 0.99 |
| वित्त मंत्रालय 31. आर्थिक कार्य विभाग 1991 में कम्बोडिया सरकार को प्रदान की गई ऋण श्रृंखला के संबंध में बकाया समाप्त करने के | MINISTRY OF FINANCE 31 Department of Economic Affairs Waiver of outstanding dues in respect of line of credit extended to Government of | | | |
| लिए। 32. करेंसी सिक्का निर्माण और स्टाम्प प्रतिभूति मुद्रण और मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड (एसपीएमआईएल) से सिक्के खरीदने के लिए। | Cambodia in 1991. 32 Currency, Coinage and Stamps For purchase of coins from Security Printing and Minting Corporation of India | | 2.91 | 2.91 |
| 35. राज्यों और संघ क्षेत्र सरकारों को अन्तरण | Limited (SPMIL) 35 Transfers to State and Union Territory | | 96.37 | 96.37 |
| (क) तीव्र प्रकृति की आपदाओं के लिए राज्यों को सहायता के लिए। (ख) (i) 12 वें वित्त आयोग अवार्ड के तहत ऋण | Governments (a) For assistance to States for calamities of severe nature. (b) (i) Write off of loans to the State | | 500.00 | 500.00 |
| समाप्त करने की योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों के ऋण बट्टे खाते में डालने के लिए (4617.10 करोड़ रुपए)। (ii) आम ऋण राहत योजना के तहत गुजरात का ऋण समापन (58.29 करोड़ रुपए) और उग्रवाद की अवधि के दौरान आतंकवाद से निपटने के लिए पंजाब को दिए गए ऋण और उस पर उदभूत ब्याज को समाप्त करना (3772.00 करोड़ रुपए)। (ग) विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के तहत | Governments under Debt Waiver Scheme under the 12th Finance Commission Award (Rs. 4617.10 crore), (ii) Debt waiver to Gujarat under the General Debt Relief Scheme (Rs. 58.29 crore) and waiver of loan and accrued interest given to Punjab for combating terrorism during the period of militancy (Rs. 3772.00 crore). (c) To provide loan component under | | 8,447.39 | 8,447.39 |
| ऋण भाग उपलब्ध कराना। 37. ऋण की अदायगी (क) सामान्य बाजार उधार के तहत 14-दिवसीय राजकोषीय हुंडियों (389311.00 करोड़ रुपए) 91-दिवसीय राजकोषीय हुंडियों (36915.00 करोड़ रुपए) 182-दिवसीय राजकोषीय हुंडियों (36915.00 करोड़ रुपए) 182-दिवसीय राजकोषीय हुंडियों (4192.00 करोड़ रुपए) 364-दिवसीय राजकोषीय हुंडियों (1159.00 करोड़ रुपए) के निपटान के लिए, अफ्रीकी विकास निधि (1.46 करोड़ रुपए) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (795.97 करोड़), 10% राहत बांड 1993 (0.12 करोड़ रुपए), 8.50% राहत बांड, 2001 (533.93 करोड़ रुपए)। | Externally Aided Projects. 77 Repayment of Debt (a) Towards discharge of 14 day Treasury Bills (Rs. 389311.00 crore), 91 day Treasury Bills (Rs. 36915.00 crore), 182 day Treasury Bills (Rs.4192.00 crore), 364 day Treasury Bills (Rs. 1159.00 crore) under normal market borrowings, African Development Fund (Rs. 1.46 crore), International Monetary Fund (Rs. 795.97 crore), 10% Relief Bonds, 1993 (Rs. 0.12 crore), 8.50% Relief Bonds, 2001 (Rs. 533.93 crore). | 700.00 | 349,400.94 34 | 700.00 19,400.94 |
| (ख) विदेशी ऋण की अदायगी के लिए। 42. प्रत्यक्ष कर आयकर विभाग और प्रचार अभियान आदि के संबंध में स्थापना से संबंधित अतिरिक्त स्थापना | (b) Towards repayment of external debt. 42 Direct Taxes For meeting additional establishment related expenditure in respect of Income Tax | | 180.50 | 180.50 |
| संबंधी व्यय पूरा करने के लिए। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय | Department and for publicity campaign, etc. MINISTRY OF FOOD PROCESSING | | 17.70 | 17.70 |
| 45. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (क) कुंडली, हरियाणा में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उधमिता और प्रबंधन संस्थान स्थापित करने के लिए भूमि की खरीद। | INDUSTRIES 45 Ministry of Food Processing Industries (a) Purchase of land for setting up of National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management at | | | |
| क लिंद्र तूरा का जिस्सा | Kundli, Haryana. | 15.00 | ••• | 15.00 |

| अनुदानों की पूरक मांगे, 2006-2007 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (१ | | | | | |
|---|---|----------------|--------------------------|-----------------|--|
| | | | रोड़ रुपए Rupees | | |
| अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण | Grant No. & title and description of items | आयोजना Plan | आयोजना-भिन्न Non Plan | जोड़ Total | |
| (ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र सिक्किम के लाभ के लिए स्वास्थ और परिवार कल्याण मंत्रालय परियोजनाओं स्कीमों हेतु प्रावधान में वृद्धि हेतु। | projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim. | f 1.80 | | 1.80 | |
| स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय | MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE | , | | | |
| 46. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग | 46 Department of Health and Family Welfare | T | | | |
| (i) डा. आरएमएल अस्पताल में सिविल औ विद्युत कार्य जो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वार किए जाने हैं, के लिए अतिरिक्त आवश्यकत (1.35 करोड़ रुपए) (ii) वर्द्धमान महावी मेडिकल कालेज (वीएमएमसी) के कालेज भवन पुस्तकालय निर्माण (10.00 करोड़ रुपए) और (iii) डा.आर.एम.एल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्ष और अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली में स्नातकोत्त संस्थान के भवन निर्माण के लिए (14.00 करो | electrical works in Dr. R M L Hospital, to be executed by CPWD (Rs. 1.35 crore) (ii) construction of college building/library of Vardhman Mahaveer Medical College (VMMC) (Rs. 10.00 crore) and (iii) for construction of postgraduate institute building at Dr. R M L Post Graduate Institute of Medical Education and Research, New | | | | |
| रुपए)। | Delhi (Rs. 14.00 crore). | 25.35 | | 25.35 | |
| भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय | MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES |) | | | |
| (क) आवश्यक लेखा समायोजनों के लिए अर्थात (i) ऋण बहे खाते में डालना (102.75 करोड़ रुपए) भारत पंप और कम्प्रैशर लि के संबंध में 31-3-2006 की स्थिति वे अनुसार बकाया ब्याज समाप्त करना (50.46 करोड़ रुपए) और पुनर्सं रचना वे परिणामस्वरूप एचएमटी (मशीन टूल्ज लिमिटेड के संबंध में दिनांक 31-3-2006 की स्थिति के अनुसार ब्याज माफ करना (35.16 करोड़ रुपए)। (ख) एचएमटी लिमिटेड में निवेश के लिए (563.00 करोड़ रुपए) अर्थात् 3.5% तरजीई शेयर पूंजी (443.00 करोड़ रुपए) औ पूंजीगत व्यय के इस्तेमाल के लिए अतिरिक्त इक्विटी (90.00 करोड़ रुपए), पुनर्गटन वे परिणामस्वरूप प्रौद्योगिकीय अधिग्रहण औ उन्नयन (20.00 करोड़ रुपए) व्यापार औ पुनः प्रशिक्षण (10 करोड़ रुपए)। | adjustments viz., (i) write off of loar (Rs. 102.75 crore) and waiver or interest (Rs. 50.40 crore) outstanding as on 31.3.2006 in respect of Bhara Pumps and Compressors Limited and (ii) waiver of interest as on 31.3.2006 in respect of HMT (Machine Tools) Limited, consequent upon restructuring (Rs. 35.16 crore). (b) (i) For investment in HMT (Machine Tools) Limited (Rs. 563.00 crore) viz. 3.5% Preference Share Capital (Rs. 443.00 crore) and additional equity to be utilised for Capital expenditure (Rs. 90.00 crore) Technological acquisition and upgradation (Rs. 20.00 crore) and training and retraining (Rs. 10.00 crore) consequent upon restructuring. | | 188.31 | 188.31 19.50 | |
| (ग) (i) वीआरएस/वीएसएस के लिए एक मुश्र प्रावधान के तहत निधियों में वृद्धि और सांविधिव बकाया की अदायगी (47.00 करोड़ रुपए)औ (ii) भारत पम्पस और कम्प्रेसर लिमिटेड र संबंधित सीआईएसएफ के बकाया के निपटा के लिए (3.37 करोड़ रुपए)। | lump sum provision for VRS/VSS and payment of statutory dues (Rs. 47.00 crore), and (ii) for settlement of CISF | 1) ; | 50.37 | 50.37 | |
| गृह मंत्रालय | MINISTRY OF HOME AFFAIRS | | | | |
| 50 गृह मंत्रालय निम्नलिखित पर व्यय के लिए: (क) मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण मामले प्रतिपूर्ति की अदायगी जैसा कि माननी उच्च न्यायालय दिल्ली ने आदेशा दिया है | 50 Ministry of Home Affairs For meeting expenditure on: (a) payment of compensation in Motor Accident Claims Tribunal case as awarded by the Hon'ble High Court of | S | 0.01 | 0.01 | |
| (ख) आसूचना ब्यूरो (14.75) और उत्प्रवास ब्यूर (1.60 करोड़) का स्थापना संबंधी व्यय। | Delhi. (b) establishment related expenditure of Intelligence Bureau (Rs. 14.75 crore) and | | 0.01 | 0.01 | |
| | Bureau of Immigration (Rs. 1.60 crore) | | 9.22 | 9.22 | |

| | | | रोड़ रुपए Rupees | |
|--|--|----------------|--------------------------|--------------------|
| अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण | Grant No. & title and description of items | आयोजना Plan | आयोजना-भिन्न Non Plan | जोड़ Total |
| 51 मंत्रिमंडल निम्नलिखित के लिए (क) मंत्रिपरिषद से संबंधित स्थापना व्यय (49.15 करोड़ रुपए) और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय की स्थापना संबंधी व्यय (1.35 करोड़ रुपए)। | For meeting establishment related expenditure of the Council of Ministers (Rs. 49.15 crore) and establishment related expenditure of the National Security Council Secretariat (Rs. 1.35 crore). | | 0.15 | 0.15 |
| मानव संसाधन विकास मंत्रालय | MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT | | | |
| 55. स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग वर्ष 2006-07 के दौरान शिक्षा उपकर की अतिरिक्त संग्रहण को प्रारम्भिक शिक्षा कोष में अन्तरित करना। | 55 Department of School Education and Literacy Transfer of additional collection of Education Cess of 2% during the year 2006-07 to Prarambhik Shiksha Kosh. | 189.00 | | 189.00 |
| खान मंत्रालय 63. खान मंत्रालय भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड के कर्मचारियों को विशेष टर्मिनल लाभ पैकेज के लिए (67.80 करोड़ रुपए)। | MINISTRY OF MINES 63 Ministry of Mines For implementation of Special Terminal Benefit Package (Rs. 67.80 crore) to the employees of Bharat Gold Mines Limited. | | 46.28 | 46.28 |
| पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (क) भारतीय उष्ण कटिबन्धीय मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे से संबंधित व्यय (11.20 करोड़ रुपए), नेशनल सेन्टर फॉर मीडियम रेन्ज वेदर फारकास्टिंग (9.75 करोड़ रुपए) और राष्ट्रीय मौसम विज्ञान विभाग (173.15 करोड़ रुपए) से संबंधित व्यय के लिए। (ख) निम्नलिखित से संबंधित व्यय के लिए, नेशनल सेन्टर फार मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्टिंग (17.50 करोड़ रुपए) और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (41.60 करोड़ रुपए)। | MINISTRY OF EARTH SCIENCES 66 Ministry of Earth Sciences (a) For expenditure relating to Indian Institute of Tropical Meteorology, Pune (Rs. 11.20 crore), National Centre for Medium Range Weather Forecasting (Rs. 9.75 crore) and Indian Meteorology Department (Rs. 173.15 crore). (b) For expenditure relating to National Centre for Medium Range Weather Forecasting (Rs.17.50 crore) and Indian Meteorology Department (Rs. 41.60 crore). | 41.50 58.50 | 14.60 0.60 | 56.10 59.10 |
| कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय | MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS | | | |
| 69. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (क) केन्द्रीय सतर्कता आयोग के स्थापना व्यय के लिए। (ख) अखिल भारत सेवा के अधिकारियों को गृह निर्माण अग्रिम के लिए किए गए भुगतानों के प्रति राज्य सरकारों को प्रतिपूर्ति के लिए। | 69 Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (a) For establishment expenditure of Central Vigilance Commission. (b) For re-imbursement to State Governments against payments made towards House Building Advances to All India Service Officers. | | 0.47 2.00 | 0.47 2.00 |
| पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय 70. पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (क) पैट्रोलियम उत्पादों की बिक्री के कारण वर्ष 2006-07 में अनुमानित अल्प वसूलियों के लिए तेल विपणन कम्पनियों को विशेष | MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS 70 Ministry of Petroleum and Natural Gas (a) For providing compensation through issue of Special Securities to the Oil Marketing Companies towards estimated | | | |
| प्रतिभूतियों के निर्गम के जरिए क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए। (ख) ओएनजीसी द्वारा निर्गत बोनस शेयरों में अर्तिरेक्त इक्विटी निवेश। | under-recoveries in 2006-07 on account of sale of sensitive petroleum products. (b) Additional equity investment in the bonus shares issued by ONGC. | | 5,000.00 528.58 | 5,000.00 528.58 |

| | | | गेड़ रुपए Rupees | |
|--|--|----------------|--------------------------|---------------|
| अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण | Grant No. & title and description of items | आयोजना Plan | आयोजना-भिन्न Non Plan | जोड़ Total |
| नौवहन, सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय | MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS | | | |
| 84. नौवहन विभाग | 84 Department of Shipping | | | |
| (क) (i) कोलकात्ता पतन न्यास को अतिरिक्त, | (a) For (i) additional dredging subsidy to | | | |
| तलकर्षण आर्थिक सहायता (131.78 करोड़ | | | | |
| रुपए) (ii) लघु पतनों को लघु निर्माण | | | | |
| कार्यो/चिकित्सा व्ययों इत्यादि के लिए | | | | |
| अतिरिक्त व्यय (0.53 करोड़ रुपए) तथा | | | | |
| (iii) प्रकाश गृहों तथा लाईट शिप | | | | |
| (डीजीएलएल) महानिदेशालय (4.59 करोड़ | | | | |
| रुपए) तथा व्यावसायिक सेवाओं पर अतिरिक्त | | | | |
| व्यय को पूरा करने के लिए (2.07 करोड़ | | | | |
| रुपए)। | professional services (Rs. 2.07 crore). | | 87.68 | 87.68 |
| (ख) केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम के | | | | |
| बकाया ऋणों को सहायता अनुदान में | | | | |
| रुपांतरित करने के लिए। | Corporation (CIWTC) into grants-in-aid. | | 18.00 | 18.00 |
| VIIIIII TO TO TO TO | | | | |
| ामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय | MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND | | | |
| THE THE TENTE OF THE TENTE | EMPOWERMENT | | | |
| सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय | 87 Ministry of Social Justice and Empowerment | | | |
| (क) स्कैबेंजरों की मुक्ति एवं पुनर्वास के लिए | (a) For implementation of Self employment | | | |
| स्व-रोजगार योजना के क्रियान्वयन के लिए। | scheme for liberation and rehabilitation | | | |
| | of scavengers. | 55.00 | | 55.00 |
| (ख) अनुसूचित जातियों के लिए पश्च-मैट्रिक | (b) For the scheme of post matric | | | |
| छात्रवृत्तियों की योजना के लिए। | scholarships for Scheduled Castes. | 5.50 | | 5.50 |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | |
| पात मंत्रालय | MINISTRY OF STEEL | | | |
|). इस्पात मंत्रालय | 90 Ministry of Steel | | | |
| ब्याज को इक्विटी में रुपांतरित करने के लिए | For carrying out accounting adjustment in | | | |
| मेकन लि. के संबंध में लेखाकरण समायोजन | respect of MECON Limited for conversion | 1.72 | | 1 72 |
| करने के लिए। | of interest into equity. | 1.72 | ••• | 1.72 |
| | MINISTRY OF TEXTILES | | | |
| पड़ा मंत्रालय | 91 Ministry of Textiles | | | |
| कपड़ा मंत्रालय | For carrying out necessary accounting | | | |
| आवश्यक लेखा समायोजन करने के लिए अर्थात | adjustments viz write off of outstanding | | | |
| जूट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. के बकाया ऋण | loan (Rs. 196.58 crore) and waiver of interest | | | |
| को बट्टे खाता डालना (196.58 करोड़ रुपए) | (Rs. 313.07 crore) of Jute Corporation of | | | |
| तथा ब्याज माफी (313.07 करोड़ रुपए)। | India Limited. | | 297.49 | 297.49 |
| | | | | |
| | MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS | | | |
| निजातीय कार्य मंत्रालय | 93 Ministry of Tribal Affairs | | | |
| 3. जनजातीय कार्य मंत्रालय | For additional grants-in-aid to the State | | | |
| (i) पश्च मैट्रिक छात्रवृत्तियां (32.00 करोड़ रुपए), | Governments under the schemes of (i) Post | | | |
| (ii) व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र (1.43 करोड़ रुपए) | Matric Scholarships (Rs. 32.00 crore), (ii) | | | |
| तथा (iii) अनुसंघान सूचना तथा जन शिक्षा, | Vocational Training Centres (Rs. 1.43 crore) | | | |
| जनजातीय त्यौहार तथा अन्य योजनाओं के अंतर्गत | and (iii) iescaren/training activities | | | |
| विभिन्न जनजातीय अनुसंधान संस्थाओं इत्यादि | undertaken by various Tribal Research | | | |
| द्वारा किए गए अनुसंधान/प्रशिक्षण कार्यकलाप (0.45 | Institutes, etc under Research Information | | | |
| करोड़ रुपए) की योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों | and Mass Education, Tribal Festivals and | | | |
| को अतिरिक्त सहायता अनुदान। | Other Schemes (Rs. 0.45 crore). | 33.88 | | 33.88 |
| न गंजाना संघ सन्य शेन | MINICEDIA OF HOME AFEADO ANION | | | |
| ह मंत्रालय, संघ राज्य क्षेत्र | MINISTRY OF HOME AFFAIRS, UNION | | | |
| (विधान मंडल रहित) | TERRITORIES (WITHOUT | | | |
| 4. अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह | LEGISLATURE) | | | |
| 4. अडमान एवं निकाबार द्वापसमूह (क) विद्युत के क्रय (28.00 करोड़ रुपए) तथा | 94 Andaman and Nicobar Islands | | | |
| (क) विद्युत के क्रय (28.00 करोड़ रुपए) तथा उच्च गति डीजल तेल (4.77 करोड़ रुपए)। | \ | | | |
| ० व्यास आजल सल (४.77 कराड़ १५५)। | \mathcal{E} 1 | | 22 77 | 22 77 |
| | (Rs. 4.77 crore). | | 32.77 | 32.77 |
| | | | | |

| | | | | | रोड़ रुपए Rupees | |
|-----------------|---|------|--|----------------|--------------------------|---------------|
| अनुदान | संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण | Gı | ant No. & title and description of items | आयोजना Plan | आयोजना-भिन्न Non Plan | जोड़ Total |
| |) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्न | | (b) For payment to Food Corporation of | | | |
| (0 | की लागत के लिए भारतीय खाद्य निगम | | India Limited towards cost of food | | | |
| | को भुगतान। | | grain for Public Distribution System. | | 1.59 | 1.59 |
| (ग | | | (c) Grants-in-aid to schools. | ••• | 0.10 | 0.10 |
| (੧ (ਬ | | | (d) Grants-in-aid for Border Area Projects. | ••• | 0.10 | 0.10 |
| (ভ | , | | (e) For purchase of stores. | ••• | 5.00 | 5.00 |
| ्र 95. चं | , | 95 | Chandigarh | ••• | 3.00 | 3.00 |
| | जाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ | 93 | Upgradation of infrastructure in the Punjab | | | |
| | अवसंरचना उन्नयन (2.00 करोड़ रुपए) | | and Haryana High Court, Chandigarh (Rs. | | | |
| | अवसारयमा उनायम (2.00 यमा २०४५) अविद्यालयों में चालू कार्यों की पूर्ति तथा चण्डीगढ़ | | 2.00 crore), Completion of ongoing works | | | |
| | नियरी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय के अतिरिक्त | | in colleges and construction of additional | | | |
| • | ड का निर्माण (2.00 करोड़ रुपए), शहर में | | _ | | | |
| | ज्ञार सुधार गृह, आंगनवाड़ी तथा शिश्गृह के | | block of Chandigarh College of Engineering | | | |
| | | | and Technology (Rs. 2.00 crore), Completion | | | |
| | ान की पूर्ति (0.34 करोड़ रुपए), किक्रेट स्टेडियम, | | of the building of Juvenile Home, | | | |
| | क्टर 16 तथा हॉकी स्टेडियम सैक्टर 42, चण्डीगढ़ | | anganwadis and creches in the city (Rs. 0.34 | | | |
| | अवसंरचनात्मक सुविधाओं का उन्नयन (2.80 | | crore), Upgrading the infrastructural facilities | | | |
| | रोड़ रुपए), नई एसी/बोल्वो बसों की खरीद | | in the Cricket Stadium, Sector 16 and Hockey | | | |
| | हेत 74 बसों का प्रतिस्थापन (9.00 करोड़ | | Stadium Sector 42, Chandigarh (Rs. 2.80 | | | |
| | पए), सरकारी गृहों के चालू निर्माण कार्य की | | crore), Replacement of 74 buses including | | | |
| | र्ते (5.00 करोड़ रुपए) तथा कूड़ा बीनने वालों | | purchase of new AC/Volvo buses (Rs. 9.00 | | | |
| | पुनर्वास तथा रिक्शा चालकों को आश्रय स्थल | | crore), Completion of ongoing construction | | | |
| | मलब्ध करने के लिए राजीव गांधी प्रौद्योगिकी | | work of Government houses (Rs. 5.00 crore) | | | |
| | र्क में उद्यमी विकास केन्द्र का विकास (4.20 | | and Development of Entrepreneur | | | |
| क | रोड़ रुपए)। | | Development Centre(E.D.C) at Rajiv Gandhi | | | |
| | | | Technology Park for rehabilitation of rag | | | |
| | | | pickers and providing transit shelters to | | | |
| | _ | | rickshaw pullers (Rs. 4.20 crore). | 21.83 | | 21.83 |
| | ान एवं दीव | 97 | Daman and Diu | | | |
| | न्द्रीय क्षेत्रक विद्युत केन्द्रों से अतिरिक्त विद्युत | | For purchase of additional power from | | | |
| | खरीद। | | Central Sector Power Stations. | | 50.00 | 50.00 |
| 8. ਕ | | 98 | Lakshadweep | | | |
| (व | , 0 | | (a) Establishment related expenditure and | | | |
| | व्यय तथा अन्य आवश्यकताओं का वर्धन | | augmenting other requirement of power | | | |
| | (९.६५ करोड़ रुपए)। | | generating units (Rs. 9.65 crore). | | 1.00 | 1.00 |
| (र | व) भारतीय खाद्य निगम को चावल अधिप्राप्ति | | (b) To pay rice procurement cost to the | | | |
| | लागत अदा करना। | | Food Corporation of India. | | 1.00 | 1.00 |
| (ग |) लोक निर्माण कार्य विभाग का स्थापना संबंधी | | (c) Establishment related expenditure of | | | |
| • | व्यय तथा विभिन्न कार्यालय भवनों का | | Public Works Department and | | | |
| | अनुरक्षण/मरम्मत (1.20 करोड़ रुपए)। | | maintenance/repairs of various office | | | |
| | | | buildings (Rs. 1.20 crore). | | 1.00 | 1.00 |
| 0 + | वेकास मंत्रालय | 3.41 | NICTON OF HOD AN DEVEL ODMENT | | | |
| - | वकास मत्रालय हरी विकास विभाग | | NISTRY OF URBAN DEVELOPMENT | | | |
| | स्थायी आवास किराए पर लेने के लिए बकाया | 99 | Department of Urban Development | | | |
| | | | For payment of arrears on hiring of transit | | 0.77 | 0.77 |
| | शे का भुगतान (49.25 करोड़ रुपए)। क ि निर्माण कार्य | 100 | accommodation (Rs. 49.25 crore). | ••• | 0.77 | 0.77 |
| | | 100 | Public Works | | | |
| (व | b) नई दिल्ली में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक | | (a) For additional expenditure (i) on | | | |
| | के कार्यालय के लिए नए भवन का निर्माण | | construction of new building for the | | | |
| | (5.00 करोड़्र रुपए), (ii) हैदराबाद, | | Office of Comptroller and Auditor | | | |
| | अहमदाबाद, कोलकात्ता, मीनामवक्कन, | | General of India at New Delhi (Rs. 5.00 | | | |
| | जलाहली तथा कालीकट में आयकर विभाग | | crore), (ii) construction of office | | | |
| | के लिए कार्यालय परिसर का निर्माण (10.00 | | complexes for Income Tax Department | | | |
| | करोड़ रुपए), (iii) संसद पुस्तकालय भवन/ | | at Hyderabad, Ahmedabad, Kolkata, | | | |
| | संसद भवन सौंध में टी.वी. चैनल की | | Meenambakkam, Jalahalli, and Calicut | | | |
| | संस्थापना (6.05 करोड़ रुपए) तथा (iv) | | (Rs. 10.00 crore), (iii) installation of | | | |
| | सरकारी लेखा तथा वित्त संस्थान के लिए | | TV Channel in Parliament Library | | | |
| | नर्र टिल्ली में नग भवन का निर्माण (0.50 | | Building/Parliament House Anneve | | | |

Building/Parliament House Annexe

(Rs. 6.05 crore) and (iv) construction

नई दिल्ली में नए भवन का निर्माण (0.50

करोड़ रुपए)।

| | | (व | ज्रोड़ रुपए Rupees | in Crore |
|--|---|----------|------------------------------|-------------------------|
| | Cuant No. 9 4:41, and description of items | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ |
| अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण ———————————————————————————————————— | Grant No. & title and description of items | Plan | Non Plan | Total |
| (ख) सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में ट्रामा | of a new building of Institute of Government Accounts and Finance (INGAF) at New Delhi (Rs. 0.50 crore). (b) For additional expenditure on setting up | | 21.55 | 21.55 |
| केन्द्र स्थापित करने के लिए अतिरिक्त व्यय। | of Trauma Centre at Safdarjung Hospital, New Delhi. | 1.96 | | 1.96 |
| (ग) मुम्बई में लवण आयुक्त के कार्यालय के चालू निर्माण कार्य के लिए अतिरिक्त व्यय। | (c) For additional expenditure for ongoing construction work of the Office of the Salt Commissioner at Mumbai. | 0.40 | | 0.40 |
| (घ) देहरादून में भारत का सर्वेक्षण के लिए कार्यालय भवन के निर्माण के लिए। | (d) For construction of office building for Survey of India at Dehradun. | 1.80 | | 1.80 |
| 101. लेखा सामग्री तथा मुद्रण भारत सरकार मुद्रणालयों के लिए कागज तथा अन्य उपभोज्य मदों की अधिप्राप्ति पर व्यय को | 101 Stationery and Printing For meeting expenditure on procurement of paper and other consumable items for the | | | |
| पूरा करने के लिए। कुल तकनीकी | Government of India Presses. Total Technical | 1.195.91 | 7.98 366,417.03 36 | 7.98 7.612.94 |
| | | 1,15001 | 500,111105 | ,0120 |
| 4. 1 लाख रुपए प्रत्येक का अनुपूरक अनुदान भी नीचे सूचीबद्ध मदों के संबंध में लिया जाना प्रस्तावित है, जिसके समक्ष निर्दिष्ट व्यय की पूर्ति संगत अनुदान के यथा मामला राजस्व या पूंजी भाग के भीतर बचतों के विनियोजन में की जाएगी। | 4. Supplementary Grants of Rs.1 lakh each are also proposed to be taken in respect of items listed below, the expenditure indicated against which will be met by reappropriation of savings within the Revenue or Capital Section, as the case may be, of the relevant grant. | | | |
| अनुदानों की सांकेतिक पूरक मांगें कृषि मंत्रालय 1. कृषि एवं सहकारिता विभाग (क) सहकारी शिक्षा एवं प्रशिक्षण की पुनर्संरचित योजना के अंतर्गत क्रियान्वयन अभिकरणों | Token Supplementary Demands for Grants MINISTRY OF AGRICULTURE 1 Department of Agriculture and Cooperation (a) For providing additional grants-in-aid | | | |

- याजना क अंतगत क्रियान्वयन आभकरणा को अतिरिक्त सहायतानुदान प्रदान करने के लिए (3.00 करोड़ रुपए) तथा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को सहकारिताओं के विकास के लिए सहायता (21.00 करोड़ रुपए)।
- (ख) सहकारिताओं के विकास के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को अतिरिक्त सहायतानुदान उपलब्ध कराने के लिए।

पशु पालन, डेयरी एवं मात्स्यिकी

(i) राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान, बागपत में प्रयोगशाला के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम को सहायतानुदान (6.80 करोड़ रुपए), (ii) राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान, बागपत के लिए उपकरणों के आयात पर सीमाशुल्क का भुगतान (2.00 करोड़ रुपए), (iii) नई विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना 'एविअन इन्फ्लूएंजा की तैयारी, नियंत्रण एवं रोकथाम' पर व्यय की पूर्ति (10.00 करोड़ रुपए) तथा (iv) राष्ट्रीय पश् और भैंस प्रजनन परियोजना (23.30 करोड़ रुपए) के अंतर्गत दुधारू पश्, बछड़ा पालन कार्यक्रम, पशु भैंस फीड और चारा आपूर्ति कार्यक्रम शामिल करने हेतु कृषक जनसंख्या को आर्थिक राहत प्रदान करने के लिए राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सहायता अनुदान।

- (a) For providing additional grants-in-aid to implementing agencies under the restructured scheme of Cooperative Education and Training (Rs. 3.00 crore) and assistance to National Cooperative Development Corporation (NCDC) for development of Cooperatives (Rs. 21.00 crore).
- (b) For providing additional grants-in-aid to National Cooperative Development Corporation (NCDC) for development of Cooperatives .

24.00

4.00

24.00

4.00

3 Department of Animal Husbandry, **Dairying and Fisheries**

(a) For (i) grants-in-aid to Uttar Pradesh State Industrial Development Corporation for construction of a laboratory at the National Institute of Animal Health, Bagpat (Rs. 6.80 crore), (ii) payment of customs duty on import of equipments for the National Institute of Animal Health, Bagpat (Rs. 2.00 crore), (iii) meeting expenditure on the implementation of a new Externally Aided Project "Preparedness, Control and Containment of Avian Influenza" (Rs. 10.00 crore) and (iv) grants-in-aid to State Implementing Agencies for providing economic relief to farming population for induction of high

| | | (क | रोड़ रुपए Rupees | in Crore) |
|--|---|--------------------|--------------------------|-------------------------|
| अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण | Grant No. & title and description of items | आयोजना Plan | आयोजना-भिन्न Non Plan | जोड़ Total |
| (ख) एविअन फ्लू की बीमारी फैलने के पश्चात कुक्कुट उद्योग को वित्तीय राहत प्रदान करने के लिए दिनांक 31.03.2006 की स्थिति के अनुसार कुक्कुट पालक किसानों पर बकाया मूलधन राशि पर एक वर्ष की अवधि के लिए 4 प्रतिशत की एकबारगी ब्याज सहायता संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। (ग) गहन डेयरी विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न दुग्ध संघों/परिसंघों को सहायतानुदान। | yielding milch animals, calf rearing programme, cattle buffalo breeding and feed and fodder supply programme under the National Project for Cattle and Buffalo Breeding (Rs. 23.30 crore). (b) For meeting additional expenditure on one time interest subvention of 4% for a period of one year on principal amount outstanding against poultry farmers as on 31.3.2006 to provide financial relief to the poultry industry following the outbreak of Avian Flu. (c) For grants-in-aid to different milk unions/federations for implementation of Intensive Dairy Development Programme. | 42.10 10.50 | 27.00 | 42.10 27.00 10.50 |
| परमाणु ऊर्जा (क) निम्न को अतिरिक्त सहायतानुदानः (i) टाटा इंस्टीट्यूट आफ फंडामेंटल रिसर्च को दसवीं पंचवर्षीय आयोजना परियोजनाओं को पूरा करने के लिए (7.75 करोड़ रुपए), (ii) विकिरण चिकित्सा केन्द्रों तथा कैंसर अस्पतालों की सहायता के लिए अनुसंधान संस्थाएं/सोसाइटियां तथा गैर सरकारी संस्थाओं को "विश्वविद्यालयों को सहायता" के अंतर्गत (1.00 करोड़ रुपए) तथा (iii) इंस्टीट्यूट ऑफ मैथेमेटिकल साइंस, चेन्नई को कम्प्यूटर प्रणाली तथा पुस्तकालय के लिए (0.37 करोड़ रुपए)। (ख) निम्न को अनुस्क्षण व्यय के लिए अतिरिक्त सहायतानुदान (i) हरीशचन्द्र अनुसंधान संस्थान (0.39 करोड़ रुपए) तथा (ii) प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, गांधीनगर (0.40 करोड़ रुपए)। | DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY 5 Atomic Energy (a) For additional grants-in-aid to (i) Tata Institute of Fundamental Research for completion of Tenth Five Year Plan projects (Rs. 7.75 crore), (ii) research institutions/societies and non-government institutions to support radiation medicine centres and cancer hospitals under 'Assistance to Universities' (Rs. 1.00 crore) and (iii) Institute of Mathematical Sciences, Chennai for computer system and library upgradation (Rs. 0.37 crore). (b) For additional grants-in-aid to (i) Harish Chandra Research Institute (Rs. 0.39 crore) and (ii) Institute of Plasma Research, Gandhinagar (Rs. 0.40 crore) for maintenance expenditure. | 9.12 | 0.79 | 9.12 |
| रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय 7. रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग लेखाकार समायोजन करने के लिए अर्थात् हिन्दुस्तान इंसेक्टीसाइड्स लि. के संबंध में भारत सरकार ऋण को इक्विटी में रुपांतरित करने के लिए। | MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS 7 Department of Chemicals and Petrochemicals For carrying out accounting adjustments, viz. conversion of Government of India loan into equity in respect of Hindustan Insecticides Limited. | 31.55 | | 31.55 |
| कोयला मंत्रालय 10. कोयला मंत्रालय पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं/ योजनाओं के लिए एकमुश्त प्रावधान के अंतर्गत निधियों का वर्धन। | MINISTRY OF COAL 10 Ministry of Coal For augmentation of funds under the lump sum provision for projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim. | 13.13 | | 13.13 |
| वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 11. वाणिज्य विभाग विशेष प्रयोजन चाय निधि को पूंजी अंशदान। | MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 11 Department of Commerce For capital contribution to 'Special Purpose Tea Fund'. | 30.00 | | 30.00 |
| संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय 13. डाक विभाग डाक मोटर वाहनों के आधुनिकीकरण के लिए। | MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY 13 Department of Posts For modernisation of mail motor vehicles. | | 3.00 | 3.00 |

| | | (क | रोड़ रुपए Rupees | in Crore) |
|--|---|----------------|--------------------------|----------------|
| अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण | Grant No. & title and description of items | आयोजना Plan | आयोजना-भिन्न Non Plan | जोड़ Total |
| 15. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग चालू परियोजना तथा अनुमोदित परियोजनाओं की अतिरिक्त अपेक्षाओं के लिए (क) सामरिक इलेक्ट्रानिक उपकरण के विकास के अंतर्गत (11.00 करोड़ रुपए) तथा (ख) मिडया लैब एशिया के अंतर्गत (10.00 करोड़ रुपए)। | For on-going projects and additional requirements of approved projects (a) under Development of Strategic Electronic Equipment (Rs. 11.00 crore) and (b) under Media Lab Asia (Rs. 10.00 crore). | 21.00 | | 21.00 |
| उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक | MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, | | | |
| वितरण मंत्रालय 18. खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग | FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION 18 Department of Food and Public Distribution | | | |
| (क) (i) चीनी के बफर स्टॉक के अनुरक्षण के लिए चीनी कारखानों को अतिरिक्त सब्सिडी (30.00 करोड़ रुपए) तथा (ii) गन्ना विकास संबंधी अनुसंधान परियोजनाओं संबंधी कार्य करने वाली विभिन्न संस्थाओं को सहायतानुदान (0.90 करोड़ रुपए)। (ख) बैगेस आधारित सह उत्पादन विद्युत परियोजना के लिए चीनी कारखानों को अतिरिक्त ऋण। | (a) (i) Additional subsidy to sugar factories for maintenance of buffer stock of sugar (Rs. 30.00 crore) and (ii) Grants-in-aid to various institutions dealing with research projects on sugarcane development (Rs. 0.90 crore). (b) Additional loans to sugar factories for bagasse based co-generation power project. | | 30.90 11.76 | 30.90 11.76 |
| संस्कृति मंत्रालय | MINISTRY OF CULTURE | | | |
| 19. संस्कृति मंत्रालय (क) भारतीय तथा विदेशी थिएटर समूहों द्वारा 9वें भारत रंग महोत्सव का आयोजन करने के लिए नेशनल स्कूल आफ झुमा को सहायतानुदान, कोलकाता में द्वितीय उपग्रह समारोह तथा दिल्ली एवं कोलकाता में साशा वाल्ट्ज नाटक का निर्माण। (ख) (i) लमही में मुंशी प्रेमचन्द मेमोरियल अनुसंघान एवं अध्ययन केन्द्र स्थापित करने के लिए (2.00 करोड़ रुपए), (ii) संचित निधि कोष के वर्धन के रूप में मगन संग्रहालय न्यास, वर्धा को सहायतानुदान (4.00 करोड़ रुपए), (iii) संचित निधि का सृजन करने के लिए आश्रम प्राधिकरण को समर्थ बनाने हेतु सेवाग्राम आश्रम न्यास, वर्धा को सहायतानुदान (5.00 करोड़ रुपए) तथा (iv) मुम्बई, मदुरई, पटना तथा बैरकपुर में चार क्षेत्रीय गांधी संग्रहालयों को 1 करोड़ रुपए प्रत्येक की अतिरिक्त संचित निधि कोष (4.00 करोड़ रुपए)। | 19 Ministry of Culture (a) Grants-in-aid to National School of Drama for organising 9th Bharat Rang Mahotsava by Indian and Foreign Theatre Groups, 2nd Satellite Festival at Kolkata and production of play SASHA WALTZ in Delhi and Kolkata. (b) (i) For setting up of Munshi Premchand Memorial Research and Study Centre at Lamhi (Rs. 2.00 crore), (ii) Grants-in-aid to Magan Sangrahalaya Trust, Wardha as enhancement of corpus fund (Rs. 4.00 crore), (iii) Grants-in-aid to Sevagram Ashram Trust, Wardha to enable Ashram authority to create a corpus fund (Rs. 5.00 crore) and (iv) Additional corpus fund of Rs. 1 crore each to four Regional Gandhi Museums at Mumbai, Madurai, Patna and Barrackpore (Rs. 4.00 crore). | 2.00 | 15.00 | 2.00 |
| पर्यावरण एवं वन मंत्रालय | MINISTRY OF ENVIRONMENT and FORESTS | | | |
| 29. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय निम्न को अतिरिक्त सहायतानुदान के लिएः (क) (i) "पशुओं का कल्याण" योजना के अंतर्गत पशुओं के लिए आश्रय स्थलों, आवारा कुत्तों के प्रतिरक्षण तथा बंध्यीकरण के लिए पशु कल्याण बोर्ड (1.88 करोड़ रुपए), (ii) निर्माण कार्य व्यय हेतु भारतीय वानिकी प्रबंधन संस्थान (1.83 करोड़ रुपए), (iii) इन-हाउस अनुसंधान परियोजनाएं शुरु करने के लिए वैज्ञानिक एवं कार्यालय उपकरण की खरीद तथा भवनों की मरम्मत तथा अनुरक्षण के लिए भारतीय वानिकी प्रबंधन एवं शिक्षा परिषद (2.03 करोड़ रुपए) तथा वन शिक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न | Portes 13 29 Ministry of Environment and Forests For additional grants-in-aid to: (a) (i) Animal Welfare Board for shelters for animals, birth control and immunisation of stray dogs under the scheme 'Welfare of Animals' (Rs. 1.88 crore), (ii) Indian Institute of Forestry Management for works expenditure (Rs. 1.83 crore), (iii) Indian Council of Forestry Management and Education for purchase of scientific and office equipment for undertaking inhouse research projects and repairs and maintenance of buildings (Rs. 2.03 crore) | | | |

वन शिक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न

(करोड़ रुपए Rupees in Crore) आयोजना-भिन्न जोड आयोजना अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण Grant No. & title and description of items Plan Non Plan **Total** विश्वविद्यालयों को भ्गतान (2.00 करोड़ and for payment to various universities रुपए), (iv) प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन के लिए for imparting forest education (Rs. 2.00 बांस लेमिनेटों के विनिर्माण के लिए प्रायोगिक crore), (iv) Indian Plywood Industries संयंत्र सुविधा की स्थापना के लिए इंडियन Research Institute, Bangalore for प्लाईवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, बंगलौर establishment of pilot plant facility to (1.20 करोड़ रुपए), (v) क्षेत्राधिकारियों manufacture bamboo laminates for को प्रशिक्षण प्रदान करने तथा वैज्ञानिकों training and demonstration (Rs 1.20 को स्विधाएं उपलब्ध कराने के लिए crore), (v) Wildlife Institute of India, वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट आफ इंडिया, Dehradun for providing facilities to देहरादुन (2.00 करोड़ रुपए) तथा (vi) scientists and imparting training to field भारतीय प्राणी उद्यानों में विकास कार्य करने officers (Rs. 2.00 crore) and (vi) Central तथा उनके कार्यकरण की दशाएं सुधारने Zoo Authority for undertaking के लिए केन्द्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण development work in Indian Zoos and (3.63 करोड़ रुपए)। improving their working conditions (Rs. 3.63 crore). 14.57 14.57 (i) पर्यावरण शिक्षा प्रशिक्षण योजना के विभिन्न (b) (i) various institutions for Environment संस्थान (5.00 करोड़ रुपए), (ii) भारतीय Education Training Scheme (Rs. 5.00 जैव-विविधता प्राधिकरण और जैव-विविधता crore), (ii) Bio Diversity Authority of संरक्षण योजना की अन्य संस्थाएं जिनमें India and other institutions for Bio विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना हेत् एक Diversity Conservation scheme including करोड़ रुपए शामिल हैं (2.30 करोड़ रुपए), rupees one crore for Externally Aided (iii) विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना के Project (Rs. 2.30 crore), (iii) creating लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों हेत् व्यय new treatment, storage and disposal सहित खतरनाक पदार्थ प्रबंधन योजना के facilities under Hazardous Substance तहत नए उपचार, भंडारण और निपटान Management Scheme including स्विधाएं (2.49 करोड़ रुपए), (iv) अनुसंधान expenditure for various international और विकास के तहत नई परियोजनाओं conventions for Externally Aided तथा चल रही परियोजनाओं के लिए विभिन्न Project (Rs. 2.49 crore), (iv) various संस्थाएं (0.50 करोड़ रुपए), (v) प्रदूषण institutions for on-going projects and उपशमन के लिए सहायता योजना के तहत also on new projects under the Research राज्य प्रदुषण बोर्डों से प्राप्त प्रस्तावों के & Development scheme (Rs. 0.50 कार्यान्वयन के लिए (1.43 करोड़ रुपए), crore), (v) for implementation of (vi) "पर्यावरण की स्थिति" योजना के तहत proposals from State Pollution Boards विभिन्न संस्थाएं (0.66 करोड़ रुपए), (vii) under the scheme 'Assistance for "उत्कृष्ट केन्द्र" योजना के तहत पर्यावरण Abatement of Pollution' (Rs. 1.43) शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए विभिन्न crore), (vi) various institutions under केन्द्र (0.38 करोड़ रुपए), (viii) ग्लेशियर the scheme 'State of Environment' अध्ययन केन्द्र इत्यादि स्थापित करने के (Rs. 0.66 crore), (vii) various centres लिए जी.बी. पंत हिमालय पर्यावरण एवं for strengthening environment विकास संस्थान (1.14 करोड़ रुपए), (ix) education under the scheme 'Centres चार बायोस्फीयर रिजर्व के लिए प्रबंधन of Excellence' (Rs. 0.38 crore), (viii) आयोजना शुरू करने के लिए लिए (0.07 G.B. Pant Himalayan Institute of करोड़ रुपए), (x) नई पहचान की गई Environment and Development for नमभूमियों की कार्ययोजना के लिए विभिन्न setting up glacier study centre (Rs. 1.14 संस्थाएं (0.60 करोड़ रुपए), (xi) गरान crore), (ix) Various institutions for पारिस्थितिकी स्कीम में चल रही अनुसंधान undertaking management plans for परियोजनाओं के लिए विभिन्न संस्थाएं (1.00 four biosphere reserves (Rs. 0.07 करोड़ रुपए) और (xii) जलवायु परिवर्तन crore), (x) various institutions for action के अध्ययन से संबंधित क्रियाकलापों और plans of newly identified wetlands (Rs. नई परियोजनाओं के लिए विभिन्न संस्थाएं 0.60 crore), (xi) various institutions for (0.19 करोड़ रुपए)। ongoing research projects in the scheme Mangroves Eco-systems (Rs. 1.00 crore) and (xii) various institutions for new projects and activities relating to climate change 15.76 15.76 study (Rs. 0.19 crore). केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली (c) Grants-in-aid to Central Pollution

Control Board, New Delhi for

establishment related expenditure.

0.85

0.85

को स्थापना से संबंधित व्यय के लिए सहायता

अनुदान।

| | | <i>(क</i> | रोड़ रुपए Rupees | in Crore |
|---|--|-----------|------------------|----------|
| | | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ |
| अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण | Grant No. & title and description of items | Plan | Non Plan | Total |
| वित्त मंत्रालय 33. वित्तीय संस्थाओं को अदायगियां इंडियन ओवरसीज बैंक को एफसीएनआर (ए) जमा योजना पर उसके ब्याज के दावों में कमी होने के कारण आई मुद्रा में कमी के लिए भुगतान | MINISTRY OF FINANCE 33 Payments to Financial Institutions To make payments to Indian Overseas Bank for exchange loss on account of shortfall in its interest claims on FCNR(A) deposit | | 26.07 | 26.05 |
| करने हेतु। 41. राजस्व विभाग विदेश यात्रा कर और अंतर्देशीय हवाई यात्रा कर के संग्रहण के संबंध में विभिन्न संवाहकों को संग्रहण प्रभार के एरियरों के भुगतान के लिए। | scheme. 41 Department of Revenue For payment of arrears of the collection charges to the various carriers in respect of collection of Foreign Travel Tax and Inland | | 36.97 | 36.97 |
| | Air Travel Tax. | | 5.48 | 5.48 |
| खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय | MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES | | | |
| 45. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय गुणवत्ता आश्वासन, कोडेक्स मानकों और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हेतु अनुसंधान और विकास के लिए सहायता की स्कीमों के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। | 45 Ministry of Food Processing Industries For meeting additional expenditure on the scheme for Assistance for Quality Assurance, Codex Standards and Research and Development for Food Processing Industries. | 4.40 | | 4.40 |
| स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय | MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE | | | |
| 46. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय | 46 Department of Health and Family Welfare | | | |
| (क) के संबंध में (i) स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान (पीजीआईएमईआर) चंडीगढ़ को अद्यतन प्रौद्योगिकी मुहैया करके विभिन्न विभागों को जोड़ने और उन्नत कराने के लिए सहायता अनुदान (61.00 करोड़ रुपए), (ii) नेत्र चिकित्सा उपस्करों की अधिप्राप्ति की विकेन्द्रीकृत गतिविधि और ट्राकोमा के अंतर्गत बाद की जिम्मेदारियां और अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम की जरूरत को पूरा करने के लिए स्वैच्छिक और अन्य संस्थाओं को सहायता अनुदान देना (16.45 करोड़ रुपए), (iii) मुख्यालय में तपेदिक कक्ष की सूचना शिक्षा और संचार गतिविधियां (3.00 करोड़ रुपए), (iv) जीएफएटीएम द्वारा सहायता प्राप्त विदेश सहायता घटक के अंतर्गत एड्स, तपेदिक और मलेरिया से निपटने के लिए वैश्विक निधि के अंतर्गत कार्यरत राज्य तपेदिक संस्थाओं को सहायता अनुदान (15.00 करोड़ रुपए), (v) "केन्द्रीय कुष्ठ नियंत्रण योजना" के अंतर्गत "सूचना, शिक्षा | (a) For (i) Grants-in-aid to Post Graduate Institute of Medical Education & Research, (PGIMER) Chandigarh, for adding and upgrading the various Departments by providing the state of art technology (Rs. 61.00 crore), (ii) Grants-in-aid to Voluntary and other Institutions for meeting the requirement of decentralized activity of procurement of ophthalmic equipment and past liabilities under Trachoma and Blindness Control Programme (Rs. 16.45 crore), (iii) Information Education and Communication activities of TB Cell at Headquarter (Rs. 3.00 crore), (iv) Grants-in-aid to State TB societies under Global fund to fight AIDS, T.B. & Malaria (GFATM) under GFATM assisted Externally Aided Component (Rs. 15.00 crore), (v) Grant-in-aid for | | | |

(ख) सहायता अनुदान के संबंध में (i) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद को वेतन और

सहायता (43 करोड़ रुपए)।

अनुदान (1.15 करोड़ रुपए), (vi) विदेशी

सहायता घटक के अंतर्गत "राज्य एड्स

नियंत्रण संस्थाओं" (एसएसीएस) के लिए

अनुदान सहायता (99.40 करोड़ रुपए) और

(vii) "भारतीय जन स्वास्थ्य फाउंडेशन

पहल" के समर्थन के लिए जन स्वास्थ्य

संस्थान को संचित निधि मुहैया करके अनुदान

(b) For Grants-in-aid to (i) Indian Council of Medical Research to meet additional

Fund (Rs. 43 crore).

Communication" activities under

"Leprosy Control Central Scheme"

(Rs. 1.15 crore), (vi) Grants-in-aid to

"State Aids Control Societies (SACS)"

under Externally Aided Component

(Rs. 99.40 crore), and (vii) Grants-in-aid

to Institute of Public Health for supporting

the "Public Health Foundation of India (PHFI)" initiative by providing a corpus

239.00 ... 239.00

(करोड़ रुपए Rupees in Crore) आयोजना-भिन्न जोड आयोजना अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण Grant No. & title and description of items Plan Non Plan **Total** भत्तों की अतिरिक्त जरूरत और अन्य स्थापना requirement on pay & allowances and से संबंधित व्यय को पूरा करने के लिए other Establishment related expenditure (9.00 करोड़ रुपए), (ii) वल्लभभाई पटेल (Rs. 9.00 Crores), (ii) Vallabhbhai चेस्ट संस्थान (वीपीसीआई), नई दिल्ली Patel Chest Institute (VPCI), New Delhi को वेतन और भत्तों की अतिरिक्त जरूरत to meet additional requirement on pay और अन्य स्थापना से संबंधित व्यय को पुरा & allowances and other Establishment करने के लिए (2.00 करोड़ रुपए), (iii) related expenditure (Rs. 2.00 crore), पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ को वेतन और (iii) PGIMER, Chandigarh to meet भत्तों की अतिरिक्त जरूरत और अन्य स्थापना additional requirement on pay & से संबंधित व्यय को पूरा करने के लिए allowances and other Establishment (8.00 करोड़ रुपए), (iv) भारतीय भेषज related expenditure (Rs. 8.00 Crore), परिषद को वेतन और भत्तों की अतिरिक्त (iv) Pharmacy Council of India to meet जरूरत और अन्य स्थापना से संबंधित व्यय additional requirement on pay & को पूरा करने के लिए (0.02 करोड़ रुपए), allowances and other Establishment (v) लाला राम सरूप टी.बी. अस्पताल को related expenditure (Rs. 0.02 crore), वेतन और भत्तों की अतिरिक्त जरूरत और (v) Lala Ram Sarup TB Hospital to अन्य स्थापना से संबंधित व्यय को पूरा meet additional requirement on pay & करने के लिए (0.85 करोड़ रुपए) और allowances and other Establishment (vi) नई दिल्ली टी.बी. केन्द्र को वेतन और related expenditure (Rs. 0.85 crore), भत्तों की अतिरिक्त जरूरत और अन्य स्थापना and (vi) New Delhi TB Centre to meet से संबंधित व्यय को पूरा करने के लिए additional requirement on pay & (0.15 करोड़ रुपए)। allowances and other Establishment 20.02 20.02 related expenditure (Rs. 0.15 crore). (i) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (c) (i) For grants-in-aid to Indian Council को राष्ट्रीय प्राइमेट निर्माण और अनुसंधान of Medical Research to meet additional केन्द्र में चल रहे कार्यों को पूरा करने (8.00 requirement for completing the ongoing करोड़ रुपए) और आनुवंशिक रूप से works in National Centre for Primate रूपांतरित पश् सुविधा (3.44 करोड़ रुपए) Building and Research (Rs. 8.00 crore) की अतिरिक्त जरूरत को पूरा करन के and for research on genetically लिए सहायता अनुदान (ii) जनसंख्या modified animal facility (Rs.3.44 crore), अनुसंधान केन्द्र को वेतन और भत्तों के (ii) Grants-in-aid to Population भुगतान की अतिरिक्त जरूरत को पूरा करने Research Centre to meet additional के लिए सहायता अनुदान (0.50 करोड़ requirement for payment of pay and रुपए), (iii) एनआरएचएम ब्रांड की दृश्यता allowances (Rs. 0.50 crore), (iii) To को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण meet additional expenditure for telecast स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) स्थानों के of National Rural Health Mission प्रसारण और जिला और निचले स्तर पर (NRHM) spots for sustaining the कार्यक्रमों को पहुंचाने के लिए अतिरिक्त visibility of the NRHM Brand and to व्यय को पूरा करने हेतु (18.00 करोड़ expand the outreach of the programme रुपए), (iv) पोलियो के दौरों की अतिरिक्त at the District and lower levels (Rs. 18.00 जरूरत को पूरा करने के लिए पल्स पोलियो crore), (iv) Grants-in-aid for Pulse Polio प्रतिरक्षण कार्यक्रम को अनुदान सहायता Immunization Programme to meet the (26.06 करोड़ रुपए), (v) जिला स्तर की additional requirement of polio rounds स्वास्थ्य संस्थाओं (डीएलएचएस) को संयुक्त (Rs. 26.06 crore), (v) Grants-in-aid for राष्ट्र जनसंख्या क्रियाकलाप निधि Management Information System (युएनएफपीए) द्वारा किए जाने वाले अग्रिम passing on advance payments made by भूगतानों को आगे बढ़ाने की प्रबंधन सूचना United Nations Fund for Population प्रणाली हेत् सहायता अनुदान (0.22 करोड़ Activities (UNFPA) for District Level रुपए) और (vi) मिशन फ्लेक्सिबल पूल के Health Societies (DLHS)(Rs. 0.22 crore) अंतर्गत दवाओं की अधिप्राप्ति के लिए राज्य and (vi) Grants-in-aid to State societies संस्थाओं को सहायता अनुदान (224.88 for procurement of drugs under Mission करोड़ रुपए)। Flexible Pool (Rs. 224.88 crore). 281.10 281.10 के संबंध में सहायता अनुदान (i) वेतन और (d) Grants-in-aid to (i) National Institute of

Health and Family Welfare, New Delhi

to meet additional requirement for

payment of pay and allowances, etc.

भत्तों इत्यादि के भुगतान की अतिरिक्त जरूरत

को पूरा करने हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य और

परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली को

| अनुदाना का पूरक नान, | 2006-2007 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR | C GKAN15 | | (XXIII) |
|---|--|----------------|--------------------------|---------------|
| | | (क | रोड़ रुपए Rupees | in Crore) |
| अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण | Grant No. & title and description of items | आयोजना Plan | आयोजना-भिन्न Non Plan | जोड़ Total |
| (0.80 करोड़ रुपए), (ii) वेतन और भत्तों इत्यादि के भुगतान की अतिरिक्त जरूरत को पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुम्बई को (0.40 करोड़ रुपए)। 47. आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपेथी (आयुष) विभाग के संबंध में सहायता अनुदान मुहैया करना (क) वेतन और भत्तों और अन्य स्थापना से संबंधित व्यय को पूरा करने के लिए आयुर्वेद में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण और अनुसंधान, जामनगर को (0.50 करोड़ | (Rs. 0.80 crore), (ii) International Institute for Population Science, Mumbai to meet additional requirement for payment of pay and allowances, etc. (Rs. 0.40 crore). 47 Department of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH) To provide Grants-in-aid to (a) Institute of Post Graduate Training and Research in Ayurveda, Jamnagar for pay and allowances and other establishment related expenditure | | 1.20 | 1.20 |
| रुपए) और (ख) केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंघान परिषद को वेतन और भत्ते और अन्य स्थापना से संबंधित व्यय को पूरा करने के लिए (0.20 करोड़ रुपए)। | (Rs. 0.50 crore) and (b) Central Council for Research in Homoeopathy for pay and allowances and other establishment related expenditure (Rs. 0.20 crore). | | 0.70 | 0.70 |
| भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय | MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND | | | |
| 48 भारी उद्योग विभाग एचएमटी (मशीन टूल्स) लिमिटेड के संबंध में ऋण को इक्विटी में रूपांतरित करने से संबंधित आवश्यक लेखांकन समायोजन करने के लिए। | PUBLIC ENTERPRISES 48 Department of Heavy Industry For carrying out necessary accounting adjustments regarding conversion of loan into equity in respect of HMT (Machine tools) Limited. | 122.64 | | 122.64 |
| गृह मंत्रालय | MINISTRY OF HOME AFFAIRS | | | |
| 52. पुलिस (क) पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के तहत सहायता अनुदान देने के लिए। (ख) दिल्ली पुलिस आवास निगम की स्थापना हेतु आरंभिक पूंजी देने के लिए (5.00 करोड़ रुपए) और सशस्त्र सीमाबल की कार्यालयी-इमारतों के निर्माण के लिए भूमि | For providing grants-in-aid under the scheme of Modernisation of Police Forces. For providing initial capital for the establishment of Delhi Police Housing Corporation (Rs. 5.00 crore) and for purchase of land for construction of | | 33.76 | 33.76 |
| की खरीद (6.03 करोड़ रुपए)। | office buildings of Sashastra Seema Bal (Rs. 6.03 crore). 54 Transfers to Union Territory Governments | | 11.03 | 11.03 |
| 1984 के दंगा-पीड़ितों को वर्धित मुआवजा देने के लिए। | For providing enhanced compensation to victims of 1984 riots. | | 77.88 | 77.88 |
| मानव विकास संसाधन मंत्रालय | MINISTRY OF HUMAN RESOURCE | | | |
| 55. प्राथमिक शिक्षा और साक्षरता विभाग | DEVELOPMENT 55 Department of School Education and | | | |
| (कं) (i) सर्विशिक्षा अभियान हेतु राज्य कार्यान्वयनकारी सोसायिटयों को अतिरिक्त राशि जारी करने के लिए (104.00 करोड़ रुपए) और (ii) प्राथिमक शिक्षा को पोषण सहायता देने के राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत स्कूलों को भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से खाद्यान्नों के परिवहन के लिए राज्यों द्वारा पहले किए जा चुके व्यय के लंबित दावों के निपटान के लिए (14.26 करोड़ रुपए)। | Literacy (a) (i) For Sarva Shiksha Abhiyan towards release of additional amount to State implementing societies (Rs. 104.00 crore) and (ii) To settle the pending claims of the expenditure already incurred by States for transportation of food grains from Food Corporation of India godowns to schools under the scheme National Programme for Nutritional Support to Primary Education (Rs. 14.26 crore). | 118.26 | | 118.26 |
| 56. उच्च शिक्षा विभाग (क) (i) "मॉडल स्कूलों (नवोदय स्कूल) की स्थापना" योजना के अंतर्गत स्थापना संबंधी व्यय, इमारतों का रखरखाव और मरम्मत, | Department of Higher Education (a) (i) Establishment related expenditure, maintenance and repairs of buildings, construction of buildings and other | | | |

(करोड़ रुपए Rupees in Crore) आयोजना-भिन्न जोड आयोजना अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण Grant No. & title and description of items Plan Non Plan **Total** इमारतों का निर्माण और अन्य आवर्ती एवं recurring and non recurring expenditure अनावर्ती व्यय (3.50 करोड़ रुपए), (ii) under the scheme "Setting up of Model Schools (Navodaya Vidyalayas)" राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद" योजना के तहत वचनबद्ध देयताओं और निर्माण (Rs.3.50 crore), (ii) for meeting the व्यय पुरा करने के लिए (3.00 करोड़ रुपए), committed liabilities and cost of (iii) "मानव मृल्यों की शिक्षा हेत् अभिकरणों construction under the scheme को सहायता" योजना के तहत सहायता "National Council for Promotion of अनुदान की किश्तें जारी करना (1.40 करोड़ Urdu Language" (Rs.3.00 crore), (iii) for रुपए), (iv) यूनेस्को के कार्यक्रम और releasing of instalments of grants-in-aid कार्यकलाप में लगे खैचछिक संगठनों का under the scheme "Assistance to Agencies सुदृढ़ीकरण "योजना के तहत देश में स्थायी for Education in Human Values" विकास हेतु" यूएन डेकेड ऑफ एजुकेशन (Rs.1.40 crore), (iv) Implementation of का कार्यान्वयन (0.10 करोड़ रुपए)। the UN Decade of Education for Sustainable Development in the country under the scheme "Strengthening of Voluntary Organisations engaged in UNESCO's Programmes and Activities" 8.00 8.00 (Rs.0.10 crore). (i) "विदेशी सरकारों/संगठनों द्वारा दी गई (b) (i) To meet various expenses like छात्रवृत्तियों पर विदेश जा रहे भारतीय विद्वानों stipend for scholars under the scheme की योजना के अंतर्गत विद्वानों के लिए "Indian Scholars going abroad against अध्येता-वृत्ति जैसे व्ययों को पुरा करने के scholarships offered by Foreign Govt./ लिए (0.12 करोड़ रुपए), (ii) वाईएमसीए Organisations" (Rs.0.12 crore), (ii) Grant इंडियन स्टूडेण्टस हास्टल, लंदन और स्कूल to YMCA Indian Students Hostel, ऑफ ओरियन्टल एण्ड एफ्रीकन स्टडीज London and to the School of Oriental को अनुदान (0.09 करोड़ रुपए), (iii) पेरिल and African Studies (Rs.0.09 crore), में जनरल कान्फ्रेंस के 33वें के भारतीय (iii) To meet the additional expenditure शिष्टमंडल भेजे जाने पर हुए अतिरिक्त incurred on the deputation of Indian व्यय हेतु (0.37 करोड़ रुपए)। delegation to 33rd Session of General Conference at Paris (Rs.0.37 crore). 0.58 0.58 भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलीर: अवसंरचना (c) (i) Indian Institute of Science, Bangalore; स्विधाओं के आधुनिकीकरण और उन्नयन to meet additional expenditure on पर अतिरिक्त व्यय हेतु (12.00 करोड़ रुपए) modernization and upgradation of (ii) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान; अवसंरचना infrastructure facilities (Rs.12.00 crore), सुविधाओं के उन्नयन और अधिक छात्रों (ii) National Institutes of Technology; को दाखिला देने के लिए (39.23 करोड़ for upgradation of infrastructure रुपए), (iii) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान; facilities and increase in intake of आईआईटी, गुवाहाटी में अवसंरचना सुविधाओं students (Rs.39.23 crore), (iii) Indian के उन्नयन के लिए (10.00 करोड़ रुपए), Institutes of Technology; for upgradation (iv) राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और of infrastructure facilities at IIT. अनुसंधान संस्थान; एनआईटीटाटीआर Guwahati (Rs. 10.00 crore), (iv) National चण्डीगढ़ नए हॉस्टल के निर्माण हेतू और Institutes of Technical Teachers एनआईटीटीटीआर, कोलकाता में नई निर्माण Training & Research (NITTTRs); for गतिविधियों हेत् (3.70 करोड़ रुपए) (v) construction of new Hostel at NITTTR, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, Chandigarh and for new construction इलाहाबाद, अमेठी में राजीव गांधी सूचनाactivities in NITTTR, Kolkata (Rs.3.70 प्रौद्योगिकी संस्थान के विस्तार परिसर में crore), (v) Indian Institute of Information निर्माण कार्य और अन्य सुविधाओं पर Technology, Allahabad; to meet the अतिरिक्त व्यय हेतु (3.00 करोड़ रुपए), additional expenditure on construction (vi) भारतीय खान विद्यालय, धनबादः हॉस्टल work and other facilities in the Extension के निर्माण हेत् वचनबद्ध देयताओं को पुरा Campus at Rajiv Gandhi Institute of करने के लिए (7.00 करोड़ रुपए); (vii) Information Technology at Amethi बोर्ड ऑफ एप्रेन्टिसशिप ट्रेनिंग, मुंबई, (Rs.3.00 crore), (vi) Indian School of कोलकाता, कानपुर और चेन्नईः एप्रेन्टिसों Mines, Dhanbad; to meet the committed के नियोजन और उपकरणों की खरीद हेत् liabilities towards construction of hostel अतिरिक्त व्यय (1.64 करोड़ रुपए) के (Rs.7.00 crore), (vii) Board of संबंध में। Apprenticeship Training, Mumbai,

Kolkata, Kanpur and Chennai, for

(करोड़ रुपए Rupees in Crore) आयोजना आयोजना-भिन्न जोड अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण Grant No. & title and description of items Plan Non Plan **Total** meeting additional expenditure for placement of apprentices and purchase of equipment (Rs. 1.64 crore). 76.57 76.57 (i) वर्धित लक्ष्यों पर "अप्रेन्टिसशिप प्रशिक्षण (d) (i) Additional expenditure required अध्येवावृत्ति एवं वृत्ति कार्यक्रम" योजना के under the scheme "Programme for तहत अतिरिक्त व्यय (1.40 करोड़ रुपए), Apprenticeship Training Scholarship (ii) भारतीय सचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन and Stipends" on account of enhanced संस्थान, ग्वालियर; आवर्ती व्यय पुरा करने targets(Rs.1.40 crore), (ii) Indian के लिए (0.30 करोड़ रुपए); (iii) भारतीय Institute of Information Technology प्रबंध संस्थान; ब्लाक अनुदान योजना के and Management, Gwalior; for meeting तहत समतुल्य अनुदान देने के लिए (9.00 recurring expenditure (Rs.0.30 crore), करोड़ रुपए); (iv) राष्ट्रीय औद्योगिक (iii) Indian Institutes of Management; इंजीनियरी संस्थान, मुम्बई; ब्लाक अनुदान to provide (Rs.9.00 crore) as matching योजना के तहत समतुल्य अनुदान देने के grant under the scheme Block grant, लिए (6.00 करोड़ रुपए); (v) भारतीय (iv) National Institute of Industrial खान विद्यालय, धनबाद, ब्लाक अनुदान Engineering, Mumbai; to provide योजना के तहत समत्ल्य अनुदान देने के (Rs.6.00 crore) as matching grant under लिए (0.65 करोड़ रुपए); (vi) मंहगाई the scheme Block grant, (v) Indian भत्ते, पेंशन और पीओएल उत्पादों में वृद्धि School of Mines, Dhanbad; to provide के कारण बोर्ड ऑफ एप्रेन्टिस शिप ट्रेनिंग, Rs.0.65 crore as matching grant under मुंबई, कोलकाता, कानपुर और चेन्नई के the scheme Block grant, (vi) Additional लिए अतिरिक्त आवश्यकता (0.60 करोड़ requirement for Board of Apprenticeship रुपए) और (vii) लंबित बिलों को निकालने Training, Mumbai, Kolkata, Kanpur और भारतीय उपस्कर, किताबों के खरीद and Chennai, on account of हेत् वार्षिक अनुदान जारी करने के लिए enhancement in DA, Pension and hike एशियन इन्स्टीट्यूट ऑफ टेकनोलॉजी, in POL products (Rs.0.60 crore), and बैंकाक के लिए अतिरिक्त आवश्यकता (0.10 (vii) Additional requirement for Asian करोड़ रुपए)। Institute of Technology, Bangkok, to clear pending bills and to release annual grant for purchase of Indian equipment, books etc.(Rs.0.10 crore). 18.05 18.05 पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, (e) To provide grant to North Eastern इटानगर को अधिक यूजी/पीजी कार्यक्रम Regional Institute of Science and शुरू करने के लिए मौजूदा प्रयोगशालाओं Technology, Itanagar, for upgradation एवं अन्य अवसंरचना के उन्नयन हेतु अनुदान of existing Laboratories and other infrastructure to start more UG/PG Programmes. 4.10 4.10 शिक्षकों और हिन्दी पंडितों की वचनबद्ध (f) Grants-in-aid to the State Government देयताओं को पूरा करने के लिए "भाषा of Andhra Pradesh for the scheme शिक्षकों कि नियुक्ति" योजना के लिए "Appointment of Language Teacher" आंध्रप्रेदश सरकार को सहायता अनुदान। to meet committed liabilities of teachers and Hindi Pundits 5.76 5 76 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT 57. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय Ministry of Women and Child Development (i) इमारतों के निर्माण और स्थापना संबंधी (a) (i) Grants-in-aid to Central Social व्यय के लिए केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड Welfare Board for construction of को सहायता अनुदान (0.25 करोड़ रुपए) buildings and establishment related (ii) महिलाओं को देह-व्यापार और स्रोत क्षेत्रों expenditure (Rs. 0.25 crore), (ii) additional एवं गंतव्य क्षेत्रों में देह-व्यापार के शिकार funds to NGOs to implement projects लोगों को बचाने एवं पुनर्वास हेत् बनी for combating trafficking (of women) परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेत् गैर-सरकारी and for rescue and rehabilitation of संगठनों को अतिरिक्त निधियां (0.81 करोड़ victims of trafficking in source areas रुपए), (iii) देख-रेख और संरक्षण के as well as destination areas (Rs. 0.81 जरूरतमन्द कामकाजी बच्चों के कल्याण crore), (iii) additional funds to NGOs की योजना के लिए गैर सरकारी संगठनों for the scheme of welfare of working को अतिरिक्त निधियां (0.25 करोड़ रुपए)। children in need of care and protection (Rs. 0.25 crore). 1.31 1.31

| | | | रोड़ रुपए Rupees | |
|--|---|----------------|--------------------------|---------------|
| अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण | Grant No. & title and description of items | आयोजना Plan | आयोजना-भिन्न Non Plan | जोड़ Total |
| (ख) (i) भारत मॉरीशस सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत महिला अधिकारिता के संबंध में महिला-विषयक प्रशिक्षण पर कार्यशाला और वाणिज्यिक यौन-शोषण के लिए महिलाओं एवं बच्चों के देह-व्यापार का सामना करने के लिए अतिरिक्त व्यय (ग) (i) देश में ही दत्तक-ग्रहण को बढ़ावा देने के लिए शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए घर ढूंढ़े- की योजनाओं के लिए गैर सरकारी संगठने को अतिरिक्त निधियां (0.20 करोड़ रुपए) (ii) किशोरों के कुसमायोजन को रोकने और नियंत्रित करने के लिए (0.70 करोड़ रुपए)। | workshop on Gender Training on Women's Empowerment under Indo-Mauritius Cultural Exchange Programme and on prevention and combating of trafficking of women and children for commercial sexual exploitation. (c) (i) Additional funds to NGOs for the schemes of homes for infant and young children for promotion for in-country adoption (Rs. 0.20 crore), (ii) prevention | 0.90 | 0.07 | 0.07 |
| सूचना और प्रसारण मंत्रालय | MINISTRY OF INFORMATION AND | 0.50 | ••• | 0.50 |
| 58. सूचना और प्रसारण मंत्रालय (क) प्रसार भारती का व्यय पूरा करने के लिए ताकि यह निगम में नामित प्रतिनियुक्ति पर्गण सरकारी कर्मचारियों के संबंध में "छुई वेतन और पेंशन अंशदान लौटा सके। | Bharati to enable it to remit 'leave salary and pension contribution' in respect of Government Employees who are on deemed deputation with the Corporation. | | 3.37 | 3.37 |
| (ख) "राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम" को फिल्में के डिजिटलीकरण, डीवीडी तैयार करने, लोकप्रिय एनएफडीसी फिल्मों की नकल तैयार करने, फिल्में खरीदने और क्षेत्रीय फिल्मों के निर्माण हेतु ऋण देने के लिए। | Corporation' for digitalisation of films, DVD authoring, replication of popular NFDC films, procurement of films and | 15.00 | | 15.00 |
| श्रम और रोजगार मंत्रालय 59 श्रम और रोजगार मंत्रालय समाचारपत्रों के कर्मचारियों के नए वेतन बोर्डों के कार्यकरण के लिए। | MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT 59 Ministry of Labour and Employment For functioning of new wage boards of newspaper employees. | | 0.19 | 0.19 |
| पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 70 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ओएनजीसी, ओआईएल, बीजीसीएल और आईएल के एएमजी अवधिक से संबंधित आकस्मिक देनदारी | ONGC, OIL, BPCL and IOC pertaining to | | 57.15 | 57.15 |
| दावों का निपटान। विद्युत मंत्रालय 72 विद्युत मंत्रालय (क) (i) एपीडीआरपी परियोजना के परामर्शी प्रभार हेतु (27.00 करोड़ रुपए) और (ii) पाक | | | 57.15 | 57.15 |
| ग्रिंड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. के सहायता अनुदान (13.06 करोड़ रुपए)। (ख) (i) राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान की पंशन निधि के सृद्दिकरण हेतु (1.00 करोड़ रुपए) और (ii) कार्यालय की इमारत के किराए की अदायगी हेतु केन्द्रीय बिजर्ल विनियामक आयोग को (0.40 करोड़ रुपए) अनुदान सहायता प्रदान करने हेतु। | India Limited (Rs. 13.06 crore). (b) Grants-in-aid (i) for strengthening of pension fund of National Power Training Institute (Rs. 1.00 crore) and (ii) to Central Electricity Regulatory | 40.06 | 1.40 | 40.06 |
| ग्रामीण विकास मंत्रालय 78 ग्रामीण विकास मंत्रालय निम्नलिखित योजनाओं की अतिरिक्त आवश्यकत को पूरा करने के लिए: (क) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजन | MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT 78 Department of Rural Development For meeting additional requirement of the following schemes: | | | |

| | | | (कर | रोड़ रुपए Rupee: | s in Crore) |
|---|----|---|----------------|--------------------------|---------------|
| अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण | Gı | rant No. & title and description of items | आयोजना Plan | आयोजना-भिन्न Non Plan | जोड़ Total |
| (3.00 करोड़ रुपए) और आंध्रप्रदेश में आदिवासी समुदायों के स्थायी विकास के लिए गिरीप्रगति के कार्यान्यवन हेतु विदेशी सहायता का अन्तरण (2.58 करोड़ रुपए)। | | (Rs. 3.00 crore) and pass through of external assistance for implementation of Giripragati (Rs. 2.58 crore) for sustainable development of tribal communities in Andhra Pradesh. (b) Food grain component of Sampoorna | 5.58 | | 5.58 |
| घटक। (ग) राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (10.00 करोड़ रुपए) और डीआरडीए प्रशासन (20.00 | | Gramin Rozgar Yojana. (c) State Institutes of Rural Development (Rs. 10.00 crore) and DRDA administration | 2,500.00 | | 2,500.00 |
| करोड़ रुपए)। (घ) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) (800.00 करोड़ रुपए) और पीएमजीएसवाई के कार्यान्वयन हेतु विदेशी सहायता का अन्तरण | | (Rs. 20.00 crore). (d) Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY) (Rs. 800.00 crore) and pass through of external assistance (Rs. 20.00 | 30.00 | | 30.00 |
| (20.00 करोड़ रुपए)। 80 पेय जलापूर्ति विभाग ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न राज्य सरकारों की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने | 80 | crore) for implementation of PMGSY. | 820.00 | | 820.00 |
| के लिए। | | Sanitation Programme. | 60.00 | | 60.00 |
| विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय 81 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (क) (i) विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उभरते हुए क्षेत्रों में ठोस अनुप्रयोगों के विकास पर केंद्रित परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी में बहुशिक्षण अनुसंघान (27.00 करोड़ रुपए) और (ii) "बुजुर्ग व्यक्तियों और नवीचारी ग्रामीण विकास हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी" अनुप्रयोग के लिए विज्ञान और सोसाइटी कार्यक्रम (1.35 करोड़ रुपए)। (ख) देहरादून और हैदराबाद स्थित केन्द्रीय विद्यालयों का अतिरिक्त व्यय पूरा करने के | 81 | NISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Department of Science and Technology (a) For (i) Multi-Disciplinary Research in Science and Technology to implement projects which focus on development of tangible applications in emerging fields of science and technology (Rs. 27.00 crore) and (ii) Science and Society Programme for - 'Science and Technology Applications for Elderly Population and Innovative Rural Development' (Rs. 1.35 crore). (b) For Survey of India to meet additional expenditure of Kendriya Vidyalaya | 28.35 | | 28.35 |
| लिए भारतीय सर्वेक्षण हेतु। 82 विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विभाग | 82 | Schools at Dehradun and Hyderabad. Department of Scientific and Industrial | | 0.68 | 0.68 |
| वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद को निम्न के लिए अतिरिक्त सहायता अनुदान उपलब्ध कराने हेतु : (क) (i) अनुसंधान फेलो को फेलोशिप/छात्रवृतियां (15.00 करोड़ रुपए) और (ii) 'प्रौद्योगिकी संवर्धन विकास तथा उपयोग की योजना के अन्तर्गत विभिन्न संस्थानों को अतिरिक्त सहायता अनुदान उपलब्ध कराकर (2.80 | | Research For providing additional grants-in-aid to the Council of Scientific and Industrial Research for: (a) (i) Fellowships/Scholarships to Research Fellows (Rs. 15.00 crore) and (ii) providing additional grants-in-aid to various institutions under the scheme "Technology Promotion Development | | | |
| करोड़ रुपए)। (ख) (i) अनुसंघान फेलो को फेलोशिप/छात्रवृतियां (15.00 करोड़ रुपए) और (ii) राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के वेतन व्यय (10.20 करोड़ | | and utilisation (Rs. 2.80 crore). (b) (i) Fellowships/Scholarships to Research Fellows (Rs. 15.00 crore) and (ii) Salary expenditure of National | 17.80 | | 17.80 |
| रुपए)। 83 जैव प्रौद्योगिकी विभाग (क) पूर्वोतर में जैव-सूचना विज्ञान सुविधाओं हेतु (1.00 करोड़ रुपए) और (ख) अंतराष्ट्रीय द्विपक्षीय कार्यक्रम और वैज्ञानिक सलाहकार समिति (विदेश) के अंतर्गत परियोजनाओं हेतु (4.00 करोड़ रुपए)। | 83 | Laboratories (Rs. 10.20 crore). Department of Biotechnology For release of additional grants-in-aid for (a) Bio-Informatic Facilities in the North East (Rs. 1.00 crore) and (b) projects under International Bilateral Programmes and Scientific Advisory Committee (Overseas) | | 25.20 | 25.20 |
| | | (Rs. 4.00 crore). | 5.00 | | 5.00 |

| | | (करोड़ रुपए Rupees in Crore | | |
|--|--|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण | Grant No. & title and description of items | आयोजना Plan | आयोजना-भिन्न Non Plan | जोड़ Total |
| नौवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 84 नौवहन विभाग (क) केन्द्र-भिन्न सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के शिपयार्ड और निजी क्षेत्र शिपयार्ड को अतिरिक्त सब्सेडी (ख) भारतीय अंतर्तेशीय जल परिवहन प्राधिकरण को वेतन/पेंशन आदि के बकाया का भुगतान संबंधी व्यय पूरा करने के लिए अतिरिक्त | Shipyard and Private Sector Shipyards. (b) Additional grants-in-aid to Inland Waterways Authority of India for | | 7.00 | 7.00 |
| सहायता-अनुदान। (ग) प्रस्तावित भारतीय समुद्री विज्ञान विश्वविद्यालय के अवसंरचना विकास/डीपीआर अवययन हेत् अतिरिक्त सहायता-अनुदान। | | 20.00 | 1.79 | 1.79 20.00 |
| 85 सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग भूटान में सड़क निर्माण कार्यों में लगे कार्मिकों को भूटान प्रतिपूर्ति भत्ते के पुनरीक्षण के अनुषंगी बकाय के भुगतान हेतु अतिरिक्त सहायता-अनुदान के लिए। | 85 Department of Road Transport and Highways For additional grants-in-aid for payment of arrears incidental to revision of rates of | | 6.68 | 6.68 |
| लघु उद्योग मंत्रालय 86 लघु उद्योग मंत्रालय लघु उद्योग क्षेत्र के लिए ऋण गारंटी स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए | | 8.00 | | 8.00 |
| सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय 87 सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (क) आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जातियों के उप- वर्गीकरण के मुद्दे की जांच के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना हेतु। (ख) स्कीमों के विज्ञापन और प्रसार हेतु। | | 7.38 | 0.01 | 0.01 7.38 |
| सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय 89 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्गत अपंगता सांख्यिकी संबंधी फील्ड सर्वेक्षण करने के लिए (0.02 करोड़ रुपए) और एडीबी कार्यक्रम के अंतर्गत क्रय शक्ति समानता आंकड़ों के सृद्दढ़ीकरण और संग्रहण में भारत की भागीदारी हेतु, अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए (0.15 करोड़ रुपए)। | undertaking field survey on disability statistics under World Health Organisation (Rs. 0.02 crore) and for India's participation | | | |
| इस्पात मंत्रालय 90 इस्पात मंत्रालय (क) आवश्यक लेखाकरण समंजन करने के लिए अर्थात् मेकॉन लिमिटेड की गारंटी फीस् सब्सिडी की माफी। | | 0.17 | 5.13 | 0.17 5.13 |
| (ख) आवश्यक लेखाकरण समंत्रन करने के लिए अर्थात् मेकॉन लिमिटेड के संबंध में 31-3-2005 की स्थिति के अनुसार बकाया ऋण क रुपांतरण। | (b) For carrying out necessary accounting adjustments viz., conversion of loan | 6.00 | | 6.00 |

| | | | | | (क [,] | रोड़ रुपए Rupees | in Crore) |
|--------|---------------------|---|--------|--|-----------------|--------------------------|---------------|
| अनुव | शन सं | ख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण | Gr | ant No. & title and description of items | आयोजना Plan | आयोजना-भिन्न Non Plan | जोड़ Total |
| वस्त्र | ा मंत्रा | लय | MI | VISTRY OF TEXTILES | | | |
| 91 | | मंत्रालय | | Ministry of Textiles | | | |
| | (ক) | मिल गेट स्कीम (5.00 करोड़ रुपए), विपणन | | (a) Mill Gate Scheme (Rs. 5.00 crore), | | | |
| | | संवर्धन कार्यक्रम (3.50 करोड़ रुपए), | | Marketing promotion programme (Rs. | | | |
| | | हथकरघा बूनकरों के लिए स्वास्थय बीमा | | 3.50 crore), Health Insurance Scheme | | | |
| | | योजना (20.00 करोड़ रुपए), पूर्वोतर क्षेत्र | | for Handloom weavers (Rs. 20.00 crore), | | | |
| | | हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम | | Assistance to North Eastern Handicrafts | | | |
| | | को सहायता (0.15 करोड़ रुपए), विपणन | | and Handloom Development Corporation | | | |
| | | सहायता और सेवाएं (1.00 करोड़ रुपए), और ऊन विकास बोर्ड (5.25 करोड़ रुपए)। | | (Rs. 0.15 crore), Marketing support and | | | |
| | | आर ऊन विकास बार्ड (5.25 कराड़ रुपए)। | | services (Rs. 1.00 crore) and Wool Development Board (Rs. 5.25 crore). | 34.90 | | 34.90 |
| | (ਹਰ) | राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान। | | (b) National Institute of Fashion Technology. | 5.00 | ••• | 5.00 |
| | (ख) (ग) | सूरत में बाढ़ प्रभावित कपड़ा उद्योगों को | | (c) Relief and package to the flood affected | 5.00 | ••• | 3.00 |
| | (*1) | राहत और पैकेज। | | textile industries in Surat. | | 56.00 | 56.00 |
| | (ঘ) | शिल्प परिसर हेतु भूमि के क्रम के लिए। | | (d) For purchase of land for craft complex. | 12.00 | | 12.00 |
| | (प) (ड) | नेशनल जूट मैन्यूफैक्चरर्स कारपोरेशन में | | (e) For implementation of VRS in National | 12.00 | ••• | 12.00 |
| | (0) | वीआरएस के कार्यान्वयन हेतु। | | Jute Manufacturers Corporation. | | 60.00 | 60.00 |
| पर्राट | टन मंत्र | ग्रानग | MI | NISTRY OF TOURISM | | | |
| | | न मंत्रालय | | Ministry of Tourism | | | |
| - | | । । अवसंरचना को प्रोत्साहन' शीर्ष के अंतर्गत | | For subsidy to Hotels under the Head | | | |
| | | त्रों को सब्सिडी के लिए। | | 'Incentives to Accommodation Infrastructure'. | 2.50 | | 2.50 |
| | | • | | | 2.00 | ••• | 2.00 |
| | | 1 मामले मंत्रालय जातीय मामले मंत्रालय | | VISTRY OF TRIBAL AFFAIRS Ministry of Tribal Affairs | | | |
| 93 | (क) | (i) अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु |)5 | (a) For additional grants-in-aid (i) to | | | |
| | (47) | विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु स्वैधिक | | voluntary organisations for implementing | | | |
| | | संगठनों (2.77 करोड़ रुपए) और (ii) | | various programmes for the welfare of | | | |
| | | अनुसूचित जनजातियों के लाभार्थ विभिन्न | | Scheduled Tribes (Rs. 2.77 crore) and | | | |
| | | अनुसंधान परियोजनाओं हेतु कार्यान्वयन | | (ii) to implementing organisations for | | | |
| | | संगठनों (0.68 करोड़ रुपए) की अतिरिक्त | | various research projects for the benefit | | | |
| | | सहायता-अनुदान। | | of Scheduled Tribes (Rs. 0.68 crore). | 3.45 | | 3.45 |
| | (ख) | पूर्वोतर राज्यों में अनुसूचित जनजातियों की | | (b) For construction of hostels for | | | |
| | () | लड़िकयों और लड़कों के हास्टॅलों के निर्माण | | Scheduled Tribe Girls and Boys in the | | | |
| | | हेतु। | | North Eastern States. | 1.70 | | 1.70 |
| गह | मंत्राल | ाय, संघ राज्य क्षेत्र | MI | NISTRY OF HOME AFFAIRS, UNION | | | |
| ۲, | | ग्रानमंडल रहित) | | TERRITORIES (WITHOUT | | | |
| | • | • | | LEGISLATURE) | | | |
| 94. | अंदम | गन और निकोबार द्वीप समूह | 94 | Andaman and Nicobar Islands | | | |
| | (ক) | पंचायती राज संस्थाओं को सहायता-अनुदान | | (a) For Grants-in-aid to Panchayati Raj | | | |
| | | | | Institutions. | 0.05 | ••• | 0.05 |
| | (ख) | पंचायती राज संस्थाओं को सहायता-अनुदान | | (b) For Grants-in-aid to Panchayati Raj | | | |
| | | | | Institutions. | 0.20 | ••• | 0.20 |
| | (ग) | पंचायती राज संस्थाओं को सहायता-अनुदान | | (c) For Grants-in-aid to Panchayati Raj | | | |
| | (-) | · 0 · · | | Institutions. | 0.50 | | 0.50 |
| | (ਬ) | पंचायती राज संस्थाओं को सहायता-अनुदान | | (d) For Grants-in-aid to Panchayati Raj | 0.04 | | 0.04 |
| | $\langle - \rangle$ | i | | Institutions. | 0.94 | ••• | 0.94 |
| | (ভ) | पंचायती राज संस्थाओं को सहायता-अनुदान | | (e) For Grants-in-aid to Panchayati Raj Institutions. | 16.00 | | 16.00 |
| | (च) | पंचायती राज संस्थाओं को सहायता-अनुदान | | (f) For Grants-in-aid to Panchayati Raj | 10.00 | ••• | 10.00 |
| | (4) | पयापता राज राखाजा का राहावता जानुवान | | Institutions. | 0.20 | | 0.20 |
| | α Φ | · | 1, 577 | JICTOV OF HODAN DEVEL ODATES | | | |
| | | हास मंत्रालय गे विकास मंत्रालय | | VISTRY OF URBAN DEVELOPMENT Department of Urban Development | | | |
| 55 | | ाक में दूरसंचार विभाग के लिए आवासीय | // | For construction of residential accommodation | | | |
| | | कं निर्माण हेतु। | | for the Department of Telecommunications | | | |
| | | | | at Nasik. | 0.48 | ••• | 0.48 |
| | | | | - • | | | |

| | | (ব | ररोड़ रुपए Rup | ees in Crore) |
|---|---|----------------|----------------------|---------------------|
| अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण | Grant No. & title and description of items | आयोजना Plan | आयोजना-भि Non Pla | |
| युवा मामले और खेल मंत्रालय | MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND | | | |
| (क) (i) "विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को अनुदान" की स्कीम के अंतर्गत भारतीय विश्वविद्यालय संघ और अन्य विश्वविद्यालयों ओर महाविद्यालयों ओर महाविद्यालयों को सहायता (1.00 करोड़ रुपए) (ii) "प्रतिभा खोज और प्रशिक्षण" की स्कीम के अंतर्गत वचनबद्ध हेता संबंधी व्यय पूरा करने के लिए (1.00 करोड़ रुपए) और (iii) "कृत्रिम फर्शों की आपूर्ति और संस्थापना के लिए सहायता" की स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकारों को अनुदान (0.10 करोड़ रुपए)। (ख) (i) "नेहरु युवा केंद्र संगठन" को संगठनपूर्व अवधि के पेंशन संबंधी व्यय पूरा करने के लिए सहायता (1.00 करोड़ रुपए), (ii) महंगाई भत्ते, आदि में वृद्धि के कारण एनएसएस के अधिकारियों को भुगतान करने के लिए "राष्ट्रीय सेवा योजना"के अंतर्गत सहायता (0.27 करोड़ रुपए), (iii) भारतीय खेल प्राधिकरण को वेतन और भत्ते तथा | SPORTS 104 Ministry of Youth Affairs and Sports (a) (i) assistance to Association of Indian Universities and other Universities/ Colleges under the scheme of "Grants to Universities and Colleges" (Rs. 1.00 crore), (ii) For meeting expenditure on committed liability under the Scheme of "Talent Search and Training" (Rs. 1.00 crore) and (iii) Grants to State Governments under the scheme of "Support for Supply and Installations of Synthetic surfaces" (Rs. 0.10 crore). (b) (i) Assistance to "Nehru Yuva Kendra Sangathan" for meeting pension related expenditure of pre-sangathan period (Rs. 1.00 crore), (ii) Assistance under "National Service Scheme" for making payment to the officers of NSS due to increase in DA, etc. (Rs. 0.27 crore), (iii) Assistance to Sports Authority of | 2.10 | | 2.10 |
| अन्य स्थापना संबंधी व्यय के लिए सहायता (3.38 करोड़ रुपए), और (iv) लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षण संस्थान को अन्य बातों के अलावा पश्चिम क्षेत्र कुलपित सम्मेलन, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय अंतर विश्वविद्यालय खेल और स्नाकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों सहित शैक्षिक गतिविधियों के आयोजन हेतु सहायता (0.50 करोड़ रुपए)। | India for pay and allowances and other establishment expenditure (Rs. 3.38 crore), and (iv) Assistance to Lakshmi Bai National Institute of Physical Education for conducting academic activities including inter-alia West Zone Vice Chancellors Conference, Zonal and National Inter Universities meets and for Post Graduate Diploma Courses (Rs. 0.50 crore). Total Token | 0.52 | 5.15 0.32 | 5.15 0.84 |
| | | | | |
| कुल जोड़ | GRAND TOTAL | 1,898.80 | 384,437.96 | 386,336.76 |
| निवल नकद व्यय | Net Cash Outgo | 702.37 | 18,020.61 | 18,722.98 |
| तकनीकी पूरक | Technical Supplementary | 1,195.91 | 366,417.03 | 367,612.94 |
| सांकेतिक पूरक | Token Supplementary | 0.52 | 0.32 | 0.84 |

विषय सूची CONTENTS

| | | | | (| करोड़ रुपए | Rupees in | crore) |
|--|----------------|---|---------|---------|------------|-----------|--------|
| | | | | राजस्व | पूंजी | | पृष्ट |
| मांग संख्या और शीर्षक | | No. and Title of Demand | | Revenue | Capital | Total | Page |
| कृषि मंत्रालय | | MINISTRY OF AGRICULTURE | | | | | |
| कृषि और सहकारिता विभाग | ज ी क न | 1. Department of Agriculture | Vatad | 265.02 | | 265.02 | 1.2 |
| कृषि अनुसंधान और शिक्षा | स्वीकृत | and CooperationDepartment of Agricultural Research | Voted | 265.02 | ••• | 265.02 | 1-2 |
| 2. पृश्य अंगुसयाग आर शिक्षा विभाग | स्वीकृत | and Education | Voted | 65.99 | | 65.99 | 3 |
| 3. पशुपालन, डेरी कार्य और | ١٩١٩٢١ | 3. Department of Animal Husbandry, | voicu | 03.77 | ••• | 03.77 | 3 |
| मात्रियकी विभाग | स्वीकृत | Dairying and Fisheries | Voted | 0.03 | | 0.03 | 4 |
| परमाणु ऊर्जा विभाग | | DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY | | | | | |
| 5. परमाणु ऊर्जा | स्वीकृत | 5. Atomic Energy | Voted | 0.02 | ••• | 0.02 | 5 |
| रसायन और उर्वरक मंत्रालय | | MINICEDY OF CHEMICAL C | | | | | |
| रसायन आर उवरक मत्रालय | | MINISTRY OF CHEMICALS | | | | | |
| 7. रसायन और पैट्रोरसायन | | AND FERTILISERS 7. Department of Chemicals | | | | | |
| विभाग | स्वीकृत | and Petrochemicals | Voted | 732.57 | 72.50 | 805.07 | 6-7 |
| 8. उर्वरक विभाग | स्वीकृत | 8. Department of Fertilisers | Voted | 3533.79 | 12.18 | 3545.97 | 8-9 |
| 0. Oqta/ Iqtiiti | रवावटूरा | 6. Department of Fertilisers | voicu | 3333.17 | 12.10 | 3343.71 | 0-7 |
| नागर विमानन मंत्रालय | | MINISTRY OF CIVIL AVIATION | | | | | |
| 9. नागर विमानन मंत्रालय | स्वीकृत | 9. Ministry of Civil Aviation | Voted | 84.91 | | 84.91 | 10 |
| | c | | | | | | |
| कोयला मंत्रालय | | MINISTRY OF COAL | | | | | |
| 10. कोयला मंत्रालय | स्वीकृत | 10. Ministry of Coal | Voted | 0.08 | | 0.08 | 11 |
| 0 4 1 . | | | | | | | |
| वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय | | MINISTRY OF COMMERCE | | | | | |
| 11. वाणिज्य विभाग | | AND INDUSTRY | 37.4.1 | 201.22 | 0.01 | 201.22 | 10 |
| ११. वाणिज्य विमाग | स्वीकृत | 11. Department of Commerce | Voted | 381.32 | 0.01 | 381.33 | 12 |
| संचार और सूचना प्रौद्योगिकी | | MINISTRY OF COMMUNICATIONS | | | | | |
| मंत्रालय | | AND INFORMATION TECHNOLOG | Y | | | | |
| 13. डाक विभाग | भारित | 13. Department of Posts | Charged | 0.15 | | 0.15 | 13-14 |
| | स्वीकृत | | Voted | 365.24 | 0.01 | 365.25 | |
| 14. दूरसंचार विभाग | भारित | 14. Department of Telecommunications | Charged | 0.04 | | 0.04 | 15 |
| | स्वीकृत | | Voted | 60.59 | | 60.59 | |
| 15. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग | स्वीकृत | 15. Department of Information Technology | Voted | 0.01 | 4.40 | 4.41 | 16 |
| कम्पनी कार्य मंत्रालय | | MINISTRY OF COMPANY AFFAIRS | | | | | |
| 16. कम्पनी कार्य मंत्रालय | स्वीकृत | 16. Ministry of Company Affairs | Voted | | 26.80 | 26.80 | 17 |
| | c | 1 3 | | | | | |
| उपभोक्ता मामले, खाद्य और | | MINISTRY OF CONSUMER | | | | | |
| सार्वजनिक वितरण मंत्रालय | | AFFAIRS, FOOD AND | | | | | |
| | | PUBLIC DISTRIBUTION | | | | | |
| 18. खाद्य और सार्वजनिक | | 18. Department of Food and | | | | | |
| वितरण विभाग | स्वीकृत | Public Distribution | Voted | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 18 |
| संस्कृति मंत्रालय | | MINISTRY OF CULTURE | | | | | |
| 19. संस्कृति मंत्रालय | स्वीकृत | 19. Ministry of Culture | Voted | 0.02 | | 0.02 | 19 |
| | | 19. Million y of Culture | 7000 | 0.02 | ••• | 0.02 | |
| रक्षा मंत्रालय | | MINISTRY OF DEFENCE | | | | | |
| 21. रक्षा पेंशन | स्वीकृत | 21. Defence Pensions | Voted | 582.00 | | 582.00 | 20 |
| 22. रक्षा सेवा-थल सेना | भारित | 22. Defence Services - Army | Charged | 3.59 | | 3.59 | 21 |
| 23. रक्षा सेवा-नौसेना | स्वीकृत | 23. Defence Services - Navy | Voted | 98.86 | ••• | 98.86 | 22 |
| 24. रक्षा सेवा-वायु सेना | स्वीकृत | 24. Defence Services - Air Force | Voted | 34.46 | | 34.46 | 23 |
| 25. रक्षा आयुध फैक्ट्रियां | भारित | 25. Defence Ordnance Factories | Charged | 3.00 | | 3.00 | 24 |
| 26. रक्षा सेवाएं-अनुसंधान | | 26. Defence Services - Research | ٥-•• | | | | - • |
| एवं विकास | स्वीकृत | and Development | Voted | 10.68 | | 10.68 | 25 |
| | C | * | | | | | |

| | | | | (5 | करोड़ रुपए | Rupees in | ı crore) |
|--|---------|--|---------|---------|---|-----------|----------|
| | | | | राजस्व | पूंजी | ो जोड़ | पृष्ठ |
| मांग संख्या और शीर्षक | | No. and Title of Demand | | Revenue | Capital | l Total | Page |
| पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय | | MINISTRY OF DEVELOPMENT OF | | | | | |
| | | NORTH EASTERN REGION | | | | | |
| 28. पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय | | 28. Ministry of Development of | | | | | |
| | स्वीकृत | North Eastern Region | Voted | 0.50 | | 0.50 | 26 |
| पर्यावरण और वन मंत्रालय | | MINISTRY OF ENVIRONMENT | | | | | |
| | | AND FORESTS | | | | | |
| 29. पर्यावरण और वन मंत्रालय | स्वीकृत | 29. Ministry of Environment and Forests | Voted | 3.04 | ••• | 3.04 | 27-28 |
| विदेश मंत्रालय | | MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS | | | | | |
| 30. विदेश मंत्रालय | स्वीकृत | 30. Ministry of External Affairs | Voted | 185.81 | | 185.81 | 29 |
| वित्त मंत्रालय | | MINISTRY OF FINANCE | | | | | |
| 31. आर्थिक कार्य विभाग | स्वीकृत | 31. Department of Economic Affairs | Voted | 445.99 | 6000.00 | 6445.99 | 30 |
| 32. करेंसी, सिक्का निर्माण और स्टाम्प | | 32. Currency, Coinage and Stamps | Voted | | 96.37 | 96.37 | 31 |
| 33. वित्तीय संस्थाओं को अदायगियां | स्वीकृत | 33. Payments to Financial Institutions | Voted | 0.01 | 70.57 | 0.01 | 32 |
| 34. विनियोग-ब्याज अदायगियां | भारित | 34. Appropriation - Interest Payments | Charged | 4869.25 | | 4869.25 | 33 |
| 35. राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों | 777 (17 | 35. Transfers to State and Union | chargea | 7007.20 | ••• | 7007.20 | 55 |
| को अन्तरण | भारित | Territory Governments | Charged | | 700.00 | 700.00 | 34-35 |
| | स्वीकृत | Territory Governments | Voted | 8947.39 | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 8947.39 | 5.55 |
| 37. विनियोग-कर्ज की वापसी-अदायगी | भारित | 37. Appropriation - Repayment of Debt | Charged | | 349581.44 | 349581.44 | 36 |
| 38. व्यय विभाग | स्वीकृत | 38. Department of Expenditure | Voted | 3.46 | 5.00 | 8.46 | 37 |
| 39. पेंशन | स्वीकृत | 39. Pensions | Voted | 235.56 | | 235.56 | 38 |
| 40. भारतीय लेखा परीक्षा और | | 40. Indian Audit and Accounts | votea | 255.50 | ••• | 255.50 | 50 |
| लेखा विभाग | भारित | Department | Charged | 2.68 | | 2.68 | 39 |
| 41. राजस्व विभाग | स्वीकृत | 41. Department of Revenue | Voted | 0.01 | | 0.01 | 40 |
| 42. प्रत्यक्ष कर | स्वीकृत | 42. Direct Taxes | Voted | 65.05 | | 65.05 | 41 |
| खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय | | MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES | | | | | |
| 45. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय | स्वीकृत | 45. Ministry of Food Processing Industries | Voted | 0.01 | 16.80 | 16.81 | 42 |
| | | MINISTRY OF HEALTH AND | | | | | |
| स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | | MINISTRY OF HEALTH AND | | | | | |
| मंत्रालय | | FAMILY WELFARE | | | | | |
| 46. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण | | 46. Department of Health and | ** | 0.04 | 27.27 | 27.20 | 10.15 |
| विभाग | स्वीकृत | Family Welfare | Voted | 0.04 | 25.35 | 25.39 | 43-45 |
| 47. आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक | | 47. Department of Ayurveda, Yoga and | | | | | |
| चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा तथा | - | Naturopathy, Unani, Siddha and | 37.4.1 | 0.01 | | 0.01 | 16 |
| होम्योपैथी विभाग (आयुष) | स्वीकृत | Homoeopathy (AYUSH) | Voted | 0.01 | ••• | 0.01 | 46 |
| भारी उद्योग और सरकारी उद्यम | | MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES | | | | | |
| मंत्रालय | | AND PUBLIC ENTERPRISES | | | | | |
| 48. भारी उद्योग विभाग | स्वीकृत | 48. Department of Heavy Industry | Voted | 188.31 | 613.38 | 801.69 | 47-48 |
| गृह मंत्रालय | | MINISTRY OF HOME AFFAIRS | | | | | |
| 50. गृह मंत्रालय | भारित | 50. Ministry of Home Affairs | Charged | 0.01 | | 0.01 | 49 |
| | स्वीकृत | | Voted | 9.22 | | 9.22 | |
| 51. मंत्रिमंडल | स्वीकृत | 51. Cabinet | Voted | 72.41 | | 72.41 | 50 |
| 52. पुलिस | स्वीकृत | 52. Police | Voted | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 51 |
| 53. गृह मंत्रालय के अन्य व्यय | | 53. Other Expenditure of the Ministry | | | | | |
| | स्वीकृत | of Home Affairs | Voted | 283.16 | | 283.16 | 52 |
| 54. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों | | 54. Transfers to Union Territory | | | | | |
| को अंतरण | स्वीकृत | Governments | Voted | 120.49 | | 120.49 | 53 |
| मानव संसाधन विकास मंत्रालय | | MINISTRY OF HUMAN RESOURCE | | | | | |
| 55 | | DEVELOPMENT | | | | | |
| 55. स्कूली शिक्षा और साक्षरता | | 55. Department of School Education | *7 | 100.00 | | 100.00 | <i></i> |
| विभाग 56. उच्च शिक्षा विभाग | स्वीकृत | and Literacy | Voted | 189.28 | ••• | 189.28 | 54 |
| ७८. ७८५ शिक्षा विभाग | स्वीकृत | 56. Department of Higher Education | Voted | 133.73 | ••• | 133.73 | JJ-5/ |

| | | | | (क | रोड़ रुपए | Rupees in | crore) |
|---|-------------------------|--|------------------|---------------|-----------|---------------|----------|
| | | | | राजस्व | पूंजी | जोड़ | पृष्ट |
| मांग संख्या और शीर्षक | | No. and Title of Demand | | Revenue | Capital | Total | Page |
| महिला और बाल विकास मंत्रालय | | MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT | | | | | |
| 57. महिला और बाल विकास मंत्रालय | स्वीकृत | 57. Ministry of Women and Child Development | Voted | 0.03 | | 0.03 | 58 |
| सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय | | MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING | | | | | |
| 58. सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय | स्वीकृत | 58. Ministry of Information and Broadcasting | Voted | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 59 |
| श्रम और रोजगार मंत्रालय | - | MINISTRY OF LABOUR AND | | | | | |
| 59. श्रम और रोजगार मंत्रालय | स्वीकृत | EMPLOYMENT 59. Ministry of Labour and Employment | Voted | 500.01 | | 500.01 | 60 |
| विधि और न्याय मंत्रालय | _ | MINISTRY OF LAW AND JUSTICE | 37 . 1 | 1.26 | | 1.26 | 61 |
| 60. निर्वाचन आयोग62. भारत का उच्चतम न्यायालय | स्वीकृत <i>भारित</i> | 60. Election Commission62. Appropriation - Supreme Court of India | Voted Charged | 1.36 8.73 | | 1.36 8.73 | 61 62 |
| खान मंत्रालय | | MINISTRY OF MINES | | | | | |
| 63. खान मंत्रालय | <i>भारित</i> स्वीकृत | 63. Ministry of Mines | Charged Voted | 4.65 66.14 | | 4.65 66.14 | 63 |
| पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय | a= | MINISTRY OF EARTH SCIENCES | Cl. 1 | 0.05 | | 0.05 | 64.65 |
| 66. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय | <i>भारित</i> स्वीकृत | 66. Ministry of Earth Sciences | Charged Voted | 0.05 56.05 | 59.10 | 0.03 | 64-65 |
| कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय | | MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS | | | | | |
| 69. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय | भारित | 69. Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions | Charged | 0.47 | 2.00 | 2.47 | 66 |
| पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस | | MINISTRY OF PETROLEUM | | | | | |
| मंत्रालय 70. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस | | AND NATURAL GAS 70. Ministry of Petroleum and | | | | | |
| 70. पद्मालयम् आर प्राकृतिक गर्स मंत्रालय | स्वीकृत | Natural Gas | Voted | 5000.01 | 528.58 | 5528.59 | 67 |
| विद्युत मंत्रालय 72. विद्युत मंत्रालय | स्वीकृत | MINISTRY OF POWER 72. Ministry of Power | Voted | 0.02 | | 0.02 | 68 |
| राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उप-राष्ट्रपति का सचिवालय | C | THE PRESIDENT, PARLIAMENT, UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION AND THE SECRETARIAT OF THE VICE - PRESIDENT | | | | | |
| 75. राज्यसभा | <i>भारित</i> स्वीकृत | 75. Rajya Sabha | Charged Voted | 0.18 0.93 | | 0.18 0.93 | 69 |
| 76. विनियोग-संघ लोक सेवा आयोग | भारित | 76. Appropriation - Union Public Service Commission | Charged | 4.50 | | 4.50 | 70 |
| | | 200000 | 8 | | | | |
| ग्रामीण विकास मंत्रालय 78. ग्रामीण विकास विभाग | <u>ग्</u> रतीक्ट्र | MINISTRY OF RURAL DEVELOPMEN | | 0.20 | | 0.20 | 71 |
| 78. प्रामाण विकास विमाग 80. पेय जलापूर्ति विभाग | स्वीकृत स्वीकृत | 78. Department of Rural Development80. Department of Drinking Water Supply | Voted Voted | 0.20 0.01 | | 0.20 0.01 | 71 72 |
| विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय | | MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | | | | | |
| 81. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग82. वैज्ञानिक और औद्योगिक | स्वीकृत | 81. Department of Science and Technology 82. Department of Scientific and | Voted | 0.02 | | 0.02 | 73 |
| अनुसंधान विभाग | स्वीकृत | Industrial Research | Voted | 0.02 | ••• | 0.02 | 74 |
| 83. जैव-प्रौद्योगिकी विभाग | स्वीकृत | 83. Department of Biotechnology | Voted | 0.01 | ••• | 0.01 | 75 |

| | | | | (5 | करोड़ रुपए | - | n crore) |
|---------------------------------------|-------------------------|--|------------------|----------|------------------------|-----------|----------|
| | | | | राजस्व | पूंजी | | पृष्ट |
| मांग संख्या और शीर्षक | | No. and Title of Demand | | Revenue | Capital | Total | Page |
| नौवहन, सड़क परिवहन और | | MINISTRY OF SHIPPING, ROAD | | | | | |
| राजमार्ग मंत्रालय | | TRANSPORT AND HIGHWAYS | | | | | |
| 84. नौवहन विभाग | स्वीकृत | 84. Department of Shipping | Voted | 105.70 | 0.01 | 105.71 | 76-77 |
| 85. सड़क परिवहन और राजमार्ग | | 85. Department of Road Transport | | | | | |
| विभाग | स्वीकृत | and Highways | Voted | 0.01 | | 0.01 | 78 |
| लघु उद्योग मंत्रालय | | MINISTRY OF SMALL SCALE INDUSTRIES | | | | | |
| 86. लघु उद्योग मंत्रालय | स्वीकृत | 86. Ministry of Small Scale Industries | Voted | 0.01 | | 0.01 | 79 |
| सामाजिक न्याय और अधिकारिता | | MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE | | | | | |
| मंत्रालय | | AND EMPOWERMENT | | | | | |
| 87. सामाजिक न्याय और अधिकारिता | | 87. Ministry of Social Justice and | | | | | |
| मंत्रालय | स्वीकृत | Empowerment | Voted | 60.52 | | 60.52 | 80 |
| सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन | | MINISTRY OF STATISTICS AND | | | | | |
| मंत्रालय | | PROGRAMME IMPLEMENTATIO | DN | | | | |
| 89. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वय | | 89. Ministry of Statistics and Programme | | | | | |
| मंत्रालय | स्वीकृत | Implementation | Voted | 12.62 | ••• | 12.62 | 81 |
| इस्पात मंत्रालय | 0 | MINISTRY OF STEEL | | | | | |
| 90. इस्पात मंत्रालय | स्वीकृत | 90. Ministry of Steel | Voted | 165.80 | 1.73 | 167.53 | 82 |
| कपड़ा मंत्रालय | | MINISTRY OF TEXTILES | | | | | |
| 91. कपड़ा मंत्रालय | स्वीकृत | 91. Ministry of Textiles | Voted | 297.52 | 0.02 | 297.54 | 83-84 |
| पर्यटन मंत्रालय | | MINISTRY OF TOURISM | | | | | |
| 92. पर्यटन मंत्रालय | स्वीकृत | 92. Ministry of Tourism | Voted | 0.01 | | 0.01 | 85 |
| जनजाति कार्य मंत्रालय | | MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS | | | | | |
| 93. जनजाति कार्य मंत्रालय | भारित | 93. Ministry of Tribal Affairs | Charged | 33.88 | | 33.88 | 86-87 |
| | स्वीकृत | - | Voted | 0.02 | | 0.02 | |
| गृह मंत्रालय, | | MINISTRY OF HOME AFFAIRS | | | | | |
| संघ राज्य क्षेत्र | | UNION TERRITORIES | | | | | |
| (विधान-मंडल रहित) | | (WITHOUT LEGISLATURE) | | | | | |
| 94. अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह | स्वीकृत | 94. Andaman and Nicobar Islands | Voted | 40.17 | | 40.17 | 88-89 |
| 95. चंड़ीगढ़ | भारित | 95. Chandigarh | Charged | 0.24 | | 0.24 | |
| | स्वीकृत | | Voted | 55.59 | 25.34 | 80.93 | |
| 96. दादरा और नगर हवेली | स्वीकृत | 96. Dadra and Nagar Haveli | Voted | 1.00 | | 1.00 | 93 |
| 97. दमन और दीव | स्वीकृत | 97. Daman and Diu | Voted | 50.70 | | 50.70 | 94 |
| 98. लक्षद्वीप | स्वीकृत | 98. Lakshadweep | Voted | 43.01 | 7.30 | 50.31 | 95-97 |
| शहरी विकास मंत्रालय | | MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT | | | | | |
| 99. शहरी विकास विभाग | स्वीकृत | 99. Department of Urban Development | Voted | 24.26 | 12.43 | 36.69 | 98 |
| 100. लोक निर्माण कार्य | स्वीकृत | 100. Public Works | Voted | | 25.71 | | 99-100 |
| 101. लेखन-सामग्री और मुद्रण | स्वीकृत | 101. Stationery and Printing | Voted | 7.98 | | 7.98 | |
| युवा मामले और खेल मंत्रालय | | MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS | | | | | |
| 104. युवा मामले और खेल | | 104. Ministry of Youth Affairs | | | | | |
| मंत्रालय | स्वीकृत | and Sports | Voted | 0.02 | | 0.02 | 102 |
| कुल जोड़ | | GRAND TOTAL | | 28520 27 | 357816.49 | 386224 74 | |
| पुरस जाञ् | भारित | GRAND IVIAL | Characa | | 35/816.49 350283.44 | | |
| | <i>मारित</i> स्वीकृत | | Charged Voted | 23588.85 | 7533.05 | 31121.90 | |
| अनवंश | रपाप्ट्रत | ANNEXURE | voted | 43300.03 | 1333.03 | 51141.90 | 103 |
| अनुबंध | | AINICAURE | | | | | 103 |

मांग संख्या DEMAND NO.1

कृषि और सहकारिता विभाग DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 1, वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 1-2 तथा वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 1 देखिए)।

(See page 1 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007, page 1-2 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007 and page 1 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

| | | | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
|--------------------|---------|-------------------------------------|---------|---------|---------|
| | | | Revenue | Capital | Total |
| I. मूल अनुदानः | | I. ORIGINAL GRANT: | | | |
| | भारित | Charged: | | 178.88 | 178.88 |
| | स्वीकृत | Voted: | 4969.43 | 70.85 | 5040.28 |
| पूरक अनुदानः | | SUPPLEMENTARY GRANT: | | | |
| | भारित | Charged: | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| | स्वीकृत | Voted: | 0.03 | 0.01 | 0.04 |
| इस समय आवश्यक रकम | | Supplementary Estimate of | | | |
| का पूरक अनुमान | | the amount now required: | | | |
| | स्वीकृत | Voted: | 265.02 | | 265.02 |
| जोड़ (मूल और पूरक) | | Total (Original plus Supplementary) | 5234.49 | 249.75 | 5484.24 |
| | भारित | Charged: | 0.01 | 178.89 | 178.90 |
| | स्वीकृत | Voted: | 5234.48 | 70.86 | 5305.34 |

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

| | | | | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ |
|--------------------------|---------|--------------------------|--------|------------|--------------|--------|
| | | | | Plan | Non-Plan | Total |
| राजस्व भाग | | REVENUE SECTION | | | | |
| मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | | | |
| 2401- कृषि कार्य | स्वीकृत | 2401-Crop Husbandry | Voted: | 65.00 (कa) | 200.00 (खb) | 265.00 |
| 2425- सहकारिता | स्वीकृत | 2425-Cooperation | Voted: | 0.01 (чc) | | 0.01 |
| 2552- पूर्वोत्तर क्षेत्र | स्वीकृत | 2552-North Eastern Areas | Voted: | 0.01 (ਬd) | ••• | 0.01 |
| जोड़ (पूरक) | स्वीकृत | Total (Supplementary) | Voted: | 65.02 | 200.00 | 265.02 |
| | | | | | | |

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु है:

The supplementary grants are sought for the following purposes:

- (क) कृषि संबंधी आर्थिक नीति और विकास हेतु निविष्टियों पर अध्ययम (3.46 करोड़ रुपए); (ii) एकीकृत तिलहन/पाम आयल तिलहन और मक्का विकास (आइसोपाम) (12 करोड़ रुपए); (iii) कार्य योजना (वृहत् प्रबंधन) के जरिए राज्यों के प्रयास का सम्पूरण/ पूरकीकरण (11.20 करोड़ रुपए); और (iv) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस) के कार्यान्वयन हेतु भारतीय कृषि बीमा कम्पनी (एआईसी) को भुगतान हेतु (135.37 करोड़ रुपए) की उपरोक्त योजनाओं संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। चूंकि 97.03 करोड़ रुपए की बचतें अनुदान के राजस्व भाग में पुनर्विनियोजन हेतु उपलब्ध हैं और 10 करोड़ रुपए की बचतें अनुदान के पूँजी भाग से अभ्यर्पित की जाएंगी, अतः 55 करोड़ रुपए का निवल नकद व्यय होगा;
- (ख) वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान सरसों के मूल्य समर्थन कार्यकलापों के अन्तर्गत सरसों के बीजों की अधिप्राप्ति/निपटान
- (a) To meet additional expenditure on the schemes of: (i) Studies on Inputs for Agricultural Economic Policy and Development (Rs.3.46 crore); (ii) Integrated Oilseed/Oil Palm/Pulses and Maize Development (ISOPOM) (Rs.12 crore); (iii) Supplementation/Complementation of States' Efforts Through Work Plan (Macro-Management) (Rs.11.20 crore); and (iv) For payment to Agriculture Insurance Company of India (AIC) for implementation of National Agricultural Insurance Scheme (NAIS) (Rs.135.37 crore). As savings of Rs.97.03 crore are available for re-appropriation within the Revenue section of the Grant and savings of Rs.10 crore will be surrendered from the Capital section of the Grant, the net cash out go will be Rs.55 crore.
- (b) For reimbursement of losses incurred by National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India

- पर भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन परिसंघ लि. (नाफेड) द्वारा उठाए गए नुकसान की प्रतिपूर्ति हेतु (300 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के राजस्व भाग के अन्तर्गत 100 करोड़ रुपए की बचतें उपलब्ध हैं, अतः 200 करोड़ रुपए की शेष राशि के लिए पूरक अनुदान का अनुरोध किया गया है।
- (ग) सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण की पुनर्संरचित योजना के तहत कार्यान्वयनकारी अभिकरणों को अतिरिक्त सहायता अनुदान (3 करोड़ रुपए) और सहकारिता के विकास हेतु राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) को सहायता (21 करोड़ रुपए) प्रदान करने हेतु। चूंकि अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है;
- (घ) सहकारिता के विकास हेतु राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) को अतिरिक्त सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु (4 करोड़ रुपए)। चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध है; अतः सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है।

- Limited (NAFED) on procurement/disposal of mustard seeds under the Price Support Operations for Mustard during Rabi 2005-06 and 2006-07 (Rs.300 crore). As savings of Rs.100 crore are available within the Revenue section of the Grant, supplementary for the balance amount of Rs.200 crore is sought.
- (c) For providing additional grants-in-aid to implementing agencies under the restructured scheme of Cooperative Education and Training (Rs.3 crore) and assistance to National Cooperative Development Corporation (NCDC) for development of cooperatives (Rs.21 crore). As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (d) For providing additional grants-in-aid to National Cooperative Development Corporation (NCDC) for development of cooperatives (Rs.4 crore). As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND EDUCATION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 2, वर्ष 2006-2007 की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 3 और वर्ष 2006-07 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 2 देखिए)।

(See page 2 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007, page 3 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007 and page 2 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2006-07).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

| | | | | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
|--------------------|---------|------------------------------|----------|---------|---------|---------|
| | | | | Revenue | Capital | Total |
| I. मूल अनुदानः | | I. ORIGINAL GRANT: | | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 2160.00 | | 2160.00 |
| पूरक अनुदानः | | SUPPLEMENTARY GRANT | : | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 50.01 | | 50.01 |
| इस समय आवश्यक रकम | | Supplementary Estimate of | | | | |
| का पूरक अनुमान | | the amount now required: | | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 65.99 | | 65.99 |
| जोड़ (मूल और पूरक) | | Total (Original plus Supplen | nentary) | | | |
| | स्वीकृत | , | Voted: | 2276.00 | ••• | 2276.00 |

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

| | | | | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------|------------|--------------|-------|
| | | | | Plan | Non-Plan | Total |
| राजस्व भाग | | REVENUE SECTION | | | | |
| मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | | | |
| 2415-कृषि अनुसंधान तथा | | 2415-Agricultural Research | | | | |
| शिक्षा | स्वीकृत | and Education | Voted: | 21.99 (कa) | 36.00 (खb) | 57.99 |
| 2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र | स्वीकृत | 2552-North Eastern Areas | Voted: | 8.00 (गट) | | 8.00 |
| जोड़ (पूरक) | स्वीकृत | Total (Supplementary) | Voted: | 29.99 | 36.00 | 65.99 |

इन पूरक अनुदानों का अनुरोध भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए सहायता अनुदान के रूप में भुगतान करने हेतु, किया गया है:-

- (क) पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना को आधारभूत संरचना के उन्नयन पर होने वाले व्यय (30 करोड़ रुपए) के लिए सहायता अनुदान जारी करना तािक यह विश्वविद्यालय उत्कृष्ट संस्थान के रूप में अपना विकास करने हेतु सक्षम हो सके। चूंिक अनुदान के राजस्व भाग के अन्तर्गत 8.01 करोड़ रुपए की बचतें उपलब्ध हैं, इसिलए 21.99 करोड़ रुपए की शेष रािश के लिए पूरक अनुदान का अनुरोध किया गया है।
- (ख) समतुल्य अनुदान के सम्बन्ध में ।
- (ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के हित की परियोजनाओं/योजनाओं के सम्बन्ध में एकमुश्त प्रावधान के अन्तर्गत निधियों में वृद्धि करने हेतु।

इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary grants are sought for payment as grants-in-aid to the Indian Council of Agricultural Research (ICAR) for the following purposes:

- (a) Releasing grants-in-aid to Punjab Agricultural University, Ludhiana to incur expenditure on upgrading the infrastructure so as to enable it to develop as an institution of excellence (Rs.30 crore). As savings of Rs.8.01 crore are available within the Revenue section of the Grant, supplementary grant for the balance amount of Rs.21.99 crore is sought.
- (b) Towards matching grant.
- (c) For augmentation of funds under the lumpsum provision for projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

This will entail cash outgo.

पशुपालन, डेरी कार्य और मात्स्यिकी विभाग DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING AND FISHERIES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 3 और वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 4 तथा वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 3 देखिए)।

(See page 3 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007, page 4 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007 and page 3 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

| | | | | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
|--------------------|---------|-----------------------------|-----------|---------|---------|---------|
| | | | | Revenue | Capital | Total |
| I. मूल अनुदानः | | I. ORIGINAL GRANT: | | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 1030.72 | 15.14 | 1045.86 |
| पूरक अनुदान : | | SUPPLEMENTARY GRAN | VT: | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 110.01 | | 110.01 |
| इस समय आवश्यक रकम | | Supplementary Estimate of | | | | |
| का पूरक अनुमान | | the amount now required: | | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 0.03 | | 0.03 |
| जोड़ (मूल और पूरक) | | Total (Original plus Supple | ementary) | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 1140.76 | 15.14 | 1155.90 |

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षो के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

| | | | | आयोजना Plan | आयोजना-भिन्न Non-Plan | जोड़ Total |
|----------------------------------|---------|-------------------------------|--------|----------------|--------------------------|---------------|
| <i>राजस्व भाग</i> मुख्य शीर्ष | | REVENUE SECTION MAJOR HEAD | | | | |
| 2403-पशु पालन | स्वीकृत | 2403-Animal Husbandry | Voted: | 0.01 (कa) | 0.01 (खb) | 0.02 |
| 2404-डेरी विकास | स्वीकृत | 2404-Dairy Development | Voted: | 0.01 (गc) | ••• | 0.01 |
| जोड़ (पूरक) | स्वीकृत | Total (Supplementary) | Voted: | 0.02 | 0.01 | 0.03 |

इन पूरक अनुदानों का अनुरोध निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किया गया है:-

- (क) राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान, बागपत स्थित प्रयोगशाला के निर्माण पर व्यय हेतु उ.प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम को सहायता अनुदान (6.80 करोड़ रुपए); राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान, बागपत के लिए उपकरणों के आयात पर सीमा-शुल्क का भुगतान (2 करोड़ रुपए); "पक्षी इन्फलुंजा रोग से निपटने की तैयारी करने, उसके नियंत्रण एवं रोकथाम" के लिए विदेशी सहायता प्राप्त एक नई परियोजना के कार्यान्वयन पर हुए व्यय को पूरा करने के लिए (10 करोड़ रुपए); और राष्ट्रीय पशु एवं भैंस प्रजनन कार्यक्रम के तहत उच्च क्षमता वाले दुधारु पशुओं को पालने, बछड़ा पालन कार्यक्रम, पशु एवं भैंस प्रजनन एवं आहार एवं चारा आपूर्ति कार्यक्रम के लिए किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सहायता अनुदान जारी करना (23.30 करोड़ रुपए);
- (ख) पक्षी फ्लु के प्रकोप के कारण कुक्कुट पालन उद्योग को वित्तीय राहत प्रदान करने के लिए दिनांक 31.03.2006 की स्थिति के अनुसार कुक्कुट पालकों के प्रति बकाया मूलधन की राशि पर एक वर्ष की अविध के लिए 4 प्रतिशत की एकबारगी ब्याज सब्सिडी पर हुए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (27 करोड़ रुपए); और
- (ग) गहन डेरी विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु भिन्न-भिन्न दुग्ध यूनियनों/परिसंघों को सहायता अनुदान (10.50 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए प्रत्येक मामले में सांकेतिक पूरक अनुदानों के लिए अनुरोध किया गया है। The supplementary grants are sought for the following purposes:

- (a) Grants-in-aid to UP State Industrial Development Corporation for incurring expenditure on construction of a laboratory at the National Institute of Animal Health, Bagpat (Rs. 6.80 crore); payment of customs duty on import of equipments for the National Institute of Animal Health, Bagpat (Rs. 2 crore); for meeting expenditure on the implementation of a new Externally Aided Project "Preparedness, Control and Containment of Avian Influenza" (Rs. 10 crore); and release as grants-in-aid to State Implementing Agencies for providing economic relief to farming population for induction of high yielding milch animals, calf rearing programme, cattle buffalo breeding and Feed and Fodder Supply Programme under the National Project for Cattle & Buffalo Breeding (Rs. 23.30 crore);
- (b) For meeting additional expenditure on one time interest subvention of 4% for a period of one year on principal amount outstanding against poultry farmers as on 31.3.2006 to provide financial relief to the poultry industry following the outbreak of Avian Flu (Rs. 27 crore); and
- (c) Grants-in-aid to different milk unions/federations for implementation of Intensive Dairy Development Programme (Rs. 10.50 crore).

As matching savings are available within the same section of the Grant, token supplementaries are sought in each case.

परमाणु ऊर्जा ATOMIC ENERGY

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 5; अनुदानों की पहली पूरक मांगों के पृष्ठ 5-6 और अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों के पृष्ठ 4-5 देखिए)।

(See page 5 of the Demands for Grants; pages 5-6 of First Supplementary Demands for Grants and pages 4-5 of Second Supplementary Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore) राजस्व पूंजी जोड Revenue Capital **Total** I. ORIGINAL GRANT: I. मूल अनुदानः भारित 6.50 8.10 1.60 Charged: स्वीकृत Voted: 2080.63 1838.48 3919.11 पूरक अनुदानः **SUPPLEMENTARY GRANT:** भारित 5.00 5.30 Charged: 0.30 स्वीकृत Voted: 202.36 202.36 इस समय आवश्यक रकम Supplementary Estimate of का पूरक अनुमान the amount now required: भारित Charged: स्वीकृत Voted: 0.02 0.02 जोड़ (मूल और पुरक) Total (Original plus Supplementary) 2284.91 1849.98 4134.89 भारित 1.90 11.50 Charged: 13.40 स्वीकृत Voted: 2283.01 1838.48 4121.49

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

| | | | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ |
|----------------------------|---------|-----------------------------|-----------|--------------|-------|
| | | DELICATION OF CELON | Plan | Non-Plan | Total |
| राजस्व भाग | | REVENUE SECTION | | | |
| मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | | |
| 3401-परमाणु ऊर्जा अनुसंधान | | 3401-Atomic Energy Research | | | |
| | भारित | Charged: | | | |
| | स्वीकृत | Voted: | 0.01 (कa) | 0.01 (खb) | 0.02 |
| जोड़ (पूरक) | | Total (Supplementary) | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| | भारित | Charged: | | ••• | |
| | स्वीकृत | Voted: | 0.01 | 0.01 | 0.02 |

इस पूरक अनुदान का अनुरोध निम्नलिखित प्रयोजन हेतु है:

- The supplementary grant is sought for:
- (क) (i) दसवीं पंचवर्षीय योजना की परियोजनाओं को पूरा करने हेतु टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च को (7.75 करोड़ रुपए); (ii) 'विश्वविद्यालयों को सहायता' के तहत विकिरण औषधि केन्द्रों और कैंसर अस्पतालों की सहायता के लिए संस्था सोसाइटियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के अनुसंधान हेतु (1.00 करोड़ रुपए); और (iii) कम्प्यूटर प्रणाली और पुस्तकालय उन्नयन हेतु गणित विज्ञान संस्थान, चेन्नई को (0.37 करोड़ रुपए) का अतिरिक्त सहायता अनुवान।
- (ख) (i) हरीश चंद्र अनुसंघान संस्थान (0.39 करोड़ रुपए); और (ii) रखरखाव संबंधी व्यय हेतु प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, गांधीनगर को (0.40 करोड़ रुपए) अतिरिक्त सहायता अनुदान हेतु।
- चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग के अंतर्गत उपलब्ध हैं, अतः प्रत्येक मामले में सांकेतिक पुरक अनुदान हेतु अनुरोध किया गया है।
- (a) Additional grants-in-aid (i) to Tata Institute of Fundamental Research for completion of Tenth Five Year Plan projects (Rs.7.75 crore); (ii) to research institution societies and nongovernment institutions to support radiation medicine centres and cancer hospitals under 'Assistance to Universities' (Rs.1.00 crore); and (iii) to Institute of Mathematical Sciences, Chennai for computer system and library upgradation (Rs.0.37 crore).
- (b) Additional grants-in-aid to (i) Harish Chandra Research Institute (Rs.0.39 crore); and (ii) Institute of Plasma Research, Gandhinagar (Rs.0.40 core) for maintenance expenditure.

As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought in each case.

रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग DEPARTMENT OF CHEMICALS AND PETROCHEMICALS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 7 तथा वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 8 देखिए)। (See page 7 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007 and page 8 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

| | | | | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
|--------------------|---------|------------------------------|----------|---------|---------|---------|
| | | | | Revenue | Capital | Total |
| I. मूल अनुदानः | | I. ORIGINAL GRANT: | | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 93.20 | 76.20 | 169.40 |
| पूरक अनुदानः | | SUPPLEMENTARY GRANT | • | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 84.00 | 339.69 | 423.69 |
| इस समय आवश्यक रकम | | Supplementary Estimate of | | | | |
| का पूरक अनुमान | | the amount now required: | | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 732.57 | 72.50 | 805.07 |
| जोड़ (मूल और पूरक) | | Total (Original plus Supplen | ientary) | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 909.77 | 488.39 | 1398.16 |

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

| | | | | आयोजना Plan | आयोजना-भिन्न Non-Plan | जोड़ Total |
|----------------------|---------|------------------------------|--------|----------------|--------------------------|---------------|
| राजस्व भाग | | REVENUE SECTION | | Fian | Non-Fian | Total |
| मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | | | |
| 2852- उद्योग | स्वीकृत | 2852-Industries | Voted: | | 732.57 (कa) | 732.57 |
| पूंजी भाग | | CAPITAL SECTION | | | | |
| मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | | | |
| 4857- रसायन एवं भेषज | | 4857-Capital outlay on | | | | |
| उद्योगों पर | | Chemical and | | | | |
| पूंजी परिव्यय | | Pharmaceutical | | | | |
| ζ, | स्वीकृत | Industries | Voted: | 55.01 (खb) | ••• | 55.01 |
| 6857- रसायन एवं भेषज | C | 6857-Loans for Chemical | | | | |
| उद्योगों के लिए ऋण | | and Pharmaceutical | | | | |
| | स्वीकृत | Industries | Voted: | | 17.49 (गc) | 17.49 |
| जोड़ पूंजी भाग | स्वीकृत | Total Capital Section | Voted: | 55.01 | 17.49 | 72.50 |
| जोड़ (पूरक) | स्वीकृत | Total (Supplementary) | Voted: | 55.01 | 750.06 | 805.07 |

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु है:-

- The supplementary grants are required for the following purposes: -
- (क) (i) आवश्य लेखांकन समायोजन करने हेतु अर्थात् (i) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि. के सम्बन्ध में दिनांक 31.3.2005 की स्थिति के अनुसार आयोजना ऋण (81.67 करोड़ रुपए) और आयोजना ऋण पर ब्याज (177.76 करोड़ रुपए) से छूट देना, (ii) हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लि. के संबंध में दिनांक 31.3.2006 की स्थिति अनुसार आयोजना ऋण (66.40 करोड़ रुपए) और आयोजना ऋण पर ब्याज (126.69 करोड़ रुपए) से छूट देना, और (iii) बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि. के संबंध में दिनांक 31.3.2005 की स्थिति के अनुसार आयोजना तथा आयोजना मिन्न ऋण (71.70 करोड़ रुपए) तथा आयोजना और आयोजना मिन्न ऋण पर ब्याज (161.71 करोड़ रुपए) से छूट देना। इन्हें प्राप्तियों से पूरा किया जाएगा, इसलिए कोई नकद व्यय नहीं होगा।
 - (ii) भोपाल गैस रिसाव त्रासदी के संबंध में वेतन के बकायों, चिकित्सा उपचार तथा व्यावसायिक सेवाओं के संबंध में भुगतान करने के लिए (1.94 करोड़ रुपए)। इसमें निवल नकद व्यय होगा।
- (a) (i) For carrying out necessary accounting adjustment viz. (i) waiver of Plan loan (Rs.81.67 crore) and interest on Plan Loan (Rs.177.76 crore) as on 31.3.2005 in respect of Hindustan Antibiotics Ltd. (HAL), (ii) waiver of Plan loan (Rs.66.40 crore) and interest on Plan Loan (Rs.126.69 crore) as on 31.3.2006 in respect of Hindustan Insecticides Ltd. (HIL), and (iii) waiver of Plan and Non -Plan loan (Rs.71.70 crore) and interest on Plan and Non Plan Loan (Rs.161.71 crore) as on 31.3.2005 in respect of Bengal Chemicals & Pharmaceuticals Ltd. (BCPL). These will be matched by receipts, and hence will not entail cash outgo.
 - (ii) For payment of arrears of salary, for medical treatment and for professional services in connection with the Bhopal Gas Leak Disaster (Rs.1.94 crore). This will entail net cash outgo.

- (iii) बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि. (बीसीपीएल) के संबंध में वीआरएस के लिए अनुदान (20 करोड़ रुपए) तथा वेतन संशोधन बकायों के भुगतान हेतु एकबारगी अनुदान (24.70 करोड़ रुपए)। इसमें निवल नकद व्यय होगा।
- (ख) (i) बीसीपीएल को 55 करोड़ रुपए की इक्विटी सहायता। इसमें (b) (i) For equity support of Rs.55 crore to BCPL. This will entail निवल नकद व्यय होगा।
 - (ii) हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड लि. के संबंध में लेखांकन समायोजन अर्थात् भारत सरकार के ऋण (31.55 करोड़ रुपए) को इक्विटी में बदलने हेतु सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।
- (ग) बीसीपीएल को 17.49 करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त आयोजना भिन्न (c) For interest free Non Plan Loan of Rs.17.49 crore to BCPL. ऋण के लिए। इसमें निवल नकद व्यय होगा।

- (iii) Grant for VRS (Rs.20 crore) and one time Grant for payment of wage revision arrears (Rs.24.70 crore) in respect of Bengal Chemicals & Pharmaceutical Ltd. (BCPL). This will entail net cash outgo.
- net cash outgo.
 - (ii) A token supplementary is sought for carrying out accounting adjustments, viz. conversion of Government of India loan (Rs.31.55 crore) into equity in respect of Hindustan Insecticides Ltd. (HIL).
- This will entail net cash outgo.

उर्वरक विभाग DEPARTMENT OF FERTILISERS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 8 और वर्ष 2006-07 के अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 9 तथा वर्ष 2006-07 के अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 7 देखिए)।

(See page 8 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-07, page 9 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2006-07 and Page 7 of Second Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

| | | | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
|--------------------|---------|-------------------------------------|----------|---------|----------|
| | | | Revenue | Capital | Total |
| I. मूल अनुदानः | | I. ORIGINAL GRANT: | | | |
| | भारित | Charged: | | | |
| | स्वीकृत | Voted: | 18049.02 | 105.04 | 18154.06 |
| पूरक अनुदानः | | SUPPLEMENTARY GRANT: | | | |
| | स्वीकृत | Voted: | 7170.37 | | 7170.37 |
| इस समय आवश्यक रकम | | Supplementary Estimate of | | | |
| का पूरक अनुमान | | the amount now required: | | | |
| | स्वीकृत | Voted: | 3533.79 | 12.18 | 3545.97 |
| जोड़ (मूल और पूरक) | | Total (Original plus Supplementary) | 28753.18 | 117.22 | 28870.40 |
| | भारित | Charged: | | | |
| | स्वीकृत | Voted: | 28753.18 | 117.22 | 28870.40 |

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

| | | | | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ |
|--------------------------|---------|------------------------------|--------|--------|--------------|---------|
| | | | | Plan | Non-Plan | Total |
| राजस्व भाग | | REVENUE SECTION | | | | |
| मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | | | |
| 2401- कृषि कार्य | स्वीकृत | 2401-Crop Husbandry | Voted: | | 2250.00 (कa) | 2250.00 |
| 2852- उद्योग | स्वीकृत | 2852-Industries | Voted: | | 1250.00 (खb) | 1250.00 |
| 3475- अन्य सामान्य | | 3475-Other General | | | | |
| आर्थिक सेवाएं | स्वीकृत | Economic Services | Voted: | | 33.79 (чc) | 33.79 |
| जोड़ राजस्व भाग | स्वीकृत | Total Revenue Section | Voted: | ••• | 3533.79 | 3533.79 |
| पूंजी भाग | | CAPITAL SECTION | | | | |
| मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | | | |
| 6855- उर्वरक उद्योगों के | | 6855-Loans for Fertiliser | | | | |
| लिए ऋण | स्वीकृत | Industries | Voted: | | 12.18 (ਬd) | 12.18 |
| जोड़ (पूरक) | स्वीकृत | Total (Supplementary) | Voted: | ••• | 3545.97 | 3545.97 |

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु है:

This supplementary grant is required for the following purposes:-

- (क) (i) आयातित विनियंत्रित उर्वरकों पर सब्सिडी (1000.00 करोड़ रुपए)।
 - (ii) स्वदेशी विनियंत्रित उर्वरकों पर सब्सिडी (1250.00 करोड़
- (ख) स्वदेशी यूरिया पर सब्सिडी (1250.00 करोड़ रुपए)
- (क) और (ख) के अन्तर्गत नकद व्यय होगा।
- (ग) उर्वरक तथा रसायन त्रावणकोर लि. (एफएसीटी) के सम्बन्ध में बकाया ऋण पर दांडिक ब्याज को बट्टे खाते डालना। इसकी प्रतिपूर्ति प्राप्तियों द्वारा की जाएगी, अतः इसमें नकद व्यय नहीं होगा।
- (a) (i) subsidy on imported decontrolled fertilisers (Rs.1000.00 crore).
 - (ii) subsidy on indigenous decontrolled fertilisers (Rs.1250.00 crore).
- (b) subsidy on indigenous urea (Rs.1250.00 crore).

Expenditure under (a) and (b) will involve cash outgo.

(c) Write-off of penal interest on outstanding loan in respect of Fertilizers and Chemicals Travancore Ltd. (FACT). This will be matched by receipts, and hence will not entail cash outgo.

- (घ) हिन्दुस्तान उर्वरक निगम (6.79 करोड़ रुपए), भारतीय उर्वरक निगम (4.48 करोड़ रुपए) और पाइराइट्स, फोस्फेट तथा केमिकल लि. (0.91 करोड़ रुपए) के कर्मचारियों के लिए ऑफर की गयी स्वैच्छिक पृथक्करण योजना/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत अनुग्रह तथा उपादान के भुगतान के लिए प्रशिक्षण अवधि को शामिल करना। इसमें नकद व्यय होगा।
- इस पूरक अनुदान में 3512.18 करोड़ रुपए का निवल नकद व्यय होगा।
- (d) inclusion of training period for payment of ex-gratia and gratuity under Voluntary Separation Scheme/Voluntary Retirement Scheme to employees of Hindustan Fertilizer Corporation (Rs.6.79 crore), Fertilizer Corporation of India (Rs.4.48 crore) and Pyrites, Phosphates and Chemicals Ltd. (Rs.0.91 crore). This will involve cash outgo.

This supplementary will entail a cash outgo of Rs.3512.18 crore.

नागर विमानन मंत्रालय MINISTRY OF CIVIL AVIATION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 9 देखिए)। (See page 9 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

| | | | | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
|--------------------|---------|-----------------------------|----------|---------|---------|--------|
| | | | | Revenue | Capital | Total |
| I. मूल अनुदानः | | I. ORIGINAL GRANT: | | | | |
| - | स्वीकृत | | Voted: | 372.73 | 75.91 | 448.64 |
| इस समय आवश्यक रकम | | Supplementary Estimate of | | | | |
| का पूरक अनुमान | | the amount now required: | | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 84.91 | | 84.91 |
| जोड़ (मूल और पूरक) | | Total (Original plus Supple | mentary) | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 457.64 | 75.91 | 533.55 |

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

| | | | आयोजना Plan | आयोजना-भिन्न Non-Plan | जोड़ Total |
|------------------|------------------------|--------|----------------|--------------------------|---------------|
| राजस्व भाग | REVENUE SECTION | | | | |
| मुख्य शीर्ष | MAJOR HEAD | | | | |
| 3053-नागर विमानन | 3053-Civil Aviation | | | | |
| | स्वीकृत | Voted: | | 84.91 | 84.91 |

यह पूरक अनुदान एअर इंडिया को हज यात्रियों के लिए विशेष विमानों की व्यवस्था के व्यय की क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए आवश्यक है। 25.91 करोड़ रुपए की राशि अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों द्वारा पूरी की जाएगी जिसके लिए तकनीकी पूरक अनुदान का अनुरोध किया गया है। बकाया 59 करोड़ रुपए राशि के संबंध में नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for payment of compensation to Air India towards operation of Haj Charters. An amount of Rs.25.91 crore will be met by savings in the Capital Section of the grant for which a technical supplementary is sought. The balance amount of Rs.59 crore will entail a cash outgo.

कोयला मंत्रालय MINISTRY OF COAL

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 10 और वर्ष 2006-2007 की दूसरी पूरक अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 8 देखिए)। (See page 10 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007 and page 8 of Second Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

| | | | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
|--------------------|---------|-------------------------------------|---------|---------|--------|
| | | | Revenue | Capital | Total |
| I. मूल अनुदानः | | I. ORIGINAL GRANT: | | | |
| | भारित | Charged: | | | |
| | स्वीकृत | Voted: | 205.71 | 30.00 | 235.71 |
| पूरक अनुदानः | | SUPPLEMENTARY GRANT: | | | |
| | स्वीकृत | Voted: | 131.71 | | 131.71 |
| इस समय आवश्यक रकम | | Supplementary Estimate of | | | |
| का पूरक अनुमान | | the amount now required: | | | |
| | भारित | Charged: | | | |
| | स्वीकृत | Voted: | 0.08 | | 0.08 |
| जोड़ (मूल और पूरक) | | Total (Original plus Supplementary) | 337.50 | 30.00 | 367.50 |
| | भारित | Charged: | | | |
| | स्वीकृत | Voted: | 337.50 | 30.00 | 367.50 |

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

| | | | | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ |
|--------------------------|---------|--------------------------|--------|-----------|--------------|-------|
| | | | | Plan | Non-Plan | Total |
| राजस्व भाग | | REVENUE SECTION | | | | |
| मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | | | |
| 2552- पूर्वीत्तर क्षेत्र | स्वीकृत | 2552-North Eastern Areas | Voted: | 0.01 (कa) | | 0.01 |
| 2803- कोयला और लिग्नाइट | स्वीकृत | 2803-Coal and Lignite | Voted: | 0.07 (खb) | ••• | 0.07 |
| जोड़ (पूरक) | | Total (Supplementary) | | 0.08 | ••• | 0.08 |
| | स्वीकृत | | Voted: | 0.08 | | 0.08 |

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित के लिए मांगा गया है:

- (क) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजना स्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधान के तहत निधियां बढ़ाने के लिए (13.13 करोड़ रुपए) चूंकि बचतें उसी भाग में उपलब्ध हैं अतः सांकेतिक पूरक मांगा गया है।
- (ख) 'डिटेल्ड ड्रिलिंग' योजना पर किए गए अतिरिक्त व्यय (9.38 करोड़ रुपए) को पूरा करने के लिए मांगा गया है। अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत उपलब्ध बचतों के पुनर्विनियोग के बाद इसमें 0.07 करोड़ रुपए का निवल नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is sought:

- (a) For augmentation of funds under the lump sum provision for projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim (Rs.13.13 crore). As savings are available within the same section of the grant a token supplementary is sought.
- (b) To meet additional expenditure for the scheme 'Detailed Drilling' (Rs.9.38 crore). After re-appropriation of the savings available within the same section of the grant, this will entail net cash outgo of Rs.0.07 crore.

वाणिज्य विभाग DEPARTMENT OF COMMERCE

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 11, वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की पहली पूरक अनुदान मांगों का पृष्ठ 10 और वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की दूसरी पूरक माँगों का पृष्ठ 9 देखिए)।

(See page 11 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007, page 10 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007 and page 9 of Second Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007).

| | | | | | , | pees in Crore) जोड |
|---|---------------|----------------------------|--------------------|-------------------------|------------------|-----------------------|
| | | | | राजस्व Povonuo | पूंजी Capital | • |
| I. मूल अनुदानः | | I. ORIGINAL GRANT: | | Revenue | Capital | Total |
| 1. પૂર્વ અનુવાન | भारित | i. Unidival diami. | Charged: | 0.10 | | 0.10 |
| | <i>ना</i> स्त | | Voted: | 1872.74 | 654.00 | 2526.74 |
| पूरक अनुदानः | 173-11-7 | SUPPLEMENTARY GRA | | 10/2./1 | 05 1.00 | 2320.71 |
| 61.11.01.31.11 | भारित | SOIT EENTER TIME GIV | Charged: | 1.40 | | 1.40 |
| | स्वीकृत | | Voted: | 0.02 | | 0.02 |
| इस समय आवश्यक रकम | c | Supplementary Estimate o | | | | |
| का पूरक अनुमान | | the amount now required: | | | | |
| α 5 | स्वीकृत | 1 | Voted: | 381.32 | 0.01 | 381.33 |
| जोड़ (मूल और पूरक) | C | Total (Original plus Supp | plementary) | 2255.58 | 654.01 | 2909.59 |
| | भारित | | Charged: | 1.50 | | 1.50 |
| | स्वीकृत | | Voted: | 2254.08 | 654.01 | 2908.09 |
| | | II. इस पूरक अनुदान का हिसा | ब निम्नलिखित मुख्य | । शीर्षों के अन्तर्गत । | टेखास जाएगाः | |
| | | II. This Supplementary G | _ | | | or Heads: |
| | | ii. This supplementary Gr | tunt win be accor | आयोजना | अायोजना-भिन्न | जोड |
| | | | | Plan | Non-Plan | Total |
| राजस्व भाग | | REVENUE SECTION | | | | |
| मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | | | |
| 3453-विदेशी व्यापार और | | 3453-Foreign Trade and | | | | |
| निर्यात संवर्धन | स्वीकृत | Export Promotion | Voted: | | 381.32 (कa) | 381.32 |
| पूंजी भाग | | CAPITAL SECTION | | | | |
| मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | | | |
| 4407-बागान पर पूँजी परिव्यय | | 4407-Capital Outlay on | | | | |
| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | स्वीकृत | Plantations | Voted: | 0.01 (खb) | | 0.01 |
| जोड़ (पूरक) | c | Total (Supplementary) | | 0.01 | 381.32 | 381.33 |

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित के लिए हैं:

- (क) (i) विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए मानित निर्यातों पर शुल्क वापसी और केन्द्रीय बिक्री कर की प्रतिपूर्ति के लम्बित दावों के निपटान हेतु (469.35 करोड़ रुपए)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध 97.35 करोड़ रुपए की बचतों के पुनःविनियोजन (के बाद और अनुदान के पूँजी भाग से 72.00 करोड़ रुपए के अभ्यर्पण के पश्चात् इसमें 300.00 करोड़ रुपए का निवल नकद व्यय होगा; तथा
 - (ii) सूरत, गुजरात के बाढ़ ग्रस्त 6000 रत्न और आभूषण यूनिटों को सहायता प्रदान करने हेतु (9.32 करोड़ रुपए)। इसमें निवल नकद व्यय होगा।
- (ख) विशेष प्रयोजन चाय निधि' को पूँजी अंशदान हेतु (30.00 करोड़ रुपए। चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध है, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है।

This supplementary grant is required for:

- (a) (i) Settlement of pending claims of Duty Drawback on Deemed Exports and reimbursement of Central Sales Tax for Special Economic Zones (Rs.469.35 crore). After re-appropriation of the savings of Rs.97.35 crore available within the same section of the grant and surrender of Rs.72.00 crore from Capital section of the grant, this will entail net cash outgo of Rs.300.00 crore; and
 - (ii) Assisting the flood affected 6000 gems and jewellery units of Surat, Gujarat (Rs.9.32 crore). This will entail net cash outgo.
- (b) Capital contribution to 'Special Purpose Tea Fund' (Rs.30.00 crore). As savings are available within the same section of the grant, a token supplementary is sought.

डाक विभाग DEPARTMENT OF POSTS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 13 और वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की दूसरे बैच की पूरक माँगों का पृष्ठ 11 देखिए)। (See page 13 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007 and page 11 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

| | | | | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
|-------------------------|---------|--|---------------------|------------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | Revenue | Capital | Total |
| I. मूल अनुदानः | | I. ORIGINAL GRANT: | | | - | |
| ., 0 | भारित | | Charged: | 0.05 | | 0.05 |
| | स्वीकृत | | Voted: | 6533.64 | 385.97 | 6919.61 |
| पूरक अनुदानः | | SUPPLEMENTARY GR. | ANT: | | | |
| ., 0 | भारित | | Charged: | 0.03 | 0.01 | 0.04 |
| इस समय आवश्यक रकम | | Supplementary Estimate of | _ | | | |
| का पूरक अनुमान | | the amount now required: | | | | |
| | भारित | | Charged: | 0.15 | | 0.15 |
| | स्वीकृत | | Voted: | 365.24 | 0.01 | 365.25 |
| जोड़ (मूल और पूरक) | | Total (Original plus Sup | plementary) | 6899.11 | 385.99 | 7285.10 |
| | भारित | | Charged: | 0.23 | 0.01 | 0.24 |
| | स्वीकृत | | Voted: | 6898.88 | 385.98 | 7284.86 |
| | | II. इस पूरक अनुदान/विनियोग | ग का हिसाब निम्नलि | खित मुख्य शीर्षों के अ | न्तर्गत दिखाया ज | ाएगाः |
| | | II. This Supplementary Gra | | | nder the followin | |
| | | | | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ |
| | | | | Plan | Non-Plan | Total |
| राजस्व भाग | | REVENUE SECTION | | | | |
| मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | | | |
| 3201-डाक सेवाएं | | 3201-Postal Services | | | | |
| | भारित | | Charged: | | 0.15 (कa) | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 8.62 (खb) | 356.47 (ਸc) | |
| 2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र | स्वीकृत | 2552-North Eastern Areas | Voted: | 0.15 (ਬd) | | 0.15 |
| जोड़ राजस्व भाग | स्वीकृत | Total Revenue Section | Voted: | 8.77 | 356.62 | 365.39 |
| पूंजी भाग | | CAPITAL SECTION | | | | |
| मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | | | |
| 5201-डाक सेवाओं | • | 5201-Capital Outlay | | | | |
| पर पूंजी परिव्यय | स्वीकृत | on Postal Services | Voted: | ••• | 0.01 (ਵe) | 0.01 |
| जोड़ (पूरक) | 0 | Total (Supplementary) | | 8.77 | 356.63 | 365.40 |
| | भारित | | Charged: | | 0.15 | 0.15 |
| | स्वीकृत | | Voted: | 8.77 | 356.48 | 365.25 |
| | | टिप्पणीः उपर्युक्त अनुमानों में किया जाता है। | निम्नलिखित वसूलि | यां शामिल नहीं है, जि | हे व्यय मे से घट | राकर समायोजित |
| | | Note: The above estimate | es do not include i | the recoveries, which | h are adjusted i | in reduction of |
| | | expenditure. | | | | |
| राजस्व भाग | | REVENUE SECTION | | | | |
| मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | | | |
| 3201-डाक सेवाएं | | 3201-Postal Services | | | (-) 75.25 | (-) 75.25 |
| | | (00) | TDI 1 | | • ,• • | 1 |

निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए पूरक अनुदान/विनियोग का अनुरोध किया गया है:-

- (क) विभागीय डाक मोटर सेवा के तहत न्यायालय के आदेशों की वजह से किए जाने वाले भुगतानों को पूरा करने के लिए (0.15 करोड़ रुपए)।
- (ख) विभागीय उप-कार्यालयों, 'प्रीमियम उत्पादों के सर्वर्धन, प्रशिक्षण', विरासत भवन के परिरक्षण के सबंध में किए गए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (8.62 करोड़ रुपए)।
- (ग) मुख्य रूप से वेतन, मजदूरी, रेल और हवाई डाक वाहनों को देय ढुलाई प्रभारों, ग्रामीण डाक आजीवन बीमा और अधिवर्षिता एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में अतिरिक्त व्यय को पूरा करने

The supplementary grant/appropriation is sought for the following purposes:

- (a) For meeting payment arising out of court decrees under departmental mail motor service (Rs.0.15 crore).
- (b) For meeting additional expenditure towards 'Departmental Sub Offices', 'promotion of premium products', 'training' and 'preservation of heritage building' (Rs.8.62 crore).
- (c) For meeting additional expenditure, mainly, towards salaries, wages, haulage charges payable to Railways and air mail carriers, Rural Postal Life Insurance and Superannuation

के लिए (356.47 करोड़ रुपए)।

- (घ) पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास के संबंध में अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (0.15 करोड़ रुपए)।
- (ड) डाक मोटर वाहनों के आधुनिकीकरण के लिए (3 करोड़ रुपए) चूंकि अनुदान के आयोजना पक्ष के तहत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान के लिए अनुरोध किया गया है।

अतिरिक्त प्राप्तियों (351.74 करोड़ रुपए) और वसूलियां (75.25 करोड़ रुपए) को हिसाब में लेने के बाद, इस पूरक अनुदान में नकद व्यय नहीं होगा।

and other retirement benefits (Rs.356.47 crore).

- (d) For meeting additional expenditure towards development of North Eastern Region(Rs.0.15 crore).
- (e) For modernization of mail motor vehicles (Rs.3 crore). As savings are available under Plan side of the grant, a token supplementary is sought.

After taking into account the additional receipts (Rs.351.74 crore) and recoveries (Rs.75.25 crore), the supplementary does not entail cash outgo.

दूर-संचार विभाग DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 14 और वर्ष 2006-2007 के लिए अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 12 देखिए)।

(See page 14 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007 and page 12 of Second Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

| | | | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
|--------------------|---------|-------------------------------------|---------|---------|---------|
| | | | Revenue | Capital | Total |
| I. मूल अनुदानः | | I. ORIGINAL GRANT: | | | |
| | भारित | Charged: | | | |
| | स्वीकृत | Voted: | 4565.46 | 101.00 | 4666.46 |
| पूरक अनुदान : | | SUPPLEMENTARY GRANT: | | | |
| ., . | स्वीकृत | Voted: | ••• | 25.00 | 25.00 |
| इस समय आवश्यक रकम | | Supplementary Estimate of | | | |
| का पूरक अनुमान | | the amount now required: | | | |
| - | भारित | Charged: | 0.04 | | 0.04 |
| | स्वीकृत | Voted: | 60.59 | | 60.59 |
| जोड़ (मूल और पूरक) | C | Total (Original plus Supplementary) | 4626.09 | 126.00 | 4752.09 |
| | भारित | Charged: | 0.04 | | 0.04 |
| | स्वीकृत | Voted: | 4626.05 | 126.00 | 4752.05 |

- II. इस पूरक विनियोग/अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शार्षो के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Appropriation/Grant will be accounted for under the following Major Heads:

| | | | आयोजना Plan | आयोजना-भिन्न Non-Plan | जोड़ Total |
|---------------------|---------|----------------------------|----------------|--------------------------|---------------|
| राजस्व भाग | | REVENUE SECTION | | | |
| मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | | |
| 3451-सचिवालय आर्थिक | | 3451-Secretariat Economic | | | |
| सेवाएं | भारित | Services Charged: | | 0.04 (कa) | 0.04 |
| 2071-पेंशन और अन्य | | 2071-Pensions and Other | | | |
| सेवानिवृत्ति लाभ | स्वीकृत | Retirement Benefits Voted: | | 60.59 (खb) | 60.59 |
| जोड़ (पूरक) | | Total (Supplementary) | ••• | 60.63 | 60.63 |
| | भारित | Charged: | | 0.04 | 0.04 |
| | स्वीकृत | Voted: | | 60.59 | 60.59 |

इस पूरक विनियोग/अनुदान का अनुरोध निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किया गया है :-

- (क) दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा दूरसंचार सेवा प्रदाता के पक्ष में दिए गए फैसले के कारण ब्याज का भुगतान करने हेतु भारत की आकस्मिकता निधि से 0.04 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई थी जिसकी प्रतिपूर्ति पूरक अनुदान पारित होने के बाद की जाएगी।
- (ख) दूर-संचार विभाग के भूतपूर्व कर्मचारियों को पेंशन संबंधी लाभों का भुगतान करने के लिए (60.59 करोड़ रुपए)।

अनुदान के पूंजी भाग के अन्तर्गत उपलब्ध बचतों को हिसाब में लेने के बाद, इस पूरक अनुदान पर 11.23 करोड़ रुपए का नकद व्यय होगा।

The supplementary appropriation/grant is sought for the following purposes:-

- (a) Payment of interest arising out of an award by Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal (TDSAT) in favour of a telecom service provider. An amount of Rs. 0.04 crore was sanctioned from the Contingency Fund of India which shall be recouped to the Fund after the supplementary grant is passed.
- (b) Payment of pensionary benefits to the erstwhile employees of Department of Telecommunications (Rs. 60.59 crore).

After taking into account the savings available in the capital section of the grant, the cash outgo on account of this supplementary is Rs. 11.23 crore.

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 15 देखिए)। (See page 15 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

| | | | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
|--------------------|---------|-------------------------------------|---------|---------|---------|
| | | | Revenue | Capital | Total |
| I. मूल अनुदानः | | I. ORIGINAL GRANT: | | | |
| | भारित | Charged: | | | |
| | स्वीकृत | Voted: | 1025.00 | 101.00 | 1126.00 |
| इस समय आवश्यक रकम | | Supplementary Estimate of | | | |
| का पूरक अनुमान | | the amount now required: | | | |
| | स्वीकृत | Voted: | 0.01 | 4.40 | 4.41 |
| जोड़ (मूल और पूरक) | | Total (Original plus Supplementary) | 1025.01 | 105.40 | 1130.41 |
| | भारित | Charged: | | ••• | |
| | स्वीकृत | Voted: | 1025.01 | 105.40 | 1130.41 |

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

| | | | | आयोजना Plan | आयोजना-भिन्न Non-Plan | जोड़ Total |
|---|---------|--|--------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| राजस्व भाग मुख्य शीर्ष 2852-उद्योग | स्वीकृत | REVENUE SECTION MAJOR HEAD 2852-Industries | Voted: | 0.01 (कa) | | 0.01 |
| <i>पूंजी भाग</i> मुख्य शीर्ष 4859-दूरसंचार तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों पर पूंजी परिव्यय | | CAPITAL SECTION MAJOR HEAD 4859-Capital Outlay on Telecommunication and Electronic | | | | |
| -) - (1112) | स्वीकृत | Industries | Voted: | 4.40 (खb) | ••• | 4.40 |
| जोड़ (पूरक) | स्वीकृत | Total (Supplementary) | Voted: | 4.41 4.41 | ••• | 4.41 4.41 |

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित प्रयोजन के लिए हैं:

- (क) (i) स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॅानिक उपस्कर के विकास के अन्तर्गत चल रही परियोजनाओं और स्वीकृत परियोजनाओं के सम्बन्ध में अतिरिक्त अपेक्षाएं (11.00 करोड़ रुपए); और
 - (ii) मीडिया लेब एशिया के तहत चल रही परियोजनाएं (10.00 करोड़ रुपए)। चूंकि इस अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक अनुदान के लिए अनुरोध किया गया है।
- (ख) भवन निर्माण के मानकीकरण, परीक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण कार्यक्रम (3.00 करोड़ रुपए) हेतु और मशीनरी तथा उपस्कर (1.40 करोड़ रुपए) के सम्बन्ध में अतिरिक्त अपेक्षा की पूर्ति हेतु। चूंकि समतुल्य राशि इस अनुदान के राजस्व भाग से अभ्यर्पित की जाएगी, अतः तकनीकी पूरक अनुदान मांगा गया है। इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grant is required for:

- (a) (i) On-going projects and additional requirements of approved projects under Development of Strategic Electronic Equipment (Rs.11.00 crore); and
 - (ii) On-going projects under Media Lab Asia (Rs.10.00 crore). As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Meeting additional requirement in Standardisation, Testing and Quality Control Programme for construction of building (Rs.3.00 crore) and for machinery and equipment (Rs.1.40 crore). As an equivalent amount will be surrendered from the Revenue Section of the Grant, a technical supplementary is sought. This will not entail any cash outgo.

कम्पनी कार्य मंत्रालय MINISTRY OF COMPANY AFFAIRS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 16 देखिए)। (See page 16 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

| | | | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
|--------------------|---------|------------------------------------|--------|-----------|--------|
| | | | Revenu | e Capital | Total |
| I. मूल अनुदानः | | I. ORIGINAL GRANT: | | | |
| | स्वीकृत | Voted: | 135.00 | 10.00 | 145.00 |
| इस समय आवश्यक रकम | | Supplementary Estimate of | | | |
| का पूरक अनुमान | | the amount now required: | | | |
| | स्वीकृत | Voted: | | 26.80 | 26.80 |
| जोड़ (मूल और पूरक) | | Total (Original plus Supplementary | 135.00 | 36.80 | 171.80 |
| | स्वीकृत | Voted: | 135.00 | 36.80 | 171.80 |

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

| | | | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ |
|------------------------------|---------|----------------------------------|--------|--------------|-------|
| | | | Plan | Non-Plan | Total |
| पूंजी भाग | | CAPITAL SECTION | | | |
| मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | | |
| 5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेव | गओं | 5475-Capital Outlay on other | | | |
| के लिए पूंजी परिव्यय | स्वीकृत | General Economic Services Voted: | : | 26.80 | 26.80 |
| जोड़ (पूरक) | स्वीकृत | Total (Supplementary) Voted: | ••• | 26.80 | 26.80 |

यह पूरक अनुदान बंगलौर और चेन्नई में निर्मित कार्यालय के स्थान की खरीद और जयपुर, कटक और चंडीगढ़ में कार्यालय परिसरों को निर्माण पर अतिरिक्त व्यय (26.80 करोड़ रुपए) हेतु माँगा गया है। चूँकि, अनुदान के राजस्व/स्वीकृत भाग से समतुल्य राशि अभ्यर्पित की जाएगी, अतः इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grant is sought for additional expenditure on purchase of built up office space at Bangalore and Chennai and construction of office complexes at Jaipur, Cuttack and Chandigarh (Rs.26.80 crore). As equivalent amount will be surrendered from the Revenue/Voted section of the Grant, this will not entail any cash outgo.

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 18, वर्ष 2006-2007 की पहली पूरक अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 12 और वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 13 देखिए)।

(See page 18 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007, page 12 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007 and page 13 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore) जोड पूंजी राजस्व Revenue Capital Total I. मूल अनुदानः I. ORIGINAL GRANT: भारित 0.020.02Charged: स्वीकृत Voted: 24655.88 339.60 24995.48 पूरक अनुदानः SUPPLEMENTARY GRANT: भारित Charged: 0.93 0.93 स्वीकृत Voted: 1.12 1 12 इस समय आवश्यक रकम Supplementary Estimate of का पूरक अनुमान the amount now required: भारित Voted: 0.01 0.01 0.02 जोड़ (मूल और पूरक) **Total (Original plus Supplementary)** 24657.96 339.61 24997.57 भारित 0.95 0.95 Charged: स्वीकृत Voted: 24657.01 339.61 24996.62

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

| | | | | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ |
|------------------------|---------|-------------------------|--------|--------|--------------|-------|
| राजस्व भाग | | REVENUE SECTION | | Plan | Non-Plan | Total |
| मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | | | |
| 2408-खाद्य, भंडारण और | 0 | 2408-Food, Storage and | | | | |
| भांडागारण | स्वीकृत | Warehousing | Voted: | | 0.01 (कa) | 0.01 |
| पूंजी भाग | | CAPITAL SECTION | | | | |
| मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | | | |
| 6860-उपभोक्ता उद्योगों | | 6860-Loans for Consumer | | | | |
| को ऋण | स्वीकृत | Industries | Voted: | | 0.01 (खb) | 0.01 |
| जोड़ (पूरक) | स्वीकृत | Total (Supplementary) | Voted: | ••• | 0.02 | 0.02 |

निम्नांकित उद्देश्यों के लिए पूरक अनुदान मांगा जा रहा है:

The supplementary grants are sought for the following purposes:

- चीनी के बफर स्टॉक के रखरखाव के लिए चीनी मिलों को अतिरिक्त सब्सिडी (30 करोड़ रुपए); और
 - (ii) गन्ना विकास संबंधी शोध परियोजनाओं पर काम कर रही विविध संस्थाओं को सहायता अनुदान (0.90 करोड़ रुपए)।
- अतिरिक्त सहायता (11.76 करोड़ रुपए)।
- चूंकि अनुदान के इस हिस्से में बचत उपलब्ध है, प्रत्येक मामले में सांकेतिक पूरक अनुदान मांगे जा रहे हैं।
- (a) (i) Additional subsidy to sugar factories for maintenance of buffer stock of sugar (Rs.30 crore); and
 - (ii) Grants-in-aid to various institutions dealing with research projects on sugarcane development (Rs.0.90 crore).
- (ख) बगासी आधारित सह-विद्युतनिर्माण परियोजना हेतु चीनी कारखानों को (b) Additional loans to sugar factories for bagasse based cogeneration power project (Rs.11.76 crore).

As savings are available within the same section of the Grant, token supplementaries are sought in each case.

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

845.08

48.00

मांग संख्या DEMAND NO. 19

संस्कृति मंत्रालय MINISTRY OF CULTURE

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 19 देखिए और वर्ष 2006-07 की अनुदानों की पूरक मांगों के पहले बैच का पृष्ठ 13 और वर्ष 2006-07 की अनुदानों की पूरक मांगों के दूसरे बैच का पृष्ट 14 देखिए)।

(See page 19 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007 and page 13 of First batch of Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007 and page 14 of second batch of supplementary Demands for Grants for the year 2006-07).

पुंजी जोड राजस्व Capital **Total** Revenue I. ORIGINAL GRANT: I. मूल अनुदानः स्वीकृत Voted: 772.00 48.00 820.00 SUPPLEMENTARY GRANT: पूरक अनुदानः स्वीकृत Voted: 25.06 25.06 इस समय आवश्यक रकम Supplementary Estimate of का पूरक अनुमान the amount now required: स्वीकृत Voted: 0.02 0.02 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary)

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः

Voted:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

797.08

| | | | | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ |
|-----------------------|---------|------------------------|--------|-----------|--------------|-------|
| | | | | Plan | Non-Plan | Total |
| राजस्व भाग | | REVENUE SECTION | | | | |
| मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | | | |
| 2205-कला एवं संस्कृति | स्वीकृत | 2205-Art and Culture | Voted: | 0.01 (कa) | 0.01 (खb) | 0.02 |
| जोड़ (पूरक) | | Total (Supplementary) | | 0.01 | 0.01 | 0.02 |

- ये पुरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए मांगे गए हैं:
- (क) भारतीय और विदेशी रंगमंच समूहो द्वारा नौवां भारत रंग महोत्सव कोलकाता में दूसरा उपग्रह उत्सव के आयोजना तथा दिल्ली एवं कोलकाता में नाटक साशा वालटूज के निर्माण हेतु राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को सहायता-अनुदान (2 करोड़ रुपए)।

स्वीकृत

- (ख) (i) लमही में मुंशी प्रेमचन्द स्मृति अनुसंधान एव अध्ययन केन्द्र की स्थापना हेतु (2 करोड़ रुपए)
 - (ii) मगन संग्रहालय ट्रस्ट, वर्धा को संचित निधि में वृद्धि करने के लिए सहायता अनुदान (4 करोड़ रुपए) ताकि ट्रस्ट अपने कार्यकलाप जारी रख सके
 - (iii) सेवाग्राम आश्रम ट्रस्ट वर्धा को सहायता अनुदान (5 करोड़ रुपए) ताकि आश्रम के प्राधिकारी संचित निधि सृजित कर सकें जिससे वे अपने कार्यकलाप जारी रख सकेंगे।
 - (iv) मुम्बई, मदुराई, पटना और बैरकपुर में चार क्षेत्रीय गांधी संग्रहालयों को एक-एक करोड़ रुपए की अतिरिक्त संचित निधि ताकि ट्रस्ट अपने कार्यकलाप जारी कर सकें।

चूंकि अनुदान के राजस्व भाग में बचते उपलब्ध हैं, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है। The supplementary grant are sought for the following purposes:

- (a) Grants-in-aid to National School of Drama (Rs.2 crore), for organizing 9th Bharat Rang Mahotsava by Indian and Foreign Theatre Groups, 2nd Sattellite Festival at Kolkata and production of play SASHA WALTZ in Delhi and Kolkata.
- (b) (i) For seeting up of Munsi Premchand Memorial Research and Study Centre at Lamhi (Rs.2 crore).
 - (ii) Grants-in-aid to Magan Sangrahalaya Trust, Wardha (Rs.4 crores) as enhancement of corpus fund, to enable the trust to continue with their activities.
 - (iii) Grants-in-aid to Sevagram Ashram Trust Wardha (Rs.5 crore) to enable the Ashram authority to create a corpus fund which will allow them to continue with their activities.
 - (iv) Additional corpus fund of Rs.1 crore each to four Regional Gandhi Museums at Mumbai, Madurai, Patna and Barrackpore to enable these trusts to continue with their activity.

As savings are available within the Revenue Section of the Grant, token supplementaries have been sought.

रक्षा पेंशन DEFENCE PENSIONS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 21 देखिए)। (See page 21 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

| | | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
|--------------------|-------------------------------------|----------|---------|----------|
| | | Revenue | Capital | Total |
| I. मूल अनुदानः | I. ORIGINAL GRANT: | | | |
| भारित | Charged: | 0.25 | | 0.25 |
| स्वीकृत | Voted: | 13223.75 | | 13223.75 |
| इस समय आवश्यक रकम | Supplementary Estimate of | | | |
| का पूरक अनुमान | the amount now required: | | | |
| स्वीकृत | Voted: | 582.00 | | 582.00 |
| जोड़ (मूल और पूरक) | Total (Original plus Supplementary) | 13806.00 | ••• | 13806.00 |
| भारित | Charged: | 0.25 | | 0.25 |
| स्वीकृत | Voted: | 13805.75 | | 13805.75 |

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

| | | | आयोजना Plan | आयोजना-भिन्न Non-Plan | जोड़ Total |
|----------------------|--------------------------|--------|----------------|--------------------------|---------------|
| राजस्व भाग | REVENUE SECTION | | | | |
| मुख्य शीर्ष | MAJOR HEAD | | | | |
| 2071- पेंशन तथा अन्य | 2071- Pensions and Other | | | | |
| सेवानिवृत्ति लाभ | Retirement Benefits | | | | |
| | स्वीकृत | Voted: | | 582.00 | 582.00 |

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता दिनॉक 1-1-2006 और 1-7-2006 से प्रभावी पेंशनरों को स्वीकृत अतिरिक्त मँहगाई राहत प्रदान करने के कारण हुए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए है। इस पूरक अनुदान के कारण 582 करोड़ रुपए का नकद व्यय होगा।

The Supplementary Grant is required for meeting additional expenditure owing to additional dearness relief sanctioned to pensioners with effect from 1.1.2006 and 1.7.2006. Cash outgo on account of this supplementary will be Rs.582 crore.

रक्षा सेवाएं - थल सेना **DEFENCE SERVICES - ARMY**

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 22 देखिए)। (See page 22 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

| | | | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
|--------------------|---------|-------------------------------------|----------|---------|----------|
| | | | Revenue | Capital | Total |
| I. मूल अनुदानः | | I. ORIGINAL GRANT: | | | |
| | भारित | Charged: | 14.10 | | 14.10 |
| | स्वीकृत | Voted: | 33191.04 | ••• | 33191.04 |
| इस समय आवश्यक रकम | | Supplementary Estimate of | | | |
| का पूरक अनुमान | | the amount now required: | | | |
| | भारित | Charged: | 3.59 | | 3.59 |
| जोड़ (मूल और पूरक) | | Total (Original plus Supplementary) | 33208.73 | ••• | 33208.73 |
| | भारित | Charged: | 17.69 | | 17.69 |
| | स्वीकृत | Voted: | 33191.04 | | 33191.04 |

- II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:

| | | | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ |
|-----------------------------|-------|------------------------------|--------|--------------|-------|
| | | | Plan | Non-Plan | Total |
| राजस्व भाग | | REVENUE SECTION | | | |
| मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | | |
| 2076-रक्षा सेवाएं - थल सेना | | 2076-Defence Services - Army | | | |
| | भारित | Charged: | | 3.59 | 3.59 |

यह पूरक विनियोग न्यायालय डिक्रियों से होने वाले अतिरिक्त व्यय की इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The Supplementary Appropriation is required for meeting पूर्ति हेतु अपेक्षित है। चूंकि, व्यय की प्रतिपूर्ति बचतों द्वारा की जाएगी, अतः additional expenditure arising out of Court decrees. There will be no cash outgo as the expenditure is matched by savings.

रक्षा सेवाएं - नौसेना DEFENCE SERVICES - NAVY

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 23 देखिए)। (See page 23 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

| | | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
|--------------------|-------------------------------------|---------|---------|---------|
| | | Revenue | Capital | Total |
| I. मूल अनुदानः | I. ORIGINAL GRANT: | | | |
| भारित | Charged: | 1.37 | | 1.37 |
| स्वीकृत | Voted: | 6790.41 | | 6790.41 |
| इस समय आवश्यक रकम | Supplementary Estimate of | | | |
| का पूरक अनुमान | the amount now required: | | | |
| स्वीकृत | Voted: | 98.86 | | 98.86 |
| जोड़ (मूल और पूरक) | Total (Original plus Supplementary) | 6890.64 | ••• | 6890.64 |
| भारित | Charged: | 1.37 | | 1.37 |
| स्वीकृत | Voted: | 6889.27 | | 6889.27 |

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

| | | | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ |
|----------------------------|---------|------------------------------|--------|--------------|-------|
| | | | Plan | Non-Plan | Total |
| राजस्व भाग | | REVENUE SECTION | | | |
| मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | | |
| 2077-रक्षा सेवाएं - नौसेना | | 2077-Defence Services - Navy | | | |
| | स्वीकृत | Voted: | | 98.86 | 98.86 |

यह पूरक अनुदान 'वेतन', 'परिवहन' और सुनामी पश्च परिचालन तथा रखरखाव संबंधी निर्माण कार्यों पर होने वाले अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु अपेक्षित है। चूंकि व्यय की प्रतिपूर्ति बचतों द्वारा की जाएगी, अतः इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The Supplementary Grant is required for meeting additional expenditure towards 'salaries', 'transportation' and on operational and maintenance works carried out post Tsunami. There will be no cash outgo as the expenditure is matched by savings.

रक्षा सेवाएं - वायु सेना **DEFENCE SERVICES - AIR FORCE**

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 24 देखिए)। (See page 24 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

| | | | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
|--------------------|---------|-------------------------------------|----------|---------|----------|
| | | | Revenue | Capital | Total |
| I. मूल अनुदानः | | I. ORIGINAL GRANT: | | | |
| | भारित | Charged: | 5.93 | | 5.93 |
| | स्वीकृत | Voted: | 10081.43 | | 10081.43 |
| इस समय आवश्यक रकम | | Supplementary Estimate of | | | |
| का पूरक अनुमान | | the amount now required: | | | |
| | स्वीकृत | Voted: | 34.46 | | 34.46 |
| जोड़ (मूल और पूरक) | | Total (Original plus Supplementary) | 10121.82 | ••• | 10121.82 |
| | भारित | Charged: | 5.93 | | 5.93 |
| | स्वीकृत | Voted: | 10115.89 | | 10115.89 |

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

| | | | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ |
|-------------------------------|---------|-----------------------------------|--------|--------------|-------|
| | | | Plan | Non-Plan | Total |
| राजस्व भाग | | REVENUE SECTION | | | |
| मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | | |
| 2078-रक्षा सेवाएं - वायु सेना | | 2078-Defence Services - Air Force | | | |
| | स्वीकृत | Voted: | | 34.46 | 34.46 |

यह पूरक अनुदान अतिरिक्त महंगाई भत्ते के भुगतान के कारण 'वेतन' बचतों द्वारा की जाएगी, अतः इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The Supplementary Grant is required for meeting additional के तहत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु अपेक्षित है। चूंकि व्यय की प्रतिपूर्ति expenditure under 'salaries' due to payment of additional DA. There will be no cash outgo as the expenditure is matched by savings.

रक्षा आयुध कारखाने **DEFENCE ORDNANCE FACTORIES**

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 25 देखिए)। (See page 25 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

| | | | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
|--------------------|---------|-------------------------------------|---------|---------|---------|
| | | | Revenue | Capital | Total |
| I. मूल अनुदानः | | I. ORIGINAL GRANT: | | | |
| | भारित | Charged: | 1.00 | | 1.00 |
| | स्वीकृत | Voted: | 1499.08 | ••• | 1499.08 |
| इस समय आवश्यक रकम | | Supplementary Estimate of | | | |
| का पूरक अनुमान | | the amount now required: | | | |
| | भारित | Charged: | 3.00 | ••• | 3.00 |
| जोड़ (मूल और पूरक) | | Total (Original plus Supplementary) | 1503.08 | ••• | 1503.08 |
| | भारित | Charged: | 4.00 | | 4.00 |
| | स्वीकृत | Voted: | 1499.08 | | 1499.08 |

- II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:

| | | | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ |
|-------------------------------|-------|--|--------|--------------|-------|
| | | | Plan | Non-Plan | Total |
| राजस्व भाग | | REVENUE SECTION | | | |
| मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | | |
| 2079-रक्षा सेवाएं-आयुध सेवाएं | | 2079-Defence Services-Ordnance Factories | | | |
| | भारित | Charged: | | 3.00 | 3.00 |

यह पूरक विनियोग न्यायालय डिक्रियों के कारण हुए अतिरिक्त व्यय की इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The Supplementary Appropriation is required to meet पूर्ति हेतु अपेक्षित है। चूंकि, व्यय की प्रतिपूर्ति बचतों द्वारा की जाएगी, अतः additional expenditure arising out of Court decree. There will be no cash outgo as the expenditure is matched by savings.

रक्षा सेवाएं - अनुसंधान और विकास **DEFENCE SERVICES - RESEARCH AND DEVELOPMENT**

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 26 देखिए)। (See page 26 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

| | | | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
|--------------------|---------|-------------------------------------|---------|---------|---------|
| | | | Revenue | Capital | Total |
| I. मूल अनुदानः | | I. ORIGINAL GRANT: | | | |
| | भारित | Charged: | 0.24 | | 0.24 |
| | स्वीकृत | Voted: | 3019.84 | | 3019.84 |
| इस समय आवश्यक रकम | | Supplementary Estimate of | | | |
| का पूरक अनुमान | | the amount now required: | | | |
| | स्वीकृत | Voted: | 10.68 | ••• | 10.68 |
| जोड़ (मूल और पूरक) | | Total (Original plus Supplementary) | 3030.76 | ••• | 3030.76 |
| | भारित | Charged: | 0.24 | | 0.24 |
| | स्वीकृत | Voted: | 3030.52 | | 3030.52 |

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

| | | | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ |
|------------------------------|---------------------|---------------|--------|--------------|-------|
| | | | Plan | Non-Plan | Total |
| राजस्व भाग | REVENUE SECTIO | N | | | |
| मुख्य शीर्ष | MAJOR HEAD | | | | |
| 2080-रक्षा सेवाएं - अनुसंधान | 2080-Defence Servic | es - Research | | | |
| और विकास | and Developme | ent | | | |
| | स्वीकृत | Voted: | ••• | 10.68 | 10.68 |

यह पूरक अनुदान विभिन्न परियोजनाओं पर 'अनुसंधान/अनुसंधान विकास' बचतों द्वारा की जाएगी, अतः इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The Supplementary Grant is required to meet additional के तहत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु अपेक्षित है। चूंकि, व्यय की प्रतिपूर्ति expenditure under 'Research/Research Development' on various projects. There will be no cash outgo as the expenditure is matched by savings.

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 28 तथा वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 17 देखिए)। (See page 28 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007 and page 17 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007).

| | | | | (करोड़ रुपए R | upees in Crore) |
|---------|-----------------------------|---|---|--|---|
| | | | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
| | | | Revenue | Capital | Total |
| | I. ORIGINAL GRANT: | | | | |
| स्वीकृत | | Voted: | 1253.74 | 109.05 | 1362.79 |
| | SUPPLEMENTARY GRAN | VT: | | | |
| स्वीकृत | | Voted: | | 2.00 | 2.00 |
| | Supplementary Estimate of | | | | |
| | the amount now required: | | | | |
| स्वीकृत | | Voted: | 0.50 | ••• | 0.50 |
| | Total (Original plus Supple | ementary) | | | |
| स्वीकृत | | Voted: | 1254.24 | 111.05 | 1365.29 |
| | स्वीकृत | स्वीकृत SUPPLEMENTARY GRAN स्वीकृत Supplementary Estimate of the amount now required: स्वीकृत Total (Original plus Supple | स्वीकृत Voted: SUPPLEMENTARY GRANT: रवीकृत Voted: Supplementary Estimate of the amount now required: रवीकृत Voted: Total (Original plus Supplementary) | Revenue I. ORIGINAL GRANT: स्वीकृत Voted: 1253.74 SUPPLEMENTARY GRANT: स्वीकृत Voted: Supplementary Estimate of the amount now required: स्वीकृत Voted: 0.50 Total (Original plus Supplementary) | राजस्व पूंजी Revenue Capital I. ORIGINAL GRANT: स्वीकृत Voted: 1253.74 109.05 SUPPLEMENTARY GRANT: स्वीकृत Voted: 2.00 Supplementary Estimate of the amount now required: स्वीकृत Voted: 0.50 Total (Original plus Supplementary) |

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

| | | | | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ |
|----------------------------|---------|----------------------------|--------|--------|--------------|-------|
| | | | | Plan | Non-Plan | Total |
| राजस्व भाग | | REVENUE SECTION | | | | |
| मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | | | |
| 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं | | 2070- Other Administrative | | | | |
| | स्वीकृत | Services | Voted: | | 0.50 | 0.50 |

इस पूरक अनुदान का अनुरोध पूर्वोत्तर परिषद के सचिवालय (एनईसी) के स्थापना सम्बन्धी अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए किया गया है। इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is sought for meeting additional establishment expenditure of the Secretariat of the North Eastern Council (NEC). This will entail cash outgo.

पर्यावरण और वन मंत्रालय MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 19; अनुदान की प्रथम पूरक मांगों का पृष्ठ 15 और अनुदान की द्वितीय पूरक मांगों का पृष्ठ 18 देखिए)।

(See page 29 of the Demands for Grants; page 15 of the First Supplementary Demands for Grants and page 18 of the Second Supplementary Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

| | | | | (करोड़ रुपए R | Rupees in Crore) |
|--------------------|---------|-------------------------------------|---------|---------------|------------------|
| | | | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
| | | | Revenue | Capital | Total |
| I. मूल अनुदानः | | I. ORIGINAL GRANT: | | | |
| | भारित | Charged: | | | |
| | स्वीकृत | Voted: | 1495.63 | 24.51 | 1520.14 |
| पूरक अनुदानः | | SUPPLEMENTARY GRANT: | | | |
| | भारित | Charged: | 0.21 | 0.60 | 0.81 |
| | स्वीकृत | Voted: | | ••• | |
| इस समय आवश्यक रकम | | Supplementary Estimate of | | | |
| का पूरक अनुमान | | the amount now required: | | | |
| | स्वीकृत | Voted: | 3.04 | | 3.04 |
| जोड़ (मूल और पूरक) | | Total (Original plus Supplementary) | 1498.88 | 25.11 | 1523.99 |
| | भारित | Charged: | 0.21 | 0.60 | 0.81 |
| | स्वीकृत | Voted: | 1498.67 | 24.51 | 1523.18 |

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

| | | आयोजना Plan | आयोजना-भिन्न Non-Plan | जोड़ Total |
|-------------------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------|---------------|
| राजस्व भाग | REVENUE SECTION | | | |
| मुख्य शीर्ष | MAJOR HEAD | | | |
| 2406-वन्य और वनजीवन | 2406-Forestry and Wildlife | 0.01 (কa) | 1.22 (खb) | 1.23 |
| 3435-पारिस्थितिकी और पर्यावरण | 3435-Ecology and Environment | 0.01 (тc) | 0.81 (ঘd) | 0.82 |
| 3451-सचिवालय आर्थिक सेवाएं | 3451-Secretariat Economic Services | | 0.99 (डe) | 0.99 |
| जोड़ (राजस्व भाग) | Total (Revenue Section) | 0.02 | 3.02 | 3.04 |

यह पुरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैं:

- अतिरिक्त सहायता अनुदान का भुगतानः 'जन्तुओं के कल्याण' योजना के अंतर्गत पशुओं के लिए शरण स्थानों जन्म नियंत्रण तथा घूमन्त कुत्तों का प्रतिरक्षण करने के लिए पशु कल्याण बोर्ड को (1.88 करोड़ रुपए);
 - निर्माण कार्य व्यय के लिए भारतीय वन्य प्रबंध संस्थान को (1.83 करोड़ रुपए):
 - गृहों में अनुसंधान परियोजनाएं शुरु करने के लिए वैज्ञानिक और कार्यालय उपकरण खरीदने तथा भवनों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए (2.03 करोड़ रुपए); तथा वन शिक्षा में संलग्न विभिन्न विश्वविद्यालयों को अदायगी के लिए (2.00 करोड़ रुपए) भारतीय वन्य प्रबंध और शिक्षा परिषद को;
 - बांस की परतों का निर्माण करने संबंधी प्रशिक्षण और प्रदर्शन हेत् प्रयोगिक संयंत्र सुविधा की स्थापना के लिए भारतीय प्लाइवुड उद्योग अनुसंधान संस्थान, बंगलोर को (1.20 करोड़ रुपए);
 - वैज्ञानिकों को सुविधाएं मुहैया कराने तथा क्षेत्रीय अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए भारतीय वन्य जीवन संस्थान, देहरादून को (2.00 करोड़ रुपए); और

The supplementary grant is required for following purposes:

- (a) (i) Payment of additional grants-in-aid to:
 - Animal Welfare Board for shelters for animals, birth control and immunisation of stray dogs under the scheme 'Welfare of Animals' (Rs. 1.88 crore);
 - Indian Institute of Forestry Management for works expenditure (Rs. 1.83 crore);
 - Indian Council of Forestry Management and Education for purchase of scientific and office equipment for undertaking in-house research projects and repairs and maintenance of buildings (Rs. 2.03 crore); and for payment to various universities for imparting forest education (Rs. 2.00 crore);
 - Indian Plywood Industries Research Institute, Bangalore for establishment of pilot plant facility to manufacture bamboo laminates for training and demonstration (Rs 1.20 crore);
 - Wildlife Institute of India, Dehradun for providing facilities to scientists and imparting training to field officers (Rs. 2.00 crore); and

- भारतीय चिड़िया घरों में विकास कार्य शुरु करने और उनकी कार्य परिस्थितियों में सुधार करने के लिए केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को (3.63 करोड़ रुपए)
- (ii) 'भारतीय वन सर्वेक्षण' योजना के अंतर्गत 'राष्ट्रीय वन्य डाटाबेस प्रबंध प्रणाली' और 'सतत वन प्रबंध, प्रमाणन और व्यापार'-नामक दो नये उप-अंगों के कार्यान्वयन के लिए (0.40 करोड़ रुपए);

चूंकि बचतें अनुदान के उसी खंड में उपलब्ध हैं, सांकेतिक पूरक मांग मांगी गयी है।

- (ख) (i) भारतीय वनविद्या अनुसंधान और शिक्षा परिषद को अनुसंधान कार्यकलापों को शुरु करने तथा स्थापना व्यय को पूरा करने के लिए (1.50 करोड़ रुपए) तथा (ii) राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में पशुओं के भरण-पोषण के लिए (0.01 करोड़ रुपए)। अनुदान के उसी खंड में 0.29 करोड़ रुपए के पुनर्विनियोग के बाद, अनुदान के पूंजी खंड से 1.22 करोड़ रुपए सुपुर्द कर दिए जाएंगे। यह कोई अपरिहार्य नकद व्यय नहीं होगा।
- (ग) निम्नलिखित अतिरिक्त अनुदान सहायता की अदायगी :
 - (i) विभिन्न संस्थानों को पर्यावरण शिक्षा प्रशिक्षण योजना के लिए (5.00 करोड़ रुपए)।
 - (ii) विदेशी सहायता-प्राप्त परियोजना के लिए एक करोड़ रुपए सहित भारतीय जैव विविधता प्राधिकरण और जैव विविधता संरक्षण योजना के लिए अन्य संस्थानों को (2.30 करोड़ रुपए)।
 - (iii) विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना के अन्तर्गत विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के व्यय सिहत खतरनाक पदार्थ प्रबंध योजना के अंतर्गत नयी अभिक्रिया, भंडारण और निपटान सुविधाओं के सृजन के लिए (2.49 करोड़ रुपए)।
 - (iv) विभिन्न संस्थानों में अनुसंधान और विकास योजना के तहत चल रही परियोजनाओं और नयी परियोजनाओं के लिए भी (0.50 करोड़ रुपए)।
 - (v) 'प्रदूषण के उपशमन के लिए सहायता' योजना के अंतर्गत राज्य प्रदूषण बोर्डों के प्रस्तावों को कार्यान्वित करने के लिए (1.43 करोड़ रुपए)।
 - (vi) 'पर्यावरण की परिस्थिति' योजना के तहत विभिन्न संस्थानों को (0.66 करोड़ रुपए)।
 - (vii) 'उत्कृष्ट केन्द्रों' योजना के अंतर्गत पर्यावरणीय शिक्षा के सुद्दबीकरण के लिए विभिन्न केन्द्रों को (0.38 करोड़ रुपए)।
 - (viii)ग्लेशियर अध्ययन केन्द्र की स्थापना के लिए जी.बी.पंत हिमालय पर्यावरण और विकास संस्थान (1.14 करोड़ रुपए)।
 - (ix) चार बायोस्फेर रिजर्व हेतु प्रबंध योजनाएं शुरु करने के लिए विभिन्न संस्थानों को (0.07 करोड़ रुपए)।
 - (x) नयी चिन्हित वेटलैंड कार्य योजनाओं के लिए विभिन्न संस्थानों को (0.60 करोड़ रुपए)।
 - (xi) कच्छ वन्सपित ईको-सिस्टम योजना में चल रही अनुसंधान पिरयोजनाओं के लिए विभिन्न संस्थानों को (1.00 करोड़ रुपए)।
 - (xii) जलवायु परिवर्तन अध्ययन से संबंधित नयी परियोजनाओं और कार्यकलापों के लिए विभिन्न संस्थानों को (0.19 करोड़ रुपए)। चूंकि बचतें अनुदान के उसी खंड में उपलब्ध हैं, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा है।
- (घ) (i) अंतर्राष्ट्रीय निकायों को अंशदान की अदायगी (0.80 करोड़ रुपए)। इसी के समकक्ष राशि अनुदान के पूंजी खंड से सुपुर्द की जाएगी, तकनीकी पुरक अनुदान मांगी है।
 - (ii) स्थापना संबंधी व्यय के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली को अनुदान सहायता (0.85 करोड़ रुपए)। चूंकि बचतें अनुदान के उसी खंड में उपलब्ध हैं, सांकेतिक पूरक अनुदान मंगा है।
- (ड) (i) न्यायालय के मामलों के निपटान के लिए नये नियुक्त विद्यायी सहायकों की व्यावसायिक सेवाओं के व्यय के लिए (0.04 करोड़ रुपए); और (ii) स्थापना संबंधी व्यय में वृद्धि होने पर (0.95 करोड़ रुपए)। चूंकि इसके समकक्ष राशि अनुदान की पूंजी खंड से दी जाएगी, यह तकनीकी पूरक अनुदान मांगा है।

- Central Zoo Authority for undertaking development work in Indian zoos and improving their working conditions (Rs. 3.63 crore).
- (ii) To implement two new sub-components 'National Forestry Database Management Systems' and 'Sustainable Forest Management, Certification and Trade' under the scheme 'Forest Survey of India' (Rs. 0.40 crore);

As savings are available within the same section of the grant, a token supplementary is sought.

- (b) (i) Indian Council of Forestry Research and Education for undertaking research activities and meeting establishment expenditure (Rs. 1.50 crore); and (ii) providing feed to animals at National Zoological Park (Rs. 0.01 crore). After reappropriation of Rs. 0.29 crore within the same section of the grant, Rs. 1.22 crore will be surrendered from Capital section of the grant. This will not entail any cash outgo.
- (c) Payment of additional grants-in-aid to:
 - (i) various institutions for Environment Education Training Scheme (Rs. 5.00 crore).
 - (ii) Bio Diversity Authority of India and other institutions for Bio Diversity Conservation scheme including rupees one crore for Externally Aided Project (Rs. 2.30 crore).
 - (iii) for creating new treatment, storage and disposal facilities for Hazardous Substances Management Scheme including expenditure for various international conventions under Externally Aided Project (Rs. 2.49 crore).
 - (iv) various institutions for on-going projects and also on new projects under the Research & Development scheme (Rs. 0.50 crore).
 - (v) For implementation of proposals for State Pollution Boards under the scheme 'Assistance for Abatement of Pollution' (Rs. 1.43 crore).
 - (vi) various institutions under the scheme 'State of Environment' (Rs. 0.66 crore).
 - (vii) various centres for strengthening environment education under the scheme 'Centres of Excellence' (Rs. 0.38 crore).
 - (viii)G.B. Pant Himalayan Institute of Environment and Development for setting up Glacier Study Centre, etc. (Rs. 1.14 crore).
 - (ix) various institutions for undertaking management plans for four biosphere reserves (Rs. 0.07 crore).
 - (x) various institutions for action plans of newly identified wetlands (Rs. 0.60 crore).
 - (xi) various institutions for ongoing research projects in the scheme Mangroves Eco-systems (Rs. 1.00 crore).
 - (xii) various institutions for new projects and activities relating to climate change study (0.19 crore).

As savings are available within the same section of the grant, a token supplementary is sought.

- (d) (i) Payment of contribution to international bodies (Rs. 0.80 crore). As an equivalent amount will be surrendered from Capital section of the grant, a technical supplementary is sought.
 - (ii) Grants-in-aid to Central Pollution Control Board, New Delhi for establishment related expenditure (Rs. 0.85 crore). As savings are available within the same section of the grant, a token supplementary is sought.
- (e) (i) For expenditure on professional services of newly appointed Legal Assistants for disposing court cases (Rs. 0.04 crore); and (ii) increase in establishment related expenditure (Rs. 0.95 crore). As an equivalent amount will be surrendered from Capital section of the grant, a technical supplementary is sought.

विदेश मंत्रालय MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 30, वर्ष 2006-07 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 16 और अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 19 देखिए)।

(See page 30 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007, page 16 of the First Supplementary Demands for Grants and page 19 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2006-07).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

| | | | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
|--------------------|---------|-------------------------------------|---------|---------|---------|
| | | | Revenue | Capital | Total |
| I. मूल अनुदानः | | I. ORIGINAL GRANT: | | | |
| | भारित | Charged: | 0.03 | | 0.03 |
| | स्वीकृत | Voted: | 3464.61 | 230.41 | 3695.02 |
| पूरक अनुदानः | | SUPPLEMENTARY GRANT: | | | |
| | स्वीकृत | Voted: | 242.19 | | 242.19 |
| इस समय आवश्यक रकम | | Supplementary Estimate of | | | |
| का पूरक अनुमान | | the amount now required: | | | |
| | स्वीकृत | Voted: | 185.81 | | 185.81 |
| जोड़ (मूल और पूरक) | | Total (Original plus Supplementary) | | | |
| | भारित | Charged: | 0.03 | | 0.03 |
| | स्वीकृत | Voted: | 3892.61 | 230.41 | 4123.02 |

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

| | | | | आयोजना Plan | आयोजना-भिन्न Non-Plan | जोड़ Total |
|---|---------|---|--------|----------------|--------------------------|---------------|
| <i>राजस्व भाग</i> मुख्य शीर्ष 2052- सचिवालय सामान्य | | REVENUE SECTION MAJOR HEAD 2052-Secretariat General | | | | |
| सेवाएं | स्वीकृत | Services | Voted: | ••• | 3.92 (क a) | 3.92 |
| 2061- विदेश | स्वीकृत | 2061-External Affairs | Voted: | | 181.89 (खb) | 181.89 |
| जोड़ - (पूरक) | स्वीकृत | Total - (Supplementary) | Voted: | ••• | 185.81 | 185.81 |

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए अपेक्षित है:-

- The supplementary grants are required for the following purposes:-
- (क) वेतन में अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए (3.92 करोड़ रुपए)
- (ख) निम्नलिखित पर अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए:
 - (i) विशेष राजनियक व्यय के तहत आपातिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारत की आकस्मिकता निधि से 100 करोड़ रुपए के अग्रिम की प्रतिपूर्ति।
 - (ii) राजदूतावास और मिशन (51.41 करोड़ रुपए), पासपोर्ट और अत्प्रवास (2.48 करोड़ रुपए) और 28 करोड़ रुपए केम्ब्रिज विश्वविद्यालय (यू.के.) में एक पीठ के निर्माण हेतु।
- उपर्युक्त के लिए 185.81 करोड़ रुपए का निवल नकद व्यय होगा।

- (a) For meeting the additional requirement in salaries (Rs.3.92 crore)
- (b) For meeting additional expenditure on:
 - (i) Recoupment of advance from the Contingency Fund of India, of Rs.100 crore for meeting urgent requirement under Special Diplomatic Expenditure.
 - (ii) Embassies & Missions (Rs.51.41 crore), Passport & Emigration (Rs.2.48 crore), and Rs.28 crore for creation of a Chair in the University of Cambridge (UK).

The above will entail a net cash outgo of Rs.185.81crore

आर्थिक कार्य विभाग DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 31 तथा वर्ष 2006-2007 की अनुदानों के पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 17 तथा वर्ष 2006-07 की अनुदानों की दूसरी पूरक माँगों का पृष्ठ 21 देखिए)।

(See page 31 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007 and page 17 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007 and page 21 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

| | | | | राजस्व | पूजा | ডাঙ্ |
|--------------------|---------|-----------------------------|-------------|---------|---------|---------|
| | | | | Revenue | Capital | Total |
| I. मूल अनुदानः | | I. ORIGINAL GRANT: | | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 2887.82 | 658.01 | 3545.83 |
| पूरक अनुदानः | | SUPPLEMENTARY GRAN | <i>√T</i> : | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| इस समय आवश्यक रकम | | Supplementary Estimate of | | | | |
| का पूरक अनुमान | | the amount now required: | | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 445.99 | 6000.00 | 6445.99 |
| जोड़ (मूल और पूरक) | | Total (Original plus Supple | ementary) | | | |
| - 5 | स्वीकृत | | Voted: | 3333.83 | 6658.02 | 9991.85 |

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

| | | | | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ |
|--------------------------|---------|------------------------------|--------|--------|--------------|---------|
| | | | | Plan | Non-Plan | Total |
| राजस्व भाग | | REVENUE SECTION | | | | |
| मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | | | |
| 3075-अन्य परिवहन | | 3075-Other Transport | | | | |
| सेवाएं | स्वीकृत | Services | Voted: | | 443.08 (कa) | 443.08 |
| 3475-अन्य सामान्य आर्थिक | | 3475-Other General | | | | |
| सेवाएं | स्वीकृत | Economic Services | Voted: | | 2.91 (खb) | 2.91 |
| जोड़ पूंजी भाग | स्वीकृत | Total Revenue Section | Voted: | ••• | 445.99 | 445.99 |
| पूंजी भाग | | CAPITAL SECTION | | | | |
| मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | | | |
| 5475-अन्य सामान्य आर्थिक | | 5475-Capital Outlay on | | | | |
| सेवाओं पर | | Other General | | | | |
| पूंजी परिव्यय | स्वीकृत | Economic Services | Voted: | | 6000.00 (गc) | 6000.00 |
| जोड़ (पूरक) | स्वीकृत | Total (Supplementary) | Voted: | ••• | 6445.99 | 6445.99 |

पूरक अनुदान निम्न प्रयोजनों के लिए मांगा गया है:

- (क) लाभांश राहत और अन्य रियायतों के लिए अतिरिक्त सब्सिडियां प्रदान करने के लिए (134.08 करोड़ रुपए) और सामरिक महत्व की रेल लाइनों के प्रचालन से हुई हानियों की क्षतिपूर्ति (309 करोड़ रुपए)। इस पर नकद व्यय होगा।
- (ख) वर्ष 1991 में कम्बोडिया की सरकार को दिए गए अधिकतम ऋण के संबंध में बकाया देनदारियों (2.91 करोड़ रुपए) को समाप्त करना। चूंकि इसी मात्रा की समकक्ष राशि प्राप्त कर ली जाएगी, इस पर नकद व्यय नहीं होगा।
- (ग) सामाजिक और अवसंरचना विकास के लिए पहलों के वित्तपोषण के लिए 6500 करोड़ रुपए का व्यय पूरा करने के लिए। प्रारम्भ में इस प्रावधान को सरकारी खाते में अंतरित किया जाएगा। इसके बाद में 2007-08 के बजट में घोषित योजनाओं सहित विभिन्न कम्पनियों को अंतरित किया जाएगा। इन योजनाओं में साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति, भूजल पुनर्भरण, ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा, कौशल विकास आदि शामिल हैं। चूंकि यह अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों (500 करोड़ रुपए) से आंशिक रूप से पूरा किया जाएगा, शेष राशि (6000 करोड़ रुपए) का पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary grant is sought for the following purposes:

- (a) For providing additional subsidies to Railways towards dividend relief and other concessions (Rs. 134.08 crore) and reimbursement of losses to Railways on operating Strategic Railway Lines (Rs.309 crore). This will entail cash outgo.
- (b) Waiver of outstanding dues (Rs.2.91 crore) in respect of line of credit extended to Government of Cambodia in 1991. As this will be matched by receipts of an equivalent amount, there will be no cash outgo.
- (c) For meeting the expenditure of Rs.6500 crore towards funding initiatives for social and infrastructure development. The provision would be transferred initially to Public Account and thereafter eventually transferred to various entities for schemes including those announced in Budget 2007-2008. These schemes include Means- cum-merit scholarships, Ground water recharge, Social security for rural landless households, skills development, etc. As this will be partly met by savings (Rs.500 crore) available within the same section of the Grant, supplementary for the balance amount (Rs.6000 crore) is sought.

करेंसी, सिक्का निर्माण और स्टाम्प CURRENCY, COINAGE AND STAMPS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 32 देखिए)। (See page 32 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore) पूंजी जोड राजस्व Revenue Capital Total I. मूल अनुदानः I. ORIGINAL GRANT: भारित Charged: स्वीकृत Voted: 0.92 0.08 1.00 इस समय आवश्यक रकम Supplementary Estimate of का पूरक अनुमान the amount now required: स्वीकृत Voted: 96.37 96.37 जोड़ (मूल और पूरक) **Total (Original plus Supplementary)** स्वीकृत 0.92 96.45 97.37

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

| | | | | आयोजना Plan | आयोजना-भिन्न Non-Plan | जोड़ Total |
|-----------------------------|---------|------------------------|--------|----------------|--------------------------|---------------|
| पूंजी भाग | | CAPITAL SECTION | | | | |
| मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | | | |
| 4046-करेंसी, सिक्का निर्माण | | 4046-Capital Outlay on | | | | |
| और टकसालों पर | | Currency, Coinage | | | | |
| पूंजी परिव्यय | स्वीकृत | and Mint | Voted: | | 96.37 | 96.37 |

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता भारतीय प्रतिभूति मुद्रणालय और टकसाल निगम लि. से सिक्कों की खरीद हेतु है। The supplementary grant is required for purchase of coins from Security Printing and Minting Corporation of India Limited (SPMCIL).

चूंकि समकक्ष राशि की प्रतिपूर्ति राजस्व प्राप्तियों से की जाएगी, इसलिए इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा। As this will be matched by revenue receipts of an equivalent amount, there will be no cash outgo.

वित्तीय संस्थाओं को अदायगियां PAYMENTS TO FINANCIAL INSTITUTIONS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 33 और वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 18 तथा वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 22 देखिए)।

(See page 33 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007, page 18 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007 and page 22 of the Second Supplementary Demands for Grant for the year 2006-2007).

| | | | | | (करोड़ रुपए I | Rupees in Crore) |
|--------------------|---------|-----------------------------|------------|----------|---------------|------------------|
| | | | | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
| | | | | Revenue | Capital | Total |
| I. मूल अनुदानः | | I. ORIGINAL GRANT: | | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 4169.43 | 232.80 | 4402.23 |
| पूरक अनुदानः | | SUPPLEMENTARY GRAN | T : | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 6567.77 | 42.46 | 6610.23 |
| इस समय आवश्यक रकम | | Supplementary Estimate of | | | | |
| का पूरक अनुमान | | the amount now required: | | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 0.01 | | 0.01 |
| \ | | | | | | |
| जोड़ (मूल और पूरक) | | Total (Original plus Supple | • / | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 10737.21 | 275.26 | 11012.47 |

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

| | | | | आयोजना Plan | आयोजना-भिन्न Non-Plan | जोड़ Total |
|------------------------------------|---------|---|--------|----------------|--------------------------|---------------|
| राजस्व भाग मुख्य शीर्ष | | REVENUE SECTION MAJOR HEAD | | | | |
| 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं | स्वीकृत | 3475-Other General Economic Services | Voted: | | 0.01 | 0.01 |

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता इण्डियन ओवरसीज बैंक को अनिवासी विदेशी मुद्रा (एफसीएनआर) (ए) जमा योजना में इसके ब्याज संबंधी दावों में कमी होने के कारण हुई विनिमय हानि (36.97 करोड़ रुपए) के संबंध में भुगतान करने के लिए है।

चूंकि अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान के लिए अनुरोध किया गया है।

The supplementary grant is required to make payments to Indian Overseas Bank for exchange loss (Rs.36.97 crore) on account of shortfall in its interest claims on Foreign Currency Non-Resident (FCNR) (A) deposit scheme.

As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

संख्या NO.34 (विनियोग) (APPROPRIATION)

ब्याज अदायगी INTEREST PAYMENTS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 34 देखिए)। (See page 34 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

| | | | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
|--------------------|---------|-------------------------------------|-----------|---------|-----------|
| | | | Revenue | Capital | Total |
| I. मूल अनुदानः | | I. ORIGINAL GRANT: | | | |
| | भारित | Charged: | 145822.60 | | 145822.60 |
| | स्वीकृत | Voted: | | | |
| इस समय आवश्यक रकम | | Supplementary Estimate of | | | |
| का पूरक अनुमान | | the amount now required: | | | |
| | भारित | Charged: | 4869.25 | | 4869.25 |
| जोड़ (मूल और पूरक) | | Total (Original plus Supplementary) | 150691.85 | ••• | 150691.85 |
| | भारित | Charged: | 150691.85 | | 150691.85 |
| | स्वीकृत | Voted: | | | |

- II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:

| | | | | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ |
|-------------------|-------|------------------------|----------|--------|--------------|---------|
| | | | | Plan | Non-Plan | Total |
| राजस्व भाग | | REVENUE SECTION | | | | |
| मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | | | |
| 2049-ब्याज भुगतान | | 2049-Interest Payments | | | | |
| - | भारित | | Charged: | | 4869.25 | 4869.25 |

इस पूरक विनियोग की आवश्यकता मुख्यतया 'क्षतिपूर्ति और अन्य बॉण्ड', 'बाजार स्थिरीकरण योजना' और 'सरकारी हुंडियों पर छूट' संबंधी अदायगियों से होने वाले अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए है।

इस पूरक विनियोग में 4869.25 करोड़ रुपए का निवल नकद व्यय होगा।

The supplementary appropriation is required to meet additional expenditure arising out of payments, mainly, on 'Compensation & Other Bonds', 'Market Stablisation Scheme' and 'Discount on Treasury Bills'.

This supplementary entails a net cash outgo of Rs.4869.25 crore.

राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की अन्तरण TRANSFERS TO STATE AND UNION TERRITORY GOVERNMENTS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 35 देखिए और 2006-07 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 20 और अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों के दूसरे बैच का पृष्ठ 24 देखिए)।

(See page 35 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007 and page 20 of the First Supplementary Demands for Grants and page 24 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2006-07).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore) जोड राजस्व पूंजी Capital **Total** Revenue I. मूल अनुदानः I. ORIGINAL GRANT: भारित Charged: 29406.50 5000.00 34406.50 स्वीकृत Voted: 28924.79 28924.79 पूरक अनुदानः SUPPLEMENTARY GRANT: भारित 195.61 195.61 Charged: स्वीकृत Voted: 12293.03 12293.03 इस समय आवश्यक रकम Supplementary Estimate of का पूरक अनुमान the amount now required: 700.00 भारित 700.00 Charged: स्वीकृत 8947.39 Voted: 8947.39 जोड़ (मूल और पूरक) 5700.00 **Total (Original plus Supplementary)** 79767.32 85467.32 भारित 35302.11 Charged: 29602.11 5700.00 स्वीकृत 50165.21 Voted: 50165.21

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

| | | | | आयोजना Plan | आयोजना-भिन्न Non-Plan | जोड़ Total |
|---|---------|---|----------|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| राजस्व भाग मुख्य शीर्ष 2245- प्राकृतिक आपदाओं के कारण में राहत | स्वीकृत | REVENUE SECTION MAJOR HEAD 2245-Relief on Account of Natural Calamities | Voted: | | 500.00(⊕a) | 500.00 |
| 2075- विविध सामान्य सेवाएं | स्वीकृत | 2075-Miscellaneous General Services | Voted: | | 8447.39(खb) | 8447.39 |
| जोड़ - राजस्व भाग <i>पूंजी भाग</i> मुख्य शीर्ष | स्वीकृत | Total - Revenue Section CAPITAL SECTION MAJOR HEAD | Voted: | ••• | 8947.39 | 8947.39 |
| 7601- राज्य सरकारों को ऋण और अग्रिम | भारित | 7601-Loans and Advances to State Governments | Charged: | 700.00 (ग c) | | 700.00 |
| जोड़ (पूरक) | भारित | Total (Supplementary) | Charged: | 700.00 700.00 | 8947.39 | 9647.39 700.00 |
| | स्वीकृत | | Voted: | | 8947.39 | 8947.39 |

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए मांगा है:-

The supplementary grants are required for the following purposes:-

- (क) अत्यधिक भयंकर स्वरूप की आपदाओं के लिए राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से राज्यों को सहायता देने के लिए (500 करोड़ रुपए)। चूंकि यह राशि एनसीसीएफ से पूरी की जाएगी, इसलिए इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।
- (a) For assistance to the States from National Calamity Contingency Fund for calamities of severe nature (Rs.500 crore). Since the amount will be met from the NCCF, there will be no cash outgo.

- (ख) 12वें वित्त आयोग के पंचाट के अंतर्गत ऋण माफी योजना के तहत राज्य सरकारों को दिए गए ऋणों को बट्टे खाते डालना (4617.10 करोड़ रुपए), ग्यारहवें वित्त आयोग की सामान्य ऋण राहत योजना के तहत गुजरात सरकार को 58.29 करोड़ रुपए की ऋण-छूट और उग्रवाद के दौर में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए पंजाब सरकार को दिए गए ऋण और उस पर अर्जित ब्याज जो 3772 करोड़ रुपए बैढता है, को माफ करने के लिए। इनकी पूर्ति प्राप्तियों से की जाएगी और इसलिए कोई नकद व्यय नहीं होगा।
- (ग) ईएपी संबंधी ऋण संघटक मुहैया कराने के लिए बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ईएपी) (700 करोड़ रुपए)। राजस्व (भारित) भाग में समतुल्य बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए तकनीकी पूरक अनुदान मांगा गया है।
- (b) Write off of loans to the State Governments under Debt Waiver Scheme under the 12th Finance Commission Award (Rs.4617.10 crore), Debt waiver of Rs.58.29 crore to the Government of Gujarat under the General Debt Relief Scheme of the Eleventh Finance Commission and waiver of loan and accrued interest amounting to Rs.3772 crore to the Government of Punjab for combating terrorism during the period of militancy. These will be matched by receipts, and hence will not entail any cash outgo.
- (c) To provide loan component under Externally Aided Projects (EAP) (Rs.700 crore). Matching savings are available in the Revenue (Charged) section, hence technical supplementary is sought.

संख्या NO.37 (विनियोग) (APPROPRIATION)

ऋण की वापसी अदायगी REPAYMENT OF DEBT

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 37 देखिए)। (See page 37 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

| | | | | , , , , , | | , |
|--------------------|-------|---|----------|-----------|--------------|--------------|
| | | | | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
| | | | | Revenue | Capital | Total |
| I. मूल अनुदानः | | I. ORIGINAL GRANT: | | | | |
| 0 | भारित | | Charged: | | 1098307.66 | 1098307.66 |
| इस समय आवश्यक रकम | | Supplementary Estimate of | of | | | |
| का पूरक अनुमान | | the amount now required: | | | | |
| | भारित | • | Charged: | | 349581.44 | 349581.44 |
| जोड़ (मूल और पूरक) | | Total (Original plus Sup | ~ | | | |
| | भारित | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | Charged: | ••• | 1447889.10 | 1447889.10 |
| | | II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः | | | | |
| | | II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Heads: | | | | |
| | | | 1 | आयोजना | आयोजना-भि | |
| | | | | Plan | Non-Pla | n Total |
| पूंजी भाग | | CAPITAL SECTION | | | | |
| ू मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | | | |
| 6001-केन्द्र सरकार | | 6001-Internal Debt of | | | | |
| का आन्तरिक ऋण | भारित | Cental Government | Charged: | | 349400.94 (ā | 5a)349400.94 |
| | | | C | | , | |
| 6002-विदेशी ऋण | भारित | 6002-External Debt | Charged: | | 180.50 (₹ | ab) 180.50 |
| | | | S | | , | , |
| जोड़ (पूरक) | भारित | Total (Supplementary) | Charged: | ••• | 349581.44 | 349581.44 |

इस पूरक विनियोग की आवश्यकता निम्नलिखित के लिए निधियों की अतिरिक्त जरूरत को पूरा करने के लिए है:

- (क) सामान्य बाजार उधारों के तहत 14-दिवसीय राजकोषीय हुण्डियों (389311 करोड़ रुपए), 91-दिवसीय राजकोषीय हुण्डियों (36915 करोड़ रुपए), 182-दिवसीय राजकोषीय हुण्डियों (4192 करोड़ रुपए), 364-दिवसीय राजकोषीय हुण्डियों (1159 करोड़ रुपए), के उन्मोचन, अफ्रीकी विकास निधि (1.46 करोड़ रुपए), अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (795.97 करोड़ रुपए), 10 प्रतिशत राहत बाण्ड, 1993 (0.12 करोड़ रुपए), 8.50 प्रतिशत राहत बाण्ड, 2001 (533.93 करोड़ रुपए) के लिए। चूंकि विनियोग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए शेष राशि हेतु पूरक अनुदान के लिए अनुरोध किया गया है।
- (ख) विदेशी ऋण की अदायगी।

चूंकि व्यय की पूर्ति प्राप्तियों द्वारा की जाएगी, इसलिए इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा। The Supplementary Appropriation is required to meet additional requirement of funds towards:

- (a) Discharge of 14 day Treasury Bills (Rs.389311 crore), 91 day Treasury Bills (Rs.36915 crore), 182 day Treasury Bills (Rs.4192 crore), 364 day Treasury Bills (Rs. 1159 crore) under normal market borrowings, African Development Fund (Rs.1.46 crore), International Monetary Fund (Rs.795.97 crore), 10% Relief Bonds, 1993 (Rs.0.12 crore), 8.50% Relief Bonds, 2001 (Rs.533.93 crore). As savings are available within the Appropriation, supplementary for the balance amount is sought.
- (b) Repayment of External Debt.

There will be no cash outgo as expenditure will be matched by receipts.

व्यय विभाग DEPARTMENT OF EXPENDITURE

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 38 और वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 25 देखिए)। (See page 38 of the Demands for Grants of Central Government and page 25 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007).

| | | | | (करोड़ रुपए Rupees in Ci | | | |
|--------------------|---------|-----------------------------|-----------|--------------------------|---------|-------|--|
| | | | | राजस्व | पूंजी | जोड़ | |
| | | | | Revenue | Capital | Total | |
| I. मूल अनुदानः | | I. ORIGINAL GRANT: | | | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 29.45 | | 29.45 | |
| पूरक अनुदानः | | SUPPLEMENTARY GRANT: | | | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 3.72 | | 3.72 | |
| इस समय आवश्यक रकम | | Supplementary Estimate of | | | | | |
| का पूरक अनुमान | | the amount now required: | | | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 3.46 | 5.00 | 8.46 | |
| जोड़ (मूल और पूरक) | | Total (Original plus Supple | ementary) | | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 36.63 | 5.00 | 41.63 | |

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

| | | | | आयोजना Plan | आयोजना-भिन्न Non-Plan | जोड़ Total |
|-----------------------------|---------|------------------------------|----------|----------------|--------------------------|---------------|
| राजस्व भाग | | REVENUE SECTION | | | | |
| मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | | | |
| 2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं | | 2052-Secretariat General Se | ervices | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | ••• | 2.83 (कa) | 2.83 |
| 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं | | 2070-Other Administrative | Services | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | ••• | 0.63 (खb) | 0.63 |
| जोड़ राजस्व भाग | स्वीकृत | Total Revenue Section | Voted: | ••• | 3.46 | 3.46 |
| पूंजी भाग | | CAPITAL SECTION | | | | |
| मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | | | |
| 7475-अन्य सामान्य आर्थिक | | 7475-Loans for other General | ral | | | |
| सेवाओं के लिए ऋण | स्वीकृत | Economic Services | Voted: | | 5.00 (गc) | 5.00 |
| जोड़ (पूरक) | स्वीकृत | Total (Supplementary) | Voted: | ••• | 8.46 | 8.46 |

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु मांगा गया हैः

- (क) व्यय विभाग के कार्यालय के जीर्णोद्वार तथा सूचना प्रौद्योगिकी के व्यय की पूर्ति हेतु (2.83 करोड़ रुपए)।
- (ख) सरकारी लेखा और वित्त संस्थान (आईएनजीएएफ) की आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण हेतु (0.63 करोड़ रुपए)।
- (ग) भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज (एएससीआई), हैदराबाद को ब्याज-मुक्त ऋण (5करोड़ रुपए) उपलब्ध कराने हेतु।

इनमें निवल नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for the following purposes:

- (i) For meeting expenditure in connection with renovation of office of Department of Expenditure and for information technology (Rs. 2.83 crore).
- (ii) For strengthening the infrastructure of Institute of Government Accounts and Finance (INGAF) (Rs. 0.63 crore)
- (iii) For providing interest free loan (Rs. 5 crore) to the Administrative Staff College of India (ASCI), Hyderabad.

These will entail net cash out go.

पेंशन PENSIONS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 39 देखिए)। (See page 39 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

| | | | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
|--------------------|---------|-------------------------------------|---------|---------|---------|
| | | | Revenue | Capital | Total |
| I. मूल अनुदानः | | I. ORIGINAL GRANT: | | | |
| | भारित | Charged: | 23.44 | | 23.44 |
| | स्वीकृत | Voted: | 6799.66 | | 6799.66 |
| इस समय आवश्यक रकम | | Supplementary Estimate of | | | |
| का पूरक अनुमान | | the amount now required: | | | |
| | स्वीकृत | Voted: | 235.56 | ••• | 235.56 |
| जोड़ (मूल और पूरक) | | Total (Original plus Supplementary) | 7058.66 | ••• | 7058.66 |
| | भारित | Charged: | 23.44 | ••• | 23.44 |
| | स्वीकृत | Voted: | 7035.22 | | 7035.22 |

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

| | | | | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ |
|----------------------|---------|--------------------------|--------|--------|--------------|--------|
| | | | | Plan | Non-Plan | Total |
| राजस्व भाग | | REVENUE SECTION | | | | |
| मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | | | |
| 2071-पेंशन एवं अन्य | | 2071-Pensions and Other | | | | |
| सेवानिवृत्ति लाभ | स्वीकृत | Retirement Benefits | Voted: | | 235.51 (कa) | 235.51 |
| 2235-सामाजिक सुरक्षा | | 2235-Social Security and | | | | |
| एवं कल्याण | स्वीकृत | Welfare | Voted: | | 0.05 (खb) | 0.05 |
| जोड़ (पूरक) | स्वीकृत | Total (Supplementary) | Voted: | ••• | 235.56 | 235.56 |

अनुपूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए अपेक्षित है:

- (क) महंगाई वेतन के रूप में 50% महंगाई भत्ते को मिलाने और मौजूदा पेंशन धारकों के मासिक पेंशन/परिवार पेंशन में तदनुरुप वृद्धि; पेंशन धारकों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति; नई पेंशन योजना में सरकार के अंशदान; और भूतपूर्व सांसदों के पेंशन में वृद्धि के कारण अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।
- (ख) कार्य के दौरान जिनकी मृत्यु हुई है उन सरकारी सेवकों के परिवारों को अनुग्रह राशि के भुगतान हेतु। इस पर नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for the following purposes:

- (a) For meeting additional expenditure arising due to merger of 50% Dearness Allowance as Dearness Pay and corresponding increase in the monthly pensions/family pensions of the existing pensioners; Medical re-imbursement to pensioners; Government's Contribution towards New Pension Scheme; and increase in pension of Ex-MPs.
- (b) For ex-gratia payment to the families of Government Servants who died in harness.

This will entail a cash outgo.

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 40 देखिए)। (See page 40 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

| | | | • | ŕ | (करोड़ रुपए R | upees in Crore) |
|-------------------------------------|-------|--|-----------|---------|---------------|-----------------|
| | | | | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
| | | | | Revenue | Capital | Total |
| I. मूल अनुदानः | | I. ORIGINAL GRANT: | | | | |
| | भारित | (| Charged: | 37.09 | | 37.09 |
| ₹ | वीकृत | | Voted | 1202.79 | 7.50 | 1210.29 |
| इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान | | Supplementary Estimate of the amount now required: | | | | |
| | भारित | (| Charged: | 2.68 | | 2.68 |
| जोड़ (मूल और पूरक) | | Total (Original plus Supple | ementary) | 1242.56 | 7.50 | 1250.06 |
| | भारित | (| Charged: | 39.77 | | 39.77 |
| ₹ | वीकृत | | Voted | 1202.79 | 7.50 | 1210.29 |

II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः

II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:

| | | | | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ |
|------------------|-------|------------------------|----------|--------|--------------|-------|
| | | | | Plan | Non-Plan | Total |
| राजस्व भाग | | REVENUE SECTION | | | | |
| मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | | | |
| 2016-लेखापरीक्षा | भारित | 2016-Audit | Charged: | ••• | 2.68 | 2.68 |

इस पूरक विनियोग का अनुरोध स्थापना संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु किया गया है। इसमें नकद व्यय होगा। The supplementary appropriation is sought for meeting additional establishment related expenditure. This will ential a cash outgo.

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 41 और वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 21 तथा वर्ष 2006-2007 की अनुदानों का दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 26 देखिए)।

(See page 41 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007 and page 21 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007 and page 26 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007).

| | | | | (करोड़ रुपए I | Rupees in Crore) |
|--------------------|---------|-------------------------------------|---------|---------------|------------------|
| | | | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
| | | | Revenue | Capital | Total |
| I. मूल अनुदानः | | I. ORIGINAL GRANT: | | | |
| | भारित | Charged: | 0.02 | | 0.02 |
| | स्वीकृत | Voted: | 3339.07 | 2.06 | 3341.13 |
| पूरक अनुदानः | | SUPPLEMENTARY GRANT: | | | |
| | भारित | Charged: | 23.00 | | 23.00 |
| | स्वीकृत | Voted: | 1100.00 | | 1100.00 |
| इस समय आवश्यक रकम | | Supplementary Estimate of | | | |
| का पूरक अनुमान | | the amount now required: | | | |
| | स्वीकृत | Voted: | 0.01 | | 0.01 |
| जोड़ (मूल और पूरक) | | Total (Original plus Supplementary) | 4462.10 | 2.06 | 4464.16 |
| | भारित | Charged: | 23.02 | | 23.02 |
| | स्वीकृत | Voted: | 4439.08 | 2.06 | 4441.14 |

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

| | | | | आयोजना Plan | आयोजना-भिन्न Non-Plan | जोड़ Total |
|----------------------------|---------|-----------------------------|--------|----------------|--------------------------|---------------|
| राजस्व भाग | | REVENUE SECTION | | | | |
| मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | | | |
| 2045- वस्तुओं और सेवाओं पर | | 2045-Other Taxes and Duties | | | | |
| अन्य कर एवं शुल्क | | on Commodities and | | | | |
| _ | स्वीकृत | Services | Voted: | | 0.01 | 0.01 |

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता विभिन्न अवधि के लिए विदेश यात्रा कर और अंतर्देशीय हवाई यात्रा कर के संग्रहण के संबंध में विभिन्न संवाहकों को संग्रहण प्रभारों (5.48 करोड़ रुपए) की बकाया राशि के भुगतान के लिए है।

चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः एक सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

The supplementary grant is required for payment of arrears of collection charges (Rs. 5.48 crore) to the various carriers in respect of collection of Foreign Travel Tax and Inland Air Travel Tax for different period.

As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

प्रत्यक्ष कर DIRECT TAXES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 42 देखिए)। (See page 42 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

| | | | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
|--------------------|---------|-------------------------------------|---------|---------|---------|
| | | | Revenue | Capital | Total |
| I. मूल अनुदानः | | I. ORIGINAL GRANT: | | | |
| | भारित | Charged: | 0.02 | | 0.02 |
| | स्वीकृत | Voted: | 1305.98 | 28.00 | 1333.98 |
| इस समय आवश्यक रकम | | Supplementary Estimate of | | | |
| का पूरक अनुमान | | the amount now required: | | | |
| | स्वीकृत | Voted: | 65.05 | ••• | 65.05 |
| जोड़ (मूल और पूरक) | | Total (Original plus Supplementary) | 1371.05 | 28.00 | 1399.05 |
| | भारित | Charged: | 0.02 | | 0.02 |
| | स्वीकृत | Voted: | 1371.03 | 28.00 | 1399.03 |

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

| | | | | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ |
|--------------------------|---------|-----------------------------|--------|--------|--------------|-------|
| | | | | Plan | Non-Plan | Total |
| राजस्व भाग | | REVENUE SECTION | | | | |
| मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | | | |
| 2020-आय एवं व्यय पर करों | | 2020-Collection of Taxes on | | | | |
| का संग्रहण | स्वीकृत | Income and Expenditure | Voted: | | 65.05 | 65.05 |

आय कर विभाग के संबंध में अतिरिक्त स्थापना संबंधी व्यय और प्रचार अभियान आदि के लिए पूरक अनुदान हेतु अनुरोध किया गया है। इसकी पूर्ति अनुदान के पूंजी भाग में 17.70 करोड़ रुपए की बचतों द्वारा की जाएगी, जिन्हें अभ्यर्पित किया जाएगा। इसलिए इसमें 47.35 करोड़ रुपए का निवल नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is sought for meeting additional establishment related expenditure in respect of Income Tax Department and for publicity campaign, etc. This will be matched by savings of Rs.17.70 crore in Capital Section of the grant, which will be surrendered and hence will entail a net cash outgo of Rs.47.35 crore.

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 45 और वर्ष 2006-07 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 23 देखिए)। (See page 45 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-07 and page 23 of First Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

| | | | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
|--------------------|---------|-------------------------------------|---------|---------|--------|
| | | | Revenue | Capital | Total |
| I. मूल अनुदानः | | I. ORIGINAL GRANT: | | | |
| | भारित | Charged: | | | |
| | स्वीकृत | Voted: | 173.70 | | 173.70 |
| पूरक अनुदानः | | SUPPLEMENTARY GRANT: | | | |
| | स्वीकृत | Voted: | 0.01 | 16.50 | 16.51 |
| इस समय आवश्यक रकम | | Supplementary Estimate of | | | |
| का पूरक अनुमान | | the amount now required: | | | |
| | स्वीकृत | Voted: | 0.01 | 16.80 | 16.81 |
| जोड़ (मूल और पूरक) | | Total (Original plus Supplementary) | | | |
| • | स्वीकृत | Voted: | 173.72 | 33.30 | 207.02 |

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

| | | | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ |
|------------------------------------|--------|-----------------------------------|------------|--------------|-------|
| | | | Plan | Non-Plan | Total |
| राजस्व भाग | | REVENUE SECTION | | | |
| मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | | |
| 2408-खाद्य भंडारण और भांडागार | | 2408-Food Storage and Warehousing | | | |
| ₹ | खीकृत | Voted: | 0.01 (कa) | | 0.01 |
| पूंजी भाग | | CAPITAL SECTION | | | |
| मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | | |
| 4408-खाद्य भंडारण और भांडागार | | 4408-Capital Outlay on Food | | | |
| पर पूंजी परिव्यय | | Storage and Warehousing | | | |
| ₹ | :वीकृत | Voted: | 15.00 (खb) | | 15.00 |
| 4552-पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजी | | 4552-Capital Outlay on North | | | |
| परिव्यय | | Eastern Areas | | | |
| ₹ | :वीकृत | Voted: | 1.80 (गc) | | 1.80 |
| जोड़ (पूरक) | | Total (Supplementary) | | | |
| ₹ | खीकृत | Voted: | 16.81 | ••• | 16.81 |

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए मांगा गया है:

(क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए गुणवत्ता आश्वासन, कोडेक्स मानक और अनुसंधान तथा विकास हेत् सहायता के लिए योजना संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (4.40 करोड़ रुपए)।

चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान हेतु अनुरोध किया गया है।

- प्रबंधन संस्थान की स्थापना हेत् भूमि की खरीद।
- लिए प्रावधान का संवर्धन।

चूंकि उक्त (ख) और (ग) के अंतर्गत व्यय की प्रतिपूर्ति अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों से की जाएगी, जिसे अभ्यर्पित किया जाएगा, इसलिए प्रत्येक मामले में तकनीकी पूरक अनुदान हेतु अनुरोध किया गया है।

इस पूरक अनुदान में कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grant is required for:

Meeting additional expenditure on the scheme for Assistance for Quality Assurance, Codex Standards and Research and Development for Food Processing Industries (Rs.4.40 crore).

As savings are available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (ख) हरियाणा स्थित कुंडली में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और (b) Purchase of land for setting up of National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management (NIFTEM) at Kundli, Haryana.
- (ग) सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों के लाभ हेतु परियोजनाओं/योजनाओं के (c) Augmentation of the provision for projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

As expenditure under (b) & (c) above will be matched by savings available in the Revenue Section of the Grant, which will be surrendered, a technical supplementary is sought in each case.

The supplementary will not entail cash outgo.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग DEPARTMENT OF HEALTH & FAMILY WELFARE

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 46, वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 24 और वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 27 देखिए)।

(See page 46 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007, page 24 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007 and page 27 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

| | | | | राजस्व | पूजी | जोड़ |
|--------------------|---------|-----------------------------|--------------|----------|---------|----------|
| | | | | Revenue | Capital | Total |
| I. मूल अनुदानः | | I. ORIGINAL GRANT: | | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 13874.55 | 475.68 | 14350.23 |
| पूरक अनुदानः | | SUPPLEMENTARY GRAN | / T : | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 0.03 | 4.51 | 4.54 |
| इस समय आवश्यक रकम | | Supplementary Estimate of | | | | |
| का पूरक अनुमान | | the amount now required: | | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 0.04 | 25.35 | 25.39 |
| जोड़ (मूल और पूरक) | | Total (Original plus Supple | ementary) | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 13874.62 | 505.54 | 14380.16 |

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

| | | | | आयोजना Plan | आयोजना-भिन्न Non-Plan | जोड़ Total |
|---|---------|--|--------|----------------|--------------------------|---------------|
| राजस्व भाग मुख्य शीर्ष 2210- चिकित्सा एवं | | REVENUE SECTION MAJOR HEAD 2210-Medical & Public | | | | |
| लोक स्वास्थ्य | स्वीकृत | Health | Voted: | 0.01 (কa) | 0.01 (खb) | 0.02 |
| 2211- परिवार कल्याण | स्वीकृत | 2211-Family Welfare | Voted: | 0.01 (गट) | 0.01 (ਬd) | 0.02 |
| पूँजी भाग मुख्य शीर्ष 4210- चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य | | CAPITAL SECTION MAJOR HEAD 4210-Capital Outlay on Medical & Public | | | | |
| पर पूँजी परिव्यय | स्वीकृत | Health | Voted: | 25.35 (ङe) | ••• | 25.35 |
| जोड़ (पूरक) | स्वीकृत | Total (Supplementary) | Voted: | 25.37 | 0.02 | 25.39 |

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु माँगा हैः

- (क) (i) पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (पीजीआईएमईआर) चंडीगढ़ को आधुनिकतम प्रौद्योगिकी प्रदान कर विभिन्न विभागों को बढ़ाने और उन्नयन हेतु सहायता अनुदान (61.00 करोड़ रुपए)।
 - (ii) रोहा और अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम के तहत नेत्र उपकरण की खरीद और अन्य देयताओं की अधिप्राप्ति के विकेन्द्रीकृत कार्यकलाप की आवश्यकता की पूर्ति हेतु, स्वैच्छिक और अन्य संस्थाओं को सहायता अनुदान (16.45 करोड़ रुपए)।
 - (iii) मुख्यालय में टीबी कक्ष की सूचना, शिक्षा और संचार संबंधी कार्यकलापों के लिए (3.00 करोड़ रुपए)।
 - (iv) जीएफएटीएम समर्थित विदेशी सहायता प्राप्त संघटक के तहत एड्स, टीबी और मलेरिया से लड़ने हेतु वैश्विक निधि

The Supplementary is required for the following purposes:

- (a) (i) Grants-in-aid to Post Graduate Institute of Medical Education & Research (PGIMER) Chandigarh for adding and upgrading the various Departments by providing the state of art technology (Rs.61.00 crore).
 - (ii) Grants-in-aid to Voluntary and other Institutions for meeting the requirement of decentralized activity of procurement of ophthalmic equipment and other liabilities under Trachoma and Blindness Control Programme (Rs.16.45 crore).
 - (iii) For Information Education and Communication activities of TB Cell at Headquarter (Rs.3.00 crore).
 - (iv) Grants-in-aid to State T.B. societies under global fund to fight AIDS, T.B. & Malaria (GFATM) under

- के तहत राज्य टीबी संस्थाओं को सहायता अनुदान (15.00 करोड़ रुपए)।
- (v) केन्द्रीय कुष्ठ नियंत्रण योजना के तहत सूचना, शिक्षा और संचार कार्यकलापों के लिए सहायता अनुदान (1.15 करोड़ रुपए)।
- (vi) विदेशी सहायता प्राप्त संघटक के तहत राज्य एड्स नियंत्रण संस्थाओं (सैकस) को सहायता अनुदान (99.40 करोड़ रुपए)।
- (vii) भारतीय लोक स्वास्थ्य संस्था (पीएचएफआई) की पहल को मूल निधि प्रदान कर समर्थन करने हेतु लोक स्वास्थ्य संस्थान को सहायता अनुदान (43.00 करोड़ रुपए)।

चूँकि, बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध है; अतः एक सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है।

- (ख) (i) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद को वेतन और भत्ते तथा अन्य स्थापना संबंधी व्यय पर अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु सहायता अनुदान (9.00 करोड़ रुपए)।
 - (ii) वल्लभभाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट (वीपीसीआई), नई दिल्ली को वेतन और भत्ते तथा अन्य स्थापना संबंधी व्यय पर अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु सहायता अनुदान (2.00 करोड़ रुपए)।
 - (iii) पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ को वेतन और भत्ते तथा अन्य स्थापना संबंधी व्यय पर अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु सहायता अनुदान (8.00 करोड़ रुपए)।
 - (iv) फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को वेतन और भत्ते तथा अन्य स्थापना संबंधी व्यय पर अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु सहायता अनुदान (0.02 करोड़ रुपए)।
 - (v) लाला राम सरूप टीबी अस्पताल को वेतन और भत्ते तथा अन्य स्थापना संबंधी व्यय पर अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु सहायता अनुदान (0.85 करोड़ रुपए)।
 - (vi) नई दिल्ली टीबी केन्द्र को वेतन और भत्ते तथा अन्य स्थापना संबंधी व्यय पर अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु सहायता अनुदान (0.15करोड़ रुपए)।

चूँकि, बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध है; अतः एक सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है।

- (ग) (i) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के नेशनल सेन्टर फॉर प्राइमेट बिल्डिंग एंड रिसर्च (8.00 करोड़ रुपए) पर चालू कार्यों को पूरा करने और जननिक परिष्कृत पशु सुविधा पर अनुसंधान हेतु (3.44 करोड़ रुपए) अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु सहायता अनुदान।
 - (ii) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र को वेतन और भत्तों के भुगतान हेतु अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु सहायता अनुदान (0.50 करोड़ रुपए)।
 - (iii) एनआरएचएम ब्रांड की स्पष्टता को बनाए रखने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण स्वारथ्य मिशन (एनआरएचएम) स्पाटों के प्रसारण

- GFATM assisted Externally Aided Component (Rs.15.00 crore).
- (v) Grant-in-aid for Information, Education and Communication activities under Leprosy Control Central Scheme (Rs.1.15 crore).
- (vi) Grants-in-aid to State Aids Control Societies (SACS) under Externally Aided Component (Rs.99.40 crore).
- (vii) Grants-in-aid to Institute of Public Health for supporting the Public Health Foundation of India (PHFI) initiative by providing a corpus fund (Rs.43.00 crore).

As savings are available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (b) (i) Grants-in-aid to Indian Council of Medical Research to meet additional requirement on pay & allowances and other establishment related expenditure (Rs.9.00 crore).
 - (ii) Grants-in-aid to Vallabhbhai Patel Chest Institute (VPCI), New Delhi to meet additional requirement on pay & allowances and other establishment related expenditure (Rs.2.00 crore).
 - (iii) Grants-in-aid to PGIMER, Chandigarh to meet additional requirement on pay & allowances and other establishment related expenditure (Rs.8.00 crore).
 - (iv) Grants-in-aid to Pharmacy Council of India to meet additional requirement on pay & allowances and other establishment related expenditure (Rs.0.02 crore).
 - (v) Grants-in-aid to Lala Ram Sarup TB Hospital to meet additional requirement on pay & allowances and other establishment related expenditure (Rs.0.85 crore).
 - (vi) Grants-in-aid to New Delhi TB Centre to meet additional requirement on pay & allowances and other establishment related expenditure (Rs.0.15 crore).

As savings are available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (c) (i) Grants-in-aid to Indian Council of Medical Research to meet additional requirement for completing the ongoing works in National Centre for Primate Building and Research (Rs.8.00 crore) and for research on genetically modified animal facility (Rs.3.44 crore).
 - (ii) Grants-in-aid to Population Research Centre to meet additional requirement for payment of pay and allowances (Rs.0.50 crore).
 - (iii) To meet additional expenditure for telecast of National Rural Health Mission (NRHM) Spots for

हेतु और जिला और निम्न स्तरों पर कार्यक्रम की पहुँच को व्यापक बनाने हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (18.00 करोड़ रुपए)।

- (iv) पोलियो अभियान की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम को सहायता अनुदान (26.06 करोड़ रुपए)।
- (v) जिला स्तर की स्वास्थ्य संस्थाओं (डीएलएचएस) के लिए यूनाइटेड नेशन्स फंड फॉर पॉपूलेशन एक्टिविटीज (यूएनएफपीए) द्वारा अग्रिम भुगतानों की मंजूरी हेतु प्रबंधन सूचना प्रणाली को सहायता अनुदान (0.22 करोड़ रुपए)।
- (vi) मिशन फलेक्सिबल पूल के तहत औषधियों की खरीद के लिए राज्य की संस्थाओं को सहायता अनुदान (224.88 करोड़ रुपए)।

चूँकि, बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध है; अतः एक सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है।

- (घ) (i) राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली को वेतन और भत्तों आदि के भुगतान के लिए अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु सहायता अनुदान (0.80 करोड़ रुपए)।
 - (ii) अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुम्बई को वेतन और भक्तों आदि के भुगतान के लिए अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु सहायता अनुदान (0.40 करोड़ रुपए)।

चूँकि, बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध है; अतः एक सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है।

- (ङ) (i) डा. आरएमएल अस्पताल को सिविल निर्माण और बिजली के कार्यों जिसका निष्पादन सीपीडब्ल्यूडी द्वारा किया जाना है, कि अतिरिक्त आवश्यकता के लिए (1.35 करोड़ रुपए)।
 - (ii) वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज (वीएमएमसी), नई दिल्ली को कॉलेज भवन/पुस्तकालय के निर्माण के लिए अतिरिक्त आवश्यकता के लिए (10.00 करोड़ रुपए)।
 - (iii) डा. आरएमएल पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, नई दिल्ली को पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट भवन के निर्माण हेतु अतिरिक्त आवश्यकता के लिए (14.00 करोड़ रुपए)।

चूँकि, अनुदान के राजस्व/स्वीकृत भाग में समतुल्य बचतें उपलब्ध हैं, जिसे इस लेखे में अभ्यर्पित किया जाएगा, अतः तकनीकी पूरक अनुदान माँगा गया है।

- sustaining the visibility of the NRHM Brand and to expand the outreach of the programme at the District and lower levels (Rs.18.00 crore).
- (iv) Grants-in-aid for Pulse Polio Immunization Programme to meet the additional requirement of polio rounds (Rs.26.06 crore).
- (v) Grants-in-aid for Management Information System passing on advance payments made by United Nations Fund for Population Activities (UNFPA) for District Level Health Societies (DLHS) (Rs.0.22 crore).
- (vi) Grants-in-aid to State societies for procurement of drugs under Mission Flexible Pool (Rs.224.88 crore).

As savings are available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (d) (i) Grants-in-aid to National Institute of Health and Family Welfare, New Delhi to meet additional requirement for payment of pay and allowances etc. (Rs.0.80 crore).
 - (ii) Grants-in-aid to International Institute for Population Science, Mumbai to meet additional requirement for payment of pay and allowances etc. (Rs.0.40 crore).

As savings are available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (e) (i) Dr. RML Hospital, New Delhi: Additional requirement is for civil and electrical works to be executed by CPWD (Rs.1.35 crore).
 - (ii) Vardhman Mahaveer Medical College (VMMC), New Delhi: Additional requirement is for construction of college building/library (Rs.10.00 crore).
 - (iii) Dr. RML Post Graduate Institute of Medical Education & Research, New Delhi: Additional requirement is for construction of postgraduate institute building (Rs.14.00 crore).

As equivalent savings are available within the Revenue/Voted Section of the Grant, which will be surrendered on this account, technical supplementary is sought.

आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी (आयुष) विभाग DEPARTMENT OF AYURVEDA, YOGA & NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 47, अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 26 तथा वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 29 देखिए)।

(See page 47 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007, page 26 of First Supplementary Demands for Grants and page 29 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

| | | | | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
|--------------------|---------|-----------------------------|------------|---------|---------|--------|
| | | | | Revenue | Capital | Total |
| I. मूल अनुदानः | | I. ORIGINAL GRANT: | | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 445.89 | 2.00 | 447.89 |
| पूरक अनुदानः | | SUPPLEMENTARY GRANT | <i>T</i> : | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 0.03 | ••• | 0.03 |
| इस समय आवश्यक रकम | | Supplementary Estimate of | | | | |
| का पूरक अनुमान | | the amount now required: | | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 0.01 | | 0.01 |
| जोड़ (मूल और पूरक) | | Total (Original plus Supple | mentary) | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 445.93 | 2.00 | 447.93 |

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

| | | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ |
|---------------------------------------|---------------------------------|--------|--------------|-------|
| | | Plan | Non-Plan | Total |
| राजस्व भाग | REVENUE SECTION | | | |
| मुख्य शीर्ष | MAJOR HEAD | | | |
| 2210-चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य | 2210-Medicine and Public Health | | | |
| स्वीकृत | Voted: | | 0.01 | 0.01 |
| जोड़ (पूरक) | Total (Supplementary) | | | |
| स्वीकृत | Voted: | ••• | 0.01 | 0.01 |

इस पूरक अनुदान का अनुरोध निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया गया है:

- The supplementary grant is required for the following purposes:
- "आयुर्वेद स्नातकोत्तर प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान, जामनगर" के संबंध में वेतन और भत्ते तथा अन्य स्थापना संबंधी व्यय (0.50 करोड़ रुपए) हेतु सहायता अनुदान उपलब्ध कराना।
- (ii) "केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंघान परिषद" को वेतन तथा भत्ते और अन्य स्थापना संबंधी व्यय (0.20 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु सहायता अनुदान उपलब्ध कराना।
- चूंकि अनुदान के इसी भाग के अंतर्गत बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।
- (i) To provide grants-in-aid to Institute of Post Graduate Training and Research in Ayurveda, Jamnagar for pay and allowances and other establishment related expenditure (Rs.0.50 crore).
- (ii) To provide grants-in-aid to Central Council for Research in Homoeopathy for pay and allowances and other establishment related expenditure (Rs.0.20 crore).

As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

भारी उद्योग विभाग DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 48 और वर्ष 2006-07 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 27 और 2006-07 की अनुदानों की दूसरी पूरक माँगों का पृष्ठ 31 देखिए)।

(See page 48 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007, page 27 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007 and page 31 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

| | | | | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
|--------------------|---------|-----------------------------|--------------|---------|---------|---------|
| | | | | Revenue | Capital | Total |
| I. मूल अनुदानः | | I. ORIGINAL GRANT: | | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 332.74 | 580.88 | 913.62 |
| पूरक अनुदानः | | SUPPLEMENTARY GRAN | / T : | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 1992.30 | 0.04 | 1992.34 |
| इस समय आवश्यक रकम | | Supplementary Estimate of | | | | |
| का पूरक अनुमान | | the amount now required: | | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 188.31 | 613.38 | 801.69 |
| जोड़ (मूल और पूरक) | | Total (Original plus Supple | mentary) | | | |
| | | | Voted: | 2513.35 | 1194.30 | 3707.65 |

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

| | | | | आयोजना Plan | आयोजना-भिन्न Non-Plan | जोड़ Total |
|--------------------------------|---------|------------------------------|--------|----------------|--------------------------|---------------|
| राजस्व भाग | | REVENUE SECTION | | 1 1411 | 11011 1 11111 | 10001 |
| मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | | | |
| 2852-उद्योग | | 2852-Industries | | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | | 188.31 (कa) | 188.31 |
| पूंजी भाग | | CAPITAL SECTION | | | | |
| मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | | | |
| 4858-इंजीनियरिंग उद्योगों पर | | 4858-Capital Outlay on | | | | |
| पूंजी परिव्यय | स्वीकृत | Engineering Industries | Voted: | 563.01 (खb) | ••• | 563.01 |
| 6858-इंजीनियरिंग उद्योगों हेतु | ŭ | 6858-Loans for Engineering | | | | |
| ऋण | स्वीकृत | Industries | Voted: | | 50.37 (गc) | 50.37 |
| जोड़ पूंजी भाग | स्वीकृत | Total Capital Section | Voted: | 563.01 | 50.37 | 613.38 |
| जोड़ (पूरक) | स्वीकृत | Total (Supplementary) | Voted: | 563.01 | 238.68 | 801.69 |

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए हैं:

- (क) आवश्यक लेखाकरण समायोजन करने के लिए अर्थात्
 - (i) ऋण को बट्टे खाते डालना (102.75 करोड़ रुपए) और ब्याज की माफी (50.40 करोड़ रुपए) जो भारत पम्पस एंड कम्प्रेंसर्स लिमिटेड के मामले में दि. 31.3.2006 को बकाया और (ii) पुनर्संरचना के परिणामस्वरुप एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड के संबंध में दि. 31.3.2006 की स्थिति के अनुसार ब्याज की माफी (35.16 करोड़ रुपए)। इस पर कोई नकद व्यय नहीं होगा।
- (ख) (i) एच एम टी मशीन टूल्स लिमिटेड में निवेश हेतु (563 करोड़ रुपए) अर्थात 3.5% तरजीही शेयर पूंजी (443 करोड़ रुपए) और पूंजी व्यय के लिए प्रयोग की जाने वाली अतिरिक्त इक्विटी (90 करोड़ रुपए), प्रौद्योगिकी अधिग्रहण और उन्नयन (20 करोड़ रुपए) और पुनर्सरचना के परिणामस्वरूप प्रशिक्षण और पुनर्प्रशिक्षण (10 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के राजस्व भाग के तहत 19.50 करोड़ रुपए तक की समतुल्य बचतें उपलब्ध हैं, उन्हें अभ्यर्पित किया जाएगा। इसलिए निवल नकद व्यय 543.50 करोड़ रुपए होगा।
 - (ii) आवश्यक लेखाकरण समायोजन करने के लिए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है अर्थात एचएमटी मशीन टूल्स लि.

The supplementary grant is sought for the following purposes:

- (a) For carrying out necessary accounting adjustments viz. (i) write off of loan (Rs. 102.75 crore) and waiver of interest (Rs.50.40 crore) outstanding as on 31.03.2006 in respect of Bharat Pumps and Compressors Limited and (ii) waiver of interest (Rs.35.16 crore) as on 31.03.2006 in respect of HMT Machine Tools Ltd., consequent upon restructuring. This will not entail a cash outgo.
- (b) (i) For investment in HMT Machine Tools Ltd. (Rs.563 crore) viz., 3.5% Preference Share Capital (Rs.443 crore) and additional equity to be utilised for Capital expenditure (Rs.90 crore), Technological acquisition & upgradation (Rs.20 crore) and Training and retraining (Rs.10 crore) consequent upon restructuring. As matching savings to the extent of Rs. 19.50 crore available under the Revenue Section of the Grant will be surrendered, the net cash outgo will be Rs.543.50 crore.
 - (ii) A token supplementary is sought for carrying out necessary accounting adjustments viz. conversion of

- के संबंध में ऋण को इक्विटी में बदलना (122.64 करोड़ रुपए)।
- (ग) वीआरएस/वीएसएस तथा सांविधिक देयों के भुगतान हेतु एक मुश्त प्रावधान के अंतर्गत निधियां बढ़ाना (i) रुग्ण/हानि में चलने वाले सीपीएसयू को बकाया वेतन/मजदूरी तथा सांविधिक देयों का भुगतान करने के लिए (47 करोड़ रुपए) और (ii) भारत पम्पस और कम्प्रेसर्स लिमिटेड से संबंधित सीआईएसएफ के देयों के निपटान हेतु (3.37 करोड़ रुपए), जिन्हें अभ्यर्पित किया जाएगा। चूँकि समूचा व्यय अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों से पूरा किया जाएगा, अतः कोई निवल नकद व्यय नहीं होगा।
- loan (Rs. 122.64 crore) into equity in respect of HMT Machine Tools Ltd.
- (c) Augmentation of funds under the lumpsum provision for VRS/VSS and payment of statutory dues for (i) payment of outstanding salaries/wages and statutory dues to sick/loss making CPSUs (Rs. 47 crore), and (ii) settlement of CISF dues pertaining to Bharat Pumps and Compressors Limited (Rs.3.37 crore). As the entire expenditure will be matched by savings available in the Revenue section of the Grant which will be surrendered, there will be no net cash outgo.

गृह मंत्रालय MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 50 और वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की दूसरी पूरक माँगों का पृष्ठ 32 देखिए)। (See page 50 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-07 and page 32 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007).

| | | | (करोड़ रुपए Rupees in C | | upees in Crore) |
|--------------------|---------|-------------------------------------|---------------------------|---------|-----------------|
| | | | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
| | | | Revenue | Capital | Total |
| I. मूल अनुदानः | | I. ORIGINAL GRANT: | | | |
| | भारित | Charged: | 0.05 | | 0.05 |
| | स्वीकृत | Voted: | 759.45 | 41.50 | 800.95 |
| पूरक अनुदानः | | SUPPLEMENTARY GRANT: | | | |
| | स्वीकृत | Voted: | 0.01 | | 0.01 |
| इस समय आवश्यक रकम | | Supplementary Estimate of | | | |
| का पूरक अनुमान | | the amount now required: | | | |
| | भारित | Charged: | 0.01 | | 0.01 |
| | स्वीकृत | Voted: | 9.22 | ••• | 9.22 |
| जोड़ (मूल और पूरक) | | Total (Original plus Supplementary) | 768.74 | 41.50 | 810.24 |
| | भारित | Charged: | 0.06 | | 0.06 |
| | स्वीकृत | Voted: | 768.68 | 41.50 | 810.18 |

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Head:

| | | | | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ |
|----------------------------|---------|---------------------|----------|--------|--------------|-------|
| | | | | Plan | Non-Plan | Total |
| राजस्व भाग | | REVENUE SECTIO | N | | | |
| मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | | | |
| 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं | | 2070-Other Administ | rative | | | |
| | भारित | Services | Charged: | | 0.01 (कa) | 0.01 |
| | स्वीकृत | | Voted: | | 9.22 (खb) | 9.22 |
| जोड़ (पूरक) | | Total (Supplementa | ry) | ••• | 9.23 | 9.23 |
| | भारित | | Charged: | | 0.01 | 0.01 |
| | स्वीकृत | | Voted: | | 9.22 | 9.22 |

इस पूरक अनुदान/विनियोजन की आवश्यकता निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए है:

- (क) माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) मामले में क्षतिपूर्ति के भुगतान हेतु (0.01 करोड़ रुपए)।
- (ख) आसूचना ब्यूरो (14.75 करोड़ रुपए) और आप्रवासन ब्यूरो (1.60 करोड़ रुपए) के स्थापना संबंधी व्यय हेतु।

चूँकि, अनुदान के स्वीकृत पूँजी भाग में उपलब्ध 9.23 करोड़ रुपए की समतुल्य बचतें अभ्यर्पित की जाएँगी, अतः उपर्युक्त दोनों मामलों के संबंध में तकनीकी पूरक अनुदान माँगा गया है। शेष आवश्यकता की पूर्ति अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों से की जाएगी।

इस पुरक अनुदान में कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grant/appropriation is required for meeting the expenditure on :

- (a) Payment of compensation in Motor Accidents Claims Tribunal (MACT) case as awarded by the Hon'ble High Court of Delhi (Rs.0.01 crore).
- (b) Establishment related expenditure of Intelligence Bureau (Rs.14.75 crore) and Bureau of Immigration (Rs.1.60 crore).

As matching savings of Rs.9.23 crore available in the Capital Voted Section of the Grant will be surrendered, a technical supplementary is sought in respect of both the above cases. The balance requirement will be met from savings within the same section of the Grant.

The supplementary will not entail any cash outgo.

मंत्रिमंडल CABINET

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 51 देखिए)। (See page 51 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

| | | | | (, | T |
|--------------------|---------|-------------------------------------|---------|---------|--------|
| | | | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
| | | | Revenue | Capital | Total |
| I. मूल अनुदानः | | I. ORIGINAL GRANT: | | | |
| | भारित | Charged: | 0.14 | | 0.14 |
| | स्वीकृत | Voted: | 215.92 | 3.00 | 218.92 |
| इस समय आवश्यक रकम | | Supplementary Estimate of | | | |
| का पूरक अनुमान | | the amount now required: | | | |
| | स्वीकृत | Voted: | 72.41 | | 72.41 |
| जोड़ (मूल और पूरक) | | Total (Original plus Supplementary) | 288.47 | 3.00 | 291.47 |
| | भारित | Charged: | 0.14 | | 0.14 |
| | स्वीकृत | Voted: | 288.33 | 3.00 | 291.33 |
| | | | | | |

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

| | | | | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ |
|------------------|---------|---------------------------|--------|--------|--------------|-------|
| | | | | Plan | Non-Plan | Total |
| राजस्व भाग | | REVENUE SECTION | | | | |
| मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | | | |
| 2013-मंत्रिपरिषद | स्वीकृत | 2013-Council of Ministers | Voted: | | 50.50 (कa) | 50.50 |
| 2055-पुलिस | स्वीकृत | 2055-Police | Voted: | | 21.91 (खb) | 21.91 |
| जोड़ (पूरक) | स्वीकृत | Total (Supplementary) | Voted: | ••• | 72.41 | 72.41 |

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता निम्न को पूरा करने के लिए है:

- (क) (i) मंत्रिपरिषद का स्थापना संबंधी व्यय (49.15 करोड़ रुपए);
 - (ii) राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय का स्थापना संबंधी व्यय (1.35 करोड़ रुपए)।
- (ख) विशेष सुरक्षा समूह का स्थापना संबंधी व्यय।

चूंकि अनुदान के पूंजी स्वीकृत भाग में उपलब्ध 0.15 करोड़ रुपए की राशि अभ्यर्पित की जाएगी, इस पूरक अनुदान में 72.26 करोड़ रुपए का निवल नकद व्यय शामिल है।

The supplementary grant is sought for meeting:

- (a) (i) establishment related expenditure of the Council of Ministers (Rs.49.15 crore);
 - (ii) establishment related expenditure of the National Security Council Secretariat (Rs.1.35 crore);
- (b) establishment related expenditure of the Special Protection Group.

As an amount of Rs.0.15 crore available in the Capital Voted Section of the Grant will be surrendered, the supplementary grant involves a net cash outgo of Rs.72.26 crore.

पुलिस POLICE

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 52, वर्ष 2006-07 की अनुदानों की प्रथम पूरक मांगों का पृष्ठ 29 तथा वर्ष 2006-07 की अनुदानों की दूसरी पूरक माँगों का पृष्ठ 33 देखिए)।

(See page 52 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-07, page 29 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2006-07 and page 33 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

| | | | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
|--------------------|---------|-------------------------------------|----------|---------|----------|
| | | | Revenue | Capital | Total |
| I. मूल अनुदानः | | I. ORIGINAL GRANT: | | | |
| | भारित | Charged: | 3.44 | 17.35 | 20.79 |
| | स्वीकृत | Voted: | 14090.65 | 2039.38 | 16130.03 |
| पूरक अनुदानः | | SUPPLY MENTARY GRANT: | | | |
| | स्वीकृत | Voted: | 547.53 | 0.01 | 547.54 |
| इस समय आवश्यक रकम | | Supplementary Estimate of | | | |
| का पूरक अनुमान | | the amount now required: | | | |
| | स्वीकृत | Voted: | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| जोड़ (मूल और पूरक) | | Total (Original plus Supplementary) | 14641.63 | 2056.75 | 16698.38 |
| | भारित | Charged: | 3.44 | 17.35 | 20.79 |
| | स्वीकृत | Voted: | 14638.19 | 2039.40 | 16677.59 |

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

| | | | | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ |
|---------------|---------|-----------------------|---------------|--------|--------------|-------|
| | | | | Plan | Non-Plan | Total |
| राजस्व भाग | | REVENUE SECTION | | | | |
| मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | | | |
| 2055-पुलिस | | 2055-Police | Voted: | | 0.01 (কa) | 0.01 |
| पूंजी भाग | | CAPITAL SECTION | | | | |
| मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | | | |
| 4055-पुलिस पर | | 4055-Capital Outlay | | | | |
| पूंजी परिव्यय | स्वीकृत | on Police | Voted: | | 0.01 (खb) | 0.01 |
| जोड़ (पूरक) | स्वीकृत | Total (Supplementary) | Voted: | ••• | 0.02 | 0.02 |

इस पुरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित प्रयोजनों हेत् है:

- (क) पुलिस बलों के आधुनीकीकरण की योजना के तहत सहायता अनुदान उपलब्ध कराने हेतु (33.76 करोड़ रुपए)।
- (ख) (i) दिल्ली पुलिस आवास निगम की संस्थापना हेतु प्रारम्भिक पूंजी उपलब्ध कराने हेतु (5.00 करोड़ रुपए)।
 - (ii) सशस्त्र सीमा बल के कार्यालय भवनों के निर्माण हेतु भूमि की खरीद (6.03 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के राजस्व तथा पूंजी भाग के अन्तर्गत समतुल्य बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए प्रत्येक मामले में सांकेतिक पूरक अनुदान हेतु अनुरोध किया गया है।

इस पूरक अनुदान में कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grant is required for the following purposes:

- (a) Providing grants-in-aid under the scheme of Modernisation of Police Force (Rs.33.76 crore).
- (b) (i) Providing initial capital for the establishment of Delhi Police Housing Corporation (Rs.5.00 crore).
 - (ii) Purchase of land for construction of office buildings of Sashastra Seema Bal (Rs.6.03 crore).

As matching savings are available within the Revenue and Capital sections of the Grant, a token supplementary is sought in each case.

The supplementary will not entail cash outgo.

गृह मंत्रालय के अन्य व्यय OTHER EXPENDITURE OF THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(केन्द्रीय सरकार की 2006-07 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 53, वर्ष 2006-07 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 30 तथा वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 34 देखिए)।

(See page 53 of the Demands for Grants of the Central Government for the year 2006-07, page 30 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2006-07 and page 34 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

| | | | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
|--------------------|---------|-------------------------------------|---------|---------|---------|
| | | | Revenue | Capital | Total |
| I. मूल अनुदानः | | I. ORIGINAL GRANT: | | | |
| | भारित | Charged: | 0.02 | | 0.02 |
| | स्वीकृत | Voted: | 964.51 | | 964.51 |
| पूरक अनुदानः | | SUPPLEMENTARY GRANT: | | | |
| | स्वीकृत | Voted: | 337.13 | | 337.13 |
| इस समय आवश्यक रकम | | Supplementary Estimate of | | | |
| का पूरक अनुमान | | the amount now required: | | | |
| | स्वीकृत | Voted: | 283.16 | | 283.16 |
| जोड़ (मूल और पूरक) | | Total (Original plus Supplementary) | 1584.82 | ••• | 1584.82 |
| | भारित | Charged: | 0.02 | | 0.02 |
| | स्वीकृत | Voted: | 1584.80 | ••• | 1584.80 |

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

| | | | | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ |
|--------------------------|---------|-----------------------------|--------|--------|--------------|--------|
| a | | DELENILE GECTION | | Plan | Non-Plan | Total |
| राजस्व भाग | | REVENUE SECTION | | | | |
| मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | | | |
| 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा | | 2235-Social Security and | | | | |
| कल्याण | स्वीकृत | Welfare | Voted: | | 50.00 (कa) | 50.00 |
| 2245-प्राकृतिक आपदाओं के | | 2245-Relief on account of | | | | |
| कारण राहत | स्वीकृत | Natural Calamities | Voted: | | 30.00 (खb) | 30.00 |
| 3601-राज्य सरकारों को | | 3601-Grants-in-aid to State | | | | |
| सहायता अनुदान | स्वीकृत | Governments | Voted: | ••• | 203.16 (чс) | 203.16 |
| जोड़ (पूरक) | स्वीकृत | Total (Supplementary) | Voted: | ••• | 283.16 | 283.16 |

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित के लिए हैं:

- (क) स्वतंत्र सैनिक सम्मान पेंशन की दर में बढ़ोतरी के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति।
- (ख) जम्मू तथा कश्मीर में भूकम्प से प्रभावित लोगों के लिए राहत वस्तुएं, आश्रय स्थल आदि की व्यवस्था करना।
- (ग) निम्नलिखित पर व्यय के लिए राज्य सरकारों को प्रतिपूर्तिः
 - (i) पश्चिम बंगाल में आव्रजकों का पुनर्वास (2.11 करोड़ रुपए)।
 - (ii) जम्मू तथा कश्मीर में भूकम्प से प्रभावित लोगों के लिए राहत वस्तुओं, आश्रय स्थानों आदि की व्यवस्था करना (35.00 करोड़ रुपए)।
 - (iii) अन्य पुनर्वास कार्यक्रम (32.24 करोड़ रुपए)।
 - (iv) 1984 के दंगों के पीड़ितों के लिए मुआवजे में वृद्धि की व्यवस्था करना (152.82 करोड़ रुपए)।

अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, इस पूरक अनुदान के कारण नकद व्यय 283.16 करोड़ रुपए होगा। The supplementary grant is required for:

- (a) Meeting additional expenditure on account of enhancement of the rate of Swatantrata Sainik Samman Pension.
- (b) Providing relief items, shelters, etc. to people affected by earthquake in Jammu & Kashmir.
- (c) Re-imbursement to State Governments, expenditure incurred on:
 - (i) Rehabilitation of migrants in West Bengal (Rs.2.11 crore).
 - (ii) Providing relief items, shelters, etc. to people affected by earthquake in Jammu & Kashmir (Rs.35.00 crore).
 - (iii) Other Rehabilitation Programme (Rs.32.24 crore).
 - (iv) Providing enhanced compensation to victims of 1984 riots (Rs. 152.82 crore).

Taking into account the savings available within the same section of the grant, the cash outgo on account of this supplementary will be Rs.283.16 crore.

संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्तरण TRANSFERS TO UNION TERRITORY GOVERNMENTS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 54 और वर्ष 2006-2007 की अनुदान की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 31देखिए)। (See page 54 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007 and page 31 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007).

| | | | | | (करोड़ रुपए Rupees in Crore) | | |
|--------------------|---------|------------------------------|--------|---------|------------------------------|---------|--|
| | | | | राजस्व | पूंजी | जोड़ | |
| | | | | Revenue | Capital | Total | |
| I. मूल अनुदानः | | I. ORIGINAL GRANT: | | | | | |
| | स्वीकृत | , | Voted: | 1123.37 | 72.00 | 1195.37 | |
| पूरक अनुदानः | | SUPPLEMENTARY GRANT: | | | | | |
| | स्वीकृत | • | Voted: | 22.12 | ••• | 22.12 | |
| इस समय आवश्यक रकम | | Supplementary Estimate of | | | | | |
| का पूरक अनुमान | | the amount now required: | | | | | |
| | स्वीकृत | ` | Voted: | 120.49 | | 120.49 | |
| -> (\$) | | T- (1/0 ! ! 1 1 0 1 | | | | | |
| जोड़ (मूल और पूरक) | -0 | Total (Original plus Supplem | • / | 1275.00 | 72.00 | 1227.00 | |
| | स्वीकृत | ` | Voted: | 1265.98 | 72.00 | 1337.98 | |

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

| | | | | आयोजना Plan | आयोजना-भिन्न Non-Plan | जोड़ Total |
|--------------------------------|-----------|------------------------------|--------|----------------|--------------------------|---------------|
| राजस्व भाग | | REVENUE SECTION | | | | |
| मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | | | |
| 3602- संघ राज्य क्षेत्र की सरक | ारों - | 3602-Grants-in-aid to Union | | | | |
| को सहायता अनुदान | स्वीकृत | Territory Governments | Voted: | | 120.49 | 120.49 |
| | | | | | | |
| जोड़ (पूरक) | स्वीकृत | Total (Supplementary) | Voted: | ••• | 120.49 | 120.49 |

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए है:

(i) वर्ष 1984 के दंगों के पीड़ितों को क्षतिपूर्ति प्रदान करने हेतु (77.88 करोड़ रुपए)।

चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

(i) केन्द्रीय बिक्री कर संग्रहणों की प्रतिपूर्ति के संबंध में पुंडुचेरी सरकार को अनुदान प्रदान करने हेत् (120.48 करोड़ रुपए)।

इस पूरक अनुदान में 120.48 करोड़ रुपए का निवल नकद व्यय होगा। The supplementary grant is required for the following purposes:

(i) Providing enhanced compensation to victims of 1984 riots (Rs. 77.88 crore).

As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(ii) Providing grant to the Government of Puducherry towards reimbursement of Central Sales Tax collections (Rs. 120.48 crore).

This supplementary grant involves a net cash outgo of Rs. 120.48 crore.

स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION AND LITERACY

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 55 और वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की दूसरी मांगों का पृष्ठ 35 देखिए)। (See page 55 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007 and page 35 of Second Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007).

| | | | | | (करोड़ रुपए Rupees in Crore) | | |
|---|---------|------------------------------|----------------|--------------------------|------------------------------|----------|--|
| | | | | राजस्व | पूंजी | जोड़ | |
| | | | | Revenue | Capital | Total | |
| I. मूल अनुदानः | | I. ORIGINAL GRANT: | | | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 25878.71 | | 25878.71 | |
| पूरक अनुदानः | | SUPPLEMENTARY GRAN | / T : | | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 0.02 | ••• | 0.02 | |
| इस समय आवश्यक रकम | | Supplementary Estimate of | | | | | |
| का पूरक अनुमान | | the amount now required: | | | | | |
| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | स्वीकृत | | Voted: | 189.28 | ••• | 189.28 | |
| जोड़ (मूल और पूरक) | • | Total (Original plus Suppl | • / | | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 26068.01 | | 26068.01 | |
| | | II.इस पूरक अनुदान का हिसाब f | नेम्नलिखित मुख | य शीर्ष के अन्तर्गत दिखा | या जाएगाः | | |
| | | II. This Supplementary Grant | will be accoun | nted for under the follo | owing Major H | ead: | |
| | | | | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | |
| | | | | Plan | Non-Plan | Total | |
| राजस्व भाग | | REVENUE SECTION | | | | | |
| मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | | | | |
| 2202-सामान्य शिक्षा | स्वीकृत | 2202-General Education | Voted: | 189.01 (कa) | 0.27 (खb) | 189.28 | |
| जोड़ (पूरक) | स्वीकृत | Total (Supplementary) | Voted: | 189.01 | 0.27 | 189.28 | |

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए मांगा गया है:-

- (क) (i) वर्ष 2006-07 के दौरान 2% के शिक्षा उपकर के अतिरिक्त संग्रहण का प्रारंभिक शिक्षा कोष को अतिरिक्त अन्तरण अन्तरण (189.00 करोड़ रुपए)।
 - (ii) सर्व शिक्षा अभियानः राज्य कार्यान्वयनकारी सोसायटियों को अतिरिक्त राशि जारी करना (104.00 करोड़ रुपए)।
 - (iii) "प्राथमिक शिक्षा को पोषण सहायता देने का राष्ट्रीय कार्यक्रम" परियोजना के अंतर्गत स्कूलों को भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से खाद्यान्नों के परिवहन हेतु राज्यों द्वारा व्यय के लंबित दावों का निपटान करना (14.26 करोड़ रुपए)।
- (ख) राष्ट्रीय बाल भवन- पदों को भरने के कारण वर्धित वेतन घटक नई पेंशन योजना लागू करने, चिकित्सा व्ययों और कार्यालयी तथा सामान्य व्ययों के लिए (0.27 करोड़ रुपए)।

जहां (क)(ii)(iii) के तहत व्यय अनुदानों के उन्हीं भागों में उपलब्ध बचतों से किया जाएगा, क(i) के तहत व्यय अतिरिक्त प्राप्तियों से किया जाएगा। (ख) के तहत नकद व्यय होगा।

The supplementary grants are sought for the following purposes:

- (a) (i) Transfer of additional collection of Education Cess of 2% during the year 2006-07 to Prarambhik Shiksha Kosh (Rs.189.00 crore)
 - (ii) Sarva Shiksha Abhiyan: release of additional amount to State Implementing Societies (Rs.104.00 crore).
 - (iii) To settle the pending claims on account of expenditure incurred by States for transportation of food grains from Food Corporation of India godowns to schools under the scheme "National Programme for Nutritional Support to Primary Education" (Rs.14.26 crore).
- (b) National Bal Bhawan- to meet increased salary component due to filling up of posts, introduction of new pension scheme, medical expenses and office and general expenses (Rs.0.27 crore).

While expenditure under (a)(ii)(iii) shall be met from the savings available in the same section of the Grant, the expenditure under a (i) shall be matched by additional receipts. Expenditure under (b) shall entail cash outgo.

उच्चतर शिक्षा विभाग DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 56, वर्ष 2006-2007की पहली अनुदान मांगों का पृष्ठ 32 और दूसरी पूरक अनुदान मांगों का पृष्ठ 36 देखिए)।

(See page 56 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007, page 32 of First Supplementary Demands for Grants and page 36 of Second Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

| | | | | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
|--------------------|---------|-----------------------------|------------|---------|---------|---------|
| | | | | Revenue | Capital | Total |
| I. मूल अनुदानः | | I. ORIGINAL GRANT: | | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 6982.27 | 0.01 | 6982.28 |
| पूरक अनुदानः | | SUPPLEMENTARY GRAN | T : | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 0.05 | ••• | 0.05 |
| इस समय आवश्यक रकम | | Supplementary Estimate of | | | | |
| का पूरक अनुमान | | the amount now required: | | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 133.73 | ••• | 133.73 |
| जोड़ (मूल और पूरक) | | Total (Original plus Supple | ementary) | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 7116.05 | 0.01 | 7116.06 |

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

| | | | | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ |
|-------------------------|---------|-----------------------------|--------|-----------|--------------|--------|
| | | | | Plan | Non-Plan | Total |
| राजस्व भाग | | REVENUE SECTION | | | | |
| मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | | | |
| 2202-सामान्य शिक्षा | | 2202-General Education | | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 0.01 (कa) | 123.97(खb) | 123.98 |
| 2203-तकनीकी शिक्षा | | 2203-Technical Education | | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 0.01 (गc) | 9.72 (ঘd) | 9.73 |
| 2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र | | 2552-North Eastern Areas | | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 0.01 (ਫe) | | 0.01 |
| 3601-राज्य सरकारों को | | 3601-Grants-in-aid to State | | | | |
| सहायता अनुदान | | Governments | | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 0.01 (चf) | | 0.01 |
| जोड़ (पूरक) | | Total (Supplementary) | | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 0.04 | 133.69 | 133.73 |

इन पूरक अनुदानों की आवश्यकता निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए है:

- The supplementary grants are sought for the following purposes:
- (क) (i) माडल स्कूलों की स्थापना (नवोदय विद्यालय) स्कीम के अंतर्गत स्थापना संबंधी व्यय, भवनों का रखरखाव और मरम्मत, भवनों का निर्माण तथा अन्य आवर्ती और अनावर्ती व्यय (3.50 करोड़ रुपए)।
 - (ii) राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद स्कीम के अंतर्गत वचनबद्ध देयताएं और निर्माण लागत पूरी करने के लिए (3.00 करोड़ रुपए)।
 - (iii) मानव मूल्यों की शिक्षा हेतु एजेंसियों को सहायता स्कीम के अंतर्गत सहायता अनुदान के लिए (1.40 करोड़ रुपए)।
 - (iv) यूनेस्को के कार्यक्रमों और गतिविधियों में लगे स्वैच्छिक संगठनों का सुदृढ़ीकरण स्कीम के अंतर्गत देश में वहनीय विकास हेतु यूएन शिक्षा दशक का कार्यान्वयन (0.10 करोड़ रुपए)।
- (a) (i) Establishment related expenditure, maintenance and repairs of buildings, construction of buildings and other recurring and non recurring expenditure under the scheme Setting up of Model Schools (Navodaya Vidyalayas) (Rs.3.50 crore).
 - (ii) For meeting the committed liabilities and cost of construction under the scheme National Council for Promotion of Urdu Language (Rs.3.00 crore).
 - (iii) For grants-in-aid under the scheme Assistance to Agencies for Education in Human Values (Rs.1.40 crore).
 - (iv) Implementation of the UN Decade of Education for Sustainable Development in the country under the scheme Strengthening of Voluntary Organisations engaged in UNESCO's Programmes and Activities (Rs.0.10 crore).

चूंकि अनुदान के इसी भाग में समतुल्य बचतें उपलब्ध हैं, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

- (ख) (i) केन्द्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना संबंधी व्यय के लिए अतिरिक्त (b) (i) आवश्यकता (13.36 करोड़ रुपए)।
 - (ii) माडल स्कूलों की स्थापना (नवोदय विद्यालय) की स्कीम के अंतर्गत महंगाई भत्ते संबंधी व्यय, सेवा निवृत्ति लाभों के लिए वचनबद्ध देयता और खाली पदों को भरने के लिए अतिरिक्त आवश्यकता (10.00 करोड़ रुपए)।
 - (iii) तिब्बती शरणार्थी बच्चों के लिए शैक्षिक सुविधाएं (तिब्बती स्कूल सोसाइटी) के अंतर्गत पेंशनरों की संख्या में वृद्धि, वेतन और भत्ते और स्थापना संबंधी लागतों के लिए व्यय को पूरा करने हेतु अतिरिक्त आवश्यकता (0.30 करोड़ रुपए)।
 - (iv) अध्यापकों को राष्ट्रीय पुरस्कार स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पुरा करने के लिए (0.30 करोड़ रुपए)।
 - (v) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को वर्धित महंगाई भत्ता सेवानिवृत्ति लाभों की अतिरिक्त देनदारी, सम्पत्ति कर/बिजली/जल प्रभारों आदि के कारण वचनबद्ध देयता और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षण पदों को भरने, भवनों की वृहत, मरम्मत, नई पेंशन स्कीम और मेडिकल कालेज तथा एसपीएम राजकीय डिग्री कालेज हेतु प्रावधान की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (100.00 करोड़ रुपए)।

इस पर 123.96 करोड़ रुपए का निवल नकद व्यय होगा।

- (vi) "विदेशी सरकारों/संगठनों द्वारा प्रस्तावित छात्रवृत्तियों के एवज में विदेश जाने वाले भारतीय शिक्षाविद" स्कीम के अंतर्गत शिक्षाविदों को वजीफे जैसे विभिन्न खर्च पूरे करने के लिए (0.12 करोड़ रुपए)।
- (vii) वाईएमसीए, इंडियन स्टूडेन्ट हास्टल लंदन और स्कूल आफ ओरिएन्टल एंड अफ्रीकन स्टडीज को अनुदान (0.09 करोड़ रुपए)।
- (viii) "यूनेस्को में प्रतिनियुक्ति और प्रतिनिधि मंडल" स्कीम के अंतर्गत पेरिस में सामान्य सम्मेलन के तैंतीसवें सत्र में भारतीय प्रतिनिधि मंडल की तैनाती पर हुए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (0.37 करोड़ रुपए)

चूंकि अनुदान के इसी भाग में समतुल्य बचतें उपलब्ध हैं, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

- (ग) (i) भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर को आधुनिकीकरण और अवसंरचना (c) (i) सुविधाओं के उन्नयन संबंधी अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (12.00 करोड़ रुपए)।
 - (ii) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को अवसंरचनात्मक सुविधाओं के उन्नयन और विद्यार्थियों के प्रवेश में वृद्धि हेतु (39.23 करोड़ रुपए)।
 - (iii) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को आईआईटी गुवाहटी में अवसंरचनात्मक स्विधाओं के उन्नयन हेत् (10.00 करोड़ रुपए)।
 - (iv) राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईटीटीटीआर) को एनआईटीटीआर, चंडीगढ़ में नए हॉस्टल के निर्माण और एनआईटीटीआर कोलकाता में नए भवन निर्माण कार्यकलापों के लिए (3.70 करोड़ रुपए)।
 - (v) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद को राजीव गाँधी सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, अमेठी में विस्तार परिसर में भवन निर्माण कार्य और अन्य स्विधाओं संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति

As matching savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

- (i) Additional requirement for Kendriya Vidyalaya Sangathan on establishment related expenditure (Rs.13.36 crore).
- (ii) Additional requirement under the scheme Setting up of Model Schools (Navodaya Vidyalayas) for meeting expenditure on DA, committed liability towards retirement benefits and filling up of vacant posts (Rs.10.00 crore).
- (iii) Additional requirement under the scheme Educational Facilities to Tibetan Refugee Children (Tibetan School Society) for meeting the expenditure towards increase in number of pensioners, pay & allowances and other establishment related costs (Rs.0.30 crore).
- (iv) To meet additional expenditure under the scheme National Award to Teachers (Rs.0.30 crore).
- (v) Additional requirement for University Grants Commission to meet the enhanced DA, additional liability of retirement benefits, committed liability on account of property tax/ electricity/water charges etc., and in Central Universities for filling up of teaching posts, major repairs of buildings, New Pension Scheme and provision for Medical College and S.P.M. Govt. Degree College (Rs.100.00 crore).

This will entail a net cash outgo of Rs.123.96 crore.

- (vi) To meet various expenses like stipend for scholars under the scheme "Indian Scholars going abroad against scholarships offered by Foreign Govt. /Organisations" (Rs.0.12 crore).
- (vii) Grant to YMCA Indian Students Hostel, London and to the School of Oriental and African Studies (Rs.0.09 crore).
- (viii) To meet the additional expenditure incurred on the deputation of Indian delegation to 33rd Session of General Conference at Paris under the scheme Deputation and Delegation to UNESCO (Rs.0.37 crore).

As matching savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

- (c) (i) Indian Institute of Science, Bangalore; to meet additional expenditure on modernization and upgradation of infrastructure facilities (Rs.12.00 crore).
 - (ii) National Institutes of Technology; for upgradation of infrastructural facilities and increase in intake of students (Rs.39.23 crore).
 - (iii) Indian Institutes of Technology; for upgradation of infrastructural facilities at IIT, Guwahati (Rs.10.00 crore).
 - (iv) National Institutes of Technical Teachers Training & Research (NITTTRs); for construction of new Hostel at NITTTR, Chandigarh and for new construction activities in NITTTR, Kolkata (Rs.3.70 crore).
 - Indian Institute of Information Technology, Allahabad; to meet the additional expenditure on construction work and other facilities in the Extension Campus at Rajiv

हेतु (3.00 करोड़ रुपए)।

- (vi) इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद को हॉस्टल को निर्माण संबंधी प्रतिबद्ध देयताओं की पूर्ति हेतू (7.00 करोड़ रुपए)।
- (vii) बोर्ड ऑफ अप्रेन्टिसशिप ट्रेनिंग, मुम्बई, कोलकाता, कानपुर और चेन्नई को अप्रेन्टिसों को अधिक नौकरी दिलाने और उपरकणओं की खरीद हेत् अतिरिक्त व्यय कू पूर्ति हेत् (1.64 करोड़ रुपए)।

चूँकि अनुदान के इसी भाग में समतुल्य बचतें उपलब्ध हैं, अतः एक सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है।

(घ) (i) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान को संकाय सदस्यों की भर्ती, पेंशन (d) (i) का भुगतान, वर्द्धित महंगाई भत्ता, बिजली, जल और टेलिफोन बिल, स्थापना प्रभारों में वृद्धि के संबंध में (21.82 करोड़ रुपए)।

12.11 करोड़ रुपए की राशि की पूर्ति समतुल्य बचत से की जाएगी और 9.71 करोड़ रुपए की शेष राशि का निवल नकद व्यय होगा।

- (ii) वर्धित लक्ष्यों के कारण "शिक्षुता प्रशिक्षण छात्रवृत्ति और बजीफा कार्यक्रम" योजना के अन्तर्गत अपेक्षित अतिरिक्त व्यय (1.40 करोड़ रुपए)।
- (iii) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी तथा प्रबन्धन संस्थान, ग्वालियर के संबंध में होने वाले व्यय की पूर्ति करने के लिए (0.30 करोड़ रुपए)।
- (iv) भारतीय प्रबन्धन संस्थान, सामान्य अनुदान योजना के अन्तर्गत समतुल्य अनुदान के रूप में 9.00 करोड़ रुपए उपलब्ध कराना।
- (v) राष्ट्रीय औद्योगिक इन्जीनियरींग संस्थान, मुम्बई; सामान्य अनुदान योजना के तहत समतुल्य अनुदान के रूप में 6.00 करोड़ रुपए उपलब्ध कराना।
- (vi) इंडियन स्कूल आफ माइंस, धनबाद; सामान्य अनुदान योजना के अन्तर्गत 0.65 करोड़ रुपए उपलब्ध कराना।
- (vii) महंगाई भत्ता, पेंशन तथा पीओएल उत्पादों में वृद्धि के कारण शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, बम्बई, कोलकाता, कानपुर तथा चेन्नई की अतिरिक्त आवश्यकता हेतु (0.60 करोड़ रुपए)।
- (viii) एसियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलोजी, बैंकॉक को लम्बित बिलों के निपटान हेतु अतिरिक्त आवश्यकता और भारतीय उपस्कर, पुस्तकों आदि की खरीद हेतु वार्षिक अनुदान जारी करना (0.10 करोड रुपए)।

चूंकि अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत समतुल्य बचतें उपलब्ध है, अतः साकेतिक पूरक अनुदान हेतु अनुरोध किया गया है।

(ङ) पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, इटानगर को और अधिक यूजी/पीजी कार्यक्रमों को प्रारम्भ करने हेतु मौजूदा प्रयोगशालाओं तथा अन्य आधारभूत संरचना का उन्नयन (4.10 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत समतुल्य बचतें उपलब्ध है, अतः साकेतिक पूरक अनुदान हेतु अनुरोध किया गया है।

(च) अध्यापकों तथा हिन्दी पंडितों की वचनबद्ध दायित्वों की पूर्ति हेतु "भाषा अध्यापक की नियुक्ति" संबंधी योजना के लिए आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार को सहायता अनुदान (5.76 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान बचतें उपलब्ध है, अतः साकेतिक पूरक अनुदान हेतु अनुरोध किया गया है। Gandhi Institute of Information Technology at Amethi (Rs.3.00 crore).

- (vi) Indian School of Mines, Dhanbad; to meet the committed liabilities towards construction of hostel (Rs.7.00 crore).
- (vii) Board of Apprenticeship Training, Bombay, Kolkata, Kanpur and Chennai; for meeting additional expenditure for increasing the placement of Apprentices and purchase of equipment (Rs.1.64 crore).

As matching savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

d) (i) National Institutes of Technology; towards recruitment of faculty, payment of pension, enhanced DA, electricity, water & telephone bills and increase in establishment charges (Rs.21.82 crore).

An amount of Rs. 12.11 crore will be met from matching saving and remaining amount of Rs. 9.71 crore will be a net cash outgo.

- (ii) Additional expenditure required under the scheme "Programme for Apprenticeship Training Scholarship and Stipends" on account of enhanced targets (Rs.1.40 crore).
- (iii) Indian Institute of Information Technology and Management, Gwalior; for meeting recurring expenditure (Rs.0.30 crore)
- (iv) Indian Institute of Management; to provide Rs.9.00 crore as matching grant under the scheme Block Grant.
- (v) National Institute of Industrial Engineering, Mumbai; to provide Rs.6.00 crore as matching grant under the scheme Block Grant.
- (vi) Indian School of Mines, Dhanbad; to provide Rs.0.65 crore as matching grant under the scheme Block Grant.
- (vii) Additional requirement for Board of Apprenticeship Training, Bombay, Kolkata, Kanpur and Chennai, on account of enhancement in DA, Pension and hike in POL products (Rs.0.60 crore).
- (viii) Additional requirement for Asian Institute of Technology, Bangkok, to clear pending bills and to release annual grant for purchase of Indian equipment, books etc. (Rs.0.10 crore).

As matching savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

(e) To provide grant to North Eastern Regional Institute of Science and Technology, Itanagar, for upgradation of existing laboratories and other infrastructure to start more UG/PG programmes (Rs.4.10 crore).

As matching savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

f) Grants-in-aid to the State Government of Andhra Pradesh for the scheme "Appointment of Language Teacher" to meet committed liabilities of teachers and Hindi Pundits (Rs.5.76 crore).

As matching savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

महिला तथा बाल विकास मंत्रालय MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 57और वर्ष 2006-07 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 37 देखिए)। (See page 57 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007 and page 37 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

| | | | | राजस्व | पूंजी | जोड़ | |
|--------------------|---------|-----------------------------|-----------|---------|---------|---------|--|
| | | | | Revenue | Capital | Total | |
| I. मूल अनुदानः | | I. ORIGINAL GRANT: | | | | | |
| - | स्वीकृत | | Voted: | 4852.94 | | 4852.94 | |
| पूरक अनुदान : | | SUPPLEMENTARY GRAN | T: | | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 45.51 | | 45.51 | |
| इस समय आवश्यक रकम | | Supplementary Estimate of | | | | | |
| का पूरक अनुमान | | the amount now required: | | | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 0.03 | ••• | 0.03 | |
| जोड़ (मूल और पूरक) | | Total (Original plus Supple | ementary) | | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 4898.48 | ••• | 4898.48 | |

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

| | | | | आयोजना Plan | आयोजना-भिन्न Non-Plan | जोड़ Total |
|---|---------|---|---------|----------------|--------------------------|---------------|
| राजस्व भाग मुख्य शीर्ष 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण | स्वीकृत | REVENUE SECTION MAJOR HEAD 2235-Social Security and Welfare | Voted : | 0.01 (कa) | 0.01 (खb) | 0.02 |
| 2552-पूर्वोत्तर राज्य | C | 2552-North Eastern Areas | | , , | ` ' | |
| Cl | स्वीकृत | | Voted: | 0.01 (чс) | | 0.01 |
| जोड़ (पूरक) | स्वीकृत | Total (Supplementary) | Voted: | 0.02 | 0.01 | 0.03 |

इन पूरक अनुदानों का अनुरोध निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु किया गया है :

- (क) (i) भवन निर्माण तथा संस्थान सम्बन्धी व्यय पर (0.25 करोड़ रुपए) के लिए 'केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड' को सहायता अनुदान।
 - (ii) तस्करी (महिलाओं की) को रोकने के लिए परियोजनाओं का कार्यान्वयन तथा स्रोत क्षेत्रों तथा गंतव्य क्षेत्रों में तस्करी के पीड़ितों के बचाव तथा पुनर्वास हेतु (0.81 करोड़ रुपए) स्वयंसेवी संगठनों के लिए अतिरिक्त निधि की व्यवस्था करना।
 - (iii) परियोजना अनुवीक्षण समिति द्वारा यथा अनुमोदित "देखभाल तथा संरक्षण हेतु जरुरतमंद कामगार बच्चों के कल्याण" की योजना के लिए स्वयंसेवी संगठनों को अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराना (0.25 करोड़ रुपए)।
- (ख) भारत-मारीशस सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के अन्तर्गत "महिला अधिकारिता पर जैंडर प्रशिक्षण" और "वाणिज्यिक यौन शोषण हेतु महिलाओं तथा बच्चों की तस्करी की रोकथाम तथा उसका भुगतान करने" के सम्बन्ध में कार्यशालाओं पर किए गए वचनबद्ध व्यय की पूर्ति हेतु (0.07 करोड़ रुपए)।
- (ग) (i) परियोजना अनुवीक्षण समिति द्वारा यथा-अनुमोदित 'देश में गोद-लेने को प्रोत्साहन देने हेतु शिशु तथा नौजवान बच्चों के लिए आवास" सम्बन्धी योजना के लिए गैर-सरकारी संगठनों को अतिरिक्त निधियां (0.20 करोड़ रुपए) उपलब्ध कराना।
 - (ii) परियोजना अनुवीक्षण समिति द्वारा यथा-अनुमोदित "किशोरों के अंसतुलित जीवन की रोकथाम तथा नियंत्रण" की योजना हेतु गैर-सरकारी संगठनों को अतिरिक्त निधियां (0.70 करोड़ रुपए) सपलक्ष कराना।

चूंकि अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगे गए हैं। The supplementary grants are sought for the following purposes:-

- (a) (i) Grants-in-aid to the "Central Social Welfare Board" for construction of building and establishment related expenditure (Rs. 0.25 crore).
 - (ii) Additional funds to NGOs to implement projects for combating trafficking (of women) and for rescue and rehabilitation of victims of trafficking in source areas as well as destination areas (Rs. 0.81 crore).
 - (iii) Additional funds to NGOs for the scheme of "Welfare of Working Children in need of Care and Protection" as approved by the Project Screening Committee (Rs. 0.25 crore).
- (b) To meet the committed expenditure incurred on the workshops on "Gender Training on Women's Empowerment" under Indo-Mauritius Cultural Exchange Programme and on "Prevention and Combating of Trafficking of Women and Children for Commercial Sexual Exploitation" (Rs. 0.07 crore).
- (c) (i) Additional funds to NGOs for the scheme of "Homes for Infant and Young Children for Promotion Incountry Adoption" as approved by the Project Screening Committee (Rs. 0.20 crore).
 - (ii) Additional funds to NGOs for the scheme of "Prevention and Control of Juvenile Maladjustment" as approved by the Project Screening Committee (Rs. 0.70 crore).

As savings are available within the same section of the Grant, token supplementaries are sought.

महिला तथा बाल विकास मंत्रालय MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 57और वर्ष 2006-07 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 37 देखिए)। (See page 57 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007 and page 37 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

| | | | | राजस्व | पूंजी | जोड़ | |
|--------------------|---------|-----------------------------|-----------|---------|---------|---------|--|
| | | | | Revenue | Capital | Total | |
| I. मूल अनुदानः | | I. ORIGINAL GRANT: | | | | | |
| - | स्वीकृत | | Voted: | 4852.94 | | 4852.94 | |
| पूरक अनुदान : | | SUPPLEMENTARY GRAN | T: | | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 45.51 | | 45.51 | |
| इस समय आवश्यक रकम | | Supplementary Estimate of | | | | | |
| का पूरक अनुमान | | the amount now required: | | | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 0.03 | ••• | 0.03 | |
| जोड़ (मूल और पूरक) | | Total (Original plus Supple | ementary) | | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 4898.48 | ••• | 4898.48 | |

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

| | | | | आयोजना Plan | आयोजना-भिन्न Non-Plan | जोड़ Total |
|---|---------|---|---------|----------------|--------------------------|---------------|
| राजस्व भाग मुख्य शीर्ष 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण | स्वीकृत | REVENUE SECTION MAJOR HEAD 2235-Social Security and Welfare | Voted : | 0.01 (कa) | 0.01 (खb) | 0.02 |
| 2552-पूर्वोत्तर राज्य | C | 2552-North Eastern Areas | | , , | ` ' | |
| Cl | स्वीकृत | | Voted: | 0.01 (чс) | | 0.01 |
| जोड़ (पूरक) | स्वीकृत | Total (Supplementary) | Voted: | 0.02 | 0.01 | 0.03 |

इन पूरक अनुदानों का अनुरोध निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु किया गया है :

- (क) (i) भवन निर्माण तथा संस्थान सम्बन्धी व्यय पर (0.25 करोड़ रुपए) के लिए 'केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड' को सहायता अनुदान।
 - (ii) तस्करी (महिलाओं की) को रोकने के लिए परियोजनाओं का कार्यान्वयन तथा स्रोत क्षेत्रों तथा गंतव्य क्षेत्रों में तस्करी के पीड़ितों के बचाव तथा पुनर्वास हेतु (0.81 करोड़ रुपए) स्वयंसेवी संगठनों के लिए अतिरिक्त निधि की व्यवस्था करना।
 - (iii) परियोजना अनुवीक्षण समिति द्वारा यथा अनुमोदित "देखभाल तथा संरक्षण हेतु जरुरतमंद कामगार बच्चों के कल्याण" की योजना के लिए स्वयंसेवी संगठनों को अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराना (0.25 करोड़ रुपए)।
- (ख) भारत-मारीशस सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के अन्तर्गत "महिला अधिकारिता पर जैंडर प्रशिक्षण" और "वाणिज्यिक यौन शोषण हेतु महिलाओं तथा बच्चों की तस्करी की रोकथाम तथा उसका भुगतान करने" के सम्बन्ध में कार्यशालाओं पर किए गए वचनबद्ध व्यय की पूर्ति हेतु (0.07 करोड़ रुपए)।
- (ग) (i) परियोजना अनुवीक्षण समिति द्वारा यथा-अनुमोदित 'देश में गोद-लेने को प्रोत्साहन देने हेतु शिशु तथा नौजवान बच्चों के लिए आवास" सम्बन्धी योजना के लिए गैर-सरकारी संगठनों को अतिरिक्त निधियां (0.20 करोड़ रुपए) उपलब्ध कराना।
 - (ii) परियोजना अनुवीक्षण समिति द्वारा यथा-अनुमोदित "किशोरों के अंसतुलित जीवन की रोकथाम तथा नियंत्रण" की योजना हेतु गैर-सरकारी संगठनों को अतिरिक्त निधियां (0.70 करोड़ रुपए) सपलक्ष कराना।

चूंकि अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगे गए हैं। The supplementary grants are sought for the following purposes:-

- (a) (i) Grants-in-aid to the "Central Social Welfare Board" for construction of building and establishment related expenditure (Rs. 0.25 crore).
 - (ii) Additional funds to NGOs to implement projects for combating trafficking (of women) and for rescue and rehabilitation of victims of trafficking in source areas as well as destination areas (Rs. 0.81 crore).
 - (iii) Additional funds to NGOs for the scheme of "Welfare of Working Children in need of Care and Protection" as approved by the Project Screening Committee (Rs. 0.25 crore).
- (b) To meet the committed expenditure incurred on the workshops on "Gender Training on Women's Empowerment" under Indo-Mauritius Cultural Exchange Programme and on "Prevention and Combating of Trafficking of Women and Children for Commercial Sexual Exploitation" (Rs. 0.07 crore).
- (c) (i) Additional funds to NGOs for the scheme of "Homes for Infant and Young Children for Promotion Incountry Adoption" as approved by the Project Screening Committee (Rs. 0.20 crore).
 - (ii) Additional funds to NGOs for the scheme of "Prevention and Control of Juvenile Maladjustment" as approved by the Project Screening Committee (Rs. 0.70 crore).

As savings are available within the same section of the Grant, token supplementaries are sought.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 58 और वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की दूसरे बैच की पूरक मांगों का पृष्ठ 39 देखिए)।

(See page 58 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007 and page 39 of Second Supplementary Demands for grants for the year 2006-2007).

| | | | (करोड़ रुपए Ru | | Rupees in Crore) |
|--------------------|---------|-------------------------------------|----------------|---------|------------------|
| | | | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
| | | | Revenue | Capital | Total |
| I. मूल अनुदानः | | I. ORIGINAL GRANT: | | | |
| | भारित | Charged: | 0.03 | | 0.03 |
| | स्वीकृत | Voted: | 1558.57 | 157.47 | 1716.04 |
| पूरक अनुदानः | | SUPPLEMENTARY GRANT: | | | |
| | स्वीकृत | Voted: | 0.02 | | 0.02 |
| इस समय आवश्यक रकम | | Supplementary Estimate of | | | |
| का पूरक अनुमान | | the amount now required: | | | |
| | स्वीकृत | Voted: | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| जोड़ (मूल और पूरक) | | Total (Original plus Supplementary) | 1558.63 | 157.48 | 1716.11 |
| | भारित | Charged: | 0.03 | | 0.03 |
| | स्वीकृत | Voted: | 1558.60 | 157.48 | 1716.08 |

II.इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

| | | | | आयोजना Plan | आयोजना-भिन्न Non-Plan | जोड़ Total |
|-----------------------|---------|------------------------|----------|----------------|--------------------------|---------------|
| राजस्व भाग | | REVENUE SECTION | | 1 Ian | Non-1 lan | Total |
| मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | | | |
| 2221-प्रसारण | स्वीकृत | 2221-Broadcasting | Voted: | ••• | 0.01 (কa) | 0.01 |
| | | | | | | |
| पूंजी भाग | | CAPITAL SECTION | | | | |
| मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | | | |
| 6220-सूचना एवं प्रचार | | 6220-Loans for Informa | tion | | | |
| के लिए ऋण | स्वीकृत | and Publicity | Voted: | 0.01 (खb) | | 0.01 |
| जोड़ (पूरक) | | Total (Supplementary) | | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| | भारित | | Charged: | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 0.01 | 0.01 | 0.02 |

निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए इस पूरक अनुदान का अनुरोध किया गया है:-

- (क) प्रसार भारती को 3.37 करोड़ रुपए प्रदान करने के लिए जिससे वह उन सरकारी कर्मचारियों के संबंध में जो निगम में मानित प्रतिनियुक्ति पर हैं, "छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदान" का भुगतान कर सके। चूंकि अनुदान के राजस्व भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान के लिए अन्रेध किया गया है।
- (ख) 'राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम' (एनएफडीसी) को फिल्मों के डिजिटलाइजेशन, डीवीडी तैयार करने, लोकप्रिय एनएफडीसी फिल्मों को प्रतिकृतियां तैयार करने, फिल्मों की अधिप्राप्ति और क्षेत्रीय फिल्मों के निर्माण के लिए ऋण के तौर पर 15 करोड़ रुपए प्रदान करने के लिए। चूंकि अनुदान के पूंजी भाग के अधीन बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान के लिए अनुरोध किया गया है।

The supplementary grants are sought for the following purposes:

- (a) Rs.3.37 crore to Prasar Bharati to enable it to remit 'leave salary and pension contribution' in respect of Government Employees who are on deemed deputation with the Corporation. As savings are available within Revenue section of the grant, a token supplementary is sought.
- (b) Rs.15 crore as loan to the 'National Film Development Corporation' for digitalization of films, DVD authoring, replication of popular NFDC films, procurement of films and production of Regional films. As savings are available under Capital section of the Grant, a token supplementary is sought.

श्रम और रोजगार मंत्रालय MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 59 देखिए)। (See page 59 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007.

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

| | | | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
|--------------------|---------|-------------------------------------|---------|---------|---------|
| | | | Revenue | Capital | Total |
| I. मूल अनुदानः | | I. ORIGINAL GRANT: | | | |
| | भारित | Charged: | 0.02 | | 0.02 |
| | स्वीकृत | Voted: | 1643.56 | | 1643.56 |
| इस समय आवश्यक रकम | | Supplementary Estimate of | | | |
| का पूरक अनुमान | | the amount now required: | | | |
| | स्वीकृत | Voted: | 500.01 | | 500.01 |
| जोड़ (मूल और पूरक) | | Total (Original plus Supplementary) | 2143.59 | ••• | 2143.59 |
| | भारित | Charged: | 0.02 | | 0.02 |
| | स्वीकृत | Voted: | 2143.57 | | 2143.57 |

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

| | | | | आयोजना Plan | आयोजना-भिन्न Non-Plan | जोड़ Total |
|----------------------|---------|------------------------|--------|----------------|--------------------------|---------------|
| राजस्व भाग | | REVENUE SECTION | | | | |
| मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | | | |
| 2230- श्रम और रोजगार | | 2230-Labour & | | | | |
| | स्वीकृत | Employment | Voted: | | 500.01 | 500.01 |
| जोड़ (पूरक) | स्वीकृत | Total (Supplementary) | Voted: | ••• | 500.01 | 500.01 |

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए है:-

- (i) वेतनभोगी पत्रकारों और गैर-पत्रकार समाचार-पत्र कर्मचारियों के नए 'वेतन बोर्डों' के कार्य संचालन हेतु क्रमशः व्यय की पूर्ति हेतु (0.19 करोड़ रुपए)। चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।
- (ii) कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के संबंध में सरकारी हिस्से के अंशदान की अतिरिक्त आवश्यकता पूर्ति हेतु (500 करोड़ रुपए)। इसमें निवल नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for the following purposes:-

- (i) For meeting expenditure for functioning of new 'Wage Boards' of working Journalists and Non-Journalist Newspaper Employees respectively (Rs.0.19 crore). As savings are available within the same section of the grant, a token supplementary is sought.
- (ii) For meeting additional requirement on Government share of contribution towards Employees' Pension Scheme, 1995 (Rs.500 crore). This will entail a net cash outgo.

चुनाव आयोग ELECTION COMMISSION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 60 देखिए)। (See page 60 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

| | | | | राजस्व | पूंजी | जोड़ | |
|--------------------|---------|-----------------------------|--------|---------|---------|-------|--|
| | | | | Revenue | Capital | Total | |
| I. मूल अनुदानः | | I. ORIGINAL GRANT: | | | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 12.50 | | 12.50 | |
| इस समय आवश्यक रकम | | Supplementary Estimate of | | | | | |
| का पूरक अनुमान | | the amount now required: | | | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 1.36 | | 1.36 | |
| | | | | | | | |
| जोड़ (मूल और पूरक) | | Total (Original plus Supple | | 13.86 | ••• | 13.86 | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 13.86 | ••• | 13.86 | |
| | | | | | | | |

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

| | | | | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ |
|-------------|---------|-----------------------|--------|--------|--------------|-------|
| | | | | Plan | Non-Plan | Total |
| राजस्व भाग | | REVENUE SECTION | | | | |
| मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | | | |
| 2015-चुनाव | | 2015-Elections | | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | | 1.36 | 1.36 |
| जोड़ (पूरक) | स्वीकृत | Total (Supplementary) | Voted: | ••• | 1.36 | 1.36 |

यह पूरक अनुदान चुनाव आयोग और पिसीमन आयोग के अतिरिक्त स्थापन सम्बन्धी व्यय और आयोग की वेबसाइट के रख-रखाव और राष्ट्रीय मतदाता जागरुकता अभियान/प्रिशिक्षण के व्यय के लिए अपेक्षित है। इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for additional establishment related expenditure of the Election Commission and the Delimitation Commission and also the expenditure for maintenance of the Commission's website and National Voters Awareness Campaign/Training. This will entail cash outgo.

संख्या NO. 62 (विनियोग) (APPROPRIATION)

भारत का सर्वोच्च न्यायालय SUPREME COURT OF INDIA

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 62 देखिए)। (See page 62 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

| | | | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
|---------------------------------------|-------|-------------------------------------|---------|---------|-------|
| | | | Revenue | Capital | Total |
| I. मूल अनुदानः | | I. ORIGINAL GRANT: | | | |
| | भारित | Charged: | 43.27 | | 43.27 |
| इस समय आवश्यक रकम | | Supplementary Estimate of | | | |
| का पूरक अनुमान | | the amount now required: | | | |
| | भारित | Charged: | 8.73 | | 8.73 |
| जोड़ (मूल और पूरक) | | Total (Original plus Supplementary) | 52.00 | ••• | 52.00 |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | भारित | Charged: | 52.00 | | 52.00 |

- II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:

| | | | | आयोजना Plan | आयोजना-भिन्न Non-Plan | जोड़ Total |
|---------------------------|-------|--------------------------------|----------|----------------|--------------------------|---------------|
| राजस्व भाग मुख्य शीर्ष | | REVENUE SECTION MAJOR HEAD | | | - 1 0-1- 1- 1-1- | 1000 |
| 2014-न्याय प्रशासन | | 2014-Administration of Justice | | | | |
| | भारित | | Charged: | | 8.73 | 8.73 |
| जोड़ (पूरक) | भारित | Total (Supplementary) | Charged: | ••• | 8.73 | 8.73 |

यह पूरक विनियोग न्यायालय में क्लोज सर्किट टेलीविजन (सीसीटीवी) और अन्य सुरक्षा सम्बन्धी उपस्करों की व्यवस्था करने तथा अतिरिक्त स्थापन सम्बन्धी व्यय के लिए अतिरिक्त व्यय को पूर्ति के लिए अपेक्षित है। इसमें निवल नकद व्यय होगा।

The supplementary appropriation is required for meeting additional expenditure for providing Closed Circuit Television (CCTV) and other security related equipments in the Court and for additional establishment related expenditure. This will entail net cash outgo.

खान मंत्रालय MINISTRY OF MINES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 63 और वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 41 देखिए)।

(See page 63 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007 and page 41 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007).

| | | | | (करोड़ रुपए Rupees in Crore) | |
|--------------------|---------|--|--------------------|------------------------------|--------|
| | | | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
| | | | Revenue | Capital | Total |
| I. मूल अनुदानः | | I. ORIGINAL GRANT: | | | |
| | भारित | Charged: | 0.10 | | 0.10 |
| | स्वीकृत | Voted: | 362.97 | 131.95 | 494.92 |
| पूरक अनुदानः | | SUPPLEMENTARY GRANT: | | | |
| | स्वीकृत | Voted: | 58.85 | 0.01 | 58.86 |
| इस समय आवश्यक रकम | | Supplementary Estimate of | | | |
| का पूरक अनुमान | | the amount now required: | | | |
| | भारित | Charged: | 4.65 | | 4.65 |
| | स्वीकृत | Voted: | 66.14 | | 66.14 |
| जोड़ (मूल और पूरक) | | Total (Original plus Supplementary) | 492.71 | 131.96 | 624.67 |
| | भारित | Charged: | 4.75 | | 4.75 |
| | स्वीकृत | Voted: | 487.96 | 131.96 | 619.92 |
| | | II.इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखि | त मुख्य शीर्ष के अ | न्तर्गत दिखाया जा | एगाः |

II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Head:

| | | | आयाजना | आयाजना-ामन्न | ডাঙ্ |
|-------------------|---------|-----------------------------|--------|--------------|-------|
| | | | Plan | Non-Plan | Total |
| राजस्व भाग | | REVENUE SECTION | | | |
| मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | | |
| 2853-अलौह खनन एवं | | 2853-Non-ferrous Mining and | | | |
| धातुकर्मीय उद्योग | | Metallurgical Industries | | | |
| | भारित | Charged: | | 4.65 (कa) | 4.65 |
| | स्वीकृत | Voted: | ••• | 66.14 (खb) | 66.14 |
| जोड़ (पूरक) | | Total (Supplementary) | ••• | 70.79 | 70.79 |
| | भारित | Charged: | | 4.65 | 4.65 |
| | स्वीकृत | Voted: | | 66.14 | 66.14 |
| | | | | | |

इस पूरक विनियोग/अनुदान के लिए अनुरोध निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु किया गया है:

- (क) कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड के कर्मचारियों को अन्तरिम भुगतान करने हेतु भारत की आकस्मिकता निधि से प्राप्त अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।
- (ख) भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड के कर्मचारियों को विशेष सेवांत लाभ पैकेज (67.80 करोड़ रुपए) के कार्यान्वयन हेतु। चूंकि राजस्व भाग में 1.66 करोड़ रुपए की सीमा तक बचतों के पुनर्विनियोजन से व्यय की आंशिक रूप से पूर्ति की जाएगी, इसलिए शेष राशि हेतु पूरक अनुदान का अनुरोध किया जा रहा है। इसके अलावा, अनुदान के पूंजी भाग में 46.28 करोड़ रुपए की राशि की समतुल्य बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए इसमें 19.86 करोड़ रुपए का निवल नकद व्यय होगा।

The supplementary Appropriation/Grants is sought for the following purposes:

- (a) Recoupment of an advance obtained from the Contingency Fund of India for making interim payment to the employees of Bharat Gold Mines Limited in compliance of orders of the High Court of Karnataka. This will entail a cash outgo.
- (b) For implementation of Special Terminal Benefit Package (Rs.67.80 crore) to the employees of Bharat Gold Mines Limited. As the expenditure will partly be met by reappropriation of savings to the extent of Rs.1.66 crore in the Revenue Section, the supplementary is being sought for the balance amount. Further, as there are matching savings available to the tune of Rs.46.28 crore in the Capital Section of the Grant, the net cash outgo will be Rs.19.86 crore.

राजस्व भाग

3455-मौसम विज्ञान

मुख्य शीर्ष

मांग संख्या DEMAND NO. 66

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

(पूर्वनाम - महासागर विकास विभाग)

MINISTRY OF EARTH SCIENCES

(Previously - Department of Ocean Development)

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 66 देखिए)। (See page 66 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

| | | | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
|--------------------|---------|-------------------------------------|---------|---------|--------|
| | | | Revenue | Capital | Total |
| I. मूल अनुदानः | | I. ORIGINAL GRANT: | | | |
| | भारित | Charged: | | | |
| | स्वीकृत | Voted: | 475.75 | | 475.75 |
| इस समय आवश्यक रकम | | Supplementary Estimate of | | | |
| का पूरक अनुमान | | the amount now required: | | | |
| | भारित | Charged: | 0.05 | | 0.05 |
| | स्वीकृत | Voted: | 56.05 | 59.10 | 115.15 |
| जोड़ (मूल और पूरक) | | Total (Original plus Supplementary) | 531.85 | 59.10 | 590.95 |
| | भारित | Charged: | 0.05 | | 0.05 |
| | स्वीकृत | Voted: | 531.80 | 59.10 | 590.90 |

- II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:

| | | | | | - |
|--------------------------------|---------|--|-------------------|--------------------------|----------------|
| | | | आयोजना Plan | आयोजना-भिन्न Non-Plan | जोड़ Total |
| राजस्व भाग | | REVENUE SECTION | | | |
| मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | | |
| 3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान | | 3425-Other Scientific Research | | | |
| | स्वीकृत | Voted: | 16.50(कa) | 4.45 (खb) | 20.95 |
| 3455-मौसम विज्ञान | | 3455-Meteorology | | | |
| | भारित | Charged: | | 0.05 (गc) | 0.05 |
| | स्वीकृत | Voted: | 25.00 (ਬd) | 10.10 (ਵe) | 35.10 |
| जोड़ - राजस्व भाग | | Total - Revenue Section | 41.50 | 14.60 | 56.10 |
| | भारित | Charged: | ••• | 0.05 | 0.05 |
| | स्वीकृत | Voted: | 41.50 | 14.55 | 56.05 |
| पूंजी भाग | C | CAPITAL SECTION | | | |
| मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | | |
| 5425-अन्य वैज्ञानिक और पर्यावर | णीय | 5425-Capital Outlay on other Scientific | | | |
| अनुसंधान पर पूंजी परिव्य | य | and Environmental Research | | | |
| | स्वीकृत | Voted: | 17.50 (चf) | | 17.50 |
| 5455-मौसम विज्ञान पर पूंजी परि | व्यय | 5455-Capital Outlay on Meteorology | | | |
| | स्वीकृत | Voted: | 41.00 (छg) | 0.60 (जh) | 41.60 |
| जोड़ - पूंजी भाग | | Total - Capital Section | 58.50 | 0.60 | 59.10 |
| | भारित | Charged: | | | |
| | स्वीकृत | Voted: | 58.50 | 0.60 | 59.10 |
| जोड़ (पूरक) | | Total (Supplementary) | 100.00 | 15.20 | 115.20 |
| | भारित | Charged: | | 0.05 | 0.05 |
| | स्वीकृत | Voted: | 100.00 | 15.15 | 115.15 |
| | | टिप्पणीः उपरोक्त अनुमानों में नीचे दी गई वसूलियां | शामिल नहीं है जिर | मका समायोजन व्य | य में से घटाकर |
| | | किया जाता है। | | | |
| | | Note: The above estimates do not include the in reduction of expenditure. | he recoveries sho | wn below which | are adjusted |
| | | | | | |

Voted:

(-)1.00

(-)1.00

REVENUE SECTION

MAJOR HEAD

स्वीकृत

3455-Meteorology

- (क) से (ड) इस पूरक अनुदान का अनुरोध भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे (11.20 करोड़ रुपए), राष्ट्रीय मीडियम रेंज मौसम पूर्वानुमान केन्द्र (9.75 करोड़ रुपए) और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (173.15 करोड़ रुपए) संबंधी प्रावधान के अंतरण हेतु किया गया है क्योंकि इन संगठनों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया है। अनुदान के राजस्व भाग के अंतर्गत 138.00 करोड़ रुपए की बचतों के पुनर्विनियोजन के पश्चात शेष राशि के लिए तकनीकी पूरक अनुदान मांगा गया है।
- (च) से (ज) यह पूरक अनुदान का अनुरोध राष्ट्रीय मीडियम रेंज मौसम पूर्वानुमान केन्द्र (17.50 करोड़ रुपए) और भारतीय मौसम विभाग (41.60 करोड़ रुपए) संबंधी प्रावधान के अंतरण हेतु किया गया है क्योंकि इन संगठनों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया है।

उपर्युक्त पूरक अनुदानों में कोई नकद व्यय नहीं होगा क्योंकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग उपर्युक्त योजनाओं/संगठनों संबंधी बजटीय प्रावधान अभ्यर्पित करेगा।

- (a) to (e) The supplementary grant is sought for transfer of the provision relating to Indian Institute of Tropical Meteorology, Pune (Rs.11.20 crore), National Centre for Medium Range Weather Forecasting (Rs.9.75 crore) and India Meteorology Department (Rs.173.15 crore) as these organisations have been transferred from the Department of Science and Technology to the Ministry of Earth Sciences. After re-appropriation of the savings of Rs.138.00 crore within the revenue section of the Grant, a technical supplementary is sought for the balance amount.
- (f) to (h) The supplementary grant is sought for transfer of the provision relating to National Centre for Medium Range Weather Forecasting (Rs.17.50 crore) and India Meteorology Department (Rs.41.60 crore) as these organisations have been transferred from the Department of Science and Technology to the Ministry of Earth Sciences.

The above supplementaries will not entail any cash outgo as Department of Science and Technology will surrender the budgetary provision relating to above schemes/organisations.

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 69 तथा अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 35 देखिए)। (See page 69 of the Demands for Grants of Central Government and page 35 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007).

| | | | | (करोड़ रुपए Rupees in Cror | |
|--------------------|---------|-------------------------------------|---------|----------------------------|--------|
| | | | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
| | | | Revenue | Capital | Total |
| I. मूल अनुदानः | | I. ORIGINAL GRANT: | | | |
| | भारित | Charged: | 7.14 | 9.00 | 16.14 |
| | स्वीकृत | Voted: | 301.13 | 28.03 | 329.16 |
| पूरक अनुदानः | | SUPPLEMENTARY GRANT: | | | |
| | स्वीकृत | Voted: | | 1.00 | 1.00 |
| इस समय आवश्यक रकम | | Supplementary Estimate of | | | |
| का पूरक अनुमान | | the amount now required: | | | |
| | भारित | Charged: | 0.47 | 2.00 | 2.47 |
| जोड़ (मूल और पूरक) | | Total (Original plus Supplementary) | 308.74 | 40.03 | 348.77 |
| | भारित | Charged: | 7.61 | 11.00 | 18.61 |
| | स्वीकृत | Voted: | 301.13 | 29.03 | 330.16 |

- II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:

| | | | | आयोजना Plan | आयोजना-भिन्न Non-Plan | जोड़ Total |
|----------------------------|-------|--------------------------|----------|----------------|--------------------------|---------------|
| राजस्व भाग | | REVENUE SECTION | | | | |
| मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | | | |
| 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं | | 2070-Other Administrativ | re | | | |
| | भारित | Services | Charged: | | 0.47(कa) | 0.47 |
| पूंजी भाग | | CAPITAL SECTION | | | | |
| मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | | | |
| 7601-राज्य सरकारों को ऋण | | 7601-Loans and Advance | S | | | |
| एवं अग्रिम | | to State Governmen | nts | | | |
| | भारित | | Charged: | | <i>2.00</i> (खb) | 2.00 |
| जोड़ (पूरक) | भारित | Total (Supplementary) | Charged: | ••• | 2.47 | 2.47 |

इस पूरक विनियोग की आवश्यकता निम्नलिखित के लिए अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए है:

- (क) केन्द्रीय सतर्कता आयोग का स्थापना व्यय।
- (ख) अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को गृह निर्माण अग्रिम के लिए भुगतानों के एवज में राज्य सरकारों को प्रतिपूर्ति।

चूंकि अनुदान के राजस्व/पूंजी (स्वीकृत) भाग में उपलब्ध बचतें अभ्यर्पित कर दी जाएंगी, इसलिए प्रत्येक मामले में तकनीकी पूरक अनुदान के लिए अनुरोध किया गया है जिसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा। The supplementary appropriation is required for meeting additional requirement on:

- (a) Establishment expenditure of Central Vigilance Commission.
- (b) Re-imbursement to State Governments against payments made towards House Building Advances to All India Service Officers.

As matching savings available in the Revenue/Capital (Voted) Section of the Grant will be surrendered, a technical supplementary is sought in each case involving no cash outgo.

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 70 और वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 36 और अनुदानों की दूसरी मांगों का पृष्ठ 44 देखिए)।

(See page 70 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007 and page 36 of First Supplementary Demands for Grants and page 44 of Second Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007).

| | | | | | (करोड़ रुपए R | Supees in Crore) |
|--------------------|---------|-----------------------------|------------|----------|---------------|------------------|
| | | | | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
| | | | | Revenue | Capital | Total |
| I. मूल अनुदानः | | I. ORIGINAL GRANT: | | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 3106.62 | | 3106.62 |
| पूरक अनुदानः | | SUPPLEMENTARY GRAN | <i>T</i> : | | | |
| ., 3 | स्वीकृत | | Voted: | 19150.01 | | 19150.01 |
| इस समय आवश्यक रकम | | Supplementary Estimate of | | | | |
| का पूरक अनुमान | | the amount now required: | | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 5000.01 | 528.58 | 5528.59 |
| जोड़ (मूल और पूरक) | | Total (Original plus Supple | ementary) | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 27256.64 | 528.58 | 27785.22 |

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

| | | | | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ |
|--------------------|---------|-----------------------|--------|--------|--------------|---------|
| | | | | Plan | Non-Plan | Total |
| राजस्व भाग | | REVENUE SECTION | | | | |
| मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | | | |
| 2802-पेट्रोलियम | स्वीकृत | 2802-Petroleum | Voted: | | 5000.01 (कa) | 5000.01 |
| पूंजी भाग | | CAPITAL SECTION | | | | |
| मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | | | |
| 4802-पेट्रोलियम पर | | 4802-Capital Outlay | | | | |
| पूंजी परिव्यय | स्वीकृत | on Petroleum | Voted: | | 528.58 (खb) | 528.58 |
| जोड़ (पूरक) | | Total (Supplementary) | | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | ••• | 5528.59 | 5528.59 |
| | | | | | | |

टिप्पणी : अतिरिक्त आवश्यकता के उपरोक्त अनुमानों में नीचे दर्शाई गई प्राप्तियों को हिसाब में नहीं लिया गया हैं, जिसका समायोजन व्यय में से घटाकर किया जाता है।

Note: The above estimates of additional requirment do not take into account the Receipts shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

| 4000-विविध पूंजी प्राप्तियां | 4000-Miscellaneous | | |
|------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------|
| | Capital Receipts | (-) 528.58 | (-) 528.58 |
| 8012-विशेष जमा और खाता | 8012-Special Deposits | | |
| | and Accounts | (-) 5000.00 | (-) 5000.00 |

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों हेत् आवश्यक है :

- (क) (i) 'संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों' की बिक्री के कारण वर्ष 2006-07 में अनुमानित कम वसूलियों के संबंध में तेल विपणन कम्पनियों को विशेष सिक्योरिटीज निर्गम के जिरए क्षतिपूर्ति प्रदान करने हेतु (5000 करोड़ रुपए)। इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।
 - (ii) एपीएम अवधि के संबंध में ओएनजीसी, ओआईएल, बीपीसीएल और आईओसी के आकस्मिक देयताओं के निपटान हेतु (57.15 करोड़ रुपए)। चूंकि राशि की पूर्ति अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों से की जाएगी, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की गई है।
- (ख) ओएनजीसी द्वारा जारी बोनस शेयरों में 528.58 करोड़ रुपए के अतिरिक्त इक्विटी निवेश हेतु। इसे प्राप्तियों द्वारा प्रतिसंतुलित किया जाएगा।

The supplementary grants are required for the following purposes:-

- (a) (i) Providing compensation through issue of Special Securities to the Oil Marketing Companies towards estimated under recoveries in 2006-07 on account of sale of 'Sensitive Petroleum Products' (Rs. 5000 crore). It does not entail any cash outgo.
 - (ii) Settlement of contingent liability claims of ONGC, OIL, BPCL and IOC pertaining to the APM period (Rs. 57.15 crore). Since the amount will be met from savings in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Additional equity investment in the bonus shares issued by ONGC to the tune of Rs. 528.58 crore. This will be matched by receipts.

है:

मांग संख्या DEMAND NO.72

विद्युत मंत्रालय MINISTRY OF POWER

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 72 और वर्ष 2006-2007 की दूसरी पूरक अनुदान माँगों का पृष्ठ 45 देखिए)। (See page 72 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007, and page 45 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

| | | | | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
|--------------------|---------|---------------------------------|-------|---------|---------|---------|
| | | | | Revenue | Capital | Total |
| I. मूल अनुदानः | | I. ORIGINAL GRANT: | | | | |
| | स्वीकृत | Vot | ted: | 5188.42 | 1797.74 | 6986.16 |
| पूरक अनुदानः | | SUPPLEMENTARY GRANT: | | | | |
| | स्वीकृत | Vot | ted: | 0.01 | | 0.01 |
| इस समय आवश्यक रकम | | Supplementary Estimate of | | | | |
| का पूरक अनुमान | | the amount now required: | | | | |
| | स्वीकृत | Vot | ted: | 0.02 | | 0.02 |
| जोड़ (मूल और पूरक) | | Total (Original plus Supplement | tary) | | | |
| | स्वीकृत | Vot | ed: | 5188.45 | 1797.74 | 6986.19 |

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

| | | | आयोजना Plan | आयोजना-भिन्न Non-Plan | जोड़ Total |
|--------------|-----------------|--------|----------------|--------------------------|---------------|
| राजस्व भाग | REVENUE SECTION | | | | |
| मुख्य शीर्ष | MAJOR HEAD | | | | |
| 2801-विद्युत | 2801-Power | Voted: | 0.01 (कa) | 0.01 (खb) | 0.02 |

इन पूरक अनुदानों की आवश्यकता निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए

- (क) (i) त्वरित सिंचाई विकास तथा सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) परियोजना के लिए परामर्श प्रभारों के संबंध में परामर्शदाताओं के बकाया बिलों के भुगतान हेतु अतिरिक्त आवश्यकताएं (27 करोड़ रुपए) को पूरा करने के लिए।
 - (ii) पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लि. के संघटित स्थानीय प्रेषण केन्द्र पूर्वोत्तर क्षेत्र (यूएलडीसी-एनईआर) के संबंध में सहायता-अनुदान शीर्ष के एवज में अतिरिक्त आवश्यकता (13.06 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु।

चूंकि अनुदान के इसी भाग में समतुल्य बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

- (ख) (i) राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान (एनपीटीआई) की पेंशन निधियों के सुदृढ़ीकरण हेतु सहायता-अनुदान शीर्ष के एवज में अतिरिक्त राशि (1 करोड़ रुपए) की आवश्यकता है।
 - (ii) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के कार्यालय भवन के किराया प्रभारों का भुगतान करने के लिए सहायता-अनुदान शीर्ष के एवज में अतिरिक्त राशि (0.40 करोड़ रुपए) की आवश्यकता है।

चूंकि अनुदान के इसी भाग में समतुल्य बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है। The supplementary grants are required for the following purposes:

- (a) (i) For meeting the additional requirements (Rs. 27 crore) in respect of consultancy charges for Accelerated Power Development & Reform Programme (APDRP) Project for clearing the pending bills of consultants.
 - (ii) For meeting the additional requirements (Rs. 13.06 crore) in respect of Unified Local Dispatch Centre-North Eastern Region (ULDC-NER) of Power Grid Corporation of India Ltd. against the head Grant-in-aid.

As matching savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

- (b) (i) An additional amount (Rs. 1 crore) is needed for strengthening of Pension Funds of National Power Training Institute (NPTI) against the head Grant-in-aid.
 - (ii) An additional amount (Rs. 0.40 crore) is required for making payment of Rent Charges of Office Building of Central Electricity Regulatory Commission (CERC) against the head Grant-in-aid.

As matching savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

राज्य सभा RAJYA SABHA

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 75 देखिए)। (See page 75 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

| | | राजस्व | पूजा | जाड़ |
|--------------------|-------------------------------------|---------|---------|--------|
| | | Revenue | Capital | Total |
| I. मूल अनुदानः | I. ORIGINAL GRANT: | | | |
| भारित | Charged: | 0.34 | | 0.34 |
| स्वीकृत | Voted: | 102.00 | | 102.00 |
| इस समय आवश्यक रकम | Supplementary Estimate of | | | |
| का पूरक अनुमान | the amount now required: | | | |
| भारित | Charged: | 0.18 | | 0.18 |
| स्वीकृत | Voted: | 0.93 | | 0.93 |
| जोड़ (मूल और पूरक) | Total (Original plus Supplementary) | 103.45 | ••• | 103.45 |
| भारित | Charged: | 0.52 | ••• | 0.52 |
| स्वीकृत | Voted: | 102.93 | ••• | 102.93 |

II.इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः

II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Head:

| | | 11 3 11 1 | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ |
|-----------------------------------|-----|-----------------------------|--------|--------------|-------|
| | | | Plan | Non-Plan | Total |
| राजस्व भाग | | REVENUE SECTION | | | |
| मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | | |
| 2011-संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | | 2011-Parliament/State/Union | | | |
| विधान मण्डल | | Territory Legislatures | | | |
| भा | रित | Charged: | | 0.18 | 0.18 |
| स्वीव | कृत | Voted: | | 0.93 | 0.93 |
| जोड़ (पूरक) | | Total (Supplementary) | ••• | 1.11 | 1.11 |
| 477 | रित | Charged: | ••• | 0.18 | 0.18 |
| स्वीव | कृत | Voted: | ••• | 0.93 | 0.93 |

यह पूरक अनुदान/विनियोग अतिरिक्त स्थापना सम्बन्धी व्यय (1,11 करोड़ रुपए) की पूर्ति के लिए अपेक्षित है। इसमें निवल नकद व्यय

The supplementary grant/appropriation is required for meeting additional establishment related expenditure (Rs.1.11 crore). This will entail net cash outgo.

संख्या NO.76 (विनियोग)(APPROPRIATION)

संघ लोक सेवा आयोग UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 76 देखिए)। (See page 76 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore) पुंजी जोड राजस्व Capital Total Revenue I. ORIGINAL GRANT: I. मूल अनुदानः भारित 59.99 Charged: 59.99 Supplementary Estimate of इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान the amount now required: भारित Charged: 4.50 4.50 जोड़ (मूल और पुरक) Total (Original plus Supplementary) 64.49 64.49 भारित Charged: 64.49 64.49 II.इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head: आयोजना आयोजना-भिन्न जोड Non-Plan Plan **Total** राजस्व भाग **REVENUE SECTION** मुख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** 2051-लोक सेवा आयोग 2051-Public Service Commission भारित Charged: 4.50 4.50 जोड़ (पूरक) **Total (Supplementary)** भारित Charged: 4.50 4.50

यह पूरक विनियोग अतिरिक्त स्थापना सम्बन्धी व्यय और आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं और इसके द्वारा किए जाने वाले चयन, जिसमें विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (डी.ए.वी.पी.) के माध्यम से विज्ञापन पर व्यय (4.50 करोड़ रुपए का) शामिल है, से जुड़े व्यय के लिए भी आवश्यक है। इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary appropriation is required for additional establishment related expenditure and also the expenditure in connection with examinations conducted by the Commission and selections made by it including expenditure on advertisement through Directorate of Advertisement and Visual Publicity(DAVP) (Rs.4.50 crore). This will entail cash outgo.

ग्रामीण विकास विभाग DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 78,वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 37 और वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 46 देखिए)।

(See page 78 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007, page 37 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007 and page 46 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

| | | | | | (4,11,5,11,1 | impees in croi | <i>(</i>) |
|--------------------|---------|-----------------------------|----------------|----------------------------|---------------|----------------|------------|
| | | | | राजस्व | पूंजी | जोड़ | |
| | | | | Revenue | Capital | Total | |
| I. मूल अनुदानः | | I. ORIGINAL GRANT: | | | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 39073.18 | | 39073.18 | |
| पूरक अनुदानः | | SUPPLEMENTARY GRAN | V <i>T</i> : | | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 16455.02 | | 16455.02 | |
| इस समय आवश्यक रकम | | Supplementary Estimate of | | | | | |
| का पूरक अनुमान | | the amount now required: | | | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 0.20 | | 0.20 | |
| जोड़ (मूल और पूरक) | | Total (Original plus Suppl | ementary) | | | | |
| . (6 6 7 | स्वीकृत | (1 8 III | Voted: | 55528.40 | ••• | 55528.40 | |
| | | II. इस पूरक अनुदान का हिसाब | निम्नलिखित मुख | व्य शीर्षों के अन्तर्गत वि | देखाया जाएगाः | | |
| | | II. This Supplementary Gra | • | | | ajor Heads: | |
| | | | | ` | \ \ \ | | |

| | | | | आयोजना Plan | आयोजना-भिन्न Non-Plan | जोड़ Total |
|-------------------------|---------|----------------------------|--------|----------------|--------------------------|---------------|
| राजस्व भाग | | REVENUE SECTION | | | | |
| मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | | | |
| 2501-ग्रामीण विकास हेतु | स्वीकृत | 2501-Special Programmes f | for | | | |
| विशेष कार्यक्रम | | Rural Development | Voted: | 0.01 (कa) | | 0.01 |
| 2505-ग्रामीण रोजगार | स्वीकृत | 2505-Rural Employment | Voted: | 0.01 (खb) | | 0.01 |
| 2515-अन्य ग्रामीण विकास | | 2515-Other Rural Developme | ent | | | |
| कार्यक्रम | | Programmes | Voted: | 0.01 (чc) | 0.16 (ਬd) | 0.17 |
| 3054-सड़कें एवं पुल | स्वीकृत | 3054-Roads and Bridges | Voted: | 0.01 (те) | | 0.01 |
| जोड़ (पूरक) | स्वीकृत | Total (Supplementary) | Voted: | 0.04 | 0.16 | 0.20 |

इस पूरक अनुदान का अनुरोध निम्नलिखित योजनाओं की अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किया गया है:

- (क) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (3 करोड़ रुपए) और आन्ध्र प्रदेश में जनजातीय समुदायों के सतत विकास हेतु गिरिप्रगति (2.58 करोड़ रुपए) के कार्यान्वयन हेत् विदेशी सहायता का अन्तरण।
- (ख) सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का खाद्यान्न संघटक (2500करोड़ रुपए)।
- चूंवि बचतें अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पुरक अनुदान मांगे गए हैं।
- (ग) राज्य ग्रामीम विकास संस्थान (10 करोड़ रुपए) और डीआरडीए प्रशासन (20 करोड़ रुपए)। चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।
- (घ) प्रशासनिक व्यय की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (0.16 करोड़ रुपए)। इसमें नकद व्यय होगा।
- (ङ) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) (800 करोड़ रुपए) और पीएमजीएसवाई के कार्यान्वयन हेतु विदेशी सहायता (20 करोड़ रुपए) का अन्तरण। चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत उपलब्ध हैं, अतःसांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

The supplementary grant is sought for meeting additional requirements of the following Schemes:

- (a) Swaranjayanti Gram Swarozgar Yojana (Rs.3 crore) and pass through of external assistance for implementation of Giripragati (Rs.2.58 crore) for sustainable development of tribal communities in Andhra Pradesh.
- (b) Foodgrain component of Sampoorna Gramin Rozgar Yojana (Rs.2500 crore).

As savings are available within the same section of the Grant, token supplementaries are sought.

- (c) State Institutes of Rural Development (Rs. 10 crore) and DRDA Administration (Rs. 20 crore). As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (d) National Institute of Rural Development (Rs.0.16 crore) for meeting administrative expenditure. This will entail a cash outgo.
- (e) Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY) (Rs.800 crore) and pass through of external assistance (Rs.20 crore) for implementation of PMGSY. As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

पेयजल आपूर्ति विभाग DEPARTMENT OF DRINKING WATER SUPPLY

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 80 देखिए)। (See page 80 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

| | | | | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
|--------------------|---------|------------------------------|----------|---------|---------|---------|
| | | | | Revenue | Capital | Total |
| I. मूल अनुदानः | | I. ORIGINAL GRANT: | | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 6001.70 | ••• | 6001.70 |
| इस समय आवश्यक रकम | | Supplementary Estimate of | | | | |
| का पूरक अनुमान | | the amount now required: | | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 0.01 | | 0.01 |
| जोड़ (मूल और पूरक) | | Total (Original plus Supplen | nentary) | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 6001.71 | ••• | 6001.71 |

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

| | | | | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ |
|--------------------|---------|------------------------|--------|--------|--------------|-------|
| | | | | Plan | Non-Plan | Total |
| राजस्व भाग | | REVENUE SECTION | | | | |
| मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | | | |
| 2215-जल आपूर्ति और | | 2215-Water Supply and | | | | |
| स्वच्छता | स्वीकृत | Sanitation | Voted: | 0.01 | | 0.01 |

इस पूरक अनुदान का अनुरोध ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के तहत विभिन्न राज्य सरकारों की अतिरिक्त आवश्यकता (60 करोड़ रुपए) की पूर्ति सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है।

The supplementary grant is sought for meeting additional requirement (Rs.60 crore) of various State Governments under हेतु किया गया है। चूँकि बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः Rural Sanitation Programme. As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 81 और 2006-07 की दूसरी पूरक अनुदान मांगों का पृष्ठ 47 देखिए)। (See page 81 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007 and page 47 of Second Supplementary Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

| | | | | (करोड़ रुपए Rupees in C | |
|--------------------|---------|-------------------------------------|---------|-------------------------|---------|
| | | | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
| | | | Revenue | Capital | Total |
| I. मूल अनुदानः | | I. ORIGINAL GRANT: | | | |
| | भारित | Charged: | 0.07 | | 0.07 |
| | स्वीकृत | Voted: | 1605.59 | 153.60 | 1759.19 |
| पूरक अनुदानः | | SUPPLEMENTARY GRANT: | | | |
| | स्वीकृत | Voted: | 0.01 | 0.96 | 0.97 |
| इस समय आवश्यक रकम | | Supplementary Estimate of | | | |
| का पूरक अनुमान | | the amount now required: | | | |
| | स्वीकृत | Voted: | 0.02 | | 0.02 |
| जोड़ (मूल और पूरक) | | Total (Original plus Supplementary) | 1605.69 | 154.56 | 1760.25 |
| | भारित | Charged: | 0.07 | | 0.07 |
| | स्वीकृत | Voted: | 1605.62 | 154.56 | 1760.18 |

II.इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

| | | | | आयोजना Plan | आयोजना-भिन्न Non-Plan | जोड़ Total |
|------------------------------|---------|-----------------------|--------|----------------|--------------------------|---------------|
| राजस्व भाग | | REVENUE SECTION | | | | |
| मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | | | |
| 3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान | | 3425-Other Scientific | | | | |
| | | Research | | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 0.01 (কa) | 0.01 (खb) | 0.02 |
| जोड़ (पूरक) | | Total (Supplementary) | | 0.01 | 0.01 | 0.02 |

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित के लिए है:

- (क) (i) विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकसित क्षेत्रों में ठोस अनुप्रयोगों के विकास पर संकेन्द्रित परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में बहु आयामी अनुसंधान (27.00 करोड़ रुपए); और (ii) 'प्रौढ़ एवं अभिनव ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रयोग' संबंधी विज्ञान एवं सोसाइटी कार्यक्रम (1.35 करोड़ रुपए)
- (ख) भारत के सर्वेक्षण को देहरादून और हैदराबाद स्थित केन्द्रीय विद्यालयों के अतिरिक्त व्यय (0.68 करोड़ रुपए) को पूरा करने के लिए।

चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए प्रत्येक मामले में सांकेतिक पूरक अनुदान के लिए अनुरोध किया गया है। The supplementary grant is required for:

- (a) (i) Multi-Disciplinary Research in Science and Technology to implement projects which focus on development of tangible applications in emerging fields of science and technology (Rs.27.00 crore); and (ii) Science and Society Programme for 'Science and Technology Applications for Elderly Population and Innovative Rural Development' (Rs.1.35 crore).
- (b) Survey of India to meet additional expenditure of Kendriya Vidyalaya Schools at Dehradun and Hyderabad (Rs.0.68 crore).

As savings are available within the same section of the grant, a token supplementary is sought in each case.

विज्ञान तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग DEPARTMENT OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 82 देखिए)। (See page 82 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore) पुंजी जोड़ राजस्व Capital Total Revenue I. ORIGINAL GRANT: I. मूल अनुदानः भारित Charged: स्वीकृत Voted: 1749.90 0.10 1750.00 इस समय आवश्यक रकम Supplementary Estimate of का पूरक अनुमान the amount now required: स्वीकृत 0.02 Voted: 0.02 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) 1749.92 0.10 1750.02 भारित Charged: स्वीकृत Voted: 1749.92 0.10 1750.02 II.इस पुरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head: आयोजना आयोजना-भिन्न जोड Plan Non-Plan Total राजस्व भाग **REVENUE SECTION** मुख्य शीर्ष **MAJOR HEAD** 3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान 3425-Other Scientific Research स्वीकृत Voted: 0.01(कa) 0.01(खb) 0.02 जोड़ (पूरक) 0.01 0.01 0.02 Total (Supplementary)

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अपेक्षित हैः

- (क) (i) अनुसंधान अध्येताओं के लिए अध्येतावृत्ति/छात्रवृत्ति (15.00 करोड़ रुपए), और (ii) 'तकनीकी संवर्धन, विकास और उपयोग' योजना के अन्तर्गत विभिन्न संस्थाओं को अतिरिक्त अनुदान सहायता प्रदान करना (2.80 करोड़ रुपए)।
- (ख) (i) अनुसंधान अध्येताओं को अध्येतावृत्ति/छात्रवृत्ति (15.00 करोड़ रुपए); और (ii) राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं का वेतन व्यय (10.20 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, अतः प्रत्येक मामले में सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

The supplementary grant is required for providing additional अनुसंधान परिषद को अतिरिक्त सहायता अनुदान उपलब्ध कराने के लिए grants-in-aid to the Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) for:

- (a) (i) Fellowships/Scholarships to Research fellows (Rs.15.00 crore); and (ii) providing additional grants-inaid to various institutions under the scheme 'Technology Promotion Development and Utilisation' (Rs.2.80 crore).
- (b) (i) Fellowships/Scholarships to Research fellows (Rs.15.00 crore); and (ii) Salary expenditure of National Laboratories (Rs.10.20 crore).

As savings are available within the same section of the grant, a token supplementary is sought in each case.

जैव-प्रौद्योगिक विभाग DEPARTMENT OF BIOTECHNOLOGY

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 83 देखिए)। (See page 83 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

| | | | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
|--------------------|---------|-------------------------------------|---------|---------|--------|
| | | | Revenue | Capital | Total |
| I. मूल अनुदानः | | I. ORIGINAL GRANT: | | | |
| | भारित | Charged: | | | |
| | स्वीकृत | Voted: | 534.60 | ••• | 534.60 |
| इस समय आवश्यक रकम | | Supplementary Estimate of | | | |
| का पूरक अनुमान | | the amount now required: | | | |
| | स्वीकृत | Voted: | 0.01 | ••• | 0.01 |
| जोड़ (मूल और पूरक) | | Total (Original plus Supplementary) | 534.61 | ••• | 534.61 |
| | भारित | Charged: | | | |
| | स्वीकृत | Voted: | 534.61 | | 534.61 |

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

| | | | | आयोजना Plan | आयोजना-भिन्न Non-Plan | जोड़ Total |
|---------------------|---------|-----------------------|--------|----------------|--------------------------|---------------|
| राजस्व भाग | | REVENUE SECTION | | | | |
| मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | | | |
| 3425-अन्य वैज्ञानिक | | 3425-Other Scientific | | | | |
| अनुसंधान | स्वीकृत | Research | Voted: | 0.01 | | 0.01 |
| जोड़ (पूरक) | स्वीकृत | Total (Supplementary) | Voted: | 0.01 | ••• | 0.01 |

इस पूरक अनुदान का अनुरोध निम्नलिखित के लिए अतिरिक्त सहायता अनुदान जारी करने हेतु किया गया है। (i) पूर्वोत्तर में जैव-सूचना संबंधी सुविधाएं (1.00 करोड़ रुपए); और (ii) अन्तर्राष्ट्रीय द्विपक्षीय कार्यक्रमों और वैज्ञानिक सलाहकार समिति (ओवरसीज) के तहत परियोजनाओं के लिए (4.00 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान के लिए अनुरोध किया गया है।

The Supplementary grant is sought for release of additional grants-in-aid for (i) Bio-Informatic Facilities in the North East (Rs. 1.00 crore); and (ii) Projects under International Bilateral Programmes and Scientific Advisory Committee (Overseas) (Rs. 4.00 crore). As savings are available within the same section of the grant, a token suplementary is sought.

नौवहन विभाग DEPARTMENT OF SHIPPING

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 84 और वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 38 और वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 48 देखिए)।

(See page 84 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007, page 38 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007 and page 48 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore) जोड राजस्व पुंजी Revenue Capital Total I. मूल अनुदानः I. ORIGINAL GRANT: Voted: 786.52 588.65 1375.17 पूरक अनुदानः SUPPLEMENTARY GRANT: स्वीकृत Voted: 213.84 0.03 213.87 इस समय आवश्यक रकम Supplementary Estimate of का पूरक अनुमान the amount now required: स्वीकृत Voted: 105.70 0.01 105.71 जोड़ (मूल और पूरक) **Total (Original plus Supplementary)** स्वीकृत 1106.06 588.69 1694.75 Voted:

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

| | | | | आयोजना Plan | आयोजना-भिन्न Non-Plan | जोड़ Total |
|-----------------------------|---------|------------------------------|--------|----------------|--------------------------|---------------|
| राजस्व भाग | | REVENUE SECTION | | | | |
| मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | | | |
| 2852-उद्योग | | 2852-Industries | | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | ••• | 0.01 (कa) | 0.01 |
| 3051-पतन एवं दीप स्तम्भ | | 3051-Ports and Light Houses | | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | ••• | 87.68 (खb) | 87.68 |
| 3056-अन्तर्देशिय जल परिवहन | | 3056-Inland Water Transport | | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | ••• | 18.01 (чс) | 18.01 |
| जोड़ (राजस्व) | स्वीकृत | Total Revenue Section | Voted: | ••• | 105.70 | 105.70 |
| पूंजी भाग | | CAPITAL SECTION | | | | |
| मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | | | |
| 5052-नौवहन पर पूंजी परिव्यय | | 5052-Capital Outlay | | | | |
| | स्वीकृत | on Shipping | Voted: | 0.01 (ঘd) | | 0.01 |
| जोड़ (पूंजी भाग) | स्वीकृत | Total Capital Section | Voted: | 0.01 | ••• | 0.01 |
| जोड़ (पूरक) | स्वीकृत | Total (Supplementary) | Voted: | 0.01 | 105.70 | 105.71 |

इन पूरक अनुदानों का अनुरोध निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किया गया है:

- (क) गैर-केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के शिपयार्ड और निजी क्षेत्र के शिपयार्डों को अतिरिक्त सब्सिडी (7 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के उसे भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान के लिए अनुरोध किया गया है।
- (ख) (i) कोलकाता पत्तन न्यास को अतिरिक्त तलकर्षण सब्सिडी (131.78 करोड़ रुपए); (ii) छोटे पत्तनों के संबंध में लघु निर्माण कार्यो/चिकित्सा खर्चों आदि के लिए अतिरिक्त खर्च (0.53 करोड़ रुपए)। चूंकि राजस्व भाग के अन्तर्गत पुनर्विनियोजन हेतु 44.63 करोड़ रुपए की बचतें उपलब्ध हैं और अनुदान के पूंजी भाग से 87.68 करोड़ रुपए की बचतें अभ्यर्पित की जाएंगी, इसलिए इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा; और (iii) दीपस्तम्भ और दीप नौका महानिदेशालय (डीजीएलएल) द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान अतिरिक्त

The supplementary grants are sought for the following purposes:

- (a) Additional subsidy to Non-Central PSU Shipyard and Private Sector Shipyards (Rs. 7 crore). As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) (i) Additional dredging subsidy to Kolkata Port Trust (Rs. 131.78 crore); (ii) Additional expenditure for Minor Works/Medical Expenses etc. to Minor Ports (Rs. 0.53 crore). As savings of Rs. 44.63 crore are available for re-appropriation within the Revenue Section and savings of Rs. 87.68 crore will be surrendered from the Capital Section of the Grant, there will be no cash outgo; and (iii) Transfer to General Reserve Fund by Directorate General of Light

- प्राप्तियों (4.59 करोड़ रुपए) के एवज में और व्यवसायिक सेवाओं पर अतिरिक्त व्यय (2.07 करोड़ रुपए) को पूरा करने के लिए सामान्य प्रारक्षित निधि को अन्तरण। डीजीएलएल के व्यय को प्राप्तियों में से घटा दिया गया है इसलिए इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।
- (ग) (i) केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम के प्रति बकाया ऋणों का सहायता अनुदानों में रुपान्तरण (18 करोड़ रुपए)। चूंकि यह व्यय लेखा समायोजन प्रकृति की है इसलिए तकनीकी पूरक अनुदान मांगा गया है। इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।
 - (i) भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को वेतन/पेंशन आदि की बकाया राशि का भुगतान करने पर हुए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए अतिरिक्त सहायता अनुदान (1.79 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के राजस्व भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान के लिए अनुरोध किया गया है।
- (घ) प्रस्तावित भारतीय सामुद्रिक (मेरीटाइम) विश्वविद्यालय के आधारभूत ढ़ांचे के विकास/डीपीआर अध्ययन के लिए अतिरिक्त सहायता अनुदान (20 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान के लिए अनुरोध किया गया है।

- Houses and Light Ships (DGLL) against the additional receipts during current financial year (Rs. 4.59 crore) and to meet additional expenditure on professional services (Rs. 2.07 crore). As the expenditure of DGLL is netted against receipts it will not entail cash outgo.
- (c) (i) Conversion of outstanding loans against Central Inland Water Transport Corporation (CIWTC) into grants-inaid (Rs. 18 crore). Since expenditure is in the nature of accounting adjustments, a technical supplementary is sought. This will not entail cash outgo.
 - (ii) Additional grants-in-aid to Inland Waterways Authority of India for meeting expenditure on payment of arrears of salary/pension etc. (Rs. 1.79 crore). As savings are available within the Revenue section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (d) Additional grants-in-aid for infrastructure development/ DPR study of the proposed Indian Maritime University (Rs. 20 crore). As savings are available within the same section of the Grant, a token suplementary is sought.

सड़क परिवहन तथा राजमार्ग विभाग DEPARTMENT OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 85, वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 39 तथा वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 49 देखिए)।

(See page 85 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007, page 39 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007 and page 49 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

| | | | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
|--------------------|---------|-------------------------------------|----------|----------|----------|
| | | | Revenue | Capital | Total |
| I. मूल अनुदानः | | I. ORIGINAL GRANT: | | | |
| | भारित | Charged: | 0.80 | 5.70 | 6.50 |
| | स्वीकृत | Voted: | 11960.30 | 11644.25 | 23604.55 |
| पूरक अनुदानः | | SUPPLEMENTARY GRANT: | | | |
| | स्वीकृत | Voted: | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| इस समय आवश्यक रकम | | Supplementary Estimate of | | | |
| का पूरक अनुमान | | the amount now required: | | | |
| | स्वीकृत | Voted: | 0.01 | | 0.01 |
| जोड़ (मूल और पूरक) | | Total (Original plus Supplementary) | 11961.12 | 11649.96 | 23611.08 |
| | भारित | Charged: | 0.80 | 5.70 | 6.50 |
| | स्वीकृत | Voted: | 11960.32 | 11644.26 | 23604.58 |

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शार्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

| | | | | आयोजना Plan | आयोजना-भिन्न Non-Plan | जोड़ Total |
|---|---------|---|--------|----------------|--------------------------|---------------|
| राजस्व भाग मुख्य शीर्ष 3054-सड़क और पुल | | REVENUE SECTION MAJOR HEAD 3054-Roads and Bridges | | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | | 0.01 | 0.01 |

इस पूरक अनुदान का अनुरोध भूटान में निर्माण कार्यों में लगे कार्मिकों को भूटान क्षतिपूर्ति भत्ते की दरों में संशोधन से सम्बन्धित अतिरिक्त वयय की पूर्ति हेतु आनुषंगिक बकायों के भुगतान (6.68 करोड़ रुपए) हेतु सहायता अनुदान की एवज में है। चूंकि अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

The supplementary grant is sought for meeting additional expenditure towards grants-in-aid for payment of arrears incidental to revision of rates of Bhutan Compensatory Allowance to personnel engaged in road works in Bhutan (Rs.6.68 crore). As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

लघु उद्योग मंत्रालय MINISTRY OF SMALL SCALE INDUSTRIES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 86 और वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की दूसरी माँगों का पृष्ठ 50 देखिए)। (See page 86 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007 and page 50 of Second Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore) पूंजी जोड़ राजस्व Revenue Capital **Total** I. मूल अनुदानः I. ORIGINAL GRANT: 19.00 524.24 स्वीकृत Voted: 505.24 पूरक अनुदानः SUPPLEMENTARY GRANT: स्वीकृत Voted: 0.01 0.01 इस समय आवश्यक रकम Supplementary Estimate of का पूरक अनुमान the amount now required: स्वीकृत 0.01 Voted: 0.01 जोड़ (मूल और पूरक) **Total (Original plus Supplementary)** स्वीकृत 505.26 19.00 524.26

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

| | | | | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ |
|-----------------------------|---------|------------------------|--------|--------|--------------|-------|
| | | | | Plan | Non-Plan | Total |
| राजस्व भाग | | REVENUE SECTION | | | | |
| मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | | | |
| 2851-ग्रामीण एवं लघु उद्योग | | 2851-Village and Small | | | | |
| | स्वीकृत | Industries | Voted: | 0.01 | ••• | 0.01 |

यह पूरक अनुदान लघु उद्योग क्षेत्र के लिए क्रेडिट गारंटी योजना के तहत अतिरिक्त आवश्यकता (8 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेत् माँगा गया है। चूँकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है।

The Supplementary grant is sought for meeting additional requirement (Rs.8 crore) under the Credit Guarantee Scheme for SSI Sector. As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 87 देखिए)। (See page 87 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore) राजस्व पूंजी जोड Revenue Capital **Total** I. ORIGINAL GRANT: I. मूल अनुदानः Voted: 1615.31 202.29 1817.60 स्वीकृत इस समय आवश्यक रकम Supplementary Estimate of का पूरक अनुमान the amount now required: स्वीकृत Voted: 60.52 60.52 जोड़ (मूल और पूरक) Total (Original plus Supplementary) स्वीकृत 1878.12 Voted: 1675.83 202.29

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

| | | | | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ |
|-----------------------------|---------|---------------------------|--------|------------|--------------|-------|
| | | | | Plan | Non-Plan | Total |
| राजस्व भाग | | REVENUE SECTION | | | | |
| मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | | | |
| 2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचि | त | 2225-Welfare of Scheduled | | | | |
| जनजाति और अन्य पिछ | ड़े | Castes, Scheduled Tri | bes | | | |
| वर्गों का कल्याण | स्वीकृत | and other Backward | | | | |
| | | Classes | Voted: | 55.00 (कa) | 0.01 (खb) | 55.01 |
| 2235-सामाजिक सुरक्षा और | | 2235-Social Security and | | | | |
| कल्याण | स्वीकृत | Welfare | Voted: | 0.01 (गc) | | 0.01 |
| 3601-राज्य सरकारों को | | 3601-Grants-in-aid to | | | | |
| सहायता अनुदान | स्वीकृत | State Governments | Voted: | 5.50 (ঘd) | ••• | 5.50 |
| जोड़ (पूरक) | स्वीकृत | Total (Supplementary) | Voted: | 60.51 | 0.01 | 60.52 |

इस पुरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए है:-

- The Supplementary Grant is sought for the following purposes: -
- (क) सफाई कर्मचारियों का उद्धार करने और उनके पुनर्वास हेतु स्व-रोजगार योजना की स्कीम के कार्यान्वयन हेतु। चूंकि अनुदान के पूंजी भाग से समतुल्य राशि अभ्यर्पित की जाएगी, इसलिए तकनीकी पूरक अनुदान मांगा गया है। इस पर कोई नकद व्यय नहीं होगा।
- (ख) आन्ध्र प्रदेश में अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण के मुद्दे की जांच हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना के लिए (0.01 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतों से यह राशि पूरी का जाएगी, इसलिए सांकेतिक पुरक अनुदान मांगा गया है।
- (ग) मंत्रालय की विज्ञापन और प्रचार स्कीमों के लिए (7.38 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के इसी भाग में समतुल्य बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पुरक अनुदान मांगा गया है।
- (घ) अनुसूचित जातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम हेतु (5.50 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के पूंजी भाग से समतुल्य राशि अभ्यर्पित की जाएगी, इसलिए तकनीकी पूरक अनुदान मांगा गया है। इस पर कोई नकद व्यय नहीं होगा।

- (a) For implementation of the Self Employment Scheme for Liberation and Rehabilitation of Scavengers. As an equivalent amount will be surrendered from the Capital Section of the Grant, a technical Supplementary is sought. This will not entail any cash outgo.
- (b) For setting up of National Commission to examine the issue of Sub-Categorization of Scheduled Castes in Andhra Pradesh (Rs.0.01 crore). As the amount will be met from savings in the same section of the Grant, a token Supplementary is sought.
- (c) For Advertising and Publicity of the schemes of the Ministry (Rs.7.38 crore). As matching savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (d) For the scheme of Post Matric Scholarships for Scheduled Castes (Rs.5.50 crore). As an equivalent amount will be surrendered from the Capital Section of the Grant, a technical Supplementary is sought. This will not entail any cash outgo.

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 89 तथा वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की दूसरी मागों का पृष्ठ 52 देखिए)। (See page 89 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007 and page 52 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

| | | | राजस्व | पूजा | जाड़ |
|--------------------|---------|-------------------------------------|---------|---------|---------|
| | | | Revenue | Capital | Total |
| I. मूल अनुदानः | | I. ORIGINAL GRANT: | | | |
| | भारित | Charged: | | | |
| | स्वीकृत | Voted: | 1788.65 | 27.92 | 1816.57 |
| पूरक अनुदान : | | SUPPLEMENTARY GRANT: | | | |
| | स्वीकृत | Voted: | 0.67 | | 0.67 |
| इस समय आवश्यक रकम | | Supplementary Estimate of | | | |
| का पूरक अनुमान | | the amount now required: | | | |
| | स्वीकृत | Voted: | 12.62 | ••• | 12.62 |
| जोड़ (मूल और पूरक) | | Total (Original plus Supplementary) | 1801.94 | 27.92 | 1829.86 |
| | स्वीकृत | Voted: | 1801.94 | 27.92 | 1829.86 |

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

| | | | | आयोजना Plan | आयोजना-भिन्न Non-Plan | जोड़ Total |
|-----------------------|---------|-----------------------|--------|----------------|--------------------------|---------------|
| राजस्व भाग | | REVENUE SECTION | | | | |
| मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | | | |
| 3454-जनगणना सर्वेक्षण | | 3454-Census Surveys | | | | |
| और सांख्यिकी | स्वीकृत | and Statistics | Voted: | 0.01 (কa) | 12.61 (खb) | 12.62 |
| जोड़ (पूरक) | स्वीकृत | Total (Supplementary) | Voted: | 0.01 | 12.61 | 12.62 |

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु अपेक्षित है :-

- (क) विश्व स्वास्थ्य संगठन के अन्तर्गत अपंगता सांख्यिकी पर क्षेत्र सर्वेक्षण करने (0.02 करोड़ रुपए) और एडीबी कार्यक्रम के अन्तर्गत क्रय शक्ति समता आंकड़ों के सुदृढ़ीकरण और संग्रहण में भारत की भागीदारी (0.15 करोड़ रुपए) के सम्बन्ध में अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। चूंकि अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।
- (ख) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन और भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता के स्थापना सम्बन्धी अतिरिक्त व्यय (12.61 करोड़ रुपए) की पूर्ति हेतु। इसमें निवल नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for the following purposes:-

- (a) For meeting additional expenditure for undertaking field survey on disability statistics under World Health Organisation (Rs. 0.02 crore) and for India's participation in strengthening and collection of Purchasing Power Parity Data under ADB programme (Rs. 0.15 crore). As savings are available in the same section of the Grant, supplementary for a token amount is sought.
- (b) For meeting additional establishment related expenditure of National Sample Survey Organisation and Indian Statistical Institute (ISI), Kolkata (Rs. 12.61 crore). This will entail net cash outgo.

इस्पात मंत्रालय MINISTRY OF STEEL

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 90 और वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 53 देखिए)। (See page 90 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007 and page 53 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007).

| | | | | | (करोड़ रुपए Ri | upees in Crore) |
|--------------------|---------|-----------------------------|------------|---------|----------------|-----------------|
| | | | | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
| | | | | Revenue | Capital | Total |
| I. मूल अनुदानः | | I. ORIGINAL GRANT: | | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 84.50 | 45.00 | 129.50 |
| पूरक अनुदानः | | SUPPLEMENTARY GRAN | <i>T</i> : | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 70.22 | 51.90 | 122.12 |
| इस समय आवश्यक रकम | | Supplementary Estimate of | | | | |
| का पूरक अनुमान | | the amount now required: | | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 165.80 | 1.73 | 167.53 |
| | | | | | | |
| जोड़ (मूल और पूरक) | _ | Total (Original plus Supple | mentary) | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 320.52 | 98.63 | 419.15 |

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

| | | | | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ |
|------------------------------|---------|-----------------------------|--------|-----------|--------------|--------|
| | | | | Plan | Non-Plan | Total |
| राजस्व भाग | | REVENUE SECTION | | | | |
| मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | | | |
| 2852-उद्योग | | 2852-Industries | | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | | 165.80 (कa) | 165.80 |
| पूंजी भाग | | CAPITAL SECTION | | | | |
| मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | | | |
| 4852-लोहा और इस्पात उद्योगों | | 4852-Capital Outlay on Iron | | | | |
| पर पूंजी परिव्यय | स्वीकृत | and Steel Industries | Voted: | 1.73 (खb) | ••• | 1.73 |
| जोड़ (पूरक) | स्वीकृत | Total (Supplementary) | Voted: | 1.73 | 165.80 | 167.53 |

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु मांगा गया है:

- (क) (i) हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कन्सट्रक्शन लि. को वर्ष 1999-2000 के दौरान हुए अप्रत्याशित लाभ के कारण अपनी बकाया आयकर देयताओं के उन्मोचन हेतु सहायता अनुदान (165.79 करोड़ रुपए) प्रदान करने हेतु। इसमें पूरक अनुदान में 165.79 करोड़ रुपए का नकद व्यय होगा।
 - (ii) आवश्यक लेखा समायोजनों जैसे मेकन लि. को गारंटी शुल्क (5.13 करोड़ रुपए) की माफी हेतु। एक सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है। इसे प्राप्तियों द्वारा प्रतिसंतुलित किया जाएगा।
- (ख) (i) आवश्यक लेखा समायोजनों जैसे मेकन लि. के संबंध में इसकी पुनर्संरचना के परिणामस्वरुप दिनांक 31.03.2005 को इस पर बकाया भारत सरकार के ऋण (6 करोड़ रुपए) को इक्विटी में परिवर्तित करने हेतु एक सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।
 - (ii) दिनांक 31.03.2005 के अनुसार मेकन लि. के संबंध में ब्याज (1.72 करोड़ रुपए) को इक्विटी में परिवर्तित करने हेतु आवश्यक लेखा समायोजनों के लिए। इसे प्राप्तियों द्वारा प्रतिसंतुलित किया जाएगा।

The supplementary grant is required for the following purposes:

- (a) (i) For providing grants-in-aid (Rs. 165.79 crore) to Hindustan Steelworks Construction Ltd. for discharge of its outstanding income tax liabilities, on account of the windfall profit made by the company during 1999-2000. This supplementary will entail a cash outgo of Rs. 165.79 crore.
 - (ii) For carrying out necessary accounting adjustments viz. waiver of guarantee fee (Rs. 5.13 crore) to MECON Ltd. A token supplementary is sought. This will be matched by receipts.
- (b) (i) A token supplementary is sought for carrying out necessary accounting adjustments viz., conversion of Government of India loan (Rs. 6 crore) outstanding as on 31.03.2005 into equity in respect of MECON Ltd., consequent upon its restructuring.
 - (ii) For carrying out necessary accounting adjustments in respect of MECON Ltd. for conversion of interest (Rs. 1.72 crore) as on 31.03.2005 into equity. This will be matched by receipts.

कपड़ा मंत्रालय MINISTRY OF TEXTILES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 91 और वर्ष 2006-2007 के लिए अनुदानों की पहली अनुदानों की पूरक मांगों का पृष्ठ 40 देखिए)।

(See page 91 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007 and page 40 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007).

| | | | | | (करोड़ रुपए Rupees in Crore | |
|--------------------|---------|----------------------------|-----------|---------|-----------------------------|---------|
| | | | | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
| | | | | Revenue | Capital | Total |
| I. मूल अनुदानः | | I. ORIGINAL GRANT: | | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 2034.58 | 1012.17 | 3046.75 |
| पूरक अनुदान : | | SUPPLEMENTARY GRAN | T: | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 305.02 | ••• | 305.02 |
| इस समय आवश्यक रकम | | Supplementary Estimate of | | | | |
| का पूरक अनुमान | | the amount now required: | | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 297.52 | 0.02 | 297.54 |
| जोड़ (मूल और पूरक) | | Total (Original plus Suppl | ementary) | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 2637.12 | 1012.19 | 3649.31 |

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षो के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

| | | | | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ |
|------------------------------|---------|------------------------------|--------|-----------|--------------|--------|
| | | | | Plan | Non-Plan | Total |
| राजस्व विभाग | | REVENUE SECTION | | | | |
| मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | | | |
| 2851- ग्रामीण एवं लघु उद्योग | | 2851- Village and Small | | | | |
| | स्वीकृत | Industries | Voted: | 0.01 (कa) | | 0.01 |
| 2852- उद्योग | स्वीकृत | 2852- Industries | Voted: | 0.01 (खb) | 297.50 (чс) | 297.51 |
| जोड़ राजस्व भाग | स्वीकृत | Total Revenue Section | Voted: | 0.02 | 297.50 | 297.52 |
| पूंजी विभाग | | CAPITAL SECTION | | | | |
| मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | | | |
| 4851-ग्रामीण और लघु उद्योग | | 4851-Capital Outlay on | | | | |
| पर पूंजी परिव्यय | | Village and Small | | | | |
| | स्वीकृत | Industries | Voted: | 0.01 (ਬd) | | 0.01 |
| 6860-उपभोक्ता उद्योगों के | | 6860-Loans for Consumer | | | | |
| लिए ऋण | स्वीकृत | Industries | Voted: | ••• | 0.01 (ਵe) | 0.01 |
| जोड़ पूंजी भाग | स्वीकृत | Total Capital Section | Voted: | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| जोड़ (पूरक) | - | Total (Supplementary) | | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 0.03 | 297.51 | 297.54 |

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित योजनाओं की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए मांगा गया है :

- (क) मिल गेट प्राइस योजना (5 करोड़ रुपए), विपणन संवर्धन कार्यक्रम (3.50 करोड़ रुपए), हथकरघा बुनकरों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना (20 करोड़ रुपए), पूर्वोत्तर हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम को सहायता (0.15 करोड़ रुपए), विपणन सहायता एवं सेवाएं (1 करोड़ रुपए) और ऊन विकास बोर्ड (5.25 करोड़ रुपए)।
- (ख) नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ फैशन टैक्नोलॉजी (5 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचते उपलब्ध हैं, इसलिए पूरक अनुदान मांगे गए हैं।

The supplementary grant is sought for meeting additional requirement of the following Schemes:

- (a) Mill Gate Price Scheme (Rs. 5 crore), Marketing Promotion Programme (Rs. 3.50 crore), Health Insurance Scheme for Handloom weavers (Rs. 20 crore), Assistance to North Eastern Handicrafts and Handloom Development Corporation (Rs. 0.15 crore), Marketing Support and Services (Rs. 1 crore) and Wool Development Board (Rs. 5.25 crore).
- (b) National Institute of Fashion Technology (Rs. 5 crore).

As savings are available within the same section of the Grant, token supplementaries are sought.

- (ग) (i) आवश्यक लेखांकन समायोजन अर्थात भारतीय जूट निगम की पुनर्सरचना के परिणामस्वरुप बकाया ऋण (196.58 करोड़ रुपए) और ब्याज-माफी (313.07 करोड़ रुपए) को बहे खाते डालने के लिए। चूंकि अनुदान के राजस्व भाग में 212.16 करोड़ रुपए की बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए शेष राशि के लिए तकनीकी पूरक अनुदान मांगा गया है। इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।
 - (ii) सूरत में बाढ़ प्रभावित वस्त्र उद्योगों को राहत पैकेज (56 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।
- (घ) क्राफ्ट परिसर हेतु भूमि की खरीद के लिए 12 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।
- (ङ) राष्ट्रीय जूट विनिर्माता निगम के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के कार्यान्वयन के लिए (60 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगे गए हैं।

- (c) (i) For carrying out necessary accounting adjustments viz. write off of outstanding loan (Rs. 196.58 crore) and waiver of interest (Rs. 313.07 crore) consequent upon restructuring of Jute Corporation of India Ltd. As savings of Rs. 212.16 crore are available under Revenue Section of the Grant, technical supplementary for the balance amount is sought. This will not involve cash outgo.
 - (ii) relief and package to the flood affected textile industries in Surat (Rs. 56 crore). As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (d) For meeting additional requirement of Rs. 12 crore towards purchase of land for Craft Complex.
- (e) For implementation of VRS in National Jute Manufactures Corporation (Rs. 60 crore).

As savings are available within the same section of the Grant, token supplementaries are sought.

पर्यटन मंत्रालय MINISTRY OF TOURISM

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 92 देखिए)। (See page 92 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

| | | | | राजस्व | पूंजी | जोड़ | |
|--------------------|---------|---|-----------|---------|--------------|------------|--|
| | | | | Revenue | Capital | Total | |
| I. मूल अनुदानः | | I. ORIGINAL GRANT: | | | - | | |
| 3 | स्वीकृत | | Voted: | 377.32 | 495.50 | 872.82 | |
| इस समय आवश्यक रकम | · · | Supplementary Estimate of | | | | | |
| का पूरक अनुमान | | the amount now required: | | | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 0.01 | | 0.01 | |
| जोड़ (मूल और पूरक) | | Total (Original plus Suppl | ementary) | | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 377.33 | 495.50 | 872.83 | |
| | | II. इस पूरक अनुदान का हिस II. This Supplementary G | | | | ajor Head: | |
| | | | | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड | |
| | | | | Plan | Non-Plan | Total | |
| राजस्व भाग | | REVENUE SECTION | | | | | |
| मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | | | | |
| 3452-पर्यटन | | 3452-Tourism | | | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 0.01 | | 0.01 | |

इर पूरक अनुदान की आवश्यकता "आवास आधारभूत संरचना के सम्बन्ध बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान हेतु अनुरोध किया गया है। in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

The supplementary grant is required to provide for subsidy to में प्रोत्साहन" शीर्ष के अन्तर्गत होटलों को सब्सिडी (2.5 करोड़ रुपए) Hotels under the Head 'Incentives to Accommodation उपलब्ध कराने के लिए है। चूंकि अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत समतुल्य Infrastructure' (Rs. 2.5 crore). As matching savings are available

जनजातीय कार्य मंत्रालय MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 93 और वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 54 देखिए)। (See page 93 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007 and page 54 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007).

| | | | | (करोड़ रुपए R | Eupees in Crore) |
|--------------------|---------------------------|-------------|---------|---------------|------------------|
| | | | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
| | | | Revenue | Capital | Total |
| I. मूल अनुदानः | I. ORIGINAL GRANT: | | | | |
| भाग | रेत | Charged: | 1495.80 | | 1495.80 |
| स्वीव | ृत | Voted: | 157.65 | 14.01 | 171.66 |
| पूरक अनुदानः | SUPPLEMENTARY GR. | ANT: | | | |
| | ्त | Voted: | 0.98 | | 0.98 |
| इस समय आवश्यक रकम | Supplementary Estimate of | of | | | |
| का पूरक अनुमान | the amount now required: | | | | |
| भाग | रेत | Charged: | 33.88 | | 33.88 |
| स्वीव | ृत | Voted: | 0.02 | | 0.02 |
| जोड़ (मूल और पूरक) | Total (Original plus Sup | plementary) | 1688.33 | 14.01 | 1702.34 |
| भाग | रेत | Charged: | 1529.68 | | 1529.68 |
| स्वीव | ृत | Voted: | 158.65 | 14.01 | 172.66 |

- II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:

| | | | आयोजना Plan | आयोजना-भिन्न Non-Plan | जोड़ Total |
|---------------------------------|---------------------------|----------|----------------|--------------------------|---------------|
| राजस्व भाग | REVENUE SECTION | | | | |
| मुख्य शीर्ष | MAJOR HEAD | | | | |
| 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित | 2225-Welfare of Scheduled | | | | |
| जनजातियों तथा अन्य पिछड़े | Castes, Scheduled | | | | |
| वर्गों का कल्याण | Tribes and other | | | | |
| | Backward classes | | | | |
| स्वीकृत | | Voted: | 0.01 (कa) | | 0.01 |
| 2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र | 2552-North Eastern Areas | | | | |
| ू स्वीकृत | | Voted: | 0.01 (खb) | | 0.01 |
| 3601-राज्य सरकारों को सहायता | 3601-Grants-in-aid to | | | | |
| अनुदान | State Governments | | | | |
| भारित | C | Charged: | 33.88(TC) | | 33.88 |
| जोड़ (पूरक) | Total (Supplementary) | | 33.90 | ••• | 33.90 |
| भारित | C | Charged: | 33.88 | | 33.88 |
| स्वीकृत | | Voted: | 0.02 | | 0.02 |

इस पूरक अनुदान/विनियोग का अनुरोध निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किया गया है :

- (क) (i) अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए स्वैच्छिक संगठनों को अतिरिक्त सहायता अनुदान (2.77 करोड़ रुपए)
 - (ii) अनुसूचित जनजातियों के लाभ की विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं के लिए कार्यान्वयन संगठनों को अतिरिक्त सहायता अनुदान (0.68 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान के लिए अनुरोध किया गया है। The supplementary grant/appropriation is sought for the following purposes:

- (a) (i) Additional grants-in-aid to voluntary organizations for implementing various programmes for the welfare of Scheduled Tribes (Rs. 2.77 crore);
 - (ii) Additional grants-in-aid to implementing organisations for various research projects for the benefit of Scheduled Tribes (Rs. 0.68 crore).

As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(ख) पूर्वीतर राज्यों में अनुसूचित जनजाति की छात्राओं और छात्रों के लिए होस्टलों का निर्माण (1.70 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक अनुदान के लिए अनुरोध किया गया है।

(ग) निम्नलिखित योजनाओं के तहत राज्य सरकारों को अतिरिक्त सहायता अनुदान (i) मैट्रिक-पश्च छात्रवृतियां (32.00 करोड़ रुपए), (ii) व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र (1.43 करोड़ रुपए); और विभिन्न जनजातीय अनुसंधान संस्थानों आदि द्वारा अनुसंधान सूचना एवं जन शिक्षा के तहत किए गए अनुसंधान/प्रशिक्षण संबंधी कार्यकलापों, जनजातीय समारोहों और अन्य योजनाओं के लिए (0.45 करोड़ रुपए)।

चूंकि इस अनुदान के राजस्व/स्वीकृत भाग में 25.22 करोड़ रुपए और पूंजी/स्वीकृत भाग में 8.66 करोड़ रुपए की बचतें इसके लिए अभ्यर्पित की जाएंगी, इसलिए तकनीकी पूरक अनुदान के लिए अनुरोध किया गया है।

(b) Construction of hostels for Scheduled Tribe Girls and Boys in the North Eastern States (Rs. 1.70 crore).

As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(c) Additional grants-in-aid to the State Governments under the schemes of (i) Post Matric Scholarships (Rs. 32.00 crore); (ii) Vocational Training Centres (Rs. 1.43 crore); and (iii) For research/training activities undertaken by various Tribal Research Institutes etc. under Research Information and Mass Education, Tribal Festivals and Other Schemes (Rs. 0.45 crore).

As savings of Rs. 25.22 crore in the Revenue/Voted Section are available and Rs. 8.66 crore in the Capital/Voted Section of the Grant would be surrendered on this account, a technical supplementary is sought.

अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 94, वर्ष 2006-07 की अनुदानों की पहली पूरक माँगों का पृष्ठ 41 और वर्ष 2006-07 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 55 देखिए)।

(See page 94 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-07, page 41 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2006-07 and page 55 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2006-07).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

| | | | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
|--------------------|---------|-------------------------------------|---------|---------|---------|
| | | | Revenue | Capital | Total |
| I. मूल अनुदानः | | I. ORIGINAL GRANT: | | | |
| | भारित | Charged: | 0.01 | | 0.01 |
| | स्वीकृत | Voted: | 1301.01 | 754.84 | 2055.85 |
| पूरक अनुदानः | | SUPPLEMENTARY GRANT: | | | |
| | स्वीकृत | Voted: | 0.02 | | 0.02 |
| इस समय आवश्यक रकम | | Supplementary Estimate of | | | |
| का पूरक अनुमान | | the amount now required: | | | |
| | स्वीकृत | Voted: | 40.17 | ••• | 40.17 |
| जोड़ (मूल और पूरक) | | Total (Original plus Supplementary) | 1341.21 | 754.84 | 2096.05 |
| | भारित | Charged: | 0.01 | | 0.01 |
| | स्वीकृत | Voted: | 1341.20 | 754.84 | 2096.04 |

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

| | | | | आयोजना Plan | आयोजना-भिन्न Non-Plan | जोड़ Total |
|--|-----------|--|---------|----------------|--------------------------|---------------|
| राजस्व भाग | | REVENUE SECTION | | | | |
| मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | | | |
| कृषि मंत्रालय | | Ministry of Agriculture | ** . 1 | 0.01 () | | 0.01 |
| 2401- कृषि कार्य | स्वीकृत | 2401-Crop Husbandry | Voted: | 0.01 (कa) | | 0.01 |
| 2402- मृदा एवं जल संरक्षण | | 2402-Soil and Water | T.7 . 1 | 0.01 (-1-) | | 0.01 |
| | स्वीकृत | Conservation | Voted: | 0.01 (खb) | ••• | 0.01 |
| 2405- मात्स्यिकी | स्वीकृत | 2405-Fisheries | Voted: | 0.01 (गc) | ••• | 0.01 |
| ग्रामीण विकास मंत्रालय | | Ministry of Rural Development | | | | |
| 2515- अन्य ग्रामीण | | 2515-Other Rural Developm | ent | | | |
| विकास कार्यक्रम | स्वीकृत | Programmes | Voted: | 0.01 (ঘd) | ••• | 0.01 |
| विद्युत मंत्रालय 2801- विद्युत | स्वीकृत | Ministry of Power 2801-Power | Voted: | | 32.77 (ਵe) | 32.77 |
| 2001 149(1 | रपापट्टरा | 2001-1 OWCI | voica. | ••• | 32.17 (GC) | 32.11 |
| खाद्य प्रंस्करण उद्योग मंत्रालय 2408- खाद्य, भंडारण एवं | ī | Ministry of Food Processing Industries 2408-Food, Storage and | | | | |
| भांडागारण | स्वीकृत | Warehousing | Voted: | | 1.59 ^{(च} f) | 1.59 |
| | | ,, withouting | , 000 | ••• | 1.09 | 1.07 |
| माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग | | Department of Secondary Education and Higher Educ | eation | | | |
| 2202- सामान्य शिक्षा | स्वीकृत | 2202-General Education | Voted: | | 0.10 (छg) | 0.10 |
| महिला और बाल विकास विभाग 2235- सामाजिक सुरक्षा | | Department of Women and Child Development 2235-Social Security and | | | | |
| और कल्याण | स्वीकृत | Welfare | Voted: | | 0.65 (जh) | 0.65 |
| | | | | | | |

| | | | | | (करोड़ रुपए Rupees in Crore) | |
|-------------------------------------|---------|--|--------|-------------|------------------------------|-------|
| | | | | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ |
| | | | | Plan | Non-Plan | Total |
| सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय | | Ministry of Road Transpo and Highways | ort | | | |
| 3054- सड़क एवं पुल | स्वीकृत | 3054-Roads and Bridges | Voted: | 0.01 (झi) | | 0.01 |
| शहरी विकास मंत्रालय | | Ministry of Urban Develo | pment | | | |
| 2059- लोक निर्माण कार्य | स्वीकृत | 2059-Public Works | Voted: | | 5.00 (স্যৃ) | 5.00 |
| जल संसाधन मंत्रालय | | Ministry of Water Resour | ces | | | |
| 2702- लघु सिंचाई | स्वीकृत | 2702-Minor Irrigation | Voted: | 0.01 (त्तk) | | 0.01 |
| जोड़ (पूरक) | स्वीकृत | Total (Suplementary) | Voted: | 0.06 | 40.11 | 40.17 |

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु अपेक्षित हैं :-

- (क) पंचायती राज संस्थाओं को सहायता अनुदान (0.05 करोड़ रुपए)।
- (ख) पंचायती राज संस्थाओं को सहायता अनुदान (0.20 करोड़ रुपए)।
- (ग) पंचायती राज संस्थाओं को सहायता अनुदान (0.50 करोड़ रुपए)।
- (घ) पंचायती राज संस्थाओं को सहायता अनुदान (0.94 करोड़ रुपए)।
- (ड) बिजली की खरीद (28.00 करोड़ रुपए) और हाईस्पीड डीजल तेल की लागत (4.77 करोड़ रुपए)।
- (च) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्न की लागत के संबंध में भारतीय खाद्य निगम को भृगतान।
- (छ) स्कूलों को सहायता अनुदान।
- (ज) सीमावर्ती क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए सहायता अनुदान।
- (झ) पंचायती राज संस्थाओं को सहायता अनुदान (16.00 करोड़ रुपए)।
- (ञ) भंडारों की खरीद।
- (त) पंचायती राज संस्थाओं को सहायता अनुदान (0.20 करोड़ रुपए)।

ऊपर मद (क) से (घ), (झ) और (ट) के तहत व्यय की पूर्ति अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों से की जाएगी। अतः प्रत्येक मामले में सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है।

जहां तक ऊपर मद (ड) से (ज) और (ञ) का सम्बन्ध है, चूँकि अनुदान के पूँजी स्वीकृत भाग के अंतर्गत समतुल्य बचतें उपलब्ध हैं; जो अभ्यर्पित की जाएंगी, अतः प्रत्येक मामलों में दर्शाई गई राशि के लिए तकनीकी पूरक अनुदान माँगा गया है।

इस पूरक अनुदान में कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grant is required for meeting additional expenditure on:

- (a) Grants-in-aid to Panchayati Raj Institutions (Rs.0.05 crore).
- (b) Grants-in-aid to Panchayati Raj Institutions (Rs.0.20 crore).
- (c) Grants-in-aid to Panchayati Raj Institutions (Rs.0.50 crore).
- (d) Grants-in-aid to Panchayati Raj Institutions (Rs.0.94 crore).
- (e) Purchase of Power (Rs.28.00 crore) and cost of High Speed Diesel oil (Rs.4.77 crore).
- (f) Payment to Food Corporation of India Ltd. towards cost of foodgrain for Public Distribution System.
- (g) Grants-in-aid to schools.
- (h) Grants-in-aid for Border Area Projects.
- (i) Grants-in-aid to Panchayati Raj Institutions (Rs.16.00 crore).
- (i) Purchase of stores.
- (k) Grants-in-aid to Panchayati Raj Institutions (Rs.0.20 crore).

The expenditure under items (a) to (d), (i) and (k) above will be met from savings available within the same section of the grant. Hence, a token supplementary is sought in each case.

As regards item (e) to (h) and (j) above, since matching savings are available under Capital Voted Section of the Grant, which will be surrendered, a technical supplementary for the amount shown is sought in each case.

This supplementary does not entail any cash outgo.

चंडीगढ़ CHANDIGARH

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 100 देखिए)। (See page 100 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

| | | | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
|--------------------|---------|-------------------------------------|---------|---------|---------|
| | | | Revenue | Capital | Total |
| I. मूल अनुदानः | | I. ORIGINAL GRANT: | | | |
| | भारित | Charged: | 33.71 | 0.55 | 34.26 |
| | स्वीकृत | Voted: | 1114.07 | 175.48 | 1289.55 |
| इस समय आवश्यक रकम | | Supplementary Estimate of | | | |
| का पूरक अनुमान | | the amount now required: | | | |
| | भारित | Charged: | 0.24 | | 0.24 |
| | स्वीकृत | Voted: | 55.59 | 25.34 | 80.93 |
| जोड़ (मूल और पूरक) | | Total (Original plus Supplementary) | 1203.61 | 201.37 | 1404.98 |
| | भारित | Charged: | 33.95 | 0.55 | 34.50 |
| | स्वीकृत | Voted: | 1169.66 | 200.82 | 1370.48 |

- II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant/appropriation will be accounted for under the following Major Heads:

| | | | | आयोजना Plan | आयोजना-भिन्न Non-Plan | जोड़ Total |
|---|---------|--|----------|----------------|-------------------------------------|---------------|
| राजस्व भाग | | REVENUE SECTION | | | | |
| मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | | | |
| गृह मंत्रालय | | Ministry of Home Affairs | | | | |
| 2014-न्याय प्रशासन | | 2014-Administration of Justice | | | | |
| | भारित | C | Charged: | | 0.24 (कa) | 0.24 |
| | स्वीकृत | | Voted: | ••• | 0.90 (कa) | 0.90 |
| 2055- पुलिस | स्वीकृत | 2055-Police | Voted: | ••• | 2.90 ^(क और ख) (a & b) | 2.90 |
| 2070- अन्य प्रशासनिक | | 2070-Other Administrative | | | | |
| सेवाएं | स्वीकृत | Services | Voted: | ••• | 1.60 (गc) | 1.60 |
| ग्रामीण विकास मंत्रालय | | Ministry of Rural Developme | ent | | | |
| 2515- अन्य ग्रामीण विकास | | 2515-Other Rural Developmen | ıt | | | |
| कार्यक्रम | स्वीकृत | Programmes | Voted: | 4.00 (ਬd) | | 4.00 |
| विद्युत मंत्रालय | | Ministry of Power | | | | |
| 2801- विद्युत | स्वीकृत | 2801-Power | Voted: | | 3.20 (se) | 3.20 |
| बुनियादी शिक्षा और साक्षरता विभाग | | Department of Elementary Education and Literacy | | | | |
| 2236- पोषण | स्वीकृत | 2236-Nutrition | Voted: | 2.00 (चf) | | 2.00 |
| माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग | | Department of Secondary Education and Higher Education | | | | |
| 2202- सामान्य शिक्षा | स्वीकृत | 2202-General Education | Voted: | 0.00 | 0.97 (कa) | 0.97 |
| 2203- तकनीकी शिक्षा | स्वीकृत | 2203-Technical Education | Voted: | 1.00 (ਝੂਰ) | 0.00 | 1.00 |
| सड़क परिवहन और | | Ministry of Road | | | | |
| राजमार्ग मंत्रालय | | Transport and Highways | | | | |
| 3055- सड़क परिवहन | स्वीकृत | 3055-Road Transport | Voted: | | 1.40 (कa) | 1.40 |

| | | | | आयोजना Plan | आयोजना-भिन्न Non-Plan | जोड़ Total |
|---|---------------------------|---|--------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| शहरी विकास मंत्रालय | | Ministry of Urban Development | | | | |
| 2217- शहरी विकास | स्वीकृत | 2217-Urban Development | Voted: | | 36.62 (जh) | 36.62 |
| संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय | | Ministry of Communication and Information Technology | | | | |
| 3451- साचिवालय आर्थिक सेवाएं | स्वीकृत | 3451-Secretariat - Economi Services | c Voted: | 1.00 (झां) | | 1.00 |
| जोड़ - राजस्व भाग | | Total - Revenue Section | | 8.00 | 47.83 | 55.83 |
| | <i>भारित</i> स्वीकृत | | Charged: Voted: | 8.00 | 0.24 47.59 | 0.24 55.59 |
| <i>पूंजी भाग</i> मुख्य शीर्ष गृह मंत्रालय | ۲۹۱۹۶۲۱ | CAPITAL SECTION MAJOR HEAD Ministry of Home Affairs | voicu. | 8.00 | 47.37 | 33.37 |
| 4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग | स्वीकृत | 4059-Capital Outlay on Public Works Department of Secondary Education and Higher Education | Voted: | 2.00 (जां) | | 2.00 |
| 4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजी परिव्यय महिला और बाल विकास विभाग | स्वीकृत | 4202-Capital Outlay on Education, Sports, Arts and Culture Ministry of Women and Child Development | Voted: | 2.00 (ਵk) | | 2.00 |
| 4235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजी परिव्यय युवा मामले और खेल मंत्रालय | स्वीकृत | 4235-Capital Outlay on Social Security and Welfare Ministry of Youth Affairs and Sports | Voted: | 0.34 (ਗ) | | 0.34 |
| 4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजी परिव्यय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय | स्वीकृत | 4202-Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture Ministry of Road Transport & Highways | Voted: | 2.80 (ৰূm) | | 2.80 |
| 5055-सड़क परिवहन पर पूंजी परिव्यय शहरी विकास मंत्रालय | स्वीकृत | 5055-Capital Outlay on Road Transport Ministry of Urban Development | Voted: | 9.00 (दn) | | 9.00 |
| 4216-आवास पर पूंजी परिव्यय 4217-शहरी विकास पर | स्वीकृत | 4216-Capital Outlay on Housing 4217-Capital Outlay on | Voted: | 5.00 (অ০) | | 5.00 |
| पूंजी परिव्यय जोड़ - पूंजी भाग जोड़ (पूरक) | स्वीकृत स्वीकृत | Urban Development Total - Capital Section Total (Supplementary) | Voted: Voted: | 4.20 (¬p) 25.34 33.34 | 47.83 | 4.20 25.34 81.17 |
| | भारित | | Charged: | | 0.24 | 0.24 |
| | स्वीकृत | | Voted: | 33.34 | 47.59 | 80.93 |

टिप्पणीः अतिरिक्त आवश्यकता के उपर्युक्त अनुमानों में नीचे दर्शाई गई अतिरिक्त वसूलियों शामिल नहीं हैं, जिनका समायोजन व्यय में से घटाकर किया जाता है।

Note: The above estimates of additional requirement do not take into account the additional recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

| शहरी विकास मंत्रालय | Ministry of Urban Development | | |
|---------------------|-------------------------------|------------|--------|
| पूंजी भाग | CAPITAL SECTION | | |
| मुख्य शीर्ष | MAJOR HEAD | | |
| 4217-शहरी विकास पर | 4217-Capital Outlay on | | |
| पूंजी परिव्यय | Urban Development | -21.83 | -21.83 |

इस पूरक अनुदान/विनियोग की आवश्यकता निम्नलिखित पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु है:-

- (क) न्यायालयों, पुलिस, स्कूलों और चंडीगढ़ परिवहन उपक्रम का स्थापना संबंधी व्यय।
- (ख) पुलिस के सम्बन्ध में डीजल/पीओएल की लागत।
- (ग) होमगार्ड के स्वयंसेवकों के वेतन की दरों में वृद्धि।
- (घ) गाँवों का सूक्ष्म नियोजन और विकास।
- (ङ) बिजली की खरीद।
- (च) मध्याह्न भोजन योजना के तहत क्षेत्र का विस्तार।
- (छ) पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज (मानित विश्वविद्यालय) में आधारभूत संरचना संबंधी सुविधाएँ प्रदान करना।
- (ज) दूसरे दिल्ली वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार नगर निगम, चंडीगढ़ को सहायता अनुदान में वृद्धि।
- (झ) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के उन्नयन हेतु स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (स्वान), सी-ट्रेनिंग ऑन सॉफ्ट स्किल्स (सीटीओएसएस) और चंडीगढ़ इन्फॉरमेशन टेक्नोलोजी रीच आउट प्रोग्राम (सिट्रॉप) योजनाओं का क्रियान्वयन।
 - (क) से (झ) की व्यय मदों में नकद व्यय होगा।
- (ञ) पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ में आधारभूत संरचना उन्नयन।
- (ट) कॉलेजों में चल रहे निर्माण कार्यों को पूरा करना और चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलोजी के अतिरिक्त खंड का निर्माण।
- (ठ) शहर में किशोर गृह, सेक्टर 25, आँगनवाड़ी और शिशु-गृहों के भवन का निर्माण कार्य पूरा करना।
- (ड) क्रिकेट स्टेडियम, सेक्टर 16 और हॉकी स्टेडियम सेक्टर 42, चंड़ीगढ़ में आधारभूत संरचना सम्बन्ध सुविधाओं का उन्नयन।
- (ढ) नई ए.सी./वॉल्वों बसों की खरीद सहित 74 बसों को बदलना।
- (ण) सरकारी आवासों के चल रहे निर्माण कार्य को पूरा करना।
- (त) कूड़ा बीनने वालों के पुनर्वास हेतु और रिक्शा चालकों को मार्गस्थ आश्रय प्रदान करने हेतु उद्यमी विकास केन्द्र (ईडीसी) का विकास।

21.83 करोड़ रुपए की वसूलियों के समायोजन के पश्चात् (ञ) से (त) की मदों के अन्तर्गत 3.51 करोड़ रुपए का निवल नकद व्यय होगा। इस पूरक अनुदान/विनियोग में 59.34 करोड़ रुपए का निवल नकद व्यय होगा।

The supplementary grant/appropriation is required to meet additional expenditure on the following:-

- a) Establishment related expenditure of Courts, police, schools and Chandigarh Transport Undertaking.
- b) Cost of Diesel/POL in respect of Police.
- c) Enhancement in rates of wages of Home Guard Volunteers.
- d) Micro planning and development of villages.
- e) Purchase of power.
- f) Expanding coverage under the Mid-day Meals Scheme.
- g) Providing infrastructural facilities in the Punjab Engineering College (Deemed University).
- Enhancement of grants-in-aid to Municipal Corporation, Chandigarh as per recommendations of the 2nd Delhi Finance Commission.
- i) Implementation of State Wide Area Network (SWAN), C-Training on Soft Skills (CTOSS) and Chandigarh Information Technology Reach Out Programme (CITROP) schemes for the upgradation of Information Technology Department.
 - Expenditure items (a) to (i) will involve cash outgo.
- Upgradation of infrastructure in the Punjab and Haryana High Court, Chandigarh.
- k) Completion of ongoing works in colleges and construction of additional block of Chandigarh College of Engineering and Technology.
- Completion of the building of Juvenile-Home, Sector 25, aganwadis and creches in the city.
- m) Upgrading the infrastructural facilities in the Cricket Stadium, Sector 16 and Hockey Stadium, Sector 42, Chandigarh.
- Replacement of 74 buses including purchase of new A.C/ Volvo buses.
- Completion of ongoing construction work of Government houses.
- p) Development of Entrepreneur Development Centre (E.D.C.) at Rajiv Gandhi Technology Park for rehabilitation of rag pickers and providing transit shelters to rickshaw pullers.

After adjusting recoveries of Rs. 21.83 crore, the expenditure under items (j) to (p) will involve a net cash outgo of Rs.3.51 crore. This supplementary grant/appropriation involves a net cash outgo of Rs.59.34 crore.

दादरा और नागर हवेली DADRA AND NAGAR HAVELI

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 105 देखिए)। (See page 105 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

| | | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
|--------------------|-------------------------------------|---------|---------|--------|
| | | Revenue | Capital | Total |
| I. मूल अनुदानः | I. ORIGINAL GRANT: | | | |
| भारित | Charged: | | | |
| स्वीकृत | Voted: | 768.20 | 39.30 | 807.50 |
| इस समय आवश्यक रकम | Supplementary Estimate of | | | |
| का पूरक अनुमान | the amount now required: | | | |
| भारित | Charged: | | | |
| स्वीकृत | Voted: | 1.00 | | 1.00 |
| जोड़ (मूल और पूरक) | Total (Original plus Supplementary) | 769.20 | 39.30 | 808.50 |
| भारित | Charged: | | | |
| स्वीकृत | Voted: | 769.20 | 39.30 | 808.50 |

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

| राजस्व भाग मुख्य शीर्ष गृह मंत्रालय | | REVENUE SECTION MAJOR HEAD Ministry of Home Affairs | | आयोजना Plan | आयोजना-भिन्न Non-Plan | जोड़ Total |
|---|---------|---|--------|----------------|--------------------------|---------------|
| 2055- पुलिस | स्वीकृत | 2055-Police | Voted: | | 0.34 (কa) | 0.34 |
| बुनियादी शिक्षा और साक्षरता विभाग | | Department of Elementary Education and Literacy | | | | |
| 2202- सामान्य शिक्षा | स्वीकृत | 2202-General Education | Voted: | | 0.66 (खb) | 0.66 |
| जोड़ - राजस्व भाग | स्वीकृत | Total - Revenue Section | Voted: | ••• | 1.00 | 1.00 |
| जोड़ (पूरक) | स्वीकृत | Total (Supplementary) | Voted: | ••• | 1.00 | 1.00 |

इस पूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए

है:-

- (क) भारतीय रिजर्व बटालियन और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के स्थापना संबंधी व्यय हेतु।
- (ख) प्राथमिक स्कूल शिक्षकों और मुख्य अध्यापकों को उच्च वेतनमान की स्वीकृति के कारण वेतन और भत्तों की बकाया राशि के भुगतान हेतु।

The supplementary grant is required for the following purposes:-

- (a) Establishment expenditure of India Reserve Battalion and of the UT Administration.
- (b) Payment of arrears of pay and allowances to primary school teachers and headmasters on account of grant of higher pay scales.

दमन और दीव DAMAN AND DIU

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 110 देखिए)। (See page 110 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore) पूंजी जोड राजस्व Capital **Total** Revenue I. ORIGINAL GRANT: I. मूल अनुदानः भारित Charged: स्वीकृत Voted: 273.46 40.26 313.72 इस समय आवश्यक रकम Supplementary Estimate of का पूरक अनुमान the amount now required: स्वीकृत Voted: 50.70 50.70 जोड़ (मूल और पूरक) **Total (Original plus Supplementary)** 324.16 40.26 364.42 भारित Charged:

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः

Voted:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

324.16

40.26

364.42

| <i>राजस्व भाग</i> मुख्य शीर्ष गृह मंत्रालय | | REVENUE SECTION MAJOR HEAD Ministry of Home Affairs | | आयोजना Plan | आयोजना-भिन्न Non-Plan | जोड़ Total |
|--|---------|---|--------|----------------|--------------------------|---------------|
| 2245- प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत | स्वीकृत | 2245-Relief on account of Natural Calamities | Voted: | | 0.70 (कa) | 0.70 |
| विद्युत मंत्रालय | | Ministry of Power | | | | |
| 2801- विद्युत | स्वीकृत | 2801-Power | Voted: | ••• | 50.00 (खb) | 50.00 |
| जोड़ - राजस्व भाग | स्वीकृत | Total - Revenue Section | Voted: | ••• | 50.70 | 50.70 |
| जोड़ (पूरक) | स्वीकृत | Total (Supplementary) | Voted: | ••• | 50.70 | 50.70 |

टिप्पणीः अतिरिक्त आवश्यकता के उपर्युक्त अनुमानों में नीचे दर्शाई गई अतिरिक्त वसूलियों शामिल नहीं हैं, जिनका समायोजन व्यय में से घटाकर किया जाता है।

Note: The above estimates of additional requirement do not take into account the additional recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

| विद्युत मंत्रालय | | Ministry of Power | | |
|------------------|--------|--------------------------|--------|--|
| राजस्व भाग | | REVENUE SECTION | | |
| मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | |
| 2801- विद्यत | स्वीकत | 2801-Power | Voted: | |

अनुपूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए आवश्यक है:-

स्वीकृत

- (क) हमनगंगा पूल ढह जाने के कारम विद्यालय में जाने वाले बच्चों और सामान्य जनता के लिए वर्ष 2006-07 के दौरान 15 बसों, गोताखोरों ऐर तैनात किए गए 25 निजी सुरक्षा कर्मियों के संबंध में अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।
- (ख) केन्द्रीय क्षेत्र विद्युत स्टेशनों से अतिरिक्त विद्युत की खरीद हेतु।

व्यय से कटौती के रूप में ली जाने वाली वसूलियों के समायोजन के बाद, इस अनुपूरक में 0.70 करोड़ रुपए की निवल नकदी का व्यय होगा। The supplementary grant is required for the following purposes:-

-50.00

-50.00

- (a) For meeting additional expenditure in respect of 15 bus services, divers and 25 private security personnel engaged during 2006-07 for school going children and general public due to the collapse of Damanganga bridge.
- (b) For purchase of additional power from Central Sector Power Stations.

After adjustment of the recoveries to be taken as deduction out of expenditure, this supplementary will entail a net cash outgo of Rs.0.70 crore.

लक्षद्वीप LAKSHADWEEP

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 115 देखिए)। (See page 115 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

| | | | | (करोड़ रुपए Rupees in G | |
|--------------------|---------|-------------------------------------|---------|-------------------------|--------|
| | | | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
| | | | Revenue | Capital | Total |
| I. मूल अनुदानः | | I. ORIGINAL GRANT: | | | |
| | भारित | Charged: | | | |
| | स्वीकृत | Voted: | 249.47 | 169.27 | 418.74 |
| इस समय आवश्यक रकम | | Supplementary Estimate of | | | |
| का पूरक अनुमान | | the amount now required: | | | |
| | स्वीकृत | Voted: | 43.01 | 7.30 | 50.31 |
| जोड़ (मूल और पूरक) | | Total (Original plus Supplementary) | 292.48 | 176.57 | 469.05 |
| | भारित | Charged: | | | |
| | स्वीकृत | Voted: | 292.48 | 176.57 | 469.05 |

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

| | | | | आयोजना Plan | आयोजना-भिन्न Non-Plan | जोड़ Total |
|----------------------------|---------|-----------------------------------|--------|----------------|--------------------------|---------------|
| राजस्व भाग | | REVENUE SECTION | | | | |
| मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | | | |
| कृषि मंत्रालय | | Ministry of Agriculture | | | | |
| 2401-फसल कार्य | स्वीकृत | 2401-Crop Husbandry | Voted: | | 0.15 (कa) | 0.15 |
| 2403- पशु पालन | स्वीकृत | 2403-Animal Husbandry | Voted: | | 0.23 (खb) | 0.23 |
| 2405- मि्रियकी | स्वीकृत | 2405-Fisheries | Voted: | | 2.08 (गc) | 2.08 |
| ग्रामीण विकास मंत्रालय | | Ministry of Rural Developme | ent | | | |
| 2515- अन्य ग्रामीण विकास | | 2515-Other Rural Developmen | nt | | | |
| कार्यक्रम | स्वीकृत | Programmes | Voted: | | 0.12 (घd) | 0.12 |
| विद्युत मंत्रालय | | Ministry of Power | | | | |
| 2801- विद्युत | स्वीकृत | 2801-Power | Voted: | | 9.65 (डe) | 9.65 |
| खाद्य प्रसंस्करण | | Ministry of Food Processin | g | | | |
| मंत्रालय | | Industries | | | | |
| 2408- खाद्य भंडारण और | | 2408-Food, Storage and | | | | |
| और भंडागारण | स्वीकृत | Warehousing | Voted: | | 1.00 (चf) | 1.00 |
| माद्यमिक शिक्षा और | | Department of Secondary | | | | |
| उच्च शिक्षा विभाग | | Education and | | | | |
| | | Higher Education | | | | |
| 2202- सामान्य शिक्षा | स्वीकृत | 2202-General Education | Voted: | | 3.86 (ছg) | 3.86 |
| लघु उद्योग मंत्रालय | | Ministry of Small Scale | | | | |
| | | Industries | | | | |
| 2851- ग्रामीण और लघु | | 2851-Village and Small | | | | |
| उद्योग | स्वीकृत | Industries | Voted: | | 0.43 (जh) | 0.43 |
| नौवहन मंत्रालय | | Ministry of Shipping | | | | |
| 3051- पत्तन और द्वीपस्तम्भ | स्वीकृत | 3051-Ports and Lighthouses | Voted: | | 1.15 (झi) | 1.15 |
| 3052- नौवहन | स्वीकृत | 3052-Shipping | Voted: | | 19.16 (স্যা) | 19.16 |
| | | | | | | |

| | | | | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ |
|-----------------------------|---------|-----------------------------------|--------|-------------|--------------|-------|
| | | | | Plan | Non-Plan | Total |
| शहरी विकास | | Ministry of Urban | | | | |
| मंत्रालय | | Development | | | | |
| 2058- स्टेशनरी और प्रिंटिंग | स्वीकृत | 2058-Stationery & Printing | Voted: | | 0.13 (ਵk) | 0.13 |
| 2059- लोक निर्माण कार्य | स्वीकृत | 2059-Public Works | Voted: | | 1.20 (ਰੀ) | 1.20 |
| 2202- सामान्य शिक्षा | स्वीकृत | 2202-General Education | Voted: | | 0.25 (sm) | 0.25 |
| 2216- आवास | स्वीकृत | 2216-Housing | Voted: | | 0.37 (ਫn) | 0.37 |
| 3053- नागर विमानन | स्वीकृत | 3053-Civil Aviation | Voted: | | 0.08 (ण०) | 0.08 |
| 3452- पर्यटन | स्वीकृत | 3452-Tourism | Voted: | | 0.16 (तp) | 0.16 |
| गैर-पारम्भरिक ऊर्जा | C | Ministry of Non-Convention | onal | | | |
| स्रोत मंत्रालय | | Energy Sources | | | | |
| 2810- गैर-पारम्भरिक ऊर्जा | | 2810-Non-Conventional | | | | |
| स्रोत | स्वीकृत | Sources of Energy | Voted: | | 0.40 (থq) | 0.40 |
| नागर विमानन मंत्रालय | | Ministry of Civil Aviation | | | | |
| 3053-नागर विमानन | स्वीकृत | 3053-Civil Aviation | Voted: | | 2.59 (दr) | 2.59 |
| जोड़ - राजस्व भाग | स्वीकृत | Total - Revenue Section | Voted: | ••• | 43.01 | 43.01 |
| पूंजी भाग | | CAPITAL SECTION | | | | |
| मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | | | |
| नौवहन मंत्रालय | | Ministry of Shipping | | | | |
| 5052-नौवहन पर | | 5052-Capital Outlay on | | | | |
| पूंजी परिव्यय | स्वीकृत | Shipping | Voted: | 5.62 (ঘ্যঃ) | | 5.62 |
| शहरी विकास | | Ministry of Urban | | | | |
| मंत्रालय | | Development | | | | |
| 4202-शिक्षा, खेल, | | 4202-Capital Outlay on | | | | |
| कला एवं संस्कृति पर | | Education, Sports, | | | | |
| पूंजी परिव्यय | स्वीकृत | Art and Culture | Voted: | 0.24 (नt) | ••• | 0.24 |
| 4216-आवास पर | | 4216-Capital Outlay on | | | | |
| पूंजी परिव्यय | स्वीकृत | Housing | Voted: | 0.75 (पu) | | 0.75 |
| 4405-मि्रियकी पर | | 4405-Capital Outlay on | | | | |
| पूंजी परिव्यय | स्वीकृत | Fisheries | Voted: | 0.10 (फv) | ••• | 0.10 |
| 4851-ग्रामीण एवं लघु | | 4851-Capital Outlay on | | | | |
| उद्योगों पर | | Village and Small | | | | |
| पूंजी परिव्यय | स्वीकृत | Industries | Voted: | 0.10 (ৰw) | | 0.10 |
| 5425-अन्य वैज्ञानिक | | 5425-Capital Outlay on | | | | |
| अनुसंधान पर | | Other Scientific | | | | |
| पूंजी परिव्यय | स्वीकृत | Research | Voted: | 0.49 (भx) | | 0.49 |
| जोड़ - पूंजी भाग | स्वीकृत | Total - Capital Section | Voted: | 7.30 | ••• | 7.30 |
| जोड़ (पूरक) | | Total (Supplementary) | Voted: | 7.30 | 43.01 | 50.31 |

टिप्पणीः अतिरिक्त आवश्यकता के उपर्युक्त अनुमानों में नीचे दर्शाई गई अतिरिक्त वसूलियों शामिल नहीं हैं, जिनका समायोजन व्यय में से घटाकर किया जाता है।

Note: The above estimates of additional requirement do not take into account the additional recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

| राजस्व भाग | REVENUE SECTION | | | |
|-------------------------|-----------------------------|-----|-------|-------|
| मुख्य शीर्ष | MAJOR HEAD | | | |
| विद्युत मंत्रालय | Ministry of Power | | | |
| 2801- विद्युत | 2801-Power | ••• | -1.00 | -1.00 |
| खाद्य प्रसंस्करण उद्योग | Ministry of Food Processing | | | |
| मंत्रालय | Industries | | | |
| 2408- खाद्य भंडारण | 2408-Food, Storage and | | | |
| और भंडागारण | Warehousing | | -1.00 | -1.00 |
| शहरी विकास | Ministry of Urban | | | |
| मंत्रालय | Development | | | |
| 2059- लोग निर्माण कार्य | 2059-Public Works | | -1.00 | -1.00 |
| जोड़ वसूलियया | Total Recoveries | ••• | -3.00 | -3.00 |

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु मांगा गया है:-

- (क) पंचायती राज संस्थाओं में स्थानांतरित स्टाफ को वेतन और भत्ते।
- (ख) दवाईयां, टीके और उपकरण, कुक्कुट आहार और कुक्कुट उपकरण की लागत में वृद्धि।
- (ग) हाई स्पीड डीजल ऑयल की खरीद, तेल भंडारण की टंकी का निर्माण प्रभार, मजदूरी का भुगतान, मालभाड़ा प्रभार आदि।
- (घ) ग्रामीण क्षेत्रों आदि में पंचायत भवन की निर्माण लागत और स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रावधान।
- (ङ) विद्युत उत्पादन के स्थापना संबंधी व्यय और अन्य आवश्यकताओं का संवर्धन।
- (च) भारतीय खाद्य निगम को चावल अधिप्राप्ति लागत का भुगतान।
- (छ) शैक्षिणिक संस्थाओं की स्थपना संबंधी व्यय, मुख्यभूमि/महाद्वीप में उच्च अध्ययन हेतु, प्रायोजित अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति/एकमुश्त अनुदान/छात्रावास सब्सिडी आदि का भुगतान। मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी में छात्रों को व्यावहारिक प्रशिक्षण हेतु, लगाई गई नावों के प्रभार, बुनियादी शिक्षा के तहत शिक्षकों को वेतन और भत्ते तथा पंचायती राज संस्थाओं को स्थानांतरित विभाग।
- (ज) ग्रामीण एवं लघु उद्योगों की स्थापना संबंधी व्यय।
- (झ) पत्तनों और द्वीप स्तंभों की स्थापना संबंधी व्यय और ठेकेदारों को जहाजी कृलियों/बांधने और मजदूरी प्रभारों का भुगतान।
- (ञ) भारतीय जहाजरानी निगम द्वारा जहाजों/नौकाओं के परिचालन और रखरखाव का खर्च।
- (ट) सरकारी मुद्रणालयों की स्थापना संबंधी व्यय।
- (ठ) लोक निर्माण की स्थापना और विभिन्न कार्यालय भवनों के रखरखाव/ मरम्मत संबंधी व्यय।
- (ड) शिक्षा विभाग के विभिन्न कार्यालय भवनों के रखरखाव और मरम्मत का खर्च।
- (ढ) सरकारी आवास भवनों के रखरखाव और मरम्मत का खर्च।
- (ण) नागर विमानन अधिस्ठापन का रखरखाव।
- (त) पर्यटन विभाग के एक्जिक्यूटिव हटों का आध्निकीकरण।
- (थ) सौर फोटोवोल्टीय (एसपीवी) बिजली परियोजना का अधिस्टापन।
- (द) हेलीकॉपट्र सेवाओं के लिए मेसर्स पवन हंस कारपोरेशन लि. को भूगतान।
- (ध) स्पेयर पार्ट्स डीजीएसएंडडी समायोजन आदि की खरीद और मैसर्स हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि. में निर्माणाधीन जहाज की लागत वृद्धि की पूर्ति।
- (न) विभिन्न द्वीपों में स्कूल भवनों की निर्माण लागत।
- (प) सरकारी आवासीय क्वार्टरों का निर्माण।
- (फ) मात्स्यिकी विभाग के लिए कारखाने का निर्माण।
- (ब) मिनीकोए में हस्तकला भवन का निर्माण।
- (भ) कावारती द्वीपों में तारामंडल का निर्माण।

व्यय में से घटाकर की गई वसूलियों के समायोजन के पश्चात, इस पुरक अनुदान में 47.31 करोड़ रुपए का निवल नकद व्यय होगा। The supplementary grant is required to meet additional expenditure on:-

- (a) Pay and allowances of staff transferred to Panchayti Raj Institutions.
- (b) Escalation in cost of medicines, vaccines and equipment, poultry feed and poultry equipment.
- (c) Procurement of High Speed Diesel oil, fabrication charges of oil storage tank, payment of wages, freight charges, etc.
- (d) Construction cost of Panchayat Bhawan and provision of sanitation and public health facilities in rural areas, etc.
- (e) Establishment related expenditure and augmenting other requirement of power generating units.
- (f) To pay rice procurement cost to the Food Corporation of India.
- (g) Establishment related expenditure of educational institutions, payment of scholarships/lumpsum grants/ hostel subsidies, etc. to ST students sponsored for higher studies in mainland; charges of boats deployed for practical training to students in fisheries technology, and pay and allowances of teachers under Elementary Education and other departments transferred to Panchayati Raj Institutions.
- (h) Establishment related expenditure of village and small industries.
- Establishment related expenditure of ports and lighthouses and payment of stevedoring/mooring and labour charges to contractors.
- (j) Cost of running and maintenance of ships/barges by Shipping Corporation of India,
- (k) Establishment related expenditure of Government Presses.
- Establishment related expenditure of Public Works Department and maintenance / repairs of various office buildings.
- (m) Cost of maintenance and repairs of various office buildings of the Education Department.
- (n) Cost of maintenance and repairs of Government residential buildings.
- (o) Maintenance of civil aviation installations.
- (p) Modernisation of executive huts for Tourism Department.
- (q) Installation of Solar Photo Voltaic(SPV) Power Project.
- (r) Payments to M/S Pawan Hans Corporation Ltd. for helicopter services.
- (s) Procurement of spare parts, DGS&D adjustment, etc. and meeting escalation in the cost of ship under construction at M/S. Hindustan Shipyard Ltd.
- (t) Construction cost of school buildings in various islands.
- (u) Construction of Government residential quarters.
- (v) Construction of workshop building for Fisheries Department.
- (w) Construction of Handicraft building at Minicoy.
- (x) Construction of Planetarium at Kavarati Islands.

After adjustment of the recoveries taken as reduction of expenditure, this supplementary will entail a net cash outgo of Rs. 47.31 crore.

शहरी विकास विभाग DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 120, वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 42 तथा वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की दूसरी मांगों का पृष्ठ 56 देखिए)।

(See page 120 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007, page 42 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007 and page 56 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

| | | | राजस्व | पूजा | બાહ્ |
|--------------------|---------|-------------------------------------|---------|---------|---------|
| | | | Revenue | Capital | Total |
| I. मूल अनुदान : | | I. ORIGINAL GRANT: | | | |
| | भारित | Charged: | 26.08 | 31.00 | 57.08 |
| - | स्वीकृत | Voted: | 1067.79 | 1120.54 | 2188.33 |
| पूरक अनुदान : | | SUPPLEMENTARY GRANT: | | | |
| - | स्वीकृत | Voted: | 30.01 | 0.01 | 30.02 |
| इस समय आवश्यक रकम | | Supplementary Estimate of | | | |
| का पूरक अनुमान | | the amount now required: | | | |
| - | स्वीकृत | Voted: | 24.26 | 12.43 | 36.69 |
| जोड़ (मूल और पूरक) | | Total (Original plus Supplementary) | 1148.14 | 1163.98 | 2312.12 |
| | भारित | Charged: | 26.08 | 31.00 | 57.08 |
| - | स्वीकृत | Voted: | 1122.06 | 1132.98 | 2255.04 |

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

| | | | | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ |
|----------------------|---------|------------------------------|--------|-----------|--------------|-------|
| | | | | Plan | Non-Plan | Total |
| राजस्व भाग | | REVENUE SECTION | | | | |
| मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | | | |
| 2052-सचिवालय सामान्य | | 2052-Secretariat-General | | | | |
| सेवाएं | स्वीकृत | Services | Voted: | | 0.95 (कa) | 0.95 |
| 2216-आवास | स्वीकृत | 2216-Housing | Voted: | | 23.31 (खb) | 23.31 |
| जोड़ राजस्व भाग | स्वीकृत | Total Revenue Section | Voted: | ••• | 24.26 | 24.26 |
| पूंजी भाग | | CAPITAL SECTION | | | | |
| मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | | | |
| 4216-आवास पर पूंजी | | 4216-Capital Outlay on | | | | |
| परिव्यय | स्वीकृत | Housing | Voted: | 0.01 (чc) | 12.42 (ਬd) | 12.43 |
| जोड़ पूंजी भाग | स्वीकृत | Total Capital Section | Voted: | 0.01 | 12.42 | 12.43 |
| जोड़ (पूरक) | स्वीकृत | Total (Supplementary) | Voted: | 0.01 | 36.68 | 36.69 |

इन पूरक अनुदानों का अनुरोध निम्नलिखित के लिए किया गया है:

- (क) मंत्रालय के अतिरिक्त स्थापना सम्बन्धी व्यय की पूर्ति के लिए, इसमें निवल नकद व्यय होगा।
- (ख) नवनियुक्त सांसदों के पारगमन आवास के किराए के सम्बन्ध में बकाया राशि का भुगतान तथा वीआईपी बंगलों का रख-रखाव/मरम्मत (49.25 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के उसी भाग में 25.94 करोड़ रुपए बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए शेष राशि के लिए पूरक अनुदान मांगा गया है। अनुदान के राजस्व/भारित भाग के अन्तर्गत 0.77 करोड़ रुपए की बचतों को ध्यान में रखते हुए इसमें 22.54 करोड़ रुपए का व्यय होगा।
- (ग) नासिक स्थित दूरसंचार विभाग के आवासीय स्थान के निर्माण के लिए (0.48 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है; और
- (घ) लोक सभा/राज्य सभा, आर्थिक कार्य विभाग, राजस्व विभाग, गृह मंत्रालय तथा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अधिकारियों/स्टाफ के आवासीय स्थान के पुनर्विकास कार्य की अतिरिक्त आवश्यकता हेतु। इसमें निवल नकद व्यय होगा।

The supplementary grants are sought for the following purposes:-

- (a) To meet additional establishment related expenditure of the Ministry. This will entail net cash outgo;
- (b) For payment of arrears on hiring of transit accommodation for the newly elected Members of Parliament and maintenance/repair of VIP Bunglows (Rs.49.25 crore). As savings of Rs.25.94 crore are available within the same section of the Grant, supplementary for the balance amount is sought. Taking into account the savings of Rs.0.77 crore under Revenue/Charged Section of the Grant, this would entail a net cash outgo of Rs.22.54 crore;
- (c) For construction of residential accommodation for the Department of Telecommunication at Nasik (Rs.0.48 crore). As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought; and
- (d) Additional requirement for re-development work of the residential accommodation for Officers/Staff of Lok Sabha/Rajya Sabha, Department of Economic Affairs, Department of Revenue, Ministry of Home Affairs and Department of Personnel and Training. This will entail net cash outgo.

लोक निर्माण कार्य PUBLIC WORKS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 121, वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 43 तथा वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 57 देखिए)।

(See page 121 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007, page 43 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007 and page 57 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

| | | | | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
|-----------------------------|---------|--------------------------------|--------------------|------------------------|--------------|---------|
| | | | | Revenue | Capital | Total |
| I. मूल अनुदानः | | I. ORIGINAL GRANT: | | | | |
| | भारित | Ci | harged: | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| | स्वीकृत | | Voted: | 779.77 | 267.54 | 1047.31 |
| पूरक अनुदानः | | SUPPLEMENTARY GRAN | <i>T</i> : | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 21.86 | 23.51 | 45.37 |
| इस समय आवश्यक रकम | | Supplementary Estimate of | | | | |
| का पूरक अनुमान | | the amount now required: | | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | ••• | 25.71 | 25.71 |
| जोड़ (मूल और पूरक) | | Total (Original plus Suppler | nentary) | 802.63 | 317.76 | 1120.39 |
| | भारित | Ci | harged: | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| | स्वीकृत | | Voted: | 801.63 | 316.76 | 1118.39 |
| | | II. इस पूरक अनुदान का हिसाब नि | नेम्नलिखित मुख्य ः | शीर्षों के अन्तर्गत दि | खाया जाएगाः | |
| | | II. This Supplementary Grant v | will be accounted | | | nds: |
| | | | | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ |
| | | | | Plan | Non-Plan | Total |
| पूंजी भाग | | CAPITAL SECTION | | | | |
| मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | | | |
| 4059-लोक निर्माण कार्यों | | 4059-Capital Outlay on | | | | |
| के लिए पूंजी परिव्यय | स्वीकृत | Public Works | Voted: | | 21.55 (कa) | 21.55 |
| 4210-चिकित्सा तथा सार्वजनिक | | 4210-Capital Outlay on | | | | |
| स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय | स्वीकृत | Medical and Public Health | Voted: | 1.96 (खb) | | 1.96 |
| 4885-उद्योगों और खनिजों | | 4885-Other Capital Outlay on | | | | |
| पर पूंजी परिव्यय | स्वीकृत | Industries and Minerals | Voted: | 0.40 (गc) | | 0.40 |
| 5425-अन्य वैज्ञानिक एवं | | 5425-Capital Outlay on other | | | | |
| पर्यावरणीय अनुसंधान पर | स्वीकृत | Scientific and | | | | |
| पूंजी परिव्यय | | Environmental Research | Voted: | 1.80 (ਬd) | ••• | 1.80 |
| जोड़ (पूरक) | स्वीकृत | Total (Supplementary) | Voted: | 4.16 | 21.55 | 25.71 |

इन पूरक अनुदानों का निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए अनुरोध किया गया है:

- (क) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय के लिए नई दिल्ली में नए भवन के निर्माण (5 करोड़ रुपए); हैदराबाद, अहमदाबाद, कोलकाता, मीनामबक्कम जलाहली, और कालीकट में आय कर विभाग के कार्यालय परिसरों के निर्माण (10 करोड़ रुपए); संसद के पुस्तकालय भवन/संसद भवन एनेक्सी में दूरदर्शन चैनल की संस्थापना (6.05 करोड़ रुपए) और सरकारी लेखा एवं वित्त संस्थान के लिए दिल्ली में एक नए भवन के निर्माण (0.50 करोड़ रुपए) पर अतिरिक्त व्यय। चूंकि इसके लिए अनुदान के राजस्व/स्वीकृत भाग से समतुल्य राशि अभ्यर्पित की जाएगी, इसलिए तकनीकी पूरक अनुदान के लिए अनुदान के लिए अनुदान के लिए अनुदान के
- (ख) सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में मानसिक आघात केन्द्र की स्थापना पर अतिरिक्त व्यय (1.96 करोड़ रुपए)। चूंकि इसके लिए अनुदान के राजस्व/स्वीकृत भाग से समतुल्य राशि अभ्यर्पित की जाएगी, इसलिए तकनीकी पूरक अनुदान के लिए अनुरोध किया गया है।

The supplementary grants are sought for the following purposes:

- (a) Additional expenditure on construction of new building for the Office of the Comptroller and Auditor General of India at New Delhi (Rs.5 crore); construction of office complexes for Income Tax Department at Hyderabad, Ahmedabad, Kolkata, Meenambakkam, Jalahalli and Calicut(Rs.10 crore); installation of TV Channel in Parliament Library Building/Parliament House Annexe (Rs.6.05 crore) and Construction of a new building of Institute of Government Accounts and Finance (INGAF) at New Delhi (Rs.0.50 crore). As an equivalent amount will be surrendered from the Revenue/Voted section of the Grant on this account, a technical supplementary is sought.
- (b) Additional expenditure on setting up of Trauma Centre at Safdarjung Hospital, New Delhi (Rs.1.96 crore). As an equivalent amount will be surrendered from the Revenue/Voted section of the Grant on this account, a technical supplementary is sought.

- (ग) मुम्बई स्थित नमक आयुक्त के कार्यालय के जारी निर्माण कार्य पर अतिरिक्त व्यय (0.40 करोड़ रुपए)। चूंकि इसके लिए अनुदान के राजस्व/स्वीकृत भाग से समतुल्य राशि अभ्यर्पित की जाएगी, इसलिए तकनीकी पूरक अनुदान के लिए अनुरोध किया गया है।
- (घ) देहरादून स्थित भारतीय सर्वेक्षण के कार्यालय भवन का निर्माण (1.80 करोड़ रुपए)। चूंकि इसके लिए इस अनुदान के राजस्व/ स्वीकृत भाग से समतुल्य राशि अभ्यर्पित की जाएगी, इसलिए तकनीकी पूरक अनुदान के लिए अनुरोध किया गया है।
- (c) Additional expenditure for ongoing construction work of the Office of the Salt Commissioner at Mumbai (Rs.0.40 crore). As an equivalent amount will be surrendered from the Revenue/Voted section of the Grant on this account, a technical supplementary is sought.
- (d) Construction of office building for Survey of India at Dehradun (Rs.1.80 crore). As an equivalent amount will be surrendered from the Revenue/Voted section of the Grant on this account, a technical supplementary is sought.

लेखन सामग्री एवं मुद्रण STATIONERY AND PRINTING

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 122 देखिए)। (See page 122 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

| | | | | राजस्व Revenue | पूंजी Capital | जोड़ Total |
|--------------------|---------|-------------------------------|---------------|-----------------------|------------------|---------------|
| I. मूल अनुदानः | | I. ORIGINAL GRANT: | | | 1 | |
| | स्वीकृत | 7 | oted: | 154.06 | 0.20 | 154.26 |
| इस समय आवश्यक रकम | | Supplementary Estimate of | | | | |
| का पूरक अनुमान | • | the amount now required: | | | | |
| | स्वीकृत | \ | oted: | 7.98 | | 7.98 |
| जोड़ (मूल और पूरक) | | Total (Original plus Supplem | entary) | | | |
| | स्वीकृत | V | oted: | 162.04 | 0.20 | 162.24 |
| | | II. इस पूरक अनुदान का हिसाब ि | नेम्नलिखित मु | ख्य शीर्ष के अन्तर्गत | दिखाया जाएगाः | |
| | | TT TT1 C 1 4 C 4 | '11 1 | 1 1 0 1 1 | | r · тт 1 |

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

| | | | | आयोजना Plan | आयोजना-भिन्न Non-Plan | जोड़ Total |
|-------------------|---------|---------------------|--------|----------------|--------------------------|---------------|
| राजस्व भाग | | REVENUE SECTION | | | | |
| मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | | | |
| 2058-लेखन सामग्री | | 2058-Stationery and | | | | |
| एवं मुद्रण | स्वीकृत | Printing | Voted: | ••• | 7.98 | 7.98 |

टिप्पणी: उपर्युक्त अनुमानों में नीचे दिखाई गई वसूलियां शामिल नहीं हैं जिन्हें व्यय में से घटा कर समायोजित किया जाता है :

Note: The above estimates do not include the recoveries shown below which are adjusted in reduction of expenditure:

Voted:

राजस्य भाग
मुख्य शीर्ष
2058-लेखन सामग्री
एवं मुद्रण
स्वीकृत
REVENUE SECTION
MAJOR HEAD
2058-Stationery and
Printing

इर पूरक अनुदान का अनुरोध भारत सरकार मुद्रणालयों के लिए कागज और उपयोग में आने वाली अन्य मदों की खरीद करने पर हुए व्यय को पूरा करने के लिए किया गया है। चूंकि व्यय को प्राप्तियों द्वारा पूरा किया जाता है, इसलिए इस पर कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grant is sought to meet expenditure on procurement of paper and other consumable items for the Government of India Presses. As the expenditure is matched by receipts, this will not entail cash outgo.

(-)7.98

युवा मामले एवं खेल मंत्रालय MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

(केन्ट्रीय सरकार की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 125, वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 46 और वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 59 देखिए)।

(See page 125 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2006-2007, page 46 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007 and page 59 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2006-2007).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

| | | | | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
|--------------------|---------|-----------------------------|------------|---------|---------|--------|
| | | | | Revenue | Capital | Total |
| I. मूल अनुदानः | | I. ORIGINAL GRANT: | | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 662.47 | 6.53 | 669.00 |
| पूरक अनुदानः | | SUPPLEMENTARY GRAN | <i>T</i> : | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 0.03 | | 0.03 |
| इस समय आवश्यक रकम | | Supplementary Estimate of | | | | |
| का पूरक अनुमान | | the amount now required: | | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 0.02 | | 0.02 |
| जोड़ (मूल और पूरक) | | Total (Original plus Supple | mentary) | | | |
| | स्वीकृत | | Voted: | 662.52 | 6.53 | 669.05 |

- II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगाः
- II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

| | | | | आयोजना | आयोजना-भिन्न Non Blon | जोड़ Total |
|----------------------|---------|-----------------------|--------|-----------|--------------------------|---------------|
| राजस्व भाग | | REVENUE SECTION | | Plan | Non-Plan | Total |
| मुख्य शीर्ष | | MAJOR HEAD | | | | |
| 2204-खेलकूद तथा युवा | | 2204-Sports and Youth | | | | |
| सेवाएं | स्वीकृत | Services | Voted: | 0.01 (कa) | 0.01 (खb) | 0.02 |
| जोड़ (पूरक) | स्वीकृत | Total (Supplementary) | Voted: | 0.01 | 0.01 | 0.02 |

यह पूरक अनुदान निम्न प्रयोजनों के लिए आवश्यक है:-

- को "विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों को अनुदान" योजना के अंतर्गत सहायता (1.00 करोड़ रुपए)।
 - (ii) "योग्यता खोज एवं प्रशिक्षण" योजना के अंतर्गत प्रतिबद्ध देयता संबंधी व्यय को पूरा करने के लिए (1.00 करोड़ रुपए)।
 - (iii) "सिंथेटिक सतहों की आपूर्ति तथा संस्थापना के लिए सहायता" की योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को अनुदान (0.10 करोड़

चूंकि बचत अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध है, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

- (ख) (i) पूर्व संगठन अवधि के पेंशन संबंधी व्यय को पूरा करने के लिए "नेहरु युवा केन्द्र संगठन" को सहायता (1.00 करोड़ रुपए)।
 - (ii) मंहगाई भत्ते इत्यादि में वृद्धि के कारण एनएसएस के अधिकारियों को भुगतान करने के लिए "राष्ट्रीय सेवा योजना" के अंतर्गत सहायता (0.27 करोड़ रुपए)।
 - (iii) वेतन एवं भत्तों तथा अन्य स्थापना संबंधी व्यय के लिए "भारत के खेलकूद प्राधिकरण" को सहायता (3.38 करोड़ रुपए)।
 - (iv) अन्यों के अलावा पश्चिमी क्षेत्र उपकुलपति सम्मेलन, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय अंतर विश्वविद्यालय खेलों तथा कुछ स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों सहित अकादिमक गतिविधियों के संचालन के लिए "लक्ष्मी बाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान" को सहायता (0.50 करोड़ रुपए)।

चूंकि बचत अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध है, सांकेतिक अनुपूरक अनुदान मांगा गया है।

The supplementary grant is required for the following purposes:

- (क) (i) भारतीय विश्वविद्यालय तथा अन्य विश्वविद्यालय/महाविद्यालय संघ (a) (i) Assistance to Association of Indian Universities and other Universities/Colleges under the scheme of "Grants to Universities and Colleges" (Rs.1.00 crore).
 - (ii) For meeting expenditure on committed liability under the Scheme of "Talent Search & Training" (Rs.1.00 crore).
 - (iii) Grants to the State Governments under the scheme of "Support for Supply and Installation of Synthetic Surfaces" (Rs.0.10 crore).

As savings are available within the same section of the grant, token supplementary is sought.

- (b) (i) Assistance to "Nehru Yuva Kendra Sangathan" for meeting pension related expenditure of pre-Sangathan period (Rs.1.00 crore).
 - (ii) Assistance under "National Service Scheme" for making the payment to the officers of NSS due to increase in DA etc. (Rs.0.27crore).
 - (iii) Assistance to "Sports Authority of India" for pay and allowances and other establishment related expenditure (Rs.3.38 crore).
 - (iv) Assistance to "Lakshmi Bai National Institute of Physical Education" for conducting academic activities including inter-alia West Zone Vice Chancellors Conference, Zonal and National Inter Universities meets and for some Post Graduate Diploma Courses (Rs.0.50 crore).

As savings are available within the same section of the grant, token supplementary is sought.

post harvest management as well as

market information services of the

अनुबंध ANNEXURE

वर्ष 2006-07 के दौरान संसद में प्रस्तुत की जाने वाली उन मदों का विवरण जिनमें पुनर्विनियोग मूल बजट प्रावधान के 25 प्रतिशत अथवा 1 करोड़ रुपए, जो भी अधिक हो, से बढ़ जाता है।

Statement showing items requiring report to Parliament where re-appropriation exceed 25% of the original Budget provision or Rs. 1 crore, whichever is more during 2006-07.

| KS. | 1 crore, whichever is more of | during 2006-07. | (करोड़ रुपए R | upees in Crore | е) |
|---------|-------------------------------|---|---------------|----------------|---|
| <u></u> | | | बजट अनुमान | पुनर्विनियोग | |
| सं. | मंत्रालय/विभाग का नाम | योजना | 2006-2007 | की राशि | टिप्पणियां |
| Sl. | Name of the Ministry/ | Scheme | Budget | Amount of | Remarks |
| No. | Department | | Estimates | Re-appro- | |
| | | | 2006-2007 | priation | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | कृषि मंत्रालय | (आयोजना) | | | |
| | कृषि तथा सहकारिता विभाग | मुख्य शीर्ष 2401-कृषि कार्य | | | |
| | | - 103-बीज | | | |
| | | 25-बीजों के उत्पाद तथा वितरण | | | |
| | | हेतु बीज आधारभूत संरचना सुविधाओं | | | प्रधानमंत्री राहत पैकेज के अन्तर्गत सहायत |
| | | का विकास तथा सुदृढ़ीकरण | | | अनुदान की निर्मुक्ति हेतु अतिरिक |
| | | 250031-सहायता अनुदान | | | आवश्यकता। |
| | Ministry of Agriculture | (Plan) | | | 511-4X-1-4X(1) |
| | Department of | Major Head 2401-Crop Husbandry | I | | |
| | Agriculture & | 103-Seeds | , | | |
| | Corporation | 25-Dev. and Strengthening of Seed | 1 | | |
| | Corporation | Infrastructure Facilities for | l | | |
| | | | | | Additional magniness and formalises |
| | | Production and distribution of | | | Additional requirement for releas |
| | | Seeds | 56.00 | 0.25 | as Grants-in-aid under Prim |
| | | 250031-Grants-in-aid | 56.93 | 9.35 | Minster's Relief package. |
| | | 119-बागवानी तथा वनस्पति कृषि | | | जम्मू तथा कश्मीर, हिमाचल प्रदेश औ |
| | | 30-पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू तथा | | | उत्तरांचल में बागवानी विकास की सम्भावन |
| | | कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल | | | तथा स्कीम की प्रगति उपलब्धियों के कार |
| | | में एकीकृत विकास सम्बन्धी प्रौद्योगिकी | | | कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा अतिरिक्त निधिय |
| | | मिशन | | | की मांग की गयी है। |
| | | | | | प्रा नान प्रा नवा हा |
| | | 300031-सहायता अनुदान | • • | | |
| | | 119-Horticulture & Vegetable Crop | OS | | Due to notontial for hosticultur |
| | | 30-Technology Mission on | | | Due to potential for horticultur |
| | | Integrated Development of Horti- | | | development and the progress |
| | | culture in North-Eastern States, | | | achievements of scheme in Jamm |
| | | Sikkim, J&K, Himachal Pradesh | | | & Kashmir, Himachal Pradesh an |
| | | and Uttaranchal | | | Uttaranchal, additional funds ar |
| | | 300031-Grants-in-aid | 55.40 | 73.00 | required by implementing agencies |
| | | 119-बागवानी तथा वनस्पति कृषि | | | राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड से प्राप्त अतिरिव |
| | | 06-राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड को सहायता | | | मांग उत्पादन तथा फसल-पश्च प्रबन्धन औ |
| | | | | | बोर्ड की बाजार सूचना सेवाओं के जि |
| | | अनुदान | | | वाणिज्यिक बागवानी के विकास हेतु है। |
| | | 060031-सहायता अनुदान | | | 9 |
| | | | | | The additional requirement from |
| | | | | | National Horticulture Board is fo |
| | | | | | development of commercia |
| | | 119-Horticulture & Vegetable Crop | os | | horticulture through production an |
| | | Of Counts in side Matismal | | | |

85.00

25.00

Board.

06-Grants-in-aid to National

Horticulture Board

060031-Grants-in-aid

| | | (क | (करोड़ रुपए Rupees in Crore) | | | | | | |
|----|----------------------------|---|------------------------------|----------|---|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | |
| | | 3601-राज्य सरकार को सहायता अनुदान | | | राज्यों द्वारा स्कीम के कार्यान्वयन हेत् | | | | |
| | | 03-केन्द्रीय आयोजना स्कीम हेतु अनुदान | | | दिशानिर्देशों में शिथिलीकरण के कारण राज्ये | | | | |
| | | 437-कृषि कार्य - खाद तथा उर्वरक | | | के लिए अतिरिक्त आवश्यकता। | | | | |
| | | 06-जैव खेती को प्रोत्साहन देने सम्बन्धी | | | | | | | |
| | | राष्ट्रीय परियोजना | | | | | | | |
| | | 060031-सहायता अनुदान | | | | | | | |
| | | 3601- Grants-in-aid to State | | | | | | | |
| | | Governments | | | | | | | |
| | | 03-Grants for Central Plan Scheme | | | | | | | |
| | | 437-Crop Husbandry-Manures & | | | | | | | |
| | | Fertilizer | | | Additional requirement for State | | | | |
| | | 06-National Project on Promotion | | | due to relaxation of guidelines fo | | | | |
| | | of Organic Farming | | | implementation of scheme by | | | | |
| | | 060031-Grants-in-aid | 5.00 | 4.99 | States. | | | | |
| 2. | संस्कृति मंत्रालय | मुख्य शीर्ष - 2205 - कला एवं संस्कृति | | | | | | | |
| | | 00.798-अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग | | | | | | | |
| | | (लघु शीर्ष) | | | | | | | |
| | | 03-यूनेस्को को अंशदान | | | अमरीकी डालर की दर में हुए ऊर्ध्वमुख | | | | |
| | | 03.00.32-अंशदान | | | उतार-चढ़ाव के कारण और अगोचर अमृ | | | | |
| | | | | | सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लि | | | | |
| | | | | | यूनेस्को निधि में अंशदान करने के लि अपेक्षित है। | | | | |
| | Ministry of Culture | Major Head - 2205-Art & Culture | | | | | | | |
| | v | 00.798-International Co- | | | | | | | |
| | | operation (Minor Head) | | | | | | | |
| | | 03 - Contribution to UNESCO | 0.03 | 0.02 | Due to the upward fluctuation in th | | | | |
| | | 03.00.32 - Contribution | | (एनपीNP) | US Dollar rate and is required for | | | | |
| | | | | | the contribution for the UNESC | | | | |
| | | | | | fund for safeguarding of th | | | | |
| | | | | | Intangible Cultural Heritage. | | | | |
| 3. | रक्षा मंत्रालय (सिविल) | मुख्य शीर्ष - 2037-तटरक्षक संगठन | | | बीएमसी को किराए के भुगतान औ | | | | |
| | राजस्व भाग | किराया, दर एवं कर | | | कोलकाता में विमानशाला (हैंगर) किरा | | | | |
| | | | | | पर लेने के कारण। | | | | |
| | Ministry of Defence | Major Head -2037-CGO | | | | | | | |
| | (Civil) | Rent, Rate & Taxes | 1.35 | 1.00 | Due to payment of rent to BMC an | | | | |
| | Revenue Section | | | | hiring of Hanger space at Kolkata | | | | |
| | | मुख्य शीर्ष - 2052-रक्षा विभाग | | | मैसर्स बामर एंड लॉरी आदि के बकार | | | | |
| | | टीई (डी) | | | बिलों के भुगतान हेतु। | | | | |
| | | Major Head -2052-DOD | | | | | | | |
| | | TE (D) | 0.58 | 0.18 | To clear the outstanding bills | | | | |
| | | | | | M/S Balmer & Lawrie, etc. | | | | |
| | | टीई (एफ) | | | मैसर्स बामर एंड लॉरी आदि के बकार | | | | |
| | | TIP (D) | | | बिलों के भुगतान हेतु। | | | | |
| | | TE (F) | 1.44 | 0.66 | To clear the outstanding bills of M/S Balmer & Lawrie, etc. | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | डीईएसडब्ल्यू | | | मैसर्स बामर एंड लॉरी आदि के बका | | | | |

| | (करोड़ रुपए Rupees in Crore) | | | | | |
|-------------------------|--|---------|--------|--|--|--|
| 1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| | DESW TE (D) | 0.22 | 0.06 | To clear Balmer Lawrie pending bills, etc. | | |
| | रक्षा लेखा विभाग मजदूरी | | | दैनिक श्रमिकों को स्थायी हैसियत प्रदान करने के कारण। | | |
| | Defence Accounts Department Wages | 0.35 | 0.11 | Due to grant of temporary status to casual labours. | | |
| | बैंक नकद कारोबार कर (बीसीटीटी) Bank Cash Transaction Tax | | | पृथक् शीर्ष आदि आरम्भ करने के कारण | | |
| | (BCTT) | | 0.10 | Due to opening of separate head etc. | | |
| | मुख्य शीर्ष - 2055 जेएकेएलआई MAJOR HEAD-2055 JAKLI | 321.79 | 21.87 | नए बटालियनों का निर्माण आरंभ करने, उत्तरी कमान में और अधिक परिवहन आवश्यकता, पेट्रोल एवं ईंधन उत्पादों आदि में मूल्य वृद्धि पर व्यय की पूर्ति हेत। To meet expenses on commencement of raising of new Battalions, more transportation requirement in Northern Command, | | |
| | मुख्य शीर्ष2075-केन्द्रीय भंडार विभाग मजदूरी MAJOR HEAD-2075-Canteen | | | hike in petrol & Fuel products, etc. दैनिक वेतन आदि में वृद्धि। | | |
| | Stores Department Wages | 0.12 | 0.06 | Increase in daily wages rates, etc. | | |
| | अन्य प्रभार | | | यूनिट द्वारा चलाई जा रही सभी कैंटीनें (यूआरसी) आदि को सीएमडी द्वारा देय प्रमाणात्मक छूट (क्यूडी) की दरों के प्रतिशत में वृद्धि के कारण। | | |
| | Other Charges | 125.00 | 12.48 | Due to hike in percentage of Quantitative Discount (QD) rates payable by CSD to all Unit Rur Canteens (URCs), etc. | | |
| 4. रक्षा पेंशन | 2071.101.01 अधिवर्षिता और सेवानिवृत्ति भत्ता (थल सेना) | | | सेवानिवृत्ति कर्मचारियों की बढ़ी हुई संख्या, ब.अ. चरण में मंहगाई राहत की प्रत्याशा से अधिक ऊंची दर स्वीकृति के कारण वृद्धि और एक रैंक एक पेंशन के कारण संशोधन | | |
| Defence Pensions | 2071.101.01 Superannuation and Retirement Allowance (Army) | 7889.18 | 450.45 | Increase is due to increased number of retirees, sanction of higher rate of Dearness Relief than anticipated at BE stage and revision due to One Rank One Pension. | | |

| | (करोड़ रुपए Rupees in Crore) | | | | | |
|-----|---|--------|-------|---|--|--|
| 1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| | 2071.101.03 छुट्टी नकदीकरण (थल सेना) | | | सेवानिवृत्ति कर्मचारियों की बढ़ी हुई संख ब.अ. चरण में मंहगाई राहत की प्रत्या से अधिक ऊंची दर स्वीकृति के का वृद्धि । | | |
| | | | | 2 4 | | |
| | 2071.101.03 | | | | | |
| | Leave Enchashment (Army) | 364.20 | 18.33 | Increase is due to increased numl of retirees and sanction of high rate of Dearness Relief th anticipated at BE stage. | | |
| | 2071.102.01 | | | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | | |
| | पेंशनों का परिवर्तित मूल्य (नौ सेना) 2071.102.01 | | | ब.अ. चरण में सेवानिवृत्ति कर्मचारियों प्रत्याशा से अधिक संख्या के कारण वृ | | |
| | Commuted value of Pensions | 45.00 | 14.10 | Increase is due to increased number | | |
| | (Navy) | 13.00 | 14.10 | of retirees than anticipated at l stage. | | |
| | 2071.102.01 | | | <u> </u> | | |
| | अधिवर्षिता और सेवानिवृत्ति भत्ता (नौ सेना) | | | सेवानिवृत्ति कर्मचारियों की बढ़ी हुई संर ब.अ. चरण में मंहगाई राहत की प्रत्याश | | |
| | (ii Xi ii) | | | अधिक ऊंची दर स्वीकृति के कारण | | |
| | 2071.102.01 | | | और एक रैंक एक पेंशन के कारण संशो | | |
| | Superannuation and Retirement | 191.57 | 15.52 | Increase is due to increased num | | |
| | Allowance (Navy) | | | of retirees, sanction of higher r of Dearness Relief than anticipa at BE stage and revision due to C Rank One Pension. | | |
| | 2071.103.01 | | | | | |
| | उपादान (वायुसेना) | | | सेवानिवृत्ति कर्मचारियों की बढ़ी हुई संर ब.अ. चरण में मंहगाई राहत की प्रत्याश | | |
| | 2071.103.01 | | | अधिक ऊंची दर स्वीकृति के कारण वृति | | |
| | Gratuity (Air Force) | 76.40 | 11.03 | Increase is due to increased number of retirees and sanction of high rate of Dearness Relief the anticipated at RE store. | | |
| | 2071.103.01 | | | anticipated at BE stage. | | |
| | पंशनों का परिवर्तित मूल्य (वायु सेना) | | | ब.अ. चरण में सेवानिवृत्ति कर्मचारियों | | |
| | 2071.103.01 | | | प्रत्याशा से अधिक संख्या के कारण वृ | | |
| | Commuted Value of Pensions (Air Force) | 156.20 | 30.23 | Increase is due to increased num of retirees than anticipated at stage. | | |
| | 2071.103.01 | | | suge. | | |
| | आधिवर्षिता और सेवानिवृत्ति भत्ता (वायु सेना) | | | सेवानिवृत्ति कर्मचारियों की बढ़ी हुई संर ब.अ. चरण में मंहगाई राहत की प्रत्याश | | |
| | 2071 102 01 | | | अधिक ऊंची दर स्वीकृति के कारण | | |
| | 2071.103.01 Superannuation and Retirement | 484.88 | 20.92 | और एक रैंक एक पेंशन के कारण संशोध Increase is due to increased number | | |
| | Allowance (Air Force) | 404.00 | 20.92 | of retirees, sanction of higher r of Dearness Relief than anticipa at BE stage and revision due to C | | |

Rank One Pension.

| | (करोड़ रुपए Rupees in Crore) | | | | | | |
|---|---|-------|--------|--|--|--|--|
| 1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| 5. विदेश मंत्रालय Ministry of External Affairs | 3605-00.101-11.00.32 अंशदान 3605-00.101-11.00.32 Contributions | 65.00 | 100.00 | बजटीय सहायता के रूप में नेपाल को आर्थिक सहायता हेतु भारत सरकार के अंशदान के भाग के रूप में नेपाल सरकार को एकबारगी भुगतान हेतु। For One time payment to Govt. of Nepal as part of GOI's contribution for economic assistance to Nepal as Budgetary support. | | | |
| | 2061-00.798-02.00.32 अंशदान | | | संयुक्त राष्ट्र केन्द्रीय आपातकालीन प्रत्युत्तर निधि (सीईआरएफ) को भारत सरकार के अंशदान के भुगतान हेतु। | | | |
| | 2061-00.798-02.00.32 Contributions | 3.64 | 4.675 | For making payment of GOI's contribution to the United Nations Central Emergency Response Fund (CERF) | | | |
| | 3605-00.101-16.00.32 | | | लेबनान के पुनर्निर्माण हेतु मानवतावादी और राहत प्रयासों में भारत सरकार के अंशदान हेतु। | | | |
| | 3605-00.101-16.00.32 | 5.10 | 4.94 | For GOI's contribution to humanitarian & relief efforts to rebuild Lebanon. | | | |
| | 2061-00.106-01.00.20 अन्य प्रशासनिक व्यय | | | वर्ष 2006 के अंत/2007 के प्रारंभ में निर्धारित 14वें सार्क/बीआईएमटीसी-ईसी शिखर सम्मेलन के दौरान सुरक्षा आवश्यकता की पूर्ति हेतु 11 बुलेट प्रूफ मर्सिडीज बेंज, कारों की तत्काल खरीद हेतु। | | | |
| | 2061-00.106-01.00.20 | | | 3 | | | |
| | Other Administrative Expenses | 21.00 | 17.75 | For immediate purchase of 11 Bullet Resistant Mercedes Benz Cars to meet security requirement during 14th SAARC / BIMTC-EC Summit scheduled in late 2006 / early 2007. | | | |
| | 2061-00.101-01.99.13 कार्यालय व्यय | | | पासपोर्ट और वीसा कार्य के लिए विदेश में 7 मिशनों/पोस्टों में कम्प्यूटरीकरण कार्य हेतु। | | | |
| | 2061-00.101.01.99.13 | | | | | | |
| | Office Expenses | 0.00 | 2.18 | To undertake computerisation projects of passport and visa work in 7 Missions/Posts abroad. | | | |

| | (करोड़ रुपए Rupees in Crore) | | | | | |
|---|---|-------|--------|---|--|--|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| | 2061-00.003-01.00.20 | | | | | |
| | अन्य प्रशासनिक व्यय | | | पीसीएफडी (विदेशी प्रतिनिधियों के लिए | | |
| | | | | व्यवसायिक पाठयक्रम) और प्रशिक्षण | | |
| | | | | पाठयक्रम और अन्य कार्यक्रमों के संचालन | | |
| | | | | लागत में वृद्धि के कारण। | | |
| | 2061-00.003-01.00.20 | | | | | |
| | Other Administrative Expenses | 0.00 | 1.00 | Due to increase in cost of | | |
| | | | | conducting PCFD (Professiona | | |
| | | | | Course for Foreign Delegates) and | | |
| | | | | training courses and other | | |
| | | | | programmes. | | |
| | 0004 00 404 04 00 00 | | | | | |
| | 2061-00.104-01.00.20 अन्य प्रशासनिक व्यय | | | नवम्बर, 2006 में नई दिल्ली में आयोजि | | |
| | अन्य प्रशासानक व्यव | | | किए जाने वाले अफगानिस्तान पर दूस | | |
| | | | | क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग सम्मेलन के लि | | |
| | | | | व्यय की पूर्ति हेतु। | | |
| | 2061-00.104-01.00.20 | | | a -3 | | |
| | Other Administrative Expenses | 0.30 | 0.50 | For meeting out the expenses for | | |
| | | | | 2nd Regional Economi | | |
| | | | | Cooperation Conference o | | |
| | | | | Afghanistan to be held in Nev | | |
| | | | | Delhi in Nov. 2006. | | |
| | 2061-00.800-11.10.31 | | | | | |
| | सहायता अनुदान | | | इंडियन फेडेरेशन ऑफ यूएन एसोसिएश | | |
| | | | | (आईएफयूएनए) का सहायता अनुदान व | | |
| | | | | भुगतान हेतु। | | |
| | 2061-00.800-11.10.31 | | | | | |
| | Grant-in-Aid | 0.03 | 0.05 | For payment to Indian Federatio | | |
| | | | | of UN Association (IFUNA) Gran | | |
| | | | | in Aid. | | |
| | 2061-00.800-03.26.50 | | | | | |
| | अन्य प्रभार | | | लेबनान से भारतीय नागरिकों को खाल | | |
| | | | | कराने पर हुए व्यय हेतु। | | |
| | 2061-00.800-03.26.50 | | | g g | | |
| | Other Charges | 0.015 | 1.0658 | For expenditure incurred of | | |
| | | | | evacuation of Indian nationals from | | |
| | | | | Lebanon. | | |
| | 2061-00.800-13.02.50 | | | 0/ // // 0 0 // // // 0 | | |
| | अन्य प्रभार | | | विदेशों में स्थित मिशनों/पोस्टों में राष्ट्री | | |
| | | | | दिवस/गणतंत्र दिवस के अवसर पर स्वाग | | |
| | | | | समारोह पर हुए वास्तविक व्यय की पूर्व | | |
| | 2061-00.800-13.02.50 | | | हेतु। | | |
| | Other Charges | 1.09 | 0.50 | For meeting the actual expenditure | | |
| | | 1.07 | 0.50 | incurred on hosting reception on the | | |
| | | | | occasion of National Day | | |
| | | | | Republic Day in the Missions | | |
| | | | | | | |

| | | (करोड़ रुपए Rup | pees in Crore | 2) |
|-----|---|-----------------|---------------|--|
| 1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 3605-00.101-16.00.32 अंशदान | | | डूरियन तूफान के पश्चात् फिलीपीन्स में राहत और पुनर्निर्माण कार्य हेतु भारत के योगदान के रूप में 2,50,000 अमरीकी डॉलर के नकद दान हेतु। |
| | 3605-00.101-16.00.32 Contributions | 5.10 | 1.15 | For cash donation of US \$ 250,000 as India's contribution for relief and reconstruction work to the Philippines in the aftermath of typhoon Durian. |
| | 3605-00.101-15.00.32 | | | |
| | अंशदान | | | पुल-ए-खुमारी प्रसारण योजना (अफगानिस्तान) हेतु। |
| | 3605-00.101-15.00.32 | | | , , |
| | Contributions | 0.01 | 70.00 | For Pul-e-Khumri Transmission Project (Afghanistan) |
| | 3605-00.101-17.00.32 अंशदान | | | अफगान नागरिकों के लिए 500 आईटीईसी स्लॉटों के कार्यान्वयन हेतु। |
| | 3605-00.101-17.00.32 Contributions | 52.00 | 11.75 | For implementing 500 ITEC slots for Afghan nationals. |
| | 2061-00.800-12.08.20 अन्य प्रशासनिक व्यय | | | नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कम्पनीज (नैस्कॉम फाउंडेशन) द्वारा इंडिया-ईयू सिविल सोसाइटी इंटरनेट फोरम की स्थापना हेतु। |
| | 2061-00.800-12.08.20 | | | Ğ |
| | Other Administrative Expenses | 0.25 | 0.1127 | For setting up of the India-EU Civil Society Internet Forum by National Association of Software and Service Companies (NASSCOM FOUNDATION) |
| | 2052-00.090-02.00.12 विदेश यात्रा व्यय | | | ब.अ. 2006-07 में अपर्याप्त निधियों का आवंटन किया जाना। |
| | 2052-00.090-02.00.12 | | | |
| | Foreign Travel Expenses | 30.00 | 5.00 | Being inadequate funds allotted in BE 2006-07. |
| | 2061-00.103-01.00.50 अंशदान | | | विशेष राजनयिक व्यय के बजट शीर्ष के तहत आवश्यक और प्रत्याशित आवश्यकता |
| | 2061-00.103-01.00.50 Contributions | 823.00 | 50.00 | हेतु। For an urgent and unanticipated requirement under the budget head of Special Diplomatic Expenditure. |
| | 2052-00.090-02.22.27 लघु निर्माण कार्य | | | एफएसएल के लिए किए गए निर्माण कार्यों विदेश सचिव के आवास के नवीकरण और अकबर भवन में विभिन्न निर्माण कार्य हेतु। |

| | | (ক | रोड़ रुपए Rup | ees in Cror | e) |
|---|--------------------|---|---------------|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 2052-00.090-02.22.27 | | | |
| | | Minor Works | 0.00 | 0.98 | For works carried out for FSL renovation of residence of FS and various works in Akbar Bhawan. |
| | आर्थिक कार्य विभाग | राजस्व भाग | | | |
| | | मु.शी. 2052-सचिवालय सामान्य | | | |
| | | सेवाएं | | | डाभोल विद्युत परियोजना मामले के सम्ब |
| | | सचिवालय | | | ें में बकाया जिलों के सम्बन्ध में व्यय व |
| | | व्यावसायिक सेवाएं | | | पूर्ति हेतु। |
| | Department of | Revenue Section | | | 4 C3. |
| | Economic Affairs | MH-2052-Sectt. General Services Sectt. | | | |
| | | Professional Services | 3.00 | 5.10 | To meet expenditure in connection with residuary bills regarding Dabhol Power project case. |
| | | अन्य प्रभार (आईटी) | | | मंत्रालय के आईटी आयोजना के सम्बन्ध व्यय की पूर्ति हेतु। |
| | | Other Charges (IT) | 1.95 | 9.05 | For meeting expenditure i connection with IT plan of th Ministry. |
| | | मु.शी. 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं सहायता अनुदान | | | विश्व बैंक अनुदान को सार्वजनिक निर भागीदारी की तैयारी तथा मूल्यांकन तथ वीजीएफ के संचालन में सुधार हेतु अन्तर |
| | | MH 3475-Other General Economic Services | | | करना। |
| | | Grants-in-aid | 0.00 | 0.91 | For passing though World Ban Grant to improve preparation an appraisal of PPP and the operatio of the VGF. |
| | | सब्सिडी | | | एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया को बकार समकरण सहायता हेतु। सांकेतिक पूर अनुदान प्राप्त किया गया। |
| | | Subsidies | 0.00 | 99.99 | For interest equalization support the Exim Bank of India. Toke supplementary obtained. |
| | | मु.शी. 3605-अन्य देशों के साथ तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग | | | एडीबी की उन्नतालीसवें एजीएम व आयोजना की एवज में व्यय की पूर्ति हेत् |
| | | अन्य प्रशासनिक व्यय MH 3605-Technical and Economic Co-operation with other countries | | | |
| | | Other Administrative Expenses | 0.01 | 22.73 | For meeting expenditure toward organizing 39th AGM of ADB. |
| | | पूंजी भाग मु.शी. 4046-करेंसी, सिक्का निर्माण तथा टकसाल अन्य पूंजी व्यय | | | एसपीएमसीआईएल से सिक्कों की खरी तीसरे तथा अन्तिम बैच के माध्यम से पूर अनुदान मांगा जा रहा है। |

| | (करोड़ रुपए Rupees in Crore) | | | | |
|--|--|-------|-------|---|--|
| 1 2 | 3 Capital Section MH-4046-Capital Outlay of | 4 | 5 | 6 | |
| | Currency, Coinage and Mint Other Capital Expenditure | 0.00 | 96.36 | For purchase of coins from SPMCIL. Supplementary being obtained through the 3 rd and Final batch. | |
| | मशीनरी तथा उपस्कर | | | बजट प्रेस के लिए मल्टी कलर वेब ऑफ सैट प्रिटिंग मशीन की खरीद हेतु। सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त किया गया है। | |
| | Machinery and Equipments | 0.01 | 6.99 | For purchase of Multi-colour Web off-set Printing Machine for Budget Press. Token suplementary obtained. | |
| . वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग | मु.शी. 2020 आय तथा व्यय पर कर संग्रहण (मुख्य शीर्ष) 00.001-निदेशन तथा प्रशासन (लघु शीर्ष) | | | | |
| | 01-अन्वेषण 01.00.01-वेतन | | | यह वृद्धि वेतन वृद्धियों तथा मंहगाई के प्रभाव आदि सहित-अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति की वजह से हुई है। | |
| Ministry of Finance Department of Revenue | MH 2020 Collection of Taxes on Income & Expenditure (Major Hea 00.001-Direction and Administration (Minor Head) | d) | | | |
| | 01-Investigation 01.00.01-Salaries | 6.04 | 1.46 | The increase is due to meet the additional requirement including increaments and impact of DA etc. | |
| | 02-अनुसंधान सांख्यिकी तथा प्रकाशन 02.00.13-कार्यालय व्यय | | | यह वृद्धि सरकारी मुद्रणालयों, चालानों तथ विभिन्न प्रपत्रों आदि की ढुलाई के लम्बित भुगतान के सम्बन्ध में व्यय की पूर्ति की वजह से हुई है। | |
| | 02.00.26 विज्ञान तथा प्रचार | | | यह वृद्धि वर्ष 2006-07 में विज्ञापन तथ प्रचार पर हुए व्यय तथा वचनबद्धता के कारण है। अक्तूबर, 2006 तथा मार्च, 2007 के दौरान प्रमुख अभियान चलाय गया। यह वृद्धि डिडक्टर्स, निविदा विज्ञापन कार्य प्रदर्शन आदि के लिए लक्षित जागरूकत अभियान के कारण है। | |
| | 02-Research Statistics and Publication 02.00.13-Office Expenses | 13.00 | 25.25 | The increase is on account of | |
| | | | | expenditure towards pending payment to Govt presses, transportation of challans and various forms etc. | |
| | 02.00.26-Advertising and Publicity | 18.00 | 10.00 | The increase is on account of expenditure incurred and | |

| | | (| e) | | |
|---|---|--|--------|-------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | committed on advertising & publicity for 2006-07. Major campaign to be conducted during October 2006 and March, 2007. The increase is due to duplication and awareness campaign targeted towards deductors, advertisement of tender, expression of interest etc. |
| | | 00.101-संग्रहण प्रभार-आय-कर (लघु शीर्ष) | | | of tender, expression of interest etc |
| | | 01-आयुक्त तथा उनके कार्यालय | | | |
| | | 01.00.01-वेतन | | | यह वृद्धि वेतन वृद्धियों तथा मंहगाई वे प्रभाव आदि सहित-अतिरिक्त आवश्यकत की पूर्ति की वजह से हुई है। |
| | | 01.00.02-मजदूरी | | | यह वृद्धि बकाया मजदूरी बिल तथा मजदूरी दरों में वृद्धि आदि की अतिरिक्त आवश्यकत की पूर्ति की वजह से हुई है। |
| | | 01.00.13-कार्यालय व्यय (स्वीकृत) | | | इस शीर्ष में यह वृद्धि फील्ड यूनिटों द्वार संचालित वाहनों, चालान तथा विभिन्न प्रपत्रे की ढुलाई, पुराने तथा नए कार्यालय परिसरे की फर्निशिंग, एएमसी, विद्युत तथा जल प्रभारों में बढ़ोतरी, नए ईपीबीएएक्स क संस्थापन, पैन-कार्डस तथा डाक स्टाम्प आदि के अअनुपिकरण पर हुए व्यय भी वजह से है। |
| | | 01.00.14-किराया, दर तथा कर | | | यह वृद्धि पहले से स्वीकृत बड़ी संख्या व किराया संशोधनों की वजह से अतिरिक आवश्यकता को ध्यान में रखने के कारण है |
| | | 00.101-Collection Charges- Income Tax (Minor Head) 01-Commissioners and their offices | | | |
| | | 01.00.01- Salaries | 794.25 | 12.09 | The increase is due to meet the additional requirement including increaments and impact of DA etc. |
| | | 01.00.02 - Wages | 8.83 | 1.03 | The increase is due to meet the additional requirement o outstanding wages bill and hike in wage rates etc. |
| | | 01.00.13-Office Expenses (Voted) | 142.55 | 37.58 | The increase in this head is or account of expenditure towards operational vehicles by field units transportation of Challans and various forms, furnishing of old and new office premises, AMC enhancement of electricity and water charges, installation of new EPBAX, de-duplication of PAN cards and Postage Stamps etc. |

| | | (करोड़ रुपए Rupees in Crore) | | | | |
|----|---|---|--------|-------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | 01.00.14-Rent, Rates and Taxes | 53.51 | 39.92 | The increase is due to take care of the additional requirement or account of large number rent revisions which have already been cleared. | |
| | | 04-प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक का जोनल लेखा कार्यालय 04.00.01-वेतन | | | यह वृद्धि वेतन वृद्धियों तथा मंहगाई भत्ते के | |
| | | | | | प्रभाव आदि सहित-अतिरिक्त आवश्यकत की पूर्ति की वजह से हुई है। | |
| | | 04-Zonal Accounts Offices of Principal Chief Controller of Accounts | | | | |
| | | 04.00.01-Salaries | 13.19 | 1.21 | The increase is due to meet the additional requirement including increaments and impact of DA etc | |
| 3. | स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग | 2210.01.103.24-डिस्पेंस्रियों/ अस्पतालों की स्थापना - सीजीएसएस | | | सीएचएस के कम्प्यूटरीकरण और उपराष्ट्रपति के लिए एम्बुलेंस की खरीद पर व्यय। वेतन और भत्ते, दवाईयों और अन्य उपभोग्य वस्तुएं। | |
| | Ministry of Health & | 2210.01.103.24- | 22.00 | 4.57 | | |
| | Family Welfare Department of Health & Family Welfare | Setting up Dispensaries / Hospitals - CGHS | 32.00 | 4.57 | Expenditure on Computerisation o CGHS & Procument of Ambulance for Vice President. | |
| | · | | 276.50 | 52.50 | Increased expr. on pay and allowances, medicines and othe consumable items. | |
| | | 2210.01.110.19-सफदरजंग | | | | |
| | | अस्पताल | | | मरम्मत, रखरखाव और सुरक्षा हेतु एजेर्न्स को शामिल करने पर वद्धित व्यय। | |
| | | 2210.01.110.19- Safdarjung Hospital | 48.00 | 3.39 | Ingressed owns on sensing | |
| | | Saluarjung Hospital | 74.40 | 3.39 | Increased expr. on repairs maintanance and engaging agncy for security. | |
| | | 2210.01.110.20-डा. आरएमएल अस्पताल | | | निदान विज्ञान के लिए उपकरण की खरीद वेतन और भत्तों पर वर्द्धित व्यय। | |
| | | 2210.01.110.20- Dr. R.M.L. Hospital | 27.00 | 5.47 | Procurement of equipment fo | |
| | | | 52.20 | 8.12 | diagnostice. Increased expenditure on pay & allowances. | |
| | | 2210.01.110.22-एआईआईपीएम एंड आर, मुम्बई | | | भौतिक औषधि-एवं पुनर्वास विभाग के उन्नयः हेतु सरकारी मेडिकल कॉलेजों को जी आई-ए प्रदान करना। | |
| | | | | | वेतन और भत्तों, दवाईयों और अन्य उपयोग्य वस्तुओं पर वर्द्धित व्यय | |

| | | (करोड़ रुपए Rupees in Crore) | | | | | |
|---|---|---|-------|-------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| | | 2210.01.110.22- AIIPM&R, Mumbai | 3.60 | 0.61 | Providing G-I-A to Govt. Medica Colleges for upgradation of Dept of Physical Medicine & Rehabilliation. | | |
| | | | 3.45 | 1.25 | Increased expenditure on pay a allowances, Medicines & other consumables. | | |
| | | 2210.05.105.27-एलएचएमसी और | | | | | |
| | | श्रीमती एस.के. अस्पताल | | | लघु निर्माण कार्यों, उपकरणों आदि प वर्द्धित व्यय। उपयोग्य वस्तुओं, वेतन एवं भत्तों, दवाईन आदि पर वर्द्धित व्यय। | | |
| | | 2210.05.105.27-LHMC & Smt. S.K. Hospital | 19.00 | 4.60 | Increased expenditure on mind works, equipments etc. | | |
| | | | 48.88 | 3.00 | Increased expenditure of consumables, pay & allowance medicines etc. | | |
| | | 2210.06.800.02-अतंर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सम्मेलनों में शिष्टमंडल | | | विदेश यात्राओं पर वर्द्धित व्यय। | | |
| | | 2210.06.800.02-Delegation to | 0.80 | 0.39 | Increased expenditure on foreign | | |
| | | Internal Health Conferences. | | | visits. | | |
| | | 2211.00.106.01-मुख्यालय में कार्यकलाप | | | जिला स्तर आऊटरीच कार्यक्रमों को बढ़ान | | |
| | | 2211.00.106.01-Activities at Headquarters | 5.00 | 13.35 | To increase outreach programme at the Distt. Level. | | |
| | | 2211.00.106.14-सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मीडिया यूनिटों के जरिए व्यय 2211.00.106.14-Expenditure through | | | जिला स्तर आऊटरीच कार्यक्रमों को बढ़ान | | |
| | | Media Units of Ministry of Information Broadcasting | 38.60 | 18.00 | To increase outreach programme at the Distt. Level. | | |
| | | 3601.04.263.03-राष्ट्रीय वैक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (ग्रामीण) (सामान्य संघटक) 3601.04.263.03-National Vactor Borne Diseases Control Prog. | | | राज्य स्तर पर अधिक आवश्यकता है। | | |
| | | (Rural) (General Component) 3601.04.263.04-राष्ट्रीय वैक्टर जनित | 55.69 | 23.01 | More requirement at the State leve | | |
| | | रोग नियंत्रण कार्यक्रम | | | राज्य स्तर पर अधिक आवश्यकता है। | | |
| | | 3601.04.263.04-National Vactor Borne Diseases Control Prog. | 80.00 | 5.37 | More requirement at the State leve | | |
| | | 3601.04.263.05-कालाज़ार नियंत्रण कार्यक्रम | | | राज्य स्तर पर अधिक आवश्यकता है। | | |
| | | 3601.04.263.05-Kala-azar | 15.00 | 7 40 | | | |
| | | control Prog. | 15.00 | 5.48 | More requirement at the State leve | | |

| | ना का पूरक माग 2006-2007 SUPPLEN | (करोड़ रुपए Rupe | | |
|----------------------|--|------------------|------|---|
| 1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9. योजना मंत्रालय | 3451-सचिवालय - आर्थिक सेवाएं 00.101-योजना आयोग/योजना बोर्ड 01-मुख्यालय | | | |
| | 01.00.01-वेतन | | | सामान्य वेतन वृद्धियां, मंहगाई भत्ते का प्रभाव और सहायकों का वेतन उन्नयन। |
| Ministry of Planning | 3451- Secretariat -Economic Services 00.101 – Planning Commission/ | | | |
| | Planning Board 01 – Headquarters | | | |
| | 01.00.01 – Salaries | 20.84 | 1.66 | Normal increments, impact of DA and Pay up-gradation of Assistants. |
| | 01.00.02-मजदूरी | | | दैनिक मजदूरी दरों और कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि। |
| | 01.00.02 - Wages | 0.15 | 0.01 | Increase in daily wages rates and staff. |
| | 01.00.06-चिकित्सा उपचार | | | प्रत्याशा से अधिक चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावे प्राप्त हुए । |
| | 01.00.06 – Medical Treatment | 0.30 | 0.25 | More medical re-imbursement claims received than anticipated. |
| | 01.00.11-देशीय यात्रा व्यय | | | इंडियन एयरलाईन्स और प्राइवेट एयरलाइनों के बकाया बिलों का भुगतान करना। गैर- सरकारी व्यक्तियों के कई दावों का निपटान। |
| | 01.00.11 – Domestic Travel | | | |
| | Expenses | 1.46 | 0.87 | To clear pending bills of Indian Airlines and Private Airlines. Disposal of a number of claims of non-officials. |
| | 01.00.12-विदेश यात्रा व्यय | | | योजना आयोग के उपाध्यक्ष और सदस्यों की विदेश यात्राओं पर प्रतिबद्ध व्यय के कारण। |
| | 01.00.12 – Foreign Travel | | | |
| | Expenses | 0.63 | 0.37 | Due to committed expenditure on Foreign journeys of Deputy Chairman and Members of Planning Commission. |
| | 01.00.13-कार्यालय व्यय | | | यह वृद्धि मुख्यतः लम्बित बिलों, सामान्य मूल्य वृद्धि, कर संशोधन, पीओएल कीमतों में अत्यधिक वृद्धि के कारण है। |
| | 01.00.13 – Office Expenses | 2.78 | 2.17 | Increase is attributed mainly on account of pending bills, general price hike, tax revision, steep increase in POL prices, etc. |
| | 01.00.16-प्रकाशन 01.00.16 - Publications | 0.34 | 0.05 | अधिक दस्तावेजों/रिपोर्टों का मुद्रण। Printing of more documents/ reports. |

| (करोड़ रुपए Rupees in Crore) | | | | | |
|---|--|---|---|--|--|
| 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 01.00.20-अन्य प्रशासनिक व्यय | | | विभिन्न महत्वपूर्ण दस्तावेजों आदि के हिन् | | |
| | | | अनुवाद पर प्रत्याशित व्यय। | | |
| 01.00.20 – Other Administrative | 0.34 | 0.09 | Anticipated expenditure on Hine | | |
| Expenses | | | translation of various importan | | |
| | | | documents etc | | |
| | | | | | |
| | | | मंहगाई भत्ते में वृद्धि, रिक्त पदों को भरन | | |
| _ | | | | | |
| _ | 2.65 | 0.02 | H.1 . D.4 C.11. C | | |
| 02.00.01 - Salaries | 2.65 | 0.02 | Hike in DA, filling up of vaca | | |
| | | | posts. | | |
| ०२ ०० ०६-चिकित्या उपचार | | | बकाया दावों को पूरा करने के लिए। | | |
| | 0.06 | 0.06 | To clear outstanding claims. | | |
| 02.00.00 – Medicai Treatment | 0.00 | 0.00 | To clear outstanding claims. | | |
| ०२.००.11-देशीय यात्रा व्यय | | | हवाई किराए में वृद्धि और बकाया या | | |
| | | | भत्ते के बिलों का भुगतान। | | |
| 02.00.11 – Domestic Travel | | | 3 | | |
| | 0.16 | 0.04 | Hike in air fare and clearance | | |
| - | | | outstanding TA bills. | | |
| 02.00.13 - कार्यालय व्यय | | | माल, वस्तुओं और स्टेशनरी मदों की कीम | | |
| | | | में अत्यधिक वृद्धि। | | |
| 02.00.13 – Office Expense | 0.15 | 0.04 | Steep increase in the prices | | |
| | | | goods, articles and stationery item | | |
| 9 | | | | | |
| Total MH - 3451 | 29.86 | 5.63 | | | |
| 3475-थना सामाना आर्थिक सेताएं | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 9 | | | | | |
| संस्थान को सहायता अनुदान | | | मंहगाई भत्ते का प्रभाव, वेतन वृद्धि के वि | | |
| 04.01.31-सहायता अनुदान | | | प्रावधान, सेवानिवृत्ति दावों का निपटान ३ | | |
| · · | | | सामान्य मूल्यवृद्धि, जो कार्यालय के रखरख | | |
| | | | और परिचालन आदि को प्रभावित करते | | |
| 3475 – Other General Economic | | | | | |
| | | | | | |
| _ | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Research | | | | | |
| 04.01.31 – Grants-in-aid | 3.50 | 0.30 | Impact of DA, provisions f | | |
| | | | increments, settlement | | |
| | | | retirement claims and general price | | |
| | | | hike affecting maintenance ar | | |
| | | | running of office, etc. | | |
| क्रम जोट प्राप्त पीर्ष ०४८४ । | | | | | |
| कुल जोड़ मुख्य शीर्ष - 3451 + मरुरा शीर्ष - 3475 | | | | | |
| कुल जोड़ मुख्य शीर्ष - 3451 + मुख्य शीर्ष - 3475 Grand Total MH – 3451 + | | | | | |
| | 3 01.00.20-अन्य प्रशासनिक व्यय 01.00.20 – Other Administrative Expenses 02-कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन 02.00.01-वेतन 02 – Programme Evaluation Organisation 02.00.01 - Salaries 02.00.06 – Medical Treatment 02.00.11 – Domestic Travel Expenses 02.00.13 – कार्यालय व्यय 02.00.13 – Office Expense जोड़ मुख्य शीर्ष – 3451 Total MH - 3451 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं 00.800-अन्य व्यय 04 - सरकार आदि के जनशक्ति अनुसंघान सेवाएं 04.01-अनुप्रयुक्त जनशक्ति अनुसंघान संस्थान को सहायता अनुदान 04.01.31-सहायता अनुदान 3475 – Other General Economic Services 00.800 – Other Expenditure 04 – Manpower Research Services to Government, etc. 04.01 – Grants-in-aid to Institute of Applied Manpower Research | 3 4 01.00.20-अन्य प्रशासनिक व्यय 01.00.20 — Other Administrative Expenses 02-कार्यक्रम मृत्यांकन संगठन 02.00.01-वेतन 02 — Programme Evaluation Organisation 02.00.01 - Salaries 2.65 02.00.06 — Medical Treatment 0.06 02.00.11 — Domestic Travel Expenses 0.16 02.00.13 — onfice Expense 0.15 जोड़ मुख्य शीर्ष — 3451 Total MH — 3451 Total MH — 3451 3475—अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं 00.800-अन्य व्यय 04 — सरकार आदि के जनशक्ति अनुसंघान संस्थान को सहायता अनुदान 04.01.31—सहायता अनुदान 04.01.31—सहायता अनुदान 04.01.31—सहायता अनुदान 04.01.31—सहायता अनुदान 04.01.31—सहायता अनुदान 04.01.51—Expenditure 04 — Manpower Research Services to Government, etc. 04.01 — Grants-in-aid to Institute of Applied Manpower Research | 3 4 5 01.00.20-अन्य प्रशासनिक व्यय 01.00.20 – Other Administrative Expenses 02-कार्यक्रम मृत्यांकन संगठन 02.00.01-वेतन 02 – Programme Evaluation Organisation 02.00.01 - Salaries 2.65 0.02 02.00.06 – विकित्सा उपचार 02.00.06 – Medical Treatment 0.06 0.06 02.00.11 – Domestic Travel Expenses 0.16 0.04 02.00.13 – कार्यालय व्यय 02.00.13 – Office Expense 0.15 0.04 जोड मुख्य शीर्ष – 3451 Total MH - 3451 29.86 5.63 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं 00.800-अन्य व्यय 04 – सरकार आदि के जनशक्ति अनुसंघान संख्यान के सहायता अनुवान 04.01.31-सहायता अनुवान 04.01.31-सहायता अनुवान 04.01.31-सहायता अनुवान 04.01.31-सहायता अनुवान 04.01.31-सहायता अनुवान 04.01 – Grants-in-aid to Institute of Applied Manpower Research | | |

| | | करोड़ रुपए Rupees in Crore) | | | |
|-----|--|---|--------|--------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10. | भू-संसाधन विभाग | 2501.05.101.01.03.28 - राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड (एनडब्ल्यूडीपी) आकलन, मानीटरिंग और मूल्यांकन | | | आईसीआरआईएसएटी द्वारा संचालित किए जाने वाले "भारत में जल-विभाजक कार्यक्रमों का वृहत मूल्यांकन" नामक अध्ययन के लिए अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए। |
| | Department of Land Resources | 2501.05.101.01.03.28-National Wastelands Development Board (NWDP) - Appraisal, Monitoring and Evaluation | 0.40 | 0.12 | To meet the excess requirement for the study titled "A Comprehensive Assessment of Watershed Programmes in India" to be conducted by ICRISAT. |
| 11. | विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग- डीएसटी | 3425.60.200.08.11.31-सहायता अनुदान (विज्ञान एवं सोसाइटी कार्यक्रम) | | | "नवीन ग्रामीण विकास परियोजना के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग" और "प्रौढ़ जनता के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग" हेतु नए सिरे से स्वीकृत्तियां प्राप्त करने के लिए। |
| | Department of Science | 3425.60.200.08.11.31-Grants- | | | To cater to fresh sanctions for "S&T |
| | and Technology - DST | in-aid (Science & Society Programme) | 5.50 | 1.35 | Applications for Innovative Rural Development Project" and for "S&T Applications for Elderly Population". |
| 12. | नौवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग | 5054-सड़कों और पुलों पर पूंजी परिव्यय 01-राष्ट्रीय राजमार्ग 01.337-सड़क निर्माण कार्य 02-उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम 02.00.53 - मुख्य निर्माण कार्य | | | उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के तहत व्यय को पूरा करने के लिए। |
| | Ministry of Shipping, Road Transport & Highways | | | | |
| | Department of Road Transport & Highways | 5054-Capital Outlay on Roads and Bridges 01-National Highways 01.337-Road Works 02- Special Accelerated Road Development Programme in the North Eastern Areas 02.00.53 - Major Works | | 303.00 | For meeting expenditure under the Special Accelerated Road Development Programme in the North Eastern Region. |
| 13. | सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय | 3601-04.341-07.0031 अनु. जातियों हेतु मैट्रिक पश्च छात्रवृत्ति | | | राज्य सरकारों की लम्बित आवश्यकताओं को पूरा करना। |
| | Ministry of Social | 3601-04.341-07.0031 | | | |
| | Justice & Empowerment | Post Matric Scholarship for SCs | 438.80 | 33.06 | To clear the pending requirements of the State Governments. |
| | | 3601-04.377-03.0031 पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिक पश्च छात्रवृत्ति | | | पूर्वोत्तर तथा सिक्किम में स्थित राज्य सरकारों को निधियां जारी करने हेतु। |

| | | (करोड़ रुपए Rupees in Crore) | | | | |
|----|-------------------------------|---|--------|--------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | 3601-04.377-03.0031 | | | | |
| | | Post Matric Scholarship for BCs | 30.49 | 16.54 | For releasing funds to the Stat | |
| | | | | | Governments located in NE Region | |
| | | 3601-03.341-01.0031 | | | and Sikkim. | |
| | | अनुसूचित जाति संघटक आयोजना | | | | |
| | | हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत | | | पूर्वोत्तर तथा सिक्किम में स्थित राज्य सरका | |
| | | योजनाएं | | | को निधियां जारी करने हेतु। | |
| | | 3601-03.341-01.0031 | | | - | |
| | | Schemes under Special Central | | | | |
| | | Assistance for Scheduled Castes | | | | |
| | | Component Plan | 438.62 | 10.03 | For releasing funds to the Stat | |
| | | | | | Governments located in NE Region and Sikkim. | |
| 4. | सांख्यिकी एवं कार्यक्रम | मुख्य शीर्ष 2052-सचिवालय | | | | |
| | कार्यान्वयन मंत्रालय | सामान्य सेवाएं | | | | |
| | राजस्व भाग | 00.090-सचिवालय | | | | |
| | (आयोजना-भिन्न) | 18-कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग | | | | |
| | , | 01 - स्थापना | | | ठेके के आधार पर नियोजित कर्मचारिय | |
| | | 18.01.02 - मजदूरी | | | को वेतन का भुगतान करने के लिए। | |
| | Ministry of Statistics | MH 2052-Secretariat General | | | , | |
| | and Programme | Services | | | | |
| | Implementation | 00.090-Secretariat | | | | |
| | Revenue Section | 18-Department of Programme | | | | |
| | (Non-Plan) | Implementation | | | | |
| | | 01-Establishment | | | To pay salary to the worker | |
| | | 18.01.02 - Wages | 0.0137 | 0.0063 | employed on contract basis. | |
| | | 18.01.11- घरेलू यात्रा व्यय | | | यात्रा भत्ते के लम्बित बिलों का निपटान करने के लिए। | |
| | | 18.01.11- Domestic Travel | | | | |
| | | Expenses | 0.0288 | 0.0072 | To clear pending TA bills. | |
| | | मुख्य शीर्ष 3451-सचिवालय आर्थिक सेवाएं | | | | |
| | | 00.090-सचिवालय | | | | |
| | | 18-सांख्यिकी विभाग | | | | |
| | | 01 - स्थापना | | | | |
| | | 32.01.01 - वेतन | | | वेतन संबंधी जरूरतों को पूरा करने वे | |
| | | MH 3451-Secretariat Economic | | | लिए। | |
| | | Services | | | | |
| | | 00.090-Secretariat | | | | |
| | | 18-Department of Statistics | | | | |
| | | Implementation | | | | |
| | | 01-Establishment | | | | |
| | | 32.01.01 - Salaries | 5.00 | 1.605 | To meet salary requirement. | |
| | | 32.99.13- कार्यालय व्यय | | | कम्प्युटरों की खरीद, इसके संघटक औ संस्थापन। | |
| | | 32.99.13- Office Expenses | 0.5932 | 0.0268 | Purchase of computers, it peripherals and installation. | |

| | (3 | करोड़ रुपए Rup | (करोड़ रुपए Rupees in Crore) | | | | | | |
|----------|---|----------------|------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| | मुख्य शीर्ष ३४५४-संगणना, सर्वेक्षण | | | | | | | | |
| | और सांख्यिकी | | | | | | | | |
| | 02-सर्वेक्षण और सांख्यिकी | | | | | | | | |
| | 02.202 भारतीय सांख्यिकी संस्थान | | | | | | | | |
| | 01-आईएसआई, कोलकाता को | | | | | | | | |
| | सहायता अनुदान | | | आईएसआई कोलकाता की वेतन सं | | | | | |
| | 01.00.31 सहायता अनुदान | | | जरूरत को पूरा करने के लिए। | | | | | |
| | MH 3454-Census, Survey and | | | | | | | | |
| | Statistics | | | | | | | | |
| | 02-Survey and Statistics | | | | | | | | |
| | 02.202-Indian Statistical Institute | | | | | | | | |
| | 01-Grants-in-aid to ISI, Kolkata | | | To meet the requirement of | | | | | |
| | 01.00.31-Grants-in-aid | 44.20 | 2.60 | = | | | | | |
| | 01.00.51-Grants-in-aid | 44.20 | 2.60 | Kolkata on salary. | | | | | |
| | 02.203-कम्प्युटर सेवाएं | | | | | | | | |
| | 01-संलग्न कार्यालय | | | ठेके के आधार पर नियोजित कर्मचा | | | | | |
| | 01.00.02-मजदूरी | | | को वेतन का भुगतान करने के लिए। | | | | | |
| | 02.203-Computer Services | | | | | | | | |
| | 01-Attached Office | | | To pay salary to workers employ | | | | | |
| | 01.00.02 - Wages | 0.0093 | 0.0032 | on contract basis | | | | | |
| | 02.204-केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन | | | | | | | | |
| | 01-संलग्न कार्यालय | | | | | | | | |
| | 01-स्थापना | | | | | | | | |
| | 01.01.01-वेतन | | | वेतन संबंधी व्यय को पूरा करने के ि | | | | | |
| | 01.99.52-मशीनरी एवं उपकरण | | | कम्प्युटर खरीद के व्यय हेतु। | | | | | |
| | 02.204-Central Statistical | | | | | | | | |
| | Organisation | | | | | | | | |
| | 01-Attached Office | | | | | | | | |
| | 01-Establishment | | | | | | | | |
| | 01.01.01-Salaries | 8.08 | 2.28 | To meet expenditure on salary. | | | | | |
| | 01.99.52-Machinery & Equipment | 0.015 | 0.005 | To meet the expenditure on purch | | | | | |
| | 01.55.52 Machinery & Equipment | 0.015 | 0.005 | of computers. | | | | | |
| (आयोजना) | मुख्य शीर्ष 3454-संगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी | | | - | | | | | |
| | 02-सर्वेक्षण और सांख्यिकी | | | | | | | | |
| | 02.201-राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन | | | | | | | | |
| | 02-फील्ड आपरेशन प्रभाग | | | | | | | | |
| | 02-पगल्ड जापरशा प्रमाप 06-अनौपचारिक क्षेत्र सांख्यिकी और | | | स्टाफ के चिकित्सा संबंधी खर्चों को | | | | | |
| | | | | करने के लिए। | | | | | |
| | प्रकाशन सुधार 02.06.06-चिकित्सीय उपचार | | | निर्मित नए स्थानों के लिए फर्नीचर | | | | | |
| | 02.06.13-कार्यालय व्यय | | | खरीद। | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| (Plan) | MH 3454-Census, Survey and Statistics | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 02-Survey and Statistics | | | | | | | | |
| | 02.201-National Sample Survey Organisation | | | | | | | | |
| | 02-Field Operations Division | | | | | | | | |
| | 06-Improvement of Informal | | | | | | | | |
| | Sector Statistics and Publications | | | To meet medical expenses of at- | | | | | |
| | Sector Statistics and Publications | | | To meet medical expenses of sta | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | (करोड़ रुपए Rupees in Crore) | | | | | | | |
|---|------------------------------|---|--------|--------|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | | 02.06.06-Medical Treatment | 0.032 | 0.0129 | Purchase of furniture for newly | | | |
| | | 02.06.13-Office Expenses | 0.2925 | 0.1134 | constructed accommodation. | | | |
| | | 0 2 .00.12 011.00 2p 000 | 0.2720 | 0.110 | | | | |
| | | 07-एनएसएसओ की क्षेत्रीय सर्वेक्षण | | | आर्थिक संगणना कार्य के पश्च गणना संबंध | | | |
| | | क्षमताओं को सुदृढ़ करना | | | खर्चों को पूरा करने के लिए। | | | |
| | | 02.07.11-घरेलू यात्रा व्यय | | | वया यम नूरा यम् । यम । यम | | | |
| | | 07-Strengthening of Field Survey | | | | | | |
| | | Capabilities of NSSO | | | To meet the expenses on pos | | | |
| | | 02.07.11-Domestic Travel | | | enumeration of economic census | | | |
| | | | 0.25 | 0.10 | | | | |
| | | Expenses | 0.35 | 0.18 | work. | | | |
| | | 03-एसडी एण्ड आरडी | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 07-एनएसएसओ के सर्वेक्षण डिजाइन और अनुसंधान क्षमताओं को | | | | | | |
| | | 9 | | | | | | |
| | | सुदृढ़ करना | | | <u> </u> | | | |
| | | 03.06.03-समयोपरि भत्ता | | | ठेके के आधार पर नियोजित कर्मचारिय | | | |
| | | | | | को मजदूरी का भुगतान करने के लिए। | | | |
| | | 03.07.16-प्रकाशन | | | मुद्रण संबंधी खर्चों को पूरा करने के लिए | | | |
| | | 03-SD&RD | | | | | | |
| | | 07-Strengthening of Survey | | | | | | |
| | | Design & Research | | | | | | |
| | | Capabilities of NSSO | | | | | | |
| | | 03.06.03-Overtime Allowance | 0.005 | 0.002 | To pay wages to workers employed | | | |
| | | | | | on contract basis. | | | |
| | | 03.07.16-Publication | 0.0175 | 0.0525 | To meet printing expenses. | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 02.204-केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन | | | | | | |
| | | 19-संस्थागत विकास एवं क्षमता निर्माण | | | | | | |
| | | 01-स्थापना | | | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | | | |
| | | 19.01.17-बैंकिंग नकद लेन-देन कर | | | बैंकिंग नकद लेन-देन कर की पूर्ति हेतु। | | | |
| | | 02.204-Central Statistical | | | | | | |
| | | Organisation | | | | | | |
| | | 19-Institutional Development & | | | | | | |
| | | Capacity Building | | | | | | |
| | | 01-Establishment | | | | | | |
| | | 19.01.17-Banking Cash | | | | | | |
| | | Transaction Tax | 0.0001 | 0.0599 | To meet BCCT | | | |
| | | · · | | | | | | |
| | | 21-सामाजिक पर्यावरण एवं मूल्य | | | | | | |
| | | सांख्यिकी का विकास | | | | | | |
| | | 21.99.52-मशीनरी एवं उपकरण | | | हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर की खरीद | | | |
| | | 21-Development of Social | | | | | | |
| | | Environment and Price | | | | | | |
| | | Statistics | | | | | | |
| | | 21.99.52-Machinery & Equipment | 0.02 | 0.04 | Procurement of hardware and | | | |
| | | | | | software. | | | |
| | | 23-पांचवी आर्थिक संगणना | | | - N - | | | |
| | | 01-स्थापना | | | अनुसूचियों की पुनः जांच करने हेत् | | | |
| | | 23.00.28-व्यावसायिक सेवाएं | | | आरजीआई को भुगतान करने के लिए। | | | |
| | 23-Fifth Economic Census | 23-Fifth Economic Census | | | | | | |
| | | 01-Establishment | | | | | | |
| | | 23.00.28-Professional Services | 1.4685 | 0.50 | For making payments to RGI fo | | | |
| | | | | | | | | |

| 2552-उत्तर-पूर्वी क्षेत्र 174-संगणना, सर्वेक्षण और सांख्यिकी - राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन 01-फील्ड आपरेशन क्षेत्र 01-अनौपचारिक क्षेत्र सांख्यिकी एवं प्रकाशनों में सुधार 01.01.11-घरेलू यात्रा व्यय 01.01.13-कार्यालय व्यय 2552-North Eastern Areas 174-Census, Survey and Statistics- National Sample Survey Organisation 01-Field Operations Division 01-Improvement of Informal Sector Statistics and Publications. 01.01.11-Domestic Travel Expenses 01.01.13-Office Expenses 0 02-एनएसएसओ की क्षेत्रीय सर्वेक्षण क्षमताओं को सुदृढ़ करना 01.02.01-वेतन 01.02.06-चिकित्सीय उपचार 01.02.20-अन्य प्रशासनिक व्यय 02-Strengthening of Field Survey Capabilities of NSSO 01.02.01-Salaries 0.4 01.02.06-Medical Treatment | 0281 .032 | 5 0.009 0.01 | यात्रा संबंधी खर्चों को पूरा करने के दि कार्यालय के लिए फर्नीचर की खरीद। To meet travel expenses. Purchase of office furniture. |
|---|--------------|--------------------|--|
| 174-संगणना, सर्वेक्षण और सांख्यिकी - राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन 01-फील्ड आपरेशन क्षेत्र 01-अनौपचारिक क्षेत्र सांख्यिकी एवं प्रकाशनों में सुधार 01.01.11-घरेलू यात्रा व्यय 01.01.13-कार्यालय व्यय 2552-North Eastern Areas 174-Census, Survey and Statistics- National Sample Survey Organisation 01-Field Operations Division 01-Improvement of Informal Sector Statistics and Publications. 01.01.11-Domestic Travel Expenses 0.6 01.01.13-Office Expenses 0 02-एनएसएसओ की क्षेत्रीय सर्वेक्षण क्षमताओं को सुदृढ़ करना 01.02.01-वेतन 01.02.06-चिकित्सीय उपचार 01.02.20-अन्य प्रशासनिक व्यय 02-Strengthening of Field Survey Capabilities of NSSO 01.02.01-Salaries 0.4 01.02.06-Medical Treatment 0.6 | | | कार्यालय के लिए फर्नीचर की खरीद। To meet travel expenses. |
| राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन 01-फील्ड आपरेशन क्षेत्र 01-अनौपचारिक क्षेत्र सांख्यिकी एवं प्रकाशनों में सुधार 01.01.11-घरेलू यात्रा व्यय 01.01.13-कार्यालय व्यय 2552-North Eastern Areas 174-Census, Survey and Statistics- National Sample Survey Organisation 01-Field Operations Division 01-Improvement of Informal Sector Statistics and Publications. 01.01.11-Domestic Travel Expenses 0.6 01.01.13-Office Expenses 0 02-एनएसएसओ की क्षेत्रीय सर्वेक्षण क्षमताओं को सुदृढ़ करना 01.02.01-वेतन 01.02.06-चिकित्सीय उपचार 01.02.20-अन्य प्रशासनिक व्यय 02-Strengthening of Field Survey Capabilities of NSSO 01.02.01-Salaries 0.4 01.02.06-Medical Treatment 0.6 | | | कार्यालय के लिए फर्नीचर की खरीद। To meet travel expenses. |
| राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन 01-फील्ड आपरेशन क्षेत्र 01-अनौपचारिक क्षेत्र सांख्यिकी एवं प्रकाशनों में सुधार 01.01.11-घरेलू यात्रा व्यय 01.01.13-कार्यालय व्यय 2552-North Eastern Areas 174-Census, Survey and Statistics- National Sample Survey Organisation 01-Field Operations Division 01-Improvement of Informal Sector Statistics and Publications. 01.01.11-Domestic Travel Expenses 0.6 01.01.13-Office Expenses 0 02-एनएसएसओ की क्षेत्रीय सर्वेक्षण क्षमताओं को सुदृढ़ करना 01.02.01-वेतन 01.02.06-चिकित्सीय उपचार 01.02.20-अन्य प्रशासनिक व्यय 02-Strengthening of Field Survey Capabilities of NSSO 01.02.01-Salaries 0.4 01.02.06-Medical Treatment 0.6 | | | कार्यालय के लिए फर्नीचर की खरीद। To meet travel expenses. |
| 01-फील्ड आपरेशन क्षेत्र 01-अनौपचारिक क्षेत्र सांख्यिकी एवं प्रकाशनों में सुधार 01.01.11-घरेलू यात्रा व्यय 01.01.13-कार्यालय व्यय 2552-North Eastern Areas 174-Census, Survey and Statistics- National Sample Survey Organisation 01-Field Operations Division 01-Improvement of Informal Sector Statistics and Publications. 01.01.11-Domestic Travel Expenses 0.0 01.01.13-Office Expenses 0 02-एनएसएसओ की क्षेत्रीय सर्वेक्षण क्षमताओं को सुदृढ़ करना 01.02.01-वेतन 01.02.06-चिकित्सीय उपचार 01.02.20-अन्य प्रशासनिक व्यय 02-Strengthening of Field Survey Capabilities of NSSO 01.02.01-Salaries 0.4 01.02.06-Medical Treatment 0.6 | | | कार्यालय के लिए फर्नीचर की खरीद। To meet travel expenses. |
| 01-अनौपचारिक क्षेत्र सांख्यिकी एवं प्रकाशनों में सुधार 01.01.11-घरेलू यात्रा व्यय 01.01.13-कार्यालय व्यय 2552-North Eastern Areas 174-Census, Survey and Statistics-National Sample Survey Organisation 01-Field Operations Division 01-Improvement of Informal Sector Statistics and Publications. 01.01.11-Domestic Travel Expenses 0.0 Expenses 0.0 01.01.13-Office Expenses 0 02-एनएसएसओ की क्षेत्रीय सर्वेक्षण क्षमताओं को सुदृढ़ करना 01.02.01-वेतन 01.02.06-चिकित्सीय उपचार 01.02.20-अन्य प्रशासनिक व्यय 02-Strengthening of Field Survey Capabilities of NSSO 01.02.01-Salaries 0.4 01.02.06-Medical Treatment 0.0 | | | कार्यालय के लिए फर्नीचर की खरीद। To meet travel expenses. |
| प्रकाशनों में सुधार 01.01.11-घरेलू यात्रा व्यय 01.01.13-कार्यालय व्यय 2552-North Eastern Areas 174-Census, Survey and Statistics- National Sample Survey Organisation 01-Field Operations Division 01-Improvement of Informal Sector Statistics and Publications. 01.01.11-Domestic Travel Expenses 0.0 Expenses 0.0 01.01.13-Office Expenses 0 02-एनएसएसओ की क्षेत्रीय सर्वेक्षण क्षमताओं को सुदृढ़ करना 01.02.01-वेतन 01.02.06-चिकित्सीय उपचार 01.02.20-अन्य प्रशासनिक व्यय 02-Strengthening of Field Survey Capabilities of NSSO 01.02.01-Salaries 0.4 01.02.06-Medical Treatment 0.0 | | | कार्यालय के लिए फर्नीचर की खरीदा |
| 01.01.11-घरेलू यात्रा व्यय 01.01.13-कार्यालय व्यय 2552-North Eastern Areas 174-Census, Survey and Statistics- National Sample Survey Organisation 01-Field Operations Division 01-Improvement of Informal Sector Statistics and Publications. 01.01.11-Domestic Travel Expenses 0.00 01-Q-एनएसएसओ की क्षेत्रीय सर्वेक्षण क्षमताओं को सुदृढ़ करना 01.02.01-वेतन 01.02.06-चिकित्सीय उपचार 01.02.20-अन्य प्रशासनिक व्यय 02-Strengthening of Field Survey Capabilities of NSSO 01.02.01-Salaries 0.4 01.02.06-Medical Treatment 0.00 | | | कार्यालय के लिए फर्नीचर की खरीद To meet travel expenses. |
| 01.01.13-कार्यालय व्यय 2552-North Eastern Areas 174-Census, Survey and Statistics- National Sample Survey Organisation 01-Field Operations Division 01-Improvement of Informal Sector Statistics and Publications. 01.01.11-Domestic Travel Expenses 0.0 Expenses 0.0 01.01.13-Office Expenses 0 02-एनएसएसओ की क्षेत्रीय सर्वेक्षण क्षमताओं को सुदृढ़ करना 01.02.01-वेतन 01.02.06-चिकित्सीय उपचार 01.02.20-अन्य प्रशासनिक व्यय 02-Strengthening of Field Survey Capabilities of NSSO 01.02.01-Salaries 0.4 01.02.06-Medical Treatment 0.0 | | | कार्यालय के लिए फर्नीचर की खरीदा |
| 2552-North Eastern Areas 174-Census, Survey and Statistics- National Sample Survey Organisation 01-Field Operations Division 01-Improvement of Informal Sector Statistics and Publications. 01.01.11-Domestic Travel Expenses 0.0 01.01.13-Office Expenses 0 02-एनएसएसओ की क्षेत्रीय सर्वेक्षण क्षमताओं को सुदृढ़ करना 01.02.01-वेतन 01.02.06-चिकित्सीय उपचार 01.02.20-अन्य प्रशासनिक व्यय 02-Strengthening of Field Survey Capabilities of NSSO 01.02.01-Salaries 0.4 01.02.06-Medical Treatment 0.0 | | | To meet travel expenses. |
| 174-Census, Survey and Statistics-National Sample Survey Organisation 01-Field Operations Division 01-Improvement of Informal Sector Statistics and Publications. 01.01.11-Domestic Travel Expenses 0.0 01.01.13-Office Expenses 0 02-एनएसएसओ की क्षेत्रीय सर्वेक्षण क्षमताओं को सुदृढ़ करना 01.02.01-वेतन 01.02.06-चिकित्सीय उपचार 01.02.20-अन्य प्रशासनिक व्यय 02-Strengthening of Field Survey Capabilities of NSSO 01.02.01-Salaries 0.4 01.02.06-Medical Treatment 0.0 | | | |
| National Sample Survey Organisation 01-Field Operations Division 01-Improvement of Informal Sector Statistics and Publications. 01.01.11-Domestic Travel Expenses 0.0 01.01.13-Office Expenses 0 01.01.13-Office Expenses 0 01.02.01-वेतन 01.02.06-चिकित्सीय उपचार 01.02.20-अन्य प्रशासनिक व्यय 02-Strengthening of Field Survey Capabilities of NSSO 01.02.01-Salaries 0.4 01.02.06-Medical Treatment 0.0 | | | |
| Organisation 01-Field Operations Division 01-Improvement of Informal Sector Statistics and Publications. 01.01.11-Domestic Travel Expenses 0.00 01.01.13-Office Expenses 0 02-एनएसएसओ की क्षेत्रीय सर्वेक्षण क्षमताओं को सुदृढ़ करना 01.02.01-वेतन 01.02.06-चिकित्सीय उपचार 01.02.20-अन्य प्रशासनिक व्यय 02-Strengthening of Field Survey Capabilities of NSSO 01.02.01-Salaries 0.40 01.02.06-Medical Treatment 0.00 | | | |
| 01-Field Operations Division 01-Improvement of Informal Sector Statistics and Publications. 01.01.11-Domestic Travel Expenses 0.0 01.01.13-Office Expenses 0 02-एनएसएसओ की क्षेत्रीय सर्वेक्षण क्षमताओं को सुदृढ़ करना 01.02.01-वेतन 01.02.06-चिकित्सीय उपचार 01.02.20-अन्य प्रशासनिक व्यय 02-Strengthening of Field Survey Capabilities of NSSO 01.02.01-Salaries 0.4 01.02.06-Medical Treatment 0.0 | | | |
| 01-Improvement of Informal Sector Statistics and Publications. 01.01.11-Domestic Travel Expenses 0.00 01.01.13-Office Expenses 0 02-एनएसएसओ की क्षेत्रीय सर्वेक्षण क्षमताओं को सुदृढ़ करना 01.02.01-वेतन 01.02.06-चिकित्सीय उपचार 01.02.20-अन्य प्रशासनिक व्यय 02-Strengthening of Field Survey Capabilities of NSSO 01.02.01-Salaries 0.40 01.02.06-Medical Treatment 0.00 | | | |
| Sector Statistics and Publications. 01.01.11-Domestic Travel Expenses 0.0 01.01.13-Office Expenses 0 02-एनएसएसओ की क्षेत्रीय सर्वेक्षण क्षमताओं को सुदृढ़ करना 01.02.01-वेतन 01.02.06-चिकित्सीय उपचार 01.02.20-अन्य प्रशासनिक व्यय 02-Strengthening of Field Survey Capabilities of NSSO 01.02.01-Salaries 0.4 01.02.06-Medical Treatment 0.0 | | | |
| Publications. 01.01.11-Domestic Travel Expenses 0.0 01.01.13-Office Expenses 0 02-एनएसएसओ की क्षेत्रीय सर्वेक्षण क्षमताओं को सुदृढ़ करना 01.02.01-वेतन 01.02.06-चिकित्सीय उपचार 01.02.20-अन्य प्रशासनिक व्यय 02-Strengthening of Field Survey Capabilities of NSSO 01.02.01-Salaries 0.4 01.02.06-Medical Treatment 0.0 | | | |
| 01.01.11-Domestic Travel Expenses 0.00 01.01.13-Office Expenses 0 02-एनएसएसओ की क्षेत्रीय सर्वेक्षण क्षमताओं को सुदृढ़ करना 01.02.01-वेतन 01.02.06-चिकित्सीय उपचार 01.02.20-अन्य प्रशासनिक व्यय 02-Strengthening of Field Survey Capabilities of NSSO 01.02.01-Salaries 0.4 01.02.06-Medical Treatment 0.0 | | | |
| Expenses 0.0 01.01.13-Office Expenses 0 02-एनएसएसओ की क्षेत्रीय सर्वेक्षण क्षमताओं को सुदृढ़ करना 01.02.01-वेतन 01.02.06-चिकित्सीय उपचार 01.02.20-अन्य प्रशासनिक व्यय 02-Strengthening of Field Survey Capabilities of NSSO 01.02.01-Salaries 0.4 01.02.06-Medical Treatment 0.0 | | | |
| 01.01.13-Office Expenses 0 02-एनएसएसओ की क्षेत्रीय सर्वेक्षण क्षमताओं को सुदृढ़ करना 01.02.01-वेतन 01.02.06-चिकित्सीय उपचार 01.02.20-अन्य प्रशासनिक व्यय 02-Strengthening of Field Survey Capabilities of NSSO 01.02.01-Salaries 0.4 01.02.06-Medical Treatment 0.6 | | | |
| 02-एनएसएसओ की क्षेत्रीय सर्वेक्षण क्षमताओं को सुदृढ़ करना 01.02.01-वेतन 01.02.06-चिकित्सीय उपचार 01.02.20-अन्य प्रशासनिक व्यय 02-Strengthening of Field Survey Capabilities of NSSO 01.02.01-Salaries 0.4 01.02.06-Medical Treatment 0.6 | .032 | 0.01 | Turchase of office furniture. |
| क्षमताओं को सुदृढ़ करना 01.02.01-वेतन 01.02.06-चिकित्सीय उपचार 01.02.20-अन्य प्रशासनिक व्यय 02-Strengthening of Field Survey Capabilities of NSSO 01.02.01-Salaries 0.4 01.02.06-Medical Treatment | | | |
| क्षमताओं को सुदृढ़ करना 01.02.01-वेतन 01.02.06-चिकित्सीय उपचार 01.02.20-अन्य प्रशासनिक व्यय 02-Strengthening of Field Survey Capabilities of NSSO 01.02.01-Salaries 0.4 01.02.06-Medical Treatment | | | |
| 01.02.01-वेतन 01.02.06-चिकित्सीय उपचार 01.02.20-अन्य प्रशासनिक व्यय 02-Strengthening of Field Survey Capabilities of NSSO 01.02.01-Salaries 0.4 01.02.06-Medical Treatment | | | |
| 01.02.06-चिकित्सीय उपचार 01.02.20-अन्य प्रशासनिक व्यय 02-Strengthening of Field Survey Capabilities of NSSO 01.02.01-Salaries 0.4 01.02.06-Medical Treatment | | | व्यय संबंधी खर्च को पूरा करने के लि |
| 01.02.20-अन्य प्रशासनिक व्यय 02-Strengthening of Field Survey Capabilities of NSSO 01.02.01-Salaries 0.4 01.02.06-Medical Treatment 0.0 | | | यात्रा भत्तों पर हुए व्यय को पूरा करने |
| 02-Strengthening of Field Survey Capabilities of NSSO 01.02.01-Salaries 0.4 01.02.06-Medical Treatment 0.0 | | | लिए। |
| Capabilities of NSSO 01.02.01-Salaries 0.4 01.02.06-Medical Treatment 0.0 | | | प्रशिक्षण पर व्यय। |
| 01.02.01-Salaries 0.4 01.02.06-Medical Treatment 0.0 | | | |
| | 1234 | 0.115 | To meet the expenditure on sala |
| 01.02.20-Other Admn. Expenses 0 | 0215 | 0.01 | To meet the expenditure on TA |
| | | 0.005 | Expenditure on training. |
| 185-संगणना, सर्वेक्षण और सांख्यिकी - केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन | | | |
| कन्द्राय सांख्यकी संगठन 01-भारतीय सांख्यिकी सुदृढ़ीकरण | | | |
| 01-मारताय साख्यका सुदृढ़ाकरण परियोजना (भारत में सांख्यिकी | | | |
| प्राची जा (मारत में साख्यिक) प्रणाली का आधुनिकीकरण) | | | |
| 9 | | | |
| 01-स्थापना | | | |
| 01.01.28-व्यावसायिक सेवाएं | | | टियर-II पर अध्ययन के लिए परामर्श को भुगतान । |
| 185-Census, Survey and Statistics- | | | |
| Central Statistical Organisation | | | |
| 01-India Statistical Strengthening | | | |
| Project (Modernisation of | | | |
| Statistical System in India) | | | |
| 01-Establishment | | | |
| 01.01.28-Professional Services 0 | .175 | 0.692 | Payment to consultant for study Tier-II. |
| 186-संगणना, सर्वेक्षण और सांख्यिकी - अन्य व्यय | | | 1101-11. |

01-कार्यक्रम कार्यान्व्यन

| | (करोड़ रुपए Rupees in Crore) | | | | | |
|--------------------|------------------------------------|------|------|--|--|--|
| 1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| | 01-संस्थागत विकास एवं क्षमता | | | | | |
| | निर्माण (पीआई विंग) | | | | | |
| | 01.01.28 व्यावसायिक सेवाएं | | | परामर्शदाताओं को भुगतान। | | |
| | 186-Census, Survey and Statistics- | | | 9 | | |
| | Other Expenditure | | | | | |
| | 01-Programme Implementation | | | | | |
| | 01-Institutional Development & | | | | | |
| | Capacity Building (PI Wing) | | | | | |
| | 01.01.28-Professional Services | 0.60 | 0.22 | Payment to consultants. | | |
| | onones in the services | 0.00 | 0.22 | Tay mone to consultants. | | |
| पूंजी भाग | 5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं | | | | | |
| | पर पूंजी परिव्यय | | | | | |
| | 00.112-सांख्यिकी | | | | | |
| | 01-वाहन/उपकरण/भवन | | | | | |
| Capital Section | 5475-Capital Outlay on Other | | | | | |
| Suprem Section | General Economic Services | | | | | |
| | 00.112-Statistics | | | | | |
| | 01-Vehicles/Equipment/Building | | | | | |
| | or venicles/Equipment Building | | | | | |
| | 23-संस्थागत विकास एवं क्षमता | | | | | |
| | निर्माण (पीआई विंग) | | | | | |
| | 23.00.52-मशीनरी एवं उपकरण | | | कम्प्युटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर की खरीद क के लिए। | | |
| | 23-Institutional Development & | | | | | |
| | Capacity Building (PI Wing) | | | | | |
| | 23.00.52-Machinery & Equipment | 0.20 | 0.40 | For procurement of compute hardware/software. | | |
| | 31-एनएसएसओ की क्षेत्रीय सर्वेक्षण | | | nardware/software. | | |
| | क्षमताओं को सुदृढ़ करना | | | | | |
| | 9 - | | | भवन निर्माण के लिए। | | |
| | 31.00.53-मुख्य निर्माण कार्य | | | भवन निमाण क लिए। | | |
| | 31-Strengthening of Field Survey | | | | | |
| | Capabilities of NSSO | 2.50 | 1.00 | | | |
| | 31.00.53-Major Works | 2.50 | 1.00 | For construction of building. | | |
| अंडमान एंव निकोबार | राजस्व भाग | | | | | |
| द्वीप समूह | गृह मंत्रालय | | | | | |
| | मु.शी. 2245-प्राकृतिक विपदाओं के | | | | | |
| | कारण राहत | | | | | |
| | 02.101- उपादानात्मक राहत | | | सुनामी पीड़ित व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति | | |
| | | | | - | | |
| | नकद अनुदान | | | भुगतान हेतु | | |
| Andaman & Nicobar | Revenue Section | | | | | |
| Islands | Ministry of Home Affairs | | | | | |
| | MH-2245-Relief on account of | | | | | |
| | Natural Calamities | | | | | |
| | 02.101 Gratuitious Relief | | | | | |
| | Cash Doles | 0.01 | 8.39 | For payment of compensation | | |
| | | | | Tsunami affected people. | | |
| | | | | | | |
| | अन्य मदें | | | राहत शिविरों में मुफ्त राशन की आपू | | |

| (करोड़ रुपए Rupees in Crore) | | | | | |
|--------------------------------|---|--------------|--------------|--|--|
| 1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | Other items | 0.01 | 39.49 | For supply of free ration and other logistic support in the relief camps. | |
| | 02.106-प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए क्षतिग्रस्त सड़कों और पुलों की | | | सुनामी और भूकम्म के दौरान क्षतिग्रस्त सड़कों और पुलों की मरम्मत और जोर्णोद्वार | |
| | मरम्मत एवं जीर्णोद्वार 02.106 Repairs and restoration of damaged roads and bridges | | | For repairs and restoration of roads and bridges damaged during | |
| | due to Natural Calamities | 10.00 | 10.00 | Tsunami & Earthquake. | |
| | 80.800 प्राकृतिक आपदाओं के कारण अन्य व्यय | | | सुनामी और भूकम्म के दौरान क्षतिग्रस्त सड़कों और पुलों की मरम्मत और जोर्णोद्वार | |
| | 80.800 Other Expenditure due to Natural Calamities | 9.42 | 33.11 | For repairs and restoration of roads and bridges damaged during Tsunami & Earthquake. | |
| | नौवहन मंत्रालय मु.शी. 3052-नौवहन 02.103-नौवहन-सेवाएं अंतर्द्वीपीय पोतों के परिचालनात्मक | | | पीओएल की लागत, पोतों में कर्मचारियों के प्रभारों और कर्मीदल पारिश्रमिक में वृद्धि के कारण | |
| | प्रभार Ministry of Shipping MH 3052-Shipping 02.103 Shipping Services Operational charges of Inter- Islands Vessels | 26.00 | 6.90 | Due to increase in the cost of POL, manning charges of vessels and increase in crew wages. | |
| | पूंजी भाग मु.शी. 5051-पत्तनों और प्रकाश दीपस्तम्भों पर पूंजी परिव्यय 02.200-अन्य छोटे पत्तन पत्तन उपकरण और मशीन Capital Section MH 5051-Capital Outlay on Ports and Lighthouses | 20.00 | 0.50 | पत्तन सुविधाओं और अन्य संबद्ध निर्माण कार्यों के विकास पर व्यय की पूर्ति हेतु। | |
| | 02.200 Other Small Ports. Ports Equipment and Machinery. | 12.16 | 7.31 | To meet the expenditure on development of Port facilities and other allied works. | |
| 16.जल संसाधन मंत्रालय | 3451-सचिवालय आर्थिक सेवा 00.090-सचिवालय 16-जल संसाधन मंत्रालय 16.00.20-अन्य प्रशासनिक व्यय 16.00.28-व्यवसायिक सेवाएं | | | विश्व बैंक द्वारा बगलिहार पन बिजली परियोजना के संबंध में नियुक्त किए गए निष्पक्ष विशेषज्ञ के समक्ष सुनवाई के कार्य के संबंध में हुए अनिवार्य व्यय को पूरा करने के कारण बजट अनुमान में वृद्धि हुई है। | |
| Ministry of Water Resources | 3451-Secretariat Economic Services 00.090-Secretariat 16-Ministry of Water Resources 16.00.20-Other Administrative Expenses 16.00.28-Professional Services | 0.36 0.10 | 1.40 1.65 | Increase of BE is due to meeting the essential expenditure relating to conduct of the hearings before the Neutral Expert appointed by the World Bank on Baglihar Hydro Electric Project. | |